# ब्रिटिश काल में पत्रकारिता का स्वरूप

## (The Nature of Correspondence in the British Era)

ट्विंकल जैन

# ब्रिटिश काल में पत्रकारिता का स्वरूप

# ब्रिटिश काल में पत्रकारिता का स्वरूप

## (The Nature of Correspondence in the British Era)

ट्विंकल जैन

**भाषा प्रकाशन**
नई दिल्ली – 110002

© प्रकाशक

I.S.B.N. : 978-81-323-6192-3

प्रथम संस्करण : 2022

**भाषा प्रकाशन**

22, प्रकाशदीप बिल्डिंग, अंसारी रोड,
दरियागंज, नई दिल्ली - 110002

द्वारा वर्ल्ड टेक्नोलॉजीज नई दिल्ली के सहयोग से प्रकाशित

# प्रस्तावना

स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने में पत्रकारिता ही सबसे बड़ा अस्त्र बना था। पत्रकारिता ने अंग्रेजी सत्ता के दमन नीति, लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय, अत्याचार एवं कुशासन के खिलाफ निरंतर विरोध का स्वर उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एकजुटता आई। इसका नतीजा यह रहा कि पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ स्वर उठा और आखिर अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। लोगों में स्वतंत्रता का अलख जगाने की कोशिश में न जाने कितने संपादक-सह-पत्रकार शहीद हुए हैं तो न जाने कितनों की आवाज भी दबा दी गई हो, फिर भी पत्रकारों ने सामाजिक सरोकारों को नहीं छोड़ा। दूसरा उदाहरण था हिंदीं भाषा को स्थापित करना।

हिंदीं भाषा साहित्य जगत में कुछ ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं, जो संपादक-पत्रकार ही थे। उनका जिक्र किए बगैर हम हिंदी भाषा के किसी भी रूप की चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उस समय हिंदी साहित्य और पत्रकारिता एवं साहित्कार एवं पत्रकार दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची बने हुए थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जब अंग्रेजी शासक अंग्रेजी को ही देश की भाषा बनाना चाहता था। इन लेखक-पत्रकारों ने अंग्रेजी भाषा के मुकाबले हिंदी किसी भी विधा में कमजोर नहीं है, साबित करने के लिए ही पद्य एवं गद्य विधा के सभी रूपों में लेखनी चलाई है और साबित कर दिया कि हिंदी भाषा में चाहे वह कविता हो या गद्य और गद्य में चाहे वह

उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, आलोचना हो, जीवनी हो या अन्य कोई विधा सभी में लिखा जा सकता है।

इस तरह इन लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, संपादकों ने साहित्यिक पत्रकार के रूप में अंग्रेजी भाषा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भारत आजाद हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी पत्रकार तथा पत्रकारिता को इस अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आज भी लड़ाई जारी है, क्योंकि आज भी हिंदी भाषा को देश में वह स्थान एवं सम्मान नहीं मिल पाया है, जितना मिलना चाहिए।

पुस्तक लेखन में कई लिखित व अलिखित स्रोतों से मदद ली गई है; मैं उन सभी विज्ञ लेखकों के प्रति अपना आभार प्रकट करती हूँ। आशा करती हूँ कि पुस्तक पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

**—लेखिका**

# अनुक्रम


*प्रस्तावना* *v*

**1. पत्रकारिता** **1**

परिभाषा 1

पत्रकारिता का अर्थ 3

पत्रकारिता की प्रकृति 4

पत्रकारिता का स्वरूप और विशेषतायें 10

पत्रकारिता के प्रमुख रूप या प्रकार 11

खेल पत्रकारिता 13

आर्थिक पत्रकारिता 16

पत्रकारिता के विविध आयाम 18

रेडियो पत्रकारिता 22

सोशल मीडिया के प्रकार 24

विज्ञापन और पत्रकारिता 28

हिंदी के प्रमुख पत्रकार 31

स्वतंत्रता के बाद के पत्रकार 33

पत्रकारिता के कार्य, सिद्धांत एवं प्रकार 37

पत्रकारिता के सिद्धांत 41

पत्रकारिता के प्रकार 46

| | | |
|---|---|---|
| | खेल पत्रकारिता | 48 |
| | महिला पत्रकारिता | 49 |
| | बाल पत्रकारिता | 50 |
| | आर्थिक पत्रकारिता | 51 |
| | विकास पत्रकारिता | 54 |
| | विज्ञान पत्रकारिता | 56 |
| | सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता | 57 |
| **2.** | **पत्रकारिता और अनुवाद** | **59** |
| | पत्रकारिता और अनुवाद का सामान्य परिचय | 59 |
| | पत्रकारिता में अनुवाद की समस्याएँ | 60 |
| | शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद की समस्या | 62 |
| | पारिभाषिक शब्दावली की समस्या | 65 |
| | निर्माण के सिद्धांत | 66 |
| **3.** | **पत्रकारिता के उद्देश्य** | **72** |
| | विकास पत्रकारिता' समय की मांग | 73 |
| | पश्चिमी मीडिया की भारत-दृष्टि | 80 |
| **4.** | **हिन्दी पत्रकारिता** | **86** |
| | भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का आरम्भ और हिन्दी पत्रकारिता | 86 |
| | हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग—भारतेन्दु युग | 89 |
| | तीसरा चरण—बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्ष | 91 |
| **5.** | **हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन** | **96** |
| | हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन | 100 |
| | आरंभिक युग 1826 से 1867 | 102 |
| | कलकत्ता का योगदान | 104 |
| | बीसवीं सदी की शुरुआत | 107 |
| | उद्‌भव काल (उद्‌बोधन काल)-1826 से 1884 ई. | 112 |
| **6.** | **विश्व में पत्रकारिता का इतिहास** | **115** |
| | प्रथम चरण—सन् 1845 से 1877। | 116 |
| **7.** | **हिन्दी पत्रिकाओं की सूची** | **125** |
| | इतिहास | 125 |
| | ऑनलाइन पत्रिकाएँ | 128 |

**8. हिंदी पत्रकारिता को सींचने वाले बांग्लाभाषी मनीषी** **129**
श्याम सुंदर सेन और 'समाचार सुधावर्षण' 131
**9. हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के 150 वर्ष** **146**
**10. स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका** **165**
सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली ( 1879 अंग्रेजी में ) 167
राजा राममोहन राय 169
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 170
पयामे आजादी 171
**11. राष्ट्रीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता** **173**
**12. उदन्त मार्तण्ड** **180**
उद्देश्य 181
**13. बनारस अखबार** **183**
अरबी तथा फारसी शब्दों का प्रयोग 183
अन्य अखबार 184
**14. हिन्दुस्तान दैनिक** **185**
स्थापना 185
विकास 186
**15. मूकनायक** **187**
डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं व उनकी तस्वीर 188
मूकनायक के एक अंक व डॉ. आंबेडकर की तस्वीर 191
**16. बहिष्कृत भारत** **195**
'बहिष्कृत भारत' के पहले अंक का मास्ट हेड 196
**17. बंगाल गजट** **203**
जेम्स ऑगस्टस हिक्की 203
मुद्रित पत्रकारिता की शुरुआत 204
**18. कविवचनसुधा** **207**
**19. द टाइम्स ऑफ इण्डिया** **209**
इतिहास 209
**20. उदन्त मार्तण्ड** **212**
**21. नवभारत टाइम्स** **214**
पहला अंक 214

**22. सरस्वती** **216**
सम्पादक 217
**23. हिन्दी प्रदीप** **219**

# 1

# पत्रकारिता

पत्रकारिता आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, जानकारी एकत्रित करके पहुँचाना, सम्पादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे-अखबार, पत्रिकायें, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता आदि। बदलते वक्त के साथ बाजारवाद और पत्रकारिता के अंतर्संबंधों ने पत्रकारिता की विषय-वस्तु तथा प्रस्तुति शैली में व्यापक परिवर्तन किए।

## परिभाषा

पत्रकारिता शब्द अंग्रेजी के "जर्नलिज्म" का हिंदी रूपांतर है। शब्दार्थ की दृष्टि से "जर्नलिज्म" शब्द 'जर्नल' से निर्मित है और इसका आशय है 'दैनिक'। अर्थात जिसमें दैनिक कार्यों व सरकारी बैठकों का विवरण हो। आज जर्नल शब्द 'मैगजीन' का धोतक हो चला है, यानी, दैनिक, दैनिक समाचार-पत्र या दूसरे प्रकाशन, कोई सर्वाधिक प्रकाशन, जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र के समाचार हो। (डॉ. हरिमोहन एवं हरिशंकर जोशी-खोजी पत्रकारिता, तक्षशिला प्रकाशन)

पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रतिपल परिवर्तित होने वाले जीवन और जगत का दर्शन पत्रकारिता द्वारा ही संभव है। परिस्थितियों के अध्ययन, चिंतन-मनन और आत्माभिव्यक्ति की प्रवृत्ति और दूसरों का कल्याण अर्थात् लोकमंगल की भावना ने ही पत्रकारिता को जन्म दिया। जर्नलिज्म में मोजो

सामाजिक जीवन में चलने वाली घटनाओं, झंझावातों के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जो जानते हैं वे उसे बताना चाहते हैं। जिज्ञासा की इसी वृत्ति में पत्रकारिता के उद्‌भव एवं विकास की कथा छिपी है। पत्रकारिता जहाँ लोगों को उनके परिवेश से परिचित कराती है, वहीं वह उनके होने और जीने में सहायक है। शायद इसी के चलते इन्द्रविद्यावचस्पति पत्रकारिता को 'पांचवां वेद' मानते हैं। वे कहते हैं–"पत्रकारिता पांचवां वेद है, जिसके द्वारा हम ज्ञान-विज्ञान संबंधी बातों को जानकर अपना बंद मस्तिष्क खोलते हैं।"

वास्तव में पत्रकारिता भी साहित्य की भाँति समाज में चलने वाली गतिविधियों एवं हलचलों का दर्पण है। वह हमारे परिवेश में घट रही प्रत्येक सूचना को हम तक पहुंचाती है। देश-दुनिया में हो रहे नए प्रयोगों, कार्यों को हमें बताती है। इसी कारण विद्वानों ने पत्रकारिता को शीघ्रता में लिखा गया इतिहास भी कहा है। वस्तुतः आज की पत्रकारिता सूचनाओं और समाचारों का संकलन मात्र न होकर मानव जीवन के व्यापक परिदृश्य को अपने आप में समाहित किए हुए हैं।

यह शाश्वत नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक मूल्यों को समसामयिक घटनाचक्र की कसौटी पर कसने का साधन बन गई है। वास्तव में पत्रकारिता जन-भावना की अभिव्यक्ति, सद्‌भावों की अनुभूति और नैतिकता की पीठिका है। संस्कृति, सभ्यता औस स्वतंत्रता की वाणी होने के साथ ही यह जीवन अभूतपूर्व क्रांति की अग्रदूतिका है। ज्ञान-विज्ञान, साहित्य-संस्कृति, आशा-निराशा, संघर्ष-क्रांति, जय-पराजय, उत्थान-पतन आदि जीवन की विविध भावभूमियों की मनोहारी एवं यथार्थ छवि हम युगीन पत्रकारिता के दर्पण में कर सकते हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष प्रो. अंजन कुमार बनर्जी के शब्दों में "पत्रकारिता पूरे विश्व की ऐसी देन है, जो सबमें दूर दृष्टि प्रदान करती है।" वास्तव में प्रतिक्षण परिवर्तनशील जगत का दर्शन पत्रकारिता के द्वारा ही संभव है।

पत्रकारिता की आवश्यकता एवं उद्‌भव पर गौर करें तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार ज्ञान-प्राप्ति की उत्कण्ठा, चिंतन एवं अभिव्यक्ति की आकांक्षा ने भाषा को जन्म दिया। ठीक उसी प्रकार समाज में एक दूसरे का कुशल-क्षेम जानने की प्रबल इच्छा-शक्ति ने पत्रों के प्रकाशन को बढ़ावा दिया। पहले ज्ञान एवं सूचना की जो थाती मुट्‌ठी भर लोगों के पास कैद थी, वह आज पत्रकारिता के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रही है। इस प्रकार पत्रकारिता हमारे

समाज–जीवन में आज एक अनिवार्य अंग के रूप में स्वीकार्य है। उसकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता किसी अन्य व्यवसाय से ज्यादा है। शायद इसीलिए इस कार्य को कठिनतम कार्य माना गया। इस कार्य की चुनौती का अहसास प्रख्यात शायर अकबर इलाहाबादी को था, तभी वे लिखते हैं–

"खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो
जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो"

## पत्रकारिता का अर्थ

सच कहें तो पत्रकारिता समाज को मार्ग दिखाने, सूचना देने एवं जागरूक बनाने का माध्यम है। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही बढ़ जाती है। यह सही अर्थों में एक चुनौती भरा काम है।

प्रख्यात लेखक–पत्रका डॉ. अर्जुन तिवारी ने इनसाइक्लोपीडिया आफ ब्रिटेनिका के आधार पर इसकी व्याख्या इस प्रकार की है–"पत्रकारिता के लिए 'जर्नलिज्म' शब्द व्यवहार में आता है, जो 'जर्नल' से निकला है। जिसका शाब्दिक अर्थ है–'दैनिक'। दिन–प्रतिदिन के क्रियाकलापों, सरकारी बैठकों का विवरण जर्नल में रहता था। 17वीं एवं 18 वीं शताब्दी में पीरियाडिकल के स्थान पर लैटिन शब्द 'डियूनरल' और 'जर्नल' शब्दों का प्रयोग आरंभ हुआ। 20वीं सदी में गम्भीर समालोचना एवं विद्वतापूर्ण प्रकाशन को इसके अन्तर्गत रखा गया। इस प्रकार समाचारों का संकलन–प्रसारण, विज्ञापन की कला एवं पत्र का व्यावसायिक संगठन पत्रकारिता है। समसामयिक गतिविधियों के संचार से सम्बद्ध सभी साधन चाहे वह रेडियो हो या टेलीविजन, इसी के अन्तर्गत समाहित हैं।"

एक अन्य संदर्भ के अनुसार 'जर्नलिज्म' शब्द फ्रैंच भाषा के शब्द 'जर्नी' से उपजा है। जिसका तात्पर्य है 'प्रतिदिन के कार्यों अथवा घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करना।' पत्रकारिता मोटे तौर पर प्रतिदिन की घटनाओं का यथातथ्य विवरण प्रस्तुत करती है। पत्रकारिता वस्तुतः समाचारों के संकलन, चयन, विश्लेषण तथा सम्प्रेषण की प्रक्रिया है। पत्रकारिता अभिव्यक्ति की एक मनोरम कला है। इसका काम जनता एवं सत्ता के बीच एक संवाद–सेतु बनाना भी है। इन अर्थों में पत्रकारिता के फलित एव प्रभाव बहुत व्यापक है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना। इन तीनों उद्देश्यों में पत्रकारिता का सार–तत्व समाहित है। अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के कारण

पत्रकारिता व्यक्ति और समाज के जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। पत्रकारिता देश की जनता की भावनाओं एवं चित्तवृत्तियों से साक्षात्कार करती है। सत्य का शोध एवं अन्वेषण पत्रकारिता की पहली शर्त है। इसके सही अर्थ को समझने का प्रयास करें तो अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज करना इसकी महत्वपूर्ण मांग है।

असहायों को सम्बल, पीड़ितों को सुख, अज्ञानियों को ज्ञान एवं मदोन्मत्त शासक को सद्‌बुद्धि देने वाली पत्रकारिता है, जो समाज-सेवा और विश्व बन्धुत्व की स्थापना में सक्षम है। इसीलिए जेम्स मैकडोनल्ड ने इसे एक वरेण्य जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकारा है–

"पत्रकारिता को मैं रणभूमि से भी ज्यादा बड़ी चीज समझता हूँ। यह कोई पेशा नहीं, वरन पेशे से ऊँची कोई चीज है। यह एक जीवन है, जिसे मैंने अपने को स्वेच्छापूर्वक समर्पित किया।"

## पत्रकारिता की प्रकृति

सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान करने के तीन उद्देश्यों में सम्पूर्ण पत्रकारिता का सार तत्व निहित है। पत्रकारिता व्यक्ति एवं समाज के बीच सतत संवाद का माध्यम है। अपनी बहुमुखी प्रवृत्तियों के चलते पत्रकारिता व्यक्ति एवं समाज को गहराई तक प्रभावित करती है। सत्य के शोध एवं अन्वेषण में पत्रकारिता एक सुखी, सम्पन्न एवं आत्मीय समाज बनाने की प्रेरणा से भरी-पूरी है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य ही अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध दर्ज करना है। सच्ची पत्रकारिता की प्रकृति व्यवस्था विरोधी होती है। वह साहित्य की भाँति लोक-मंगल एवं जनहित के लिए काम करती है। वह पाठकों में वैचारिक उत्तेजना जगाने का काम करती है। उन्हें रिक्त नहीं छोड़ती। पीड़ितों, वंचितों के दुःख-दर्दों में आगे बढ़कर उनका सहायक बनना पत्रकारिता की प्रकृति है। जनकल्याण एवं विश्वबंधुत्व के भाव उसके मूल में हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है–

"कीरति भनति भूलि भलि सोई, सुरसरि सम सबकर हित होई"

उपरोक्त कथन पत्रकारिता की मूल भावना को स्पष्ट करता है। भारतीय संदर्भों में पत्रकारिता लोकमंगल की भावना से अनुप्राणित है। वह समाज से लेना नहीं, वरन उसे देना चाहती है। उसकी प्रकृति एक समाज सुधारक एवं सहयोगी की है। वह अन्याय, दमन से त्रस्त जनता को राहत देती है, जीने का हौसला

देती है। सत्य की लड़ाई को धारदार बनाती है। बदलाव के लिए लड़ रहे लोगों की प्रेरणा बनती है। पत्रकारिता की इस प्रकृति को उसके तीन उद्देश्यों में समझा जा सकता है।

**1. सूचना देना**—पत्रकारिता दुनिया-जहान में घट रही घटनाओं, बदलावों एवं हलचलों से लोगों को अवगत कराती है। इसके माध्यम से जनता को नित हो रहे परिवर्तनों की जानकारी मिलती रहती है। समाज के प्रत्येक वर्ग की रुचि के लोगों के समाचार अखबार विविध पृष्ठों पर बिखरे होते हैं, लोग उनसे अपनी मनोनुकूल सूचनाएं प्राप्त करते हैं। इसके माध्यम से जनता को सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों की जानकारी भी मिलती रहती है। एक प्रकार से इससे पत्रकारिता जनहितों की संरक्षिका के रूप में सामने आई है।

**2. शिक्षित करना**—सूचना के अलावा पत्रकारिता 'लोक गुरू' की भी भूमिका निभाती है। वह लोगों में तमाम सवालों पर जागरुकता लाने एवं जनमत बनाने का काम भी करती है। पत्रकारिता आम लोगों को उनके परिवेश के प्रति जागरुक बनाती है और उनकी विचार करने की शक्ति का पोषण करती है। पत्रकारों द्वारा तमाम माध्यमों से पहुंचाई गई बात का जनता पर सीधा असर पड़ता है। इससे पाठक यादर्शक अपनी मनोभूमि तैयार करता है। सम्पादकीय, लेखों, पाठकों के पत्र, परिचर्चाओं, साक्षात्कारों इत्यादि के प्रकाशन के माध्यम से जनता को सामयिक एवं महत्पूर्ण विषयों पर अखबार तथा लोगों की राय से रुपः कराया जाता है। वैचारिक चेतना में उद्वेलन का काम भी पत्रकारिता बेहतर तरीके से करती नजर आती है। इस प्रकार पत्रकारिता जन शिक्षण का एक साधन है।

**3 मनोरंजन करना**—समाचार पत्र, रेडियो एवं टी.वी. ज्ञान एवं सूचनाओं के अलावा मनोरंजन का भी विचार करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आ रही विषय-वस्तु तो प्रायः मनोरंजन प्रधान एवं रोचक होती है। पत्र-पत्रिकाएं भी पाठकों की मांग का विचार कर तमाम मनोरंजक एवं रोचक सामग्री का प्रकाशन करती हैं। मनोरंजक सामग्री स्वाभाविक तौर पर पाठकों को आकृष्ट करती है। इससे उक्त समाचार पत्र-पत्रिका की पठनीयता प्रभावित होती है। मनोरंजन के माध्यम से कई पत्रकार शिक्षा का संदेश भी देते हैं। अलग-अलग पाठक वर्ग का विचार कर भिन्न-भिन्न प्रकार की सामग्री पृष्टों पर दी जाती है, ताकि सभी आयु वर्ग के पाठकों को अखबार अपना लग सके। फीचर लेखों, कार्टून, व्यंग्य चित्रों, सिनेमा, बाल, पर्यावरण, वन्य पशु, रोचक-रोमांचक जानकारियों एवं जनरुचि से जुड़े विषयों पर पाठकों की रुचि का विचार कर सामग्री दी जाती

है। वस्तुतः पत्रकारिता समाज का दर्पण है। उसमें समाज के प्रत्येक क्षेत्र में चलने वाली गतिविधि का सजीव चित्र उपस्थित होता है। वह घटना, घटना के कारणों एवं उसके भविष्य पर प्रकाश डालती है। अतः समाज में परिवर्तन के कारण क्या है और उसके फलित क्या होंगे? इस प्रकार पत्रकारिता का फलक बहुत व्यापाक होता है।

एक समय था, जब टी.वी. पत्रकारिता मतलब बड़ा ताम-झाम था, लेकिन अब तो एक ही शख्स मोबाइल कैमरे से शूट भी करता है, रिपोर्टिंग भी और लाइव टेलीकॉस्ट भी वह भी मोबाइल फोन से ही। तकनीकी विकास ने टी.वी. पत्रकारिता का सिर्फ कायापलट नहीं किया है, नाम भी बदल दिया है। इस नये युग की पत्रकारिता को अब मोजो के नाम से जाना जाता है। मोजो माने मोबाइल जर्नलिज्म। लागत भी टी.वी. किट के मुकाबले बेहद कम है। इसका सबसे बड़ा फायदा ब्रेकिंग न्यूज की परिस्थितियों में है। जहां पर सीधे प्रसारण के लिए कैमरे और ओबी वैन ले जाने में दिक्कत होती है, वहां मोजो किट आसानी से सबसे पहली तस्वीरें दर्शकों के पास पहुंचा सकती हैं। 70 का दशक था, जब टी.वी. पत्रकारिता की शुरुआत हुई। उस समय पत्रकार, कैमरामैन,साउंड रिकॉर्डर और सहायक मतलब चार लोगों की टीम हुआ करती थी। यू-मैटिक कैमरा हुआ करता था, बिना रिकॉर्डर के यानी रिकॉर्डर अलग से रहता था। टेप भी बड़ा एक किताब के आकार का हुआ करता था, लेकिन उसमे रिकोर्डिंग 10 और 20 मिनट ही कर सकते थे। बाजार में तब सोनी कंपनी का बोलबाला था। सोनी कंपनी ने ही बाद में बीटा मैक्स फॉर्मेट लाया जो, उस दौर में एडवांस माना जाता था। बीटा मैक्स टेप का आकार यू मैटिक से थोड़ा छोटा था, जबकि रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा जगहं थी। ये फॉर्मेट कई वर्षों तक चला, लेकिन बीटा कैमकॉर्डर ने आते ही बीटा मैक्स की जगह ले ली, क्योंकि इसमें रिकॉर्डर कैमेरे के साथ ही लगा हुआ था, मतलब रिकॉर्डर अलग से पकड़ने की जरूरत नहीं थी और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आसान था, लेकिन इससे टीम में से एक आदमी की नौकरी पर बन आयी, क्योंकि अब अलग से साउंड रिकॉर्डर की जरूरत नहीं थी। तकनीक के इस युग में समय के साथ तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जल्द ही डिजिटल कैमरा बाजार में आ गए। सोनी, पैनासोनिक और जे. वी. सी. कंपनियों में आगे बढ़ने की होड में बहुत ही छोटे कैमेरे बनने लगे। मिनी डी. वी. के रूप में। इन छोटे कैमरों ने बाजार में हलचल मचा दी थी। आकार में छोटे, लेकिन शूटिंग समय और पिक्चर क्वालिटी में कहीं बेहतर साथ में रंगीन

व्यू फाइंडर भी। 4 लोगों की टीम अब घटकर 2 की हो चुकी थी, लेकिन स्टोरी शूट कर टेप जल्द से जल्द अपने दफ्तर या फिर दिल्ली भेजना पड़ता था।इसके लिए राइडर रखे जाते थे, वह मोटरसाइकिल पर शहर में घूम-घूम कर रिपोर्टरों से टेप लेते और दफ्तर लाकर देते, ताकि स्टोरी एडिट हो सके। अपलिंकिंग की व्यवस्था नहीं होने की वजह से विमान से टेप दिल्ली भेजने पड़ते थे, लेकिन साल 2000 तक इस समस्या का भी समाधान निकल गया। बड़े-बड़े छातों वाली ओ. बी. यानी कि ब्रॉडकास्टिंग वैन आ चुकी थी। जिसके जरिये सिर्फ शूट किया हुआ ही दफ्तर में या दिल्ली भेजना आसान नहीं हुआ था, लाइव टेलीकॉस्ट भी सम्भव हो गया था। अभी तक दिन में तय समय पर ही दिखने वाले टी.वी. न्यूज अब 24 घंटा चलने लगे थे। टी.वी. खबरों की दुनिया में तहलका मच चुका था।दुनियां में कहीं भी कुछ हुआ तो उसकी तस्वीर तुरंत टी. वी. चैनलों पर देखने को मिल जाती थी। जापान में आयी सुनामी के बाद डिजिटल मीडिया में बड़ी क्रांति आई। मैग्नेटिक प्लास्टिक टेप की बजाय टेप लेस टेक्नोलॉजी, यानी चिप का उदय हुआ।। कैमरा एसेसरीज और टेप सबकुछ बदल गया। छोटे से मेमरी कार्ड में बड़ी दुनिया समाने लगी। वीडियो की क्वालिटी भी हाई डेफिनेशन में हो गई। कम आदमी और कम खर्चे में अच्छा परिणाम, टी.वी. न्यूज के लिए वरदान साबित होने लगा था। उसके बाद आई मोबाइल और इंटरनेट क्रांति ने तो दुनिया की तस्वीर ही बदलकर रख दी। जिस मोबाइल फोन का ईजाद दूर बैठे शख्स से संपर्क, यानी बात करने के लिए हुआ था। वह ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा से लैस हो गया। पहले तस्वीर खींचने की सुविधा थी, फिर ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी होने लगी। इंटरनेट से वीडियो भेजना भी आसान हो गया। अब तो आलम ये है कि सोशल मीडिया पर अनेकों न्यूज वेबसाइट खुल गई हैं, जिस पर मोबाइल से ही शूट किए वीडियो से खबरें बनकर अपलोड हो रही हैं, लेकिन न्यूज चैनलों में मोजो जर्नलिज्म का क्रेडिट एन. डी. टी.वी. को जाता है।अब इसे गला काट प्रतियोगिता में सीमित साधनों के साथ टिके रहने की चुनौती कहें या नई तकनीकी के प्रयोग का साहस जो भी हो एन डी टी.वी. ने मोबाइल जर्नलिज्म को स्थापित कर दिया है, हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था। खबर सोचने से लेकर शूट करने और उसे अपलिंक करने तक सारी जिम्मेदारी एक अकेले रिपोर्टर पर आ गई, यानी खबरनवीस कम टेक्निकल ज्यादा। कैमरामैन की नौकरी पर बन आयी लिहाजा नाराजगी स्वाभाविक थी। फील्ड में दूसरे चैनलों के कैमरामैनो की नजर में अभी

अचानक से हम दुश्मन बन गए। लेकिन एन. डी. टी.वी. अपने प्रयोग पर टिका रहा। शूट में गुणवत्ता के लिए सभी रिपोर्टरों को सैमसंग 8 प्लस के नए मोबाइल दिए गये, जो एच डी से भी सुपर क्वालिटी 4k से लैस है। शुरू में चैनल ने एक मोजो बुलेटिन शुरू किया फिर धीरे-धीरे स्टुडियो एंकरिंग से लेकर कई बुलेटिन मोजो से ही शूट होने लगे। अब तो मोबाइल से सीधा प्रसारण भी होना शुरू हो गया है। संवाददाता फील्ड से ही न सिर्फ तस्वीरें, बल्कि अपनी स्टोरी एडिट कर न्यूजरूम भेज सकता है। न्यूजरूम भी अब बदल रहे हैं और अब पारंपरिक न्यूजरूम की जगह मल्टीमीडिया न्यूजरूम आ गए हैं। जापान के एक न्यूज चैनल ने तो बाकायदा इस पर एक टी.वी. रिपोर्ट भी बनाया है, जो वायरल हुआ और लोगों ने पसंद भी किया। आज आलम ये है कि दूसरे चैनल भी अब मोजो जर्नलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ी बात ये है कि शुरू में कुछ बड़े नेता, अभिनेता, अफसर और वकील मोबाइल पर शूट करते देख विदक जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो कई नेता और अफसर अपनी बाइट, यानी कि इंटरव्यू क्लिप खुद ही बनाकर टी.वी. पत्रकारों को भेजने लगे हैं। जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों की बचत हो रही है। इंटरनेट और मोबाइल ने तो दुनिया को इस कदर नजदीक ला दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हम कहीं की भी स्टोरी कर सकते हैं अन्याय और समस्याओं को उजागर कर न्याय भी दिला सकते हैं। भारत के 77 भारतीय मजदूर श्रीलंका में भुवलका स्टील में काम कर रहे थे, लेकिन प्रोडक्शन में कमी की वजह से उनका वेतन रुक गया था। हालत ये हो गई थी कि वह खाने के लिए मोहताज हो गए और भारत वापस आने के लिए टिकट के पैसे भी नहीं थे। सोशल मीडिया के जरिये उनकी लाचारी की जानकारी मिलते ही मैंने उनसे मोबाइल से संपर्क किया और उन्हें अपना दर्द शूट कर व्हाट्सअप करने को कहा। उन्होंने वीडियो ओर बाइट बनाकर भेजा। सबकुछ जांच पड़ताल कर और कंपनी के मालिक की प्रतिक्रिया के साथ खबर बनाई। चैनल पर खबर चली और विदेश मंत्रालय ने तुरतं उसमें दखल दिया। नतीजा सभी 77 भारतीय अपने वतन वापस आने में कामयाब रहे लेकिन इसके फायदे हैं तो नुकसान भी। आज सभी के हाथ में मोबाइल है और उसमे इंटरनेट। जिसे जो मन में आता है, उसे शूट कर या कुछ भी लिखकर पोस्ट कर देता है। जनता भी खुद को पत्रकार से कम नहीं समझती। जगहं-जगहं सिटीजन जर्नलिस्ट पैदा हो गए हैं, लेकिन चूंकि इन्हें पत्रकारिता की नियमावली पता नहीं होती, इसलिए वह बिना सोचे समझे पोस्ट कर कभी-कभी मुसीबत

भी खड़ी कर देते हैं, फिर मोबाइल जर्नलिज्म की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। जिन इलाकों में इंटरनेट स्पीड धीमी है, वहां से खबरें भेजने में परेशानी आ सकती है। इसके अपने नैतिक तथा कानूनी पक्ष भी हैं। खबरें करते वक्त दूसरों की निजता का सम्मान करना बेहद जरूरी है। बिना किसी को जानकारी दिए बातचीत रिकॉर्ड करना नैतिकता के दायरे में नहीं आता। इसी तरह जहां टी.वी. कैमरों को जाने की इजाजत नहीं है, वहां स्मार्ट फोन से शूट करना पत्रकारिता की मर्यादा से बाहर है, फिर जगह-जगह सोशल मीडिया से आए वीडियो क्लिप की पुष्टि करना भी आसान नहीं ..।

सी. जी. मूलर ने बिल्कुल सही कहा है कि-सामायिक ज्ञान का व्यवसाय ही पत्रकारिता है। इसमें तथ्यों की प्राप्ति उनका मूल्यांकन एवं ठीक-ठाक प्रस्तुतिकरण होता है।

(Journilism is business of timely knowledge the business of obtaining the necessary facts, of evaluating them carefully and of presenting them fully and of acting on them wisely.)

## *डॉ. अर्जुन तिवारी के कथानानुसार*

ज्ञान और विचारों को समीक्षात्मक टिप्पणियों के साथ शब्द, ध्वनि तथा चित्रों के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह वह विद्या है, जिसमें सभी प्रकार के पत्रकारों के कार्यो, कर्त्तव्यों और लक्ष्यों का विवेचन होता है। पत्रकारिता समय के साथ समाज की दिग्दर्शिका और नियामिका है।

**डॉ. बद्रीनाथ कपूर के अनुसार**-पत्रकारिता पत्र पत्रिकाओं के लिए समाचार लेख एकत्रित तथा संपादित करने, प्रकाशन आदेश देने का कार्य है।

**हिंदी शब्द सागर के अनुसार**-पत्रकार का काम या व्यवसाय पत्रकारिता है।

**श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी के अनुसार**-पत्रकारिता विशिष्ट देश, काल और परिस्थिति के आधार पर तथ्यों का, परोक्ष मूल्य का संदर्भ प्रस्तुत करती है।

**टाइम्स पत्रिका के अनुसार**-पत्रकारिता इधर-उधर से एकत्रित, सूचनाओं का केंद्र, जो सही दृष्टि से संदेश भेजने का काम करता है, जिससे घटनाओं का सहीपन को देखा जाता है।

**डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र के अनुसार**-पत्रकारिता वह विद्या है, जिसमें पत्रकारों के कार्यों, कर्त्तव्यों और उद्देश्यों का विवेचन किया जाता है, जो अपने युग और अपने संबंध में लिखा जाए वह पत्रकारिता है।

**डॉ. भुवन सुराणा के अनुसार**–पत्रकारिता वह धर्म है, जिसका संबंध पत्रकार के उस धर्म से है, जिसमें वह तत्कालिक घटनाओं और समस्याओं का अधिक सही और निष्पक्ष विवरण पाठक के समक्ष प्रस्तुत करता है।

**डॉ. अवनीश सिंह चौहान के अनुसार**–तथ्यों, सूचनाओं एवं विचारों को समालोचनात्मक एवं निष्पक्ष विवेचन के साथ शब्द, ध्वनि, चित्र, चलचित्र, संकेतों के माध्यम से देश–दुनिया तक पहुँचाना ही पत्रकारिता है। यह एक ऐसी कला है, जिससे देश, काल और स्थिति के अनुसार समाज को केंद्र में रखकर सारगर्भित एवं लोकहितकारी विवेचन प्रस्तुत किया जा सकता है।

उपरोक्त परिभाषाएं के आधार पर हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता जनता को समसामयिक घटनाएं वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रुप से उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य है। सत्य की आधार शीला पर पत्रकारिता का कार्य आधारित होता है तथा जनकल्याण की भावना से जुड़कर पत्रकारिता सामाजिक परिवर्तन का साधन बन जाता है।

## पत्रकारिता का स्वरूप और विशेषतायें

सामाजिक सरोकारों तथा सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वाह ही सार्थक पत्रकारिता है।

पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा पाया (स्तम्भ) भी कहा जाता है। पत्रकारिता ने लोकतंत्र में यह महत्त्वपूर्ण स्थान अपने आप नहीं हासिल किया है, बल्कि सामाजिक सरोकारों के प्रति पत्रकारिता के दायित्वों के महत्त्व को देखते हुए समाज ने ही दर्जा दिया है। कोई भी लोकतंत्र तभी सशक्त है, जब पत्रकारिता सामाजिक सरोकारों के प्रति अपनी सार्थक भूमिका निभाती रहे। सार्थक पत्रकारिता का उद्देश्य ही यह होना चाहिए कि वह प्रशासन और समाज के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी की भूमिका अपनायें।

पत्रकारिता के इतिहास पर नजर डालें तो स्वतंत्रता के पूर्व पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य था। स्वतंत्रता के लिए चले आंदोलन और स्वाधीनता संग्राम में पत्रकारिता ने अहम और सार्थक भूमिका निभाई। उस दौर में पत्रकारिता ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोने के साथ–साथ पूरे समाज को स्वाधीनता की प्राप्ति के लक्ष्य से जोड़े रखा।

इंटरनेट और सूचना के आधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध की और कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का व्यापक इस्तेमाल आमतौर पर सामाजिक सरोकारों और भलाई से ही जुड़ा है, किंतु कभी कभार इसका दुरपयोग भी होने लगा है।

संचार क्रांति तथा सूचना के अधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होने वाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज अधिक से अधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटेमेंट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है।

इंटरनेट की व्यापकता और उस तक सार्वजनिक पहुँच के कारण उसका दुष्प्रयोग भी होने लगा है। इंटरनेट के उपयोगकर्ता निजी भड़ास निकालने और अतंर्गत तथा आपत्तिजनक प्रलाप करने के लिए इस उपयोगी साधन का गलत इस्तेमाल करने लगे हैं। यही कारण है कि यदा-कदा मीडिया के इन बहुपयोगी साधनों पर अंकुश लगाने की बहस भी छिड़ जाती है। गनीमत है कि यह बहस सुझावों और शिकायतों तक ही सीमित रहती है। उस पर अमल की नौबत नहीं आने पाती। लोकतंत्र के हित में यही है कि जहाँ तक हो सके पत्रकारिता हो स्वतंत्र और निर्बाध रहने दिया जाए और पत्रकारिता का अपना हित इसमें है कि वह आभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग समाज और सामाजिक सरोकारों के प्रति अपने दायित्वों के ईमानदार निवर्हन के लिए करती रहे।

## पत्रकारिता के प्रमुख रूप या प्रकार

### *खोजी पत्रकारिता*

मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है। उसे वह सब जानना अच्छा लगता है, जो सार्वजनिक नहीं हो अथवा जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही हो। मनुष्य यदि पत्रकार हो तो उसकी यही कोशिश रहती है कि वह ऐसी गूढ़ बातें या सच उजागर करे, जो रहस्य की गहराइयों में कैद हो। सच की तह तक जाकर

उसे सतह पर लाने या उजागर करने को ही हम अन्वेषी या खोजी पत्रकारिता कहते हैं।

खोजी पत्रकारिता एक तरह से जासूसी का ही दूसरा रूप है, जिसमें जोखिम भी बहुत है। यह सामान्य पत्रकारिता से कई मायनों में अलग और आधिक श्रमसाध्य है। इसमें एक-एक तथ्य और कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ना होता है तब कहीं जाकर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कई बार तो पत्रकारों द्वारा की गई कड़ी मेहनत और खोज को बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि आगे के रास्ते बंद हो चुके होते हैं। पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर दौड़ायें तो माई लाई कोड, वाटरगेट कांड, जैक एंडर्सन का पेंटागन पेपर्स जैसे आंतरराष्ट्रीय कांड तथा सीमेंट घोटाला कांड, बोफोर्स कांड, ताबूत घोटाला कांड तथा जैसे–राष्ट्रीय घोटाले खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं। ये घटनायें खोजी पत्रकारिता के उस दौर की हैं जब संचार क्रांति, इंटरनेट या सूचना का आधिकार (आर.टी.आई) जैसे–प्रभावशाली अस्त्र पत्रकारों के पास नहीं थे। इन प्रभावशाली हथियारों के आस्तित्व में आने के बाद तो घोटाले उजागर होने का जैसे एक दौर ही शुर हो गया, हाल के कुछ चर्चित घोटालों में 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श घोटाला, ताज कारीडोर घोटाला आदि उल्लेखनीय हैं। जाने-माने पत्रकार जुलियन असांज के 'विकीलिक्स' ने तो ऐसे-ऐसे रहस्योद्घाटन किये, जिनसे कई देशों की सरकारें तक हिल गई।

इंटरनेट और सूचना के आधिकार ने पत्रकारों और पत्रकारिता की धार को अत्यंत पैना बना दिया, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पत्रकारिता की आड़ में इन हथियारों का इस्तेमाल 'ब्लैकमेलिंग' जैसे गलत उद्देश्य के लिए भी होने लगा है। समय-समय पर हुये कुछ 'स्टिंग ऑपरेशन' और कई बहुचर्चित सी. डी. कांड इसके उदाहरण हैं।

स्टिंग पत्रकारिता के संदर्भ में फोटो जर्नलिज्म या फोटो पत्रकारिता से जुड़े जासूसों जिन्हें 'पापारात्सी' (Paparazzi) कहते हैं, की चर्चा भी जरूरी है। प्रिंसेस डायना की मौत के जिम्मेदार 'पैदराजा' ही थे। समाज की बेहतरी और उसकी भलाई के लिए खोजी पत्रकारिता का एक आवश्यक अंग जरूर है, लेकिन इसे भी अपनी मर्यादाओं के घेरे में रहना चाहिए। खोजी पत्रकारिता साहसिक तक तो ठीक है, लेकिन इसका दुस्साहस न तो पत्रकारिता के हित में है और न ही समाज के।

## खेल पत्रकारिता

खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि वह अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है किं पूरी दुनिया में आति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। मल्ल–युद्ध, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी, गुल्ली डंडा, पोलो रस्साकशी, मलखंभ, वॉल गेम्स, जैसे–आउटडोर या मैदानी खेलों के अलावा चौपड़, चौसर या शतरंज जैसे इन्डोर खेल प्राचीनकाल से ही लोकप्रिय रहे हैं। आधुनिक काल में इन पुराने खेलों के अलावा इनसे मिलते–जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों ने पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। खेल आधुनिक हों या प्राचीन, खेलों में होने वाले अद्‌भुत कारनामों को जगजाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पूरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर हैं तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी है।

आज स्थिति यह है कि समाचार पत्रों या पत्रिकाओं के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्करप तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता, जब तक उसमें खेलों का भरपूर कवरेज नहीं हो। खेलों के प्रति मीडिया का यह रुझान 'डिमांड' और 'सप्लाई' पर आधारित है। आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है, जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्धायें हैं, शायद यही कारण है कि पत्र–पत्रिकाओं में अगर सबसे आधिक कोई पन्ने पढ़े जाते हैं तो वह खेल से संबंधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अलावा टी. वी. चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेलों प्रसारण से जुड़ा होता है। खेल चैनल तो चौबीसों घंटे कोई न कोई खेल लेकर हाजिर ही रहते हैं। लाइव कवरेज या सीधा प्रसारण की बात तो छोड़िये रिकॉर्डेड पुराने मैचों के प्रति भी दर्शकों का रूझान कहीं कम नहीं दिखाई देता। पाठकों और दर्शकों की खेलों के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अकूत धन बरस रहा है। धन, जो विज्ञापन के रूप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रूप में, न लुटाने वालों की कमी है न पाने वालों की। यह स्थिति आज की है, लेकिन एक समय ऐसा भी था, जब खेलों में धन–दौलत को कोई नामोनिशान नहीं था। प्राचीन ओलिम्पिक खेलों जैसी विख्यात खेल स्पर्धा में भी विजेता को जैतून की पत्तियों के मुकुट का पुरस्कार दिया जाता था, लेकिन वह ताज भी अनमोल हुआ करता था।

खेलों में धन-वर्षा का प्रारंभ कार्पोरेट जगत के इसमें प्रवेश से हुआ। कार्पोरेट जगत के प्रोत्साहन से कई खेल और खिलाड़ी प्रोफेशनल होने-लगे और खेल-स्पर्धाओं से लाखों करोड़ो कमाने लगे। आज टेनिस, फुटबॉल, बास्केट बॉल, बॉक्सिंग, स्क्वाश, गोल्फ जैसे खेलों में पैसों की बरसात हो रही है।

खेलों की लोकप्रियता और खिलाड़ियों की कमाई की बात करें तो आज क्रिकेट ने, जो दुनिया के गिने-चुने ही देशों में खेला जाता है, लोकप्रियता की नई ऊँचाइयाँ हासिल की हैं। किक्रेट में कारपोरेट जगत के रूझान के कारण नवोदित क्रिकेटर भी अन्य खिलाड़ियों की तुलना में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं।

खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है। इससे खेलों और खिलाड़ियों के स्तर में सुधार ही होता है, लेकिन उसका बदसूरत पहलू यह भी है कि खेलों में गलाकाट स्पर्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिंग जैसी बुराईयाँ न खिलाड़ियों के हित में है और न खेलों के। खेल-पत्रकारिता की यह जिम्मेदारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराईयों के किरद्ध लगातार आवाज उठाती रहे। खेलों में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्त्व और प्रोत्साहन मिले, जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

## *महिला पत्रकारिता*

पत्रकारिता जैसे व्यापक और विशद विषय में महिला पत्रकारिता की अवधारणा भले ही कुछ अटपटी लगती है, किंतु नारी स्वातंर्त्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलू हैं, जिनके महत्त्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधा की आवश्यकता महसूस होती है।

पुरुष और नारी के भेद का सबसे बड़ा आधार तो उनकी अलग शारीरिक संरचना है। प्रकृति ने पुरुष को एक सांचे में ढाला है तो नारी को उससे अलग। एक समय था, जब समाज पुरुष प्रधान हुआ था। पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सुविधानुसार नारी को अबला बनाकर घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। विकास के निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर दिया और महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और लगन के बलबूते पर समाज के हर क्षेत्र में अपनी आमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया, वह

लगातार जारी है। आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जहाँ महिलाओं की सशक्त उपस्थिति नहीं महसूस की जा रही हो। वर्तमान दौर में राजनीति, प्रशासन, सेना, शिक्षण, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीक, उद्योग, व्यापार, समाजसेवा आदि प्रमुख क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के आधार पर अपनी राह खुद बनाई है। कई क्षेत्रों में तो कड़ी स्पर्धा और कठिन चुनौती के बावजूद महिलाओं ने अपना शीर्ष मुकाम बनाया है। भारत की इंदिरा नूई, नैनालाल किद्वाई, चंदा कोचर आदि महिलाओं ने सफलता के जिस शिखर को छुआ है, वे सभी कड़ी स्पर्धा वाले क्षेत्र माने जाते हैं।

तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश तथा महिला पुरुष समानता के इस दौर में महिलाएँ अब घर की दहलीज लाँघकर बाहर आ चुकी हैं। प्रायः हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और भागीदारी नजर आती है। शिक्षा ने महिलाओं को अपने आधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। अब महिलायें भी अपने करियर के प्रति सचेत हैं। महिला जागरण की इस नवचेतना के साथ–साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के मामले भी बढ़े हैं। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं और आवश्यकतानुसार उसमें समय–समय पर संशेधन भी किये जाते रहे हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। महिला पत्रकारिता की आज अलग से जररत ही इसलिए है कि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। महिला पत्रकारिता की सार्थकता महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से जुड़ी है।

कुछ प्रमुख महिला पत्रकारः मृणाल पांडे, विमला पाटील, बरखा दत्त, सीमा मुस्तफा, तवलीन सिंह, मीनल बहोल, सत्या शरण, दीना वकील, सुनीता ऐरन, कुमुद संघवी चावरे, स्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, नेहा बाथम, मिनाक्षी कंडवाल आदि। आज भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिला पत्रकारों के आने से देश के हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

## बाल–पत्रकारिता

बाल–मन स्वभावतः जिज्ञासु और सरल होता है। जीवन की यह वह अवस्था है, जिसमें बच्चा अपने माता–पिता, शिक्षक और चारो तरफ के परिवेश

से ही सीखता है। यही वह उम्र होती है, जिसमें बच्चे के मास्तिष्क पर किसी भी घटना या सूचना की आमिट छाप पड़ जाती है। बच्चे के आस-पास की परिवेश उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक समय था, जब बच्चों को परीकथाओं, लोककथाओं, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यम से बहलाने-फुसलाने के साथ-साथ उनका ज्ञानवर्द्धन किया जाता था। इन कथाओं का बच्चों के चारित्रिक विकास पर भी गहरा प्रभाव होता था।

आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचना तंत्र काफी विस्तृत और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक उनकी पहुँच ने उनकी जिज्ञास को असीमित बना दिया है। ऐसे में इस बात की भी आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनायें भी पहुँच सकती हैं, जिससे उनके बालमन के भटकाव या विकृति भी संभव है। ऐसी स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच और दिशा बच्चों को सही दिशा की ओर अग्रसर कर सकती है। बाल पत्रकारिता की दिशा में प्रिंट और विजुअल मीडिया (दृश्य-माध्यम) के साथ-साथ इंटरनेट की भी अहम और जिम्मेदार भूमिका हो सकती है।

## आर्थिक पत्रकारिता

कोई भी ऐसा व्यापारिक या आर्थिक व्यवहार, जो व्यक्तियों, संस्थानों, राज्यों या देशों के बीच होता है, वह आर्थिक पत्रकारिता के सरोकारों में शामिल है। आर्थिक पत्रकारिता आर्थिक व्यवहार या अर्थ-व्यवस्था के व्यापक गुण-दोषों की समीक्षा और विवेचना की धुरी पर केंद्रित है। जिस प्रकार पत्रकारिता का उद्‌देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण-दोषों को व्यापक आधार पर प्रचारित प्रसारित करना है, उसी प्रकार आर्थिक पत्रकारिता की भूमिका तभी सार्थक है, जब वह अर्थ व्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लेषण करे और समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का प्रचार-प्रसार करने में सक्षम हो। अर्थ-व्यवस्था के मामले में आर्थिक पत्रकारिता व्यवस्था और उपभोक्ता के बीच सेतु का काम करने के साथ-साथ एक सजग प्रहरी की भूमिका भी निभाती है।

आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बहुत व्यापक बना दिया है। आज किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई

है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल-पुथल अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने लगी है। सोने और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं तथा कच्चे तेल की कीमतों के उतार-चढ़ाव से आज दुनिया की कोई भी अर्थ व्यवस्था अछूती नहीं रही।

यूरो, डॉलर, पाउंड, येन जैसी मुद्रायें तथा सोना, चाँदी और कच्चा तेल आज दुनिया की प्रमुख अर्थ व्यवस्थाओं की नब्ज बन चुकी है। कहने का तात्पर्य यह कि आज भले ही सभी देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं के नियामक और नियंत्रक हो, किन्तु विश्व की आर्थिक हलचलों से वे अछूते नहीं हैं। हम कह सकते हैं कि आर्थिक परिदृश्य पर पूरा विश्व व्यापक तौर पर एक बाजार नजर आता है। सभी देशों की अर्थ व्यवस्थायें आज इसी वैश्विक बाजार की गतिविधियों से निर्धारित होती है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में होने वाले महत्त्वपूर्ण आर्थिक परिवर्तनों से दुनिया के प्रमुख देश भी प्रभावित होते हैं। आर्थिक पत्रकारिता के लिए विश्व का आर्थिक परिवेश एक चुनौती है। आर्थिक पत्रकारिता का यह दायित्व है कि विश्व की अर्थव्यवस्था को पभावित करने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण वह लगातार करती रहे तथा उनके गुण-दोषों के आधार पर एहतियाती उपयों की चर्चा आर्थिक पत्रकारिता का व्यापक हिस्सा बने।

आर्थिक पत्रकारिता के समक्ष एक बड़ी चुनौती करवंचना, कालाधन और जाली नोटों की समस्या है। कालाधन आज विकसित और विकासशील देशों के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है। काला धन भ्रष्टाचार से उपजता है और भ्रष्टाचार को ही बढ़ाता है। भ्रष्टाचार की व्यापकता अंततः देश के विकास में बाधक बनती है। कालाधन और आर्थिक अपराधों को उजागर करने वाली खबरों के व्यापक प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी आर्थिक पत्रकारिता का हिस्सा है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थ व्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में तेजी से विकसित हो रहे नगरों और महानगरों के बावजूद आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी गाँवों में ही बसती है। देश के बजट प्रावधानों का एक बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास के मद में खर्च होता है। आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्त्वपूर्ण आयाम कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का कवरेज भी है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास और आर्थिक पत्रकारिता का उद्देश्य अधूरा ही रहेगा। व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अलावा रिटेल, बीमा, संचार,

विज्ञान एवं तकनीक जैसे व्यापार के आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को व्यापक क्षितिज और नया आयाम दिया है। देश की अर्थव्यवस्था को सही दिशा देकर उसे सुचार और सुदृढ़ बनाना आर्थिक पत्रकारिता के लिए चुनौती तो है ही उसकी सार्थकता भी इसी में निहित है।

### *प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ:*

इकॉनॉमिक टाईम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैण्डर्ड, बिजनेस लाइन, मनी कंट्रोल, इकॉनामिक वेल्थ, मिंट, व्यापार आदि।

### *पत्रकारिता के अन्य रूप*

ग्रामीण पत्रकारिता।
व्याख्यात्मक पत्रकारिता।
विकास पत्रकारिता।
संदर्भ पत्रकारिता।
संसदीय पत्रकारिता।
रेडियो पत्रकारिता।
दूरदर्शन पत्रकारिता।
फोटो पत्रकारिता।
विधि पत्रकारिता।
अंतरिक्ष पत्रकारिता।
सर्वोदय पत्रकारिता।
चित्रपट पत्रकारिता।
वॉचडॉग पत्रकारिता।
पीत पत्रकारिता।
पेज थ्री पत्रकारिता।
एडवोकेसी पत्रकारिता।
कृषी पत्रकारिता।

## पत्रकारिता के विविध आयाम

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया।

समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से अलग-अलग जानकारी की अपेक्षा रखता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा? समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। दूसरी बात यह भी है कि स्वतंत्र भारत में इंटरनेट और सूचना के आधिकार (आर.टी.आई.) ने आज की पत्रकारिता को बहुआयामी और अनंत बना दिया है। आज कोई भी जानकारी पलक झपकते उपलब्ध कराई जा सकती है। मीडिया आज काफी सशक्त, स्वतंत्र और प्रभावकारी हो गया है। पत्रकारिता की पहुँच हर क्षेत्र में हो चुकी है, लेकिन सामाजिक सरोकार एवं भलाई के नाम पर मिली आभिव्यक्ति की आजादी का कभी-कभी दुरूपयोग होने लगा है। पत्रकारिता के नए आयाम को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

**सामाजिक सरोकारों की तुलना में व्यावसायिकता**-अधिक संचार क्रांति तथा सूचना के आधिकार के अलावा आर्थिक उदारीकरण ने पत्रकारिता के चेहरे को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। विज्ञापनों से होने वाली अथाह कमाई ने पत्रकारिता को काफी हद तक व्यावसायिक बना दिया है। मीडिया का लक्ष्य आज आधिक से अधिक कमाई का हो चला है। मीडिया के इसी व्यावसायिक दृष्टिकोण का नतीजा है कि उसका ध्यान सामाजिक सरोकारों से कहीं भटक गया है। मुद्दों पर आधारित पत्रकारिता के बजाय आज इन्फोटमेट ही मीडिया की सुर्खियों में रहता है।

**समाचार माध्यमों का विस्तार**-आजादी के बाद देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के अलावा मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की जरूरतो को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविजन, समाचारपत्र, सेटेलाइट टेलीविजन और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर है, लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेज हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाली पूंजी ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश किया है।

जहां तक भारत में पत्रकारिता के नए आयाम की बात है, इसके अन्तर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाओं के साथ टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, तथा वेब पजे आदि आते हैं। यहां अधिकांश मीडिया निजी हाथों में है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों द्वारा नियंत्रित है। भारत में 70,000 से अधिक समाचार पत्र हैं, 690 उपग्रह चैनेल हैं, जिनमें से 80 समाचार चौनेल हैं। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। प्रतिदिन 10 करोड़ प्रतियाँ बिकतीं हैं।

पत्रकारिता खास से मास की ओर-व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने 'खास बाजार' (क्लास मार्केट) को 'आम बाजार' (मास मार्केट) में तब्दिल करने की कोशिश की है। कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी-कभार तो दोनों में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता है।

**समाचार के नाम पर मनोरंजन की बिक्री**-समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। आज निश्चित रूप से यह कहा जा सकता कि समाचार मीडिया लोगों के एक बड़े हिस्से को 'जानकार नागरिक' बनने में मदद करने के बदले अधिकांश मौकों पर लोगों को 'गुमराह उपभेक्ता' अधिक बना रहा है, अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के अनेक समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक-आध चैनलो को ही छोड़कर अधिकांश इन्फोटेनमेंट के चैनल बनकर रह गए हैं।

**समाचार अब उपभेक्ता वस्तु बनने लगा**-आज समाचार मीडिया एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है, जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है और समाचार पेप्सी-कोक जैसी उपभेग की वस्तु बन गया है और पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के स्थान पर अपने तक सीमित उपभेक्ता बैठ गया है। उपभोक्ता समाज का वह तबका है, जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है और व्यापारित मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। इस तरह की बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार उत्पाद पेश किए जाने लगे हैं और उन तमाम वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है, जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थी और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक है। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को

हड़पने की होड़ में अधिकाधिक लोगों की 'चाहत' पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की 'जरूरत' किनारे की जा रही है।

**समाचार पत्रों में विविधता की कमी**-यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूट पड़ रहा है। इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं। अनेक समाचार चैनल हैं। सिर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचार का एक ही तरह से प्रस्तुत होना देखते रहिए।

**सनसनीखेज या पेज-थ्री पत्रकारिता की ओर रूझान खत्म**-इसमें कोई संदहे नहीं कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और 'पेज-थ्री' पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है, जैसे—ब्रिटेन का टेबलायड मीडिया और भारत में भी 'ब्लिज' जैसे—कुछ समाचारपत्र रहे हैं। 'पेज-थ्री' भी मुख्यधारा पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी, जिसे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है।

**समाचार माध्यमों का केन्द्रीकरण**-समाचार माध्यमों विविधता समाप्त होने के साथ-साथ केन्द्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ चन्द बड़े, जिन्हें 'राष्ट्रीय' कहा जाता था, अखबार थे। इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला-तहसील स्तर के छोटे समाचारपत्र थे। नई प्रौद्यौगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब 'राष्ट्रीय' प्रेस 'क्षेत्रीय' में प्रवेश कर रहा है या 'क्षेत्रीय' प्रेस राष्ट्रीय का रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्मकेन्द्रित, स्थानीय और विखंडित हो गया है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है, ही साथ ही समाचारों की पिटी-पिटाई अवधारणों के आधार पर लोगों की रूचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है, लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते कि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। आज समाचार मीडिया की साख में तेजी से ह्रास हो रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुन्ठित हो रही है।

समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल कर ही साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इस तरह देखा जाए तो समय के साथ पत्रकारिता का विस्तार होता जा रहा है।

## रेडियो पत्रकारिता

हमने देखा है कि मुद्रण के आविष्कार के बाद संदेश और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना मनुष्य का लक्ष्य बन गया है, यद्यपि समाचार पत्र जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला चुके थे, लेकिन 1895 में मार्कोनी ने बेतार के तार का पता लगाया और आगे चलकर रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगी। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर सिनेमा और टेलीविजन के जरिए कई चुनौतियां मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण इन चुनौतियों का सामना करता रहा है। भविष्य में भी इसका स्थान सुरक्षित है।

भारत में 1936 से रेडियो का नियमित प्रसारण शुरू हुआ। आज भारत के कोने-कोने में देश की लगभग 97 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो मुख्य रूप से सूचना तथा समाचार, शिक्षा, मनोरंजन और विज्ञापन प्रसारण का कार्य करता है। अब संचार क्रांति ने तो इसे और भी विस्तृत बना दिया है। एफ.एम. चैनलों ने तो इसके स्वरूप ही बदल दिए हैं। साथ ही मोबाइल के आविष्कार ने इसे और भी नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब रेडियो हर मोबाइल के साथ होने से इसका प्रयागे करने वालों की संख्या भी बढ़ी है, क्योंकि रेडियो जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है कि एक ही समय में स्थान और दूरी को लांघकर विश्व के कोने-कोने तक पहुंच जाता है। रेडियो का सबसे बड़ा गुण है कि इसे सुनते हुए दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। रेडियो समाचार ने जहां दिन प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है, वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है। खास बात यह है कि यह हर वर्ग जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

### *इलेक्ट्रानिक मीडिया*

मुद्रण के आविष्कार के साथ समाचार पत्र ने जनसंचार के विकास में एक क्रांति ला दिया था। इसके बाद श्रव्य माध्यम के रूप में रेडियो ने एक ही समय

में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुँचने का माध्यम बना दिया। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। इसके बाद टेलीविजन के आविष्कार ने दोनों श्रव्य एवं दृश्य माध्यम को एक और नया आयाम प्रदान किया है।

भारत में आजादी के बाद साक्षरता और लोगों में क्रय शक्ति बढ़ने के साथ ही अन्य वस्तुओं की तरह मीडिया के बाजार की भी मांग बढ़ी है। नतीजा यह हुआ कि बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। इसमें सरकारी टेलीविजन एवं रेडियो के अलावा निजी क्षेत्र में भी निवेश हो रहा है। इसके अलावा सेटेलाईट टेलीविजन और इंटरनेट ने दो कदम और आगे बढ़कर मीडिया को फैलाने में सहयोग किया है। समाचार पत्र में भी पूंजी निवेश के कारण इसका भी विस्तार हो रहा है। इसमें सबसे खास बात यह रही कि चाहे वह शहर हो या ग्रामीण क्षेत्र भारत में इलेक्ट्रोनिक मीडिया पिछले 15–20 वर्षों में घर–घर में पहुँच गया है। शहरों और कस्बों में केबिल टी.वी. से सैकड़ों चैनल दिखाए जाते हैं। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के कम से कम 80 प्रतिशत परिवारों के पास अपने टेलीविजन सेट हैं और मेट्रो शहरों में रहने वाले दो तिहाई लोगों ने अपने घरों में केबिल कनेक्शन लगा रखे हैं। अब तो सेट टाप बाक्स के जरिए बिना केबिल के टी.वी. चल रहे हैं। इसके साथ ही शहर से दूर–दराज के क्षेत्रों में भी लगातार डी.टी.एच.–डायरेक्ट टु होम सर्विस का विस्तार हो रहा है। प्रारम्भ में केवल फिल्मी क्षेत्रों से जुड़े गीत, संगीत और नृत्य से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का माध्यम बना एवं लंबे समय तक बना रहा, इससे ऐसा लगने लगा कि इलेक्ट्रानिक मीडिया सिर्फ फिल्मी कला क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिभाओं के प्रदर्शन के मंच तक ही सिमटकर रह गया है, जिसमें नैसर्गिक और स्वाभाविक प्रतिभा प्रदर्शन की अपेक्षा नकल को ज्यादा तवज्जो दी जाती रही है। कुछ अपवादों को छोड़ इलेक्ट्रानिक मीडिया की यह नई भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय और सराहनीय है, जो देश की प्रतिभाओं को प्रसिद्धि पाने और कला एवं हुनर के प्रदर्शन हेतु उचित मंच और अवसर प्रदान करने का कार्य कर रही है। इसके बावजूद यह माध्यम कभी–कभी बहुत नुकसान भी पहुंचाता है।

## सोशल मीडिया

संचार क्रांति के तहत इंटरनेट के आविष्कार ने पूरी दुनिया की दूरी मिटा दी है। पलक झपकते ही छोटी से लेकर बड़ी सूचना उपलब्ध हो जा रही है।

दरअसल, इंटरनेट एक ऐसा तकनीक के रूप में हमारे सामने आया है, जो उपयोग के लिए सबको उपलब्ध है और सर्वहिताय है। इंटरनेट का सोशल नेटवर्किंग साइट्स संचार व सूचना का सशक्त जरिया है, जिनके माध्यम से लोग अपनी बात बिना किसी रोक-टोक के रख पाते हैं। यहीं से सोशल मीडिया का स्वरूप विकसित हुआ है। इंटरनेट के सोशल मीडिया व्यक्तियों और समुदायों के साझा, सहभागी बनाने का माध्यम बन गया है। इसका उपयोग सामाजिक संबंध के अलावा उपयोगकर्ता सामग्री के संशोधन के लिए उच्च पारस्परिक मंच बनाने के लिए मोबाइल और वेब आधारित प्रौद्योगिकियों के प्रयोग के रूप में भी देखा जा सकता है।

## सोशल मीडिया के प्रकार

इस सोशल मीडिया के कई रूप हैं, जिनमें कि इन्टरनेट फोरम, वेबलाग, सामाजिक ब्लाग, माइक्रोब्लागिंग, विकीज, सोशल नेटवर्क, पाडकास्ट, फोटोग्राफ, चित्र, चलचित्र आदि सभी आते हैं। अपनी सेवाओं के अनुसार सोशल मीडिया के लिए कई संचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं। जैसे-सहयोगी परियोजना (उदाहरण के लिए, विकिपीडिया) ब्लाग और माइक्रोब्लाग (उदाहरण के लिए, ट्विटर) सोशल खबर नेटवर्किंग साइट्स (उदाहरण के लिए याहू न्यूज, गूगल न्यूज) सामग्री समुदाय (उदाहरण के लिए, यूट्यूब और डेली मोशन) सामाजिक नेटवर्किंग साइट (उदाहरण के लिए, फेसबुक) आभासी खेल दुनिया (जैसे—वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट) आभासी सामाजिक दुनिया (जैसे—सेकंड लाइफ)

दो सिविलाइजेशन में बांट रहा है सोशल मीडिया

सोशल मीडिया अन्य पारंपरिक तथा सामाजिक तरीकों से कई प्रकार से एकदम अलग है। इसमें पहुँच, आवृत्ति, प्रयोज्य, ताजगी और स्थायित्व आदि तत्व शामिल हैं। इंटरनेट के प्रयोग से कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिला है। एक सर्वे के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता अन्य साइट्स की अपेक्षा सोशल मीडिया साइट्स पर ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इंटरनेट के इस आविष्कार ने जहां संसार को एक गांव बना दिया है, वहीं इसका दूसरा पक्ष यह है कि दुनिया में दो तरह की सिविलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका है। एक वर्चुअल और दूसरा फीजिकल सिविलाइजेशन, जिस तेजी से यह प्रचलन बढ़ रहा है, आने वाले समय में जल्द ही दुनिया की आबादी से एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर होगी।

## विज्ञापन का सबसे बड़ा माध्यम

जन सामान्य तक इसकी सीधी पहुँच होने के कारण इसका व्यापारिक उपयोग भी बढ़ा है। अब सोशल मीडिया को लोगों तक विज्ञापन पहुँचाने के सबसे अच्छा जरिया समझा जाने लगा है। हाल ही के कुछ एक सालों से देखने में आया है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर उपभोक्ताओं का वर्गीकरण विभिन्न मानकों के अनुसार किया जाने लगा है जैसे–आयु, रूचि, लिगं, गतिविधियों आदि को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस विज्ञापन के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं साथ ही साथ आलोचना भी की जा रही है।

## समाज पर पड़ रहा नकारात्मक प्रभाव

जहाँ इंटरनेट के सोशल मीडिया ने व्यक्तियों और समुदायों के बीच सूचना आदान–प्रदान में सहभागी बनाने का माध्यम बनकर समाज पर सकारात्मक प्रभाव ड़ाला है, वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने में आया है। अपनी बात बिना किसी रोक–टोक के रखने की छूट ने ये साइट्स ऑनलाइन शोषण का साधन भी बनती जा रही है। ऐसे कई केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स का प्रयोग लोगों को सामाजिक रूप से हानि पहुंचाया है। इसके साथ ही लोगों की खिंचाई करने तथा अन्य गलत प्रवृत्तियों के लिए किया गया है। कुछ दिन पहले भद्रक में हुई एक घटना ने सोशल मीडिया के खतरनाक पक्ष को उजागर किया था। वाकया यह हुआ था कि एक किशोर ने फेसबूक पर एक ऐसी तस्वीर अपलोड कर दी, जो बेहद आपत्तिजनक थी, इस तस्वीर के अपलोड होते ही कुछ घंटे के भीतर एक समुदाय के सैकडों गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। जबतक प्राशासन समझ पाता कि माजरा क्या है, भद्रक में दंगे के हालात बन गए। प्रशासन ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया और जल्द ही वह फोटो अपलोड करने वाले तक भी पहुँच गया। लोगों का मानना है कि परंपरिक मीडिया के आपत्तिजनक व्यवहार की तुलना में नए सोशल मीडिया के इस युग का आपत्तिजनक व्यवहार कई मायने में अलग है। नए सोशल मीडिया के माध्यम से जहां गड़बड़ी आसानी से फैलाई जा सकती है, वहीं लगभग गुमनाम रहकर भी इस कार्य को अंजाम दिया जा सकता है।

## *वेब पत्रकारिता*

वर्तमान दौर संचार क्रांति का दौर है। संचार क्रांति की इस प्रक्रिया में जनसंचार माध्यमों के भी आयाम बदले हैं। आज की वैश्विक अवधारणा के अंतर्गत सूचना एक हथियार के रूप में परिवर्तित हो गई है। सूचना जगत गतिमान हो गया है, जिसका व्यापक प्रभाव जनसचांर माध्यमों पर पड़ा है। पारंपरिक संचार माध्यमों समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन की जगह वेब मीडिया ने ले ली है। वेब पत्रकारिता आज समाचार पत्र-पत्रिका का एक बेहतर विकल्प बन चुका है। न्यू मीडिया, आनलाइन मीडिया, साइबर जर्नलिज्म और वेब जर्नलिज्म जैसे कई नामों से वेब पत्रकारिता को जाना जाता है। वेब पत्रकारिता प्रिंट और ब्राडकास्टिंग मीडिया का मिला-जुला रूप है। यह टेक्स्ट, पिक्चर्स, आडियो और वीडियो के जरिये स्क्रीन पर हमारे सामने है। माउस के सिर्फ एक क्लिक से किसी भी खबर या सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह सुविधा 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध होती है, जिसके लिए किसी प्रकार का मूल्य नहीं चुकाना पड़ता।

वेब पत्रकारिता का एक स्पष्ट उदाहरण बनकर उभरा है, विकीलीक्स। विकीलीक्स ने खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में वेब पत्रकारिता का जमकर उपयोग किया है। खोजी पत्रकारिता अब तक राष्ट्रीय स्तर पर होती थी, लेकिन विकीलीक्स ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया व अपनी रिपोर्टों से खुलासे कर पूरी दुनिया में हलचल मचा दी।

भारत में वेब पत्रकारिता को लगभग एक दशक बीत चुका है। हाल ही में आए ताजा आंकड़ों के अनुसार इंटरनेट के उपयोग के मामले में भारत तीसरे पायदान पर आ चुका है। आधुनिक तकनीक के जरिये इंटरनेट की पहुंच घर-घर तक हो गई है। युवाओं में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। परिवार के साथ बैठकर हिदीं खबरिया चैनलों को देखने की बजाए अब युवा इंटरनेट पर वेब पोर्टल से सूचना या आनलाइन समाचार देखना पसंद करते हैं। समाचार चैनलों पर किसी सूचना या खबर के निकल जाने पर उसके दोबारा आने की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन वहीं वेब पत्रकारिता के आने से ऐसी कोई समस्या नहीं रह गई है। जब चाहे किसी भी समाचार चैनल की वेबसाइट या वेब पत्रिका खोलकर पढ़ा जा सकता है।

लगभग सभी बड़े छोटे समाचार पत्रों ने अपने ई-पेपर, यानी इटंरनेट संस्करण निकाले हुए हैं। भारत में 1995 में सबसे पहले चेन्नई से प्रकाशित होने वाले 'हिंदू' ने अपना ई-संस्करण निकाला। 1998 तक आते-आते लगभग 48

समाचार पत्रों ने भी अपने ई संस्करण निकाले, आज वेब पत्रकारिता ने पाठकों के सामने ढेरों विकल्प रख दिए हैं। वर्तमान समय में राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में जागरण, हिन्दुस्तान, भास्कर, नवभारत, डेली एक्सप्रेस, इकोनामिक टाइम्स और टाइम्स आफ इंडिया जैसे सभी पत्रों के ई–संस्करण मौजूद हैं।

भारत में समाचार सेवा देने के लिए गूगल न्यूज, याहू, एम.एस.एन., एन. डी.टी.वी., बी.बी.सी. हिंदी, जागरण, भड़ास फार मीडिया, ब्लाग प्रहरी, मीडिया मंच, प्रवक्ता और प्रभासाक्षी प्रमुख वेबसाइट हैं, जो अपनी समाचार सेवा देते हैं।

वेब पत्रकारिता का बढ़ता विस्तार देख यह समझना सहज ही होगा कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। मीडिया के विस्तार ने वेब डेवलपरों एवं वेब पत्रकारों की मांग को बढ़ा दिया है। वेब पत्रकारिता किसी अखबार को प्रकाशित करने और किसी चैनल को प्रसारित करने से अधिक सस्ता माध्यम है। चैनल अपनी वेबसाइट बनाकर उन पर ब्रेकिंग न्यूज, स्टोरी, आर्टिकल, रिपोर्ट, वीडियो या साक्षात्कार को अपलोड और अपडेट करते रहते हैं। आज सभी प्रमुख चैनलो (आई.बी.एन., स्टार, आजतक आदि) और अखबारों ने अपनी वेबसाइट बनाई हुईं हैं। इनके लिए पत्रकारों की नियुक्ति भी अलग से की जाती है। सूचनाओं का डाकार कही जाने वाली संवाद समितियां जैसे पी.टी.आई., यू. एन.आई., ए.एफ.पी. और रायटर आदि अपने समाचार तथा अन्य सभी सेवाएं आनलाइन देती हैं।

कम्प्यूटर या लैपटाप के अलावा एक और ऐसा साधन मोबाइल फोन जुड़ा है, जो इस सेवा को विस्तार देने के साथ उभर रहा है। फोन पर ब्राडबैंड सेवा ने आमजन को वेब पत्रकारिता से जोड़ा है। पिछले दिनों मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट की ताजा तस्वीरें और वीडियो बनाकर आम लोगों ने वेब जगत के साथ साझा की। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेद्रं मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया गया। इसके जरिए गांवों में पंचायतों को ब्राडबैंड सुविधा मुहैया कराई गई है। इससे पता चलता है कि भविष्य में यह सुविधाएं गांव–गांव तक पहुंचेंगी।

वेब पत्रकारिता ने जहां एक ओर मीडिया को एक नया क्षितिज दिया है, वहीं दूसरी ओर यह मीडिया का पतन भी कर रहा है। इंटरनेट पर हिंदी में अब तक अधिक काम नहीं किया गया है, वेब पत्रकारिता में भी अंग्रेजी ही हावी है। पर्याप्त सामग्री न होने के कारण हिंदी के पत्रकार अंग्रेजी वेब साइटो से ही खबर लेकर अनुवाद कर अपना काम चलाते हैं, वे घटनास्थल तक भी नहीं

जाकर देखना चाहते कि असली खबर है क्या? यह कहा जा सकता है कि भारत में वेब पत्रकारिता ने एक नई मीडिया संस्कृति को जन्म दिया है। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी पत्रकारिता को भी एक नई गति मिली है, युवाओं को नये रोजगार मिले हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इटंरनेट की पहुंच हो जाने से यह स्पष्ट है कि वेब पत्रकारिता का भविष्य बेहतर है। आने वाले समय में यह पूर्णतः विकसित हो जाएगी।

## विज्ञापन और पत्रकारिता

चूंकि जनसंचार माध्यम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है तो विज्ञापन का प्रयोग इन माध्यमों में प्रचार के लिए किया जाता है। वर्तमान संसार में ग्लोबल विलेज की कल्पना की जा रही है। इस गांव में रहने वाले एक दूसरे को अपनी वस्तुओं की जानकारी पहुंचाने के लिए विज्ञापनों की आवश्यकता होती है। इसलिए विज्ञापन की आवश्यकता पड़ रही है। दूसरी बात यह कि तकनीक एवं औद्योगिक विकास के साथ ही उत्पादन की अधिकता एवं उसकी बिक्री ने भी विज्ञापन बाजार को बढ़ा दिया है। तीसरी बात यह है कि जैसे–जैसे लोगों का आय बढ़ा है, लोगों में क्रय करने की शक्ति बढ़ी है। उनकी मांगों को पुरी करने के साथ उत्पादक अपना उत्पाद के बारे में बताने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं। उत्पादक कम खर्च पर उसके उत्पादनह सामग्री की खुबी बताने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा माध्यम है, जनसचांर माध्यम। इसलिए विज्ञापनों की विकास यात्रा में जनसंचार माध्यमों के विकास का बहुत बड़ा योगदान है। चौथी बात यह होती है कि जनसंचार माध्यम के खर्च की भरपाई इन्हीं विज्ञापन के जरिए होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से बाजारवाद के कारण विज्ञापन जनसचांर माध्यम की कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। माध्यम के आधार पर विज्ञापन के तीन प्रकार होते हैं-दृश्य, श्रव्य और दृश्य-श्रव्य। विज्ञापनों की भाषा अलग प्रकार की होती है। सरकारी विज्ञापन की भाषा व्यापारिक विज्ञान की तुलना में जटिल होती है।

### *प्रमुख पत्र-पत्रिकाएँ*

भारतीय पत्रकारिता का इतिहासि लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में हुआ। 1780 ई. में प्रकाशित हिके का 'कलकत्ता

गजट' कदाचित इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड (1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।

आज की स्थिति में भारत के विभिन्न भाषाओं में 70 हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा समाचार पत्र का बाजार है। प्रतिदिन 10 करोड़ प्रतियाँ बिकतीं हैं, जहां तक हिंदी समाचार पत्र की बात है, 1990 में हुए राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती थी कि पांच अगुवा अखबारों में हिन्दी का केवल एक समाचार पत्र हुआ करता था, लेकिन पिछले 2016 सर्वे ने साबित कर दिया कि हम कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बार 2016 सबसे अधिक पढ़े जाने वाले पांच अखबारों में शुरू के चार हिदीं के हैं। देश में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले दस समाचार पत्र निम्नलिखित हैं–

**दैनिक जागरण**–कानपुर से 1942 से प्रकाशित दैनिक जागरण हिंदी समाचार पत्र में वर्तमान में सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में शुमार है। इसके 11 राज्यो में दर्जनों संस्कारण हैं। इसकी प्रसार संख्या जून 2016 तक 3,632,383 दर्ज की गई थी।

**दैनिक भास्कर**–भेपाल से 1958 में आरंभ यह समाचार पत्र वर्तमान में 14 राज्यो में 62 संस्करण में प्रकाशित हो रहे हैं। हिदी के साथ इसके अंग्रेजी, मराठी एवं गुजराती भाषा में भी कई सस्ं करण हैं। इसकी प्रसार संख्या जनू 2016 तक 3,812,599 थी।

**अमर उजाला**–आगरा से 1948 से प्रारंभ अमर उजाला के वर्तमान सात राज्यों एवं एक केन्द्र शासित प्रदेश में 19 संस्करण हैं। इसके जून 2016 तक प्रसार सख्या 2,938,173 होने का रिकार्ड किया गया है।

**टाइम्स ऑफ इंडिया**–अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया 1838 को सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। यह देश का चौथा सबसे अधिक प्रसारित समाचार पत्र है। इसके साथ ही यह विश्व का छठा सबसे अधिक प्रसारित दैनिक समाचार पत्र है। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 3,057,678 थी। भारत के अधिकांश राज्य के राजधानी में इसके संस्करण हैं।

**हिंदुस्तान**–दिल्ली से 1936 से प्रकाशित हिदुंस्तान के वर्तमान 5 राज्यों में 19 संस्करण हैं। इसकी प्रसार संख्या जून 2016 तक 2,399,086 थी।

**मलयाला मनोरमा**–मलयालम भाषा में प्रकाशित यह समाचार पत्र 1888 में कोट्टायम से प्रकाशित हुआ। यह केरल का सबसे पुराने समाचार पत्र है। यह

केरल के 10 शहरों सहित बैंगलोर, मैंगलोर, चेन्नई, मुंबइ, दिल्ली, दुबई एवं बहरीन से प्रकाशित है। इसकी दिसंबर 2015 तक प्रसार संख्या 2,342,747 थी।

**ईनाडु**–तेलगू भाषा में प्रकाशित ईनाडु समाचार पत्र 1974 में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। आंध्रप्रदेश एवं तेलेगां नामें इसके कई संस्करण हैं। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 1,807,581 थी।

**राजस्थान पत्रिका**–1956 से दिल्ली में प्रारंभ राजस्थान पत्रिका वर्तमान 6 राज्यो में दर्जनों संस्कारण में प्रकाशित हो रहे हैं। जनू 2016 तक इसकी प्रसार संख्या 1,813,756 थी।

**दैनिक** –तमिल भाषा में प्रकाशित दैनिक ने सर्वप्रथम 1942 में प्रकाशित हुआ। वर्तमान विदेशों सहित 16 शहरों में इसके संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। जून 2016 तक इसकी प्रसार संख्या 1,714,743 थी।

**मातृभूमि मलयालम**–भाषा में प्रकाशित मातृभाषा का प्रथम प्रकाशन 1923 को हुआ था। केरल के 10 शहरों सहित चेन्नई, बैंगलोर, मुबंई और नई दिल्ली से प्रकाशित हो रहे हैं। दिसंबर 2015 तक इसकी प्रसार संख्या 1,486,810 थी।

देश में सर्वाधिक प्रसारित दस हिदीं दैनिक में दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, पत्रिका, प्रभात खबर, नवभारत टाइम्स, हरिभूमि, पंजाब केसरी शामिल हैं। अंग्रेजी के दस सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दि हिंदू, मुंबई मिरर, दि टेलिग्राफ, दि इकोनोमिक्स टाइम्स, मिड डे, दि ट्रिब्यून, डेकान हेरल्ड, डेकान क्रानिकल्स शामिल हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में मलयालयम मनोरमा (मलयालम), दैनिक थेथीं (तमिल), मातृभूमि (मलयालम), लोकमत (मराठी), आनंदबाजार पत्रिका (बंगाली), ईनाडु (तेलगू), गुजरात समाचार (गुजराती), सकल (मराठी), संदेश (गुजराती), साक्षी (मराठी) शामिल हैं।

पत्रिकाओं में दस सर्वाधिक प्रसारित हिंदी पत्रिकाओं में प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, सरस सलील, सामान्य ज्ञान दर्पण, गृहशोभा, जागरण जोश प्लस, क्रिकेट सम्राट, डायमंड क्रिकेट टुडे, मेरी सहेली एवं सरिता शामिल हैं। अंग्रेजी के सर्वाधिक दस पत्रिकाओं में इंडिया टुडे, प्रतियोगिता दर्पण, जेनेरल नालेज टुडे, दि स्टर्पोट्र्स स्टार, कंपिटिशन सक्सेस रिवियू, आउटलूक, रिडरर्स डायजेस्ट, फिल्मफेयर, डायमंड क्रिकेट टुडे, फेमिना शामिल हैं। दस क्षेत्रीय पत्रिकाओं में थेंथी (मलयालम), मातृभूमि आरोग्य मासिक (मलयालम),

मनोरमा तोझीविधि (मलयालम), कुमुद (तमिल), कर्म संगठन (बंगाली), मनोरमा तोझीवर्थ (मलयालम), गृहलक्ष्मी (मलयालयम), मलयालम मनोरमा (मलयालम), कुंगुमम (तमिल) एवं कर्मक्षेत्र (बंगाली) शामिल हैं।

देश में सर्वाधिक प्रसारित साप्ताहिक समाचार पत्र में हिंदी के रविवासरीय हिंदुस्तान, अंग्रेजी का दि संडे टाइम्स ऑफ इंडिया, मराठी का रविवार लोकसत्ता, अंग्रेजी का दि स्वीकिंग ट्री, बंगाली का कर्मसंगठन शामिल है। इसके अलावा देश में अलग-अलग भाषाओं में हजारों की संख्या में साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित हाते हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या में पत्रिकाएँ प्रकाशित होती हैं।

## हिंदी के प्रमुख पत्रकार

समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं की चर्चा में हमने देखा कि भारत में हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लगभग दो सौ वर्ष पुराना है। पहला हिंदी समाचार पत्र होने का श्रेय चूंकि 'उदंत मार्तण्ड' (1826) को जाता है तो इसके संपादक को भी हिंदी के पहले पत्रकार होने का गौरव प्राप्त है, क्योंकि उस समय संपादक ही पत्रकार की भूमिका निर्वाह करते होंगे। इसके बाद इन दो सौ सालों में अनगिनत पत्रकार हुए हैं, जिन्होनें अपनी कलम से सामाजिक सरोकारों को पूरी ईमानदारी से निभाया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है। स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने में पत्रकारिता ही सबसे बड़ा अस्त्र बना था। पत्रकारिता ने अंग्रेजी सत्ता के दमन नीति, लोगों के प्रति किए जा रहे अन्याय, अत्याचार एवं कुशासन के खिलाफ निरंतर विरोध का स्वर उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप देश में एकजुटता आई। इसका नतीजा यह रहा कि पूरे देश में अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ स्वर उठा और आखिर अंग्रेजों ने भारत को आजाद कर दिया। लोगों में स्वतंत्रता का अलख जगाने की कोशिश में न जाने कितने संपादक-सह-पत्रकार शहीद हुए हैं तो न जाने कितनों की आवाज भी दबा दी गई हो, फिर भी पत्रकारों ने सामाजिक सरोकारों को नहीं छोड़ा। दूसरा उदाहरण था हिदीं भाषा को स्थापित करना। हिदीं भाषा साहित्य जगत में कुछ ऐसे महान साहित्यकार हुए हैं, जो संपादक-पत्रकार ही थे। उनका जिक्र किए बगैर हम हिंदी भाषा के किसी भी रूप की चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। उस समय हिंदी साहित्य और पत्रकारिता एवं साहित्कार एवं पत्रकार दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बने हुए थे, उन्होंने अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था, जब

अंग्रेजी शासक अंग्रेजी को ही देश की भाषा बनाने चाहता था। इन लेखक-पत्रकारों ने अंग्रेजी भाषा के मुकाबले हिंदी किसी भी विधा में कमजोर नहीं है, साबित करने के लिए ही पद्य एवं गद्य विधा के सभी रूपों में लेखनी चलाई है और साबित कर दिया कि हिंदी भाषा में चाहे वह कविता हो या गद्य और गद्य में चाहे वह उपन्यास हो, कहानी हो, निबंध हो, आलोचना हो, जीवनी हो या अन्य कोई विधा सभी में लिखा जा सकता है। इस तरह इन लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, संपादकों ने साहित्यिक पत्रकार के रूप में अंग्रेजी भाषा के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आज भारत आजाद हो चुका है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि हिंदी पत्रकार तथा पत्रकारिता को इस अंग्रेजी भाषा के खिलाफ आज भी लड़ाई जारी है, क्योंकि आज भी हिंदी भाषा को देश में वह स्थान एवं सम्मान नहीं मिल पाया है, जितना मिलना चाहिए।

आज देश आजाद हो गया, लेकिन पत्रकारों की भूमिका कम नहीं हुई। अब लक्ष्य बदल गया। पहले लड़ाई अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ थी, जो अब बदलकर देश में जारी अशिक्षा, उपेक्षा, बेरोजगारी, किसान की समस्या, नारी की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, भोजन की समस्या के खिलाफ जंग जारी है। समाज में सबसे नीचे जीने वाले लोगों को न्याय दिलाने तथा मूल-भूत सुविधा उपलब्ध कराना ध्येय बन गया है। दूर संचार क्रांति के बाद तो इलेक्ट्रानिक्स मीडिया और अब इंटरनेट के आविष्कार के साथ सोशल एवं वेब मीडिया ने तो इसे और धार दे दिया है। आज समय के साथ ऐसा बदलाव आया कि पत्रकारिता को समाज ने पेशा के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आज की स्थिति में भारत के विभिन्न भाषाओं में 70 हजार समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है तो निश्चित रूप से लाखों पत्रकार भी होंगे आज स्थिति चाहे जो भी हो जैसा भी हो हमारे से पहले पत्रकारों ने कुछ आदर्श स्थापित किया था, जो आज भी यथावत है। शायद उनके कारण ही आज पत्रकार को समाज में सम्मान की नजर से देखा जाता है। उनमें से कुछ निम्न हैं-

## *स्वतंत्रता पूर्व हिंदी के प्रमुख पत्रकार*

भारतेंदु हरिश्चंद्र (कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन), प्रताप नारायण मिश्र (ब्राह्मण, हिंदोस्तान), मदनमोहन मालवीय (हिन्दोस्तान, अभ्युदय, महारथी, सनातन धर्म, विश्वबंधु लीडर, हिन्दुस्तान टाइम्स), महावीर प्रसाद द्विवेदी (सरस्वती), बालमुकुंद गुप्त (मथुरा अखबार सहित अनेक पत्र-पत्रिका), श्याम

सुंदर दास (नागरी प्रचारिणी, सरस्वती), प्रेमचंद (माधुरी, हंस, जागरण), बाबूराव विष्णु पराड़कर (हिंदी बंगवासी, हितवार्ता, भारत मित्र, आज), शिव प्रसाद गुप्त (आज, टु डे,), चंद्रधर शर्मा गुलेरी (जैनवैद्य, समालोचक, नागरी प्रचारिणी), बाबू गुलाबराय (संदेश), डा. सत्येंद्र (उद्धारक, आर्यमित्र, साधना, ब्रजभारती, साहित्य संदेश, भारतीय साहित्य, विद्यापीठ, आगरा का त्रैमासिक)

## स्वतंत्रता के बाद के पत्रकार

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय (बिजली, प्रतीक, वाक, थाट, दिनमान, नवभारत टाइम्स), अरविंद कुमार (सरिता, टाइम्स ऑफ इंडिया, माधुरी, सुचित्र),कृष्णचंद्र अग्रवाल (विश्वामित्र), बालेश्वर प्रसाद अग्रवाल (प्रवर्तक, हिंतुस्तान समाचार), डोरीलाल अग्रवाल (उजाला, अमर उजाला, दिशा भारती), राजेंद्र अवस्थी (सारिका, नंदन, कादंबिनी, साप्ताहिक हिंतुस्तान), महावीर अधिकारी (विचार साप्ताहिक, हिंस्तुस्तान, नवभारत टाइम्स, करंट), कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना (कमलेश्वर) (कामरेड, सारिका, गंगा, दैनिक जागरण), कर्पूरचंद कुलिश (राष्ट्र-दूत, राजस्थान पत्रिका), धर्मवीर गांधी (हिंतुस्तान समाचार, साथी, समाचार भारती, देश दुनिया), पूर्णचंद्र गुप्त (स्वतंत्र, दैनिक जागरण, एक्शन, कंचन प्रभा), मन्मथनाथ गुप्ता (बाल भारती, योजना, आजकल), सत्येद्रं गुप्त (आज, ज्ञान मंडल), जगदीश चतुर्वेदी (मधुकर, नवभारत टाइम्स, लोक समाचार समिति, आज), प्रेमनाथ चतुर्वेदी (विश्वमित्र, नवभारत टाइम्स), बनारसी दास चतुर्वेदी (विशाल भारत, मधुकर), युगल किशोर चतुर्वेदी (जागृति, राष्ट्रदूत, लोकशिक्षक), कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी (नवज्योति), अभय छाजलानी (नई दुनिया दैनिक), अक्षय कुमार जैन (अर्जुन, वीणा, दैनिक सैनिक, नवभारत टाइम्स), आनंद जैन (विश्वमित्र, नवभारत टाइम्स), यशपाल जैन (मिलन, जीवन साहित्य, जीवन सुधा), मनोहर श्याम जोशी (आकाशवाणी, दिनमान, साप्ताहिक हिंदुस्तान), रतन लाल जोशी (भारत दूत, आवाज, नवनीत, सारिका, दैनिक हिंदुस्तान), शीला झुनझुनबाला (धर्मयुग, अंगजा, कादंबिनी, साप्ताहिक हिंदुस्तान), विश्वनारायण सिंह ठाकुर (नवभारत लोकमान्य, हिंदुस्तान समाचार, युगधर्म, यूएनआई, आलोक, नयन रश्मि), डा. रामचंद्र तिवारी (विश्वमित्र, नवभारत टाइम्स, ग्लोब एजेंसी, दैनिक जनसत्ता, भारतीय रेल पत्रिका), रामानंद जोशी (दैनिक विश्वमित्र, दैनिक हिंदुस्तान, साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादंबिनी), कन्हैयालाल नंदन (धर्मयुग, पराग, सारिका,

दिनमान), कुमार नरेंद्र (दैनिक वीर अर्जुन,प्रताप जो), नरेद्रं मोहन (दैनिक जागरण), नारायण दत्त (हिंदी स्क्रीन, भारती, नवनीत, पी.टी.आई), सतपाल पटाइत (राजहंस, ब्राह्मण सर्वस्व, गढ़देश, विकास), राहुल बारपते (इंदौर समाचार, जयभारत, प्रजा मंडल, नई दुनिया), बांके बिहारी भटनागर (माधुरी, दैनिक हिंतुस्तान), यतींद्र भटनागर (आपबीती, दैनिक विश्वमित्र, भारत वर्ष, अमर भारत, जनसत्ता, दैनिक हिंदुस्तान), जय प्रकाश भारती (दैनिक प्रभात, नवभारत टाइम्स, साप्ताहिक हिंदुस्तान, नंदन), धर्मवीर भारती (अभ्युदय, धर्मयुग), राजेद्रं माथुर (नई दुनिया, नवभारत टाइम्स), रामगोपाल माहेश्वरी (नव राजस्थान, नवभारत), सुरजन मायाराम (नवभारत, एमपी क्रानिकल, नई दुनिया, देशबंधु), द्वारिक प्रसाद मिश्र (सारथी, लोकमत, अमृत बाजार), भवानी प्रसाद मिश्र (महिलाश्रम, गांधी मार्ग), गणेश मंत्री (धर्मयुग), रघुवीर सहाय (दैनिक नवजीवन, प्रतीक, आकाशवाणी, कल्पना, जनसत्ता, अर्थात), रमेशचंद्र (जालंधर, दैनिक पंजाब केसरी), जंगबहादुर सिंह राणा (द कामरेड,द नेशन, द ट्रिब्यून, दैनिक नवभारत, टाइम्स ऑफ इंडिया), मुकुट बिहारी वर्मा (कर्मवीर, राजस्थान केसरी, प्रणवी, माधुरी, दैनिक आज, स्वदेश, दैनिक हिंदुस्तान), लक्ष्मीशंकर व्यास (आज, विजय, माधुरी, कमला), भगवतीधर वाजपेयी (स्वदेश, दैनिक वीर अर्जुन, युगधर्म), पुरुषोत्तम विजय (अंकुश, साप्ताहिक राजस्थान, नव राजस्थान, दैनिक सैनिक, दैनिक इंदौर), डा.वेद प्रताप वैदिक (दैनिक जागरण, अग्रवाही, नई दुनिया, धर्मयुग, दिनमान, नवभारत टाइम्स, पी.टी.आई, भाषा), राधेश्याम शर्मा (दैनिक संचार, इंडियन एक्सप्रेस, युगधर्म, यू.एन.आई), भानुप्रताप शुक्ल (पांचजन्य, तरुण भारत, राष्ट्रधर्म), क्षेमचंद्र सुमन (आर्य, आर्यमित्र, मनस्वी, मिलाप, आलोचना) राजेद्रं यादव (हंस) विद्यानिवास मिश्र (नवभारत टाइम्स), मृणाल पांडे (दैनिक हिंदुस्तान)। इसके अलवा वर्तमान समय में राहुल बारपुते (नई दुनिया), कर्पूरचंद्र कुलिश (राजस्थान पत्रिका), अशोक जी (स्वतंत्र भारत), प्रभाष जोशी (जनसत्ता), राजेन्द्र अवस्थी (कादम्बिनी), अरुण पुरी (इण्डिया टुडे), जयप्रकाश भारती (नन्दन), सुरेन्द्र प्रताप सिंह (रविवार एवं नवभारत टाइम्स), उदयन शर्मा (रविवार एवं सण्डे आब्जर्वर)। इसके अलावा डा. नंदकिशोर त्रिखा, दीनानाथ मिश्रा, विष्णु खरे, महावीर अधिकारी, प्रभु चावला, राजवल्लभ ओझा, जगदीशप्रसाद चतुर्वेदी, चंदूलाल चंद्राकर, शिव सिंह सरोज, घनश्याम पंकज, राजनाथ सिंह, विश्ववाथ, बनवारी, राहुल देव, रामबहादुर राय, भानुप्रताप शुक्ल, तरुण विजय, मायाराम सुरजन, रूसी के करंजिया,

नंदकिशोर नौटियाल, आलोक मित्र, अवध नारायण मुद्‌गल, डा. हरिकृष्ण देवसरे, गिरिजाशंकर त्रिवेदी, सूर्यकांत बाली, आलोक मेहता, रहिवंश, राजेन्द्र शर्मा, रामाश्रय उपाध्याय, अच्युतानंद मिश्र, विश्वनाथ सचदेव, गुरुदेव काश्यप, रमेश नैयर, बाबूलाल शर्मा, यशवंत व्यास, नरेन्द्र कुमार सिंह, महेश श्रीवास्तव, जगदीश उपासने, मुजफ्फर हुसैन, अश्विनी कुमार, रामशरण जोशी, दिवाकर मुक्तिबोध, ललित सुरजन, मधुसूदन आनंद, मदनमोहन जोशी, बबन प्रसाद मिश्र, रामकृपाल सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है। इसके अलावा और बहुत से पत्रकार हुए हैं, जो हिंदी पत्रकारिता को इस मुकाम तक लाने में सहयोग किया।

## समाचार एजेंसियाँ

समाचार एजेंसी या संवाद समिति पत्रकारों की ऐसी समाचार संकलन संस्थान है, जो अखबारों, पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट साइटों जैसे समाचार माध्यमों को समाचार उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर हर देश की अपनी एक आधिकारिक संवाद समिति होती है। समाचार एजेंसी में अनेक पत्रकार काम करते हैं, जो खबरें अपने मुख्यालय को भेजते हैं, जहां से उन्हें संपादित कर जारी किया जाता है। समाचार एजेंसिया सरकारी, स्वतंत्र व निजी हर तरह की होती हैं। भारत की प्रमुख एजेंसियो में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी.टी.आई), इंडो-एसियन न्यूज सर्विस (आई.ए.एन.एस), एसियन न्यूज इंटरनेशनल (ए.एन. आई), जी.एन.ए न्यूज एजेसीं (जी.एन.ए), समाचार भारती, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू.एन.आई), हिदुंस्तान समाचार. ये एजेंसियां पहले सैटेलाइट के जरिए समाचार भेजती थीं, तब टिकर प्रणाली पर काम होता था। अब कंप्यूटर ने चीजें आसान कर दी हैं और ईमेल से काम चल जाता है।

## पत्रकारिता की अन्य प्रासंगिताएँ

समाचारपत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से विभिन्न तरह की जानकारी हासिल करना चाहता है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे का रहस्य क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह से प्रभावित होगा?

जहां तक पत्रकारिता की बात है, अन्य विषय की तरह पत्रकारिता में भी समय, विषय और घटना के अनुसार लेखन के तरीके में बदलाव देखा गया है। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम को जोड़ा है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से बन गए हैं। समाचारपत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इनके बिना कोई भी समाचारपत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कहला सकता है।

## संपादकीय

संपादकीय पृष्ठ को समाचापत्र का सबसे महत्वपूर्ण पन्ना माना जाता है। यह समाचार पत्र का प्राण होता है। संपादकीय में किसी भी समसामयिक विषय को लेकर उसका वेशक विश्लेषण करके उसके विषय में संपादक अपनी राय व्यक्त करता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसमें विषयों का गंभीर विवेचन होता है। संपादकीय पृष्ठ पर अग्रलेख के अलावा लेख भी प्रकाशित होते हैं। ये आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या इसी तरह के किसी विषय पर कुछ विशेषज्ञ विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इन लेखों में लेखकों का व्यक्तित्व व शैली झलकती हैं। इस तरह के लेख व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक शैली के होते हैं।

## संपादक के नाम पत्र

आमतौर पर 'संपादक के नाम पत्र' भी संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है। समाचारपत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। यह अन्य सभी स्तंभों से अधिक रुचिकर तथा पठनीय होने के साथ-साथ लोकोपयोगी भी होते हैं। संपादक के नाम पत्र स्तंभ में पाठक अपने सुझाव, शिकवे, शिकायत ही नहीं, अपितु कभी-कभी ऐसे विचार भी प्रकट कर देते हैं कि समाज के लिए प्रश्न चिह्न के रूप में खड़े हो जाते हैं और समाज विवश हो जाता है, उसका समाधान खोजन के प्रयन्त में।

## फोटो पत्रकारिता

छपाई तकनीक के विकास के साथ ही फोटो पत्रकारिता ने समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है।

## *कार्टून कोना*

कार्टूनकोना लगभग हर समाचारपत्र में होता है और उनके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियां पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं। इनकी चुटीली टिप्पणियां कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं।

## *रेखांकन और कार्टोग्राफ*

रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं, बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेसेंक्स के आंकड़ो तक–ग्राफ से पूरी बात एक नजर में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफी का उपयागे समाचारपत्रों के अलावा टेलीविजन में भी होता है।

# पत्रकारिता के कार्य, सिद्धांत एवं प्रकार

'पत्रकारिता' के मुख्य कार्य सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, लोकतंत्र का रक्षक एवं जनमत से आशय एवं पत्रकारिता के सिद्धान्त की चर्चा की गई है। इसके साथ ही पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार की चर्चा भी सविस्तार से की गई है।

## *पत्रकारिता के कार्य*

प्रारंभिक अवस्था में पत्रकारिता को एक उद्योग के रूप में नहीं गिना जाता था। इसका मुख्य कार्य था, नए विचार का प्रचार–प्रसार करना। तकनीकी विकास, परिवहन व्यवस्था में विकास, उद्योग एवं वाणिज्य के प्रसार के कारण आज पत्रकारिता एक उद्योग बन चुका है। इसका कार्य भी समय के अनुसार बदल गया है। आज पत्रकारिता का तीन मुख्य कार्य हो चला है। पहला, सूचना प्रदान करना, दूसरा, शिक्षा और तीसरा, मनोरंजन करना। इसके अलावा लोकतंत्र की रक्षा एवं जनमत संग्रह करना इसका मुख्य कार्य में शामिल है।

## *सूचना*

अपने आस–पास की चीजों घटनाओं और लोगों के बारे में ताजा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसमें जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास ही इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने के प्रयास के रूप में हुआ। यह

मूल सिद्धान्त के आधार पर ही यह काम करती है। पत्रकारिता का मुख्य कार्य घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। समाचार अपने समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में सूचना प्रदान करता है, यानी कि समाचार के माध्यम से देश–दुनिया की समसामयिक घटनाओं समस्याओं और विचारों की सूचना लोगों तक पहुंचाया जाता है। इस सूचना का सीधे–सीधे अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे–भारत में नोटबंदी हो या किसानों का ऋण माफी या जी. एस.टी लागू करने का निर्णय। यह सब सूचनाएँ लोगों को प्रभावित करती है। ये सूचनाएँ हमारे दैनिक जीवन के साथ–साथ पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि आधुनिक समाज में सूचना और संचार माध्यमों का महत्व बहुत बढ़ गया है। आज देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है, उसकी अधिकांश जानकारियाँ हमें समाचार माध्यमों से ही मिलती है। सच तो यह है कि हमारे प्रत्यक्ष अनुभव से बाहर की दुनिया के बारे में हमें अधिकांश जानकारियाँ समाचार माध्यमों द्वारा दिए जाने वाले समाचारों से ही मिलती है तो इस तरह पत्रकारिता आज के जमाने में सूचना प्रदान करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है।

## *शिक्षा*

समाचार के माध्यम से हमें देश–दुनिया की तमाम घटनाओं विचार, समस्याओं की जानकारी मिलती है। यह समाचार हमें विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिए हमारे घरों में पहुंचते हैं। समाचार सगंठनों में काम करने वाले पत्रकार देश–दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते हैं। यह हमे विभिन्न विषय में शिक्षा प्रदान करते हैं। हमें विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक डिग्री प्राप्त करने के लिए औपचारिक पढ़ाई के लिए पुस्तक पढ़नी पड़ती है। उन पुस्तकों में इतिहास, भूगोल, विज्ञान, वाणिज्य, साहित्य, समाज, संस्कृति आदि का उल्लेख रहता है। उनमें समाज में घटित हुई घटनाओं को लेखकों द्वारा लिखी गई बातों को पढ़कर शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन संचार माध्यम चाहे वह समाचार पत्र–पत्रिकाएँ हो या रेडियो या दूरदर्शन या फिर इंटरनेट या फिर सोशल मीडिया भी लोगों को वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके पेश करते हैं। यह समाचार सम सामयिक घटनाओं विचारों की पुरी जानकारी प्रदान करती है, जो अनौपचारिक रूप से व्यक्ति को, पाठक को या दर्शक को शिक्षा प्रदान करती है। जैसे कि अंतरिक्ष में भारत ने क्या उपगृह छोड़ा, भूकंप से बचाव के लिए पहले जानकारी

प्राप्त करने के लिए कौन सी नई तकनीकी बनाई गई है, स्वास्थ्य सेवा में क्या बदलाव लाया गया, राजनीति में क्या परिवर्तन हो रहा है, प्रसिद्ध साहित्यकारों ने समाज की समस्याओं पर क्या लेखनी चलाई आदि। समाचार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित फीचर के जरिए कई ऐसी पहलू पर मार्गदर्शन दिया जाता है, जो पाठ्य-पुस्तकों जैसे औपचारिक पढ़ाई में नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यह कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में स्वास्थ्य, समाज, नारी, विज्ञान, ज्योतिष, वाणिज्य में नित्य हो रहे बदलाव औनर उसका प्रभाव पर विश्लेषण, समीक्षा आदि समाज का मार्गदर्शन करता है। विभिन्न क्षेत्र के सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार से जहां समाज को उनका संघर्ष का पता चलता है तो उनके विचार, मूल्य के बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह पत्रकारिता न केवल सूचना प्रदान करता है, बल्कि पाठक, दर्शक को सीधे एवं अनौपचारिक रूप से शिक्षा प्रदान करने का कार्य करती है।

## *मनोरंजन*

पत्रकारिता का आयाम बहुत ही विस्तृत हो चला है। यह केवल सूचना और शिक्षा प्रदान करने तक सीमित न रहकर लोगों का मनारेंजन करने के लिए भी सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। समाचार पत्र में जैसे-कथा, कहानी, जीवनी, व्यंग्य आदि लेख प्रकाशित होते हैं। इस तरह के साहित्यिक लेखों से लोगों का मनारेंजन होता है। इसके अलावा समाज में नित्य प्रतिदिन घटित हो रही घटनाओं पर कार्टून तथा व्यंग्य चित्र पेश किए जाते हैं। समाचार पत्र पत्रिकाओं तथा श्रव्य दृश्य माध्यमों में सिनेमा, दूरदर्शन, नाटक आदि से जुड़ी खबरें लेख प्रकाशित किये जाते हैं, जो पाठकों तथा दर्शकों का पूरा मनोरंजन करते हैं। हम कहीं ट्रेन में बस में या हवाई जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो समय काटना बड़ा कठिन होता है। इस समय पर दिल को बहलाने के लिए लोगों को अक्सर समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं को पढ़ते देखा जाता है, ऐसे वक्त में लोगों का दिल बहलाने के साथ-साथ शिक्षा एवं सूचनाएं भी प्रदान करते हैं। आज कल तो समाचार पत्र पत्रिकाएं बच्चों को खास ध्यान में रखकर बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं साथ ही बड़े समाचार पत्र समूह बाल मनोविज्ञान से संबंधित कथा, कहानियां सचित्र प्रकाशित कर बाल मनोरंजन कर रहे हैं। यहां तक कि टेलीविजन पर अनेक चैनल भी हैं, जो केवल बाल मनोविज्ञान पर आधारित कार्यक्रम पेश करते हैं। दर्शकों, श्रातेओं, पाठकों को

केवल समाचार से मन उब न जाए इसलिए मन बहलाने के लिए हर समाचार माध्यमों द्वारा समाचारों के प्रसारण के साथ ही मनोरंजन का भी यथासंभव प्रसारण एवं प्रकाशन किया जा रहा है।

## लोकतंत्र का रक्षक

राजनैनिक परिदृश्य में मीडिया की भूमिका सबसे अहम है। पत्रकारिता की पहुंच का सीधा अर्थ है, जनमत की पहुंच। इसलिए कहा गया है कि पत्रकारिता लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। यह दोनों नेता एवं जनता के लिए लाभकारी है। नेता जनता तक अपनी सुविधा अनुसार पहुंच पाते हैं, लेकिन खासकर के इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से नेता एक ही समय में काफी लोगों तक पहुंच पाने में सक्षम हो जाते हैं। मीडिया में पहुंच का फायदा यह होता है कि उन्हें तथ्य, विचार एवं व्यवहार में सुधारने का मौका मिलता है। रेडियो एवं टी.वी. के कारण अब दूरी मिट गई है। इस तरह नेता इसके माध्यम से जनता तक पहुंच जाते हैं और मीडिया के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर उन्हें चेताया जाता है।

### जनमत

पत्रकारिता का कार्य में सबसे प्रमुख है, जनमत को आकार देना, उसको दिशा–निर्देश देना और जनमत का प्रचार प्रसार करना। पत्रकारिता का यह कार्य लोकतंत्र को स्थापित करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पत्रकारिता, यानि मीडिया लोगों के मध्य जागरूकता लाने का एक सशक्त माध्यम है और यह शासक पर सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र है और यह तभी संभव है, जब बड़ी आबादी तक मीडिया की पहुंच हो।

## एजेंडा निर्धारण

इन कार्यों के अलावा पत्रकारिता, यानी मीडिया अब एजेंडा निर्धारण करने के कार्य में भी शामिल हो चुका है। इसका अर्थ यह है कि मीडिया ही सरकार और जनता का एजेंडा तय करता है–मीडिया में जो होगा वह मुद्दा है और जो मीडिया से नदारद है, वह मुद्दा नहीं रह जाता। एजेंडा निर्धारण में मीडिया की यह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गयी है। मीडिया में कौन सी बात उठ रही है, उसे सरकार प्राथमिकता देने लगी है और उस पर त्वरित कार्रवाई कर रही है।

दूसरी ओर जनता भी मीडिया के माध्यम से जो दिशा–निर्देश मिलते हैं, उसी हिसाब से अपना कामकाज करने लगी है। मीडिया में खबर आने के बाद सरकार एवं जनता यह तय करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा। जैसे कि मीडिया में खबर आई कि आने वाले दिनों में जी.एस.टी लागू हो जाएगी। व्यापारी उसी हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं।

पत्रकारिता के मुख्य कार्यों पर नजर डालें तो हम यह कह सकते हैं कि समाचार के माध्यम से लोगों को घटित घटनाओं को सूचित करना है। सूचित करने की इस प्रक्रिया में लोग शिक्षित भी होते हैं, दूसरे पक्ष पर अगर हम विचार को लें तो इसका संपादकीय और लेख हमें जागरूक बनाते हैं। इसके अलावा खेल, सिनेमा की खबरें और विभिन्न विषयों पर आधारित फीचर का उद्देश्य ही लोगों का मनोरजं न करना होता है, राजनैनिक परिदृश्य में इसका मुख्य कार्य लोकतंत्र की सुरक्षा एवं बचाव करना है, जहां इसके माध्यम से नेता सीधे जनता तक पहुंच जाते हैं, वह इसके माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्य का विश्लेषण कर उन्हें चेताया जाता है। लोकतंत्र में जनमत ही सर्वोपरि होती है। वर्तमान में मीडिया ही जनमत का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। शासक पर सामूहिक सतर्कता बनाए रखने के लिए सबसे बड़ा अस्त्र बन गया है। पत्रकारिता के कार्य में अब एक और नया कार्य जुड़ गया है, वह है सत्ता एवं जनता का एजेंडा निर्धारण करना।

## पत्रकारिता के सिद्धांत

पत्रकारिता और पत्रकार एवं पत्रकारिता के मूल्य पर चर्चा करते समय हमने देखा कि अपनी पूरी स्वतंत्रता के बावजूद उस पर सामाजिक और नैतिक मूल्यों की जवाबदेही होती है। यह सामाजिक और नैतिक मूल्य की जवाबदेही उसे एक नियम कानून के दायरे में चलने को मजबूर करता है। दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस हिसाब से न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका जैसे तीन स्तंभ को बांधे रखने के लिए पत्रकारिता एक कड़ी के रूप में काम करती है। इस कारण पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसके सामने कई चुनौतियाँ होती हैं और दबाव भी। सामाजिक सरोकारों को व्यवस्था की दहलीज तक पहुँचाने और प्रशासन की जनहितकारी नीतियों तथा योजनाओं को समाज के सबसे निचले तबके तक ले जाने के दायित्व का निर्वहन करना पत्रकार और पत्रकारिता का कार्य है।

इस दृष्टि से देखा जाए तो अन्य विषय की तरह पत्रकारिता भी कुछ सिद्धान्त पर चलती है। एक पत्रकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इसका पालन करे। यह पत्रकारिता का आदर्श है। इस आदर्श को पालन कर एक पत्रकार पाठकों का विश्वास जीत सकता है और यह विश्वसनीयता समाचार संगठन की पूंजी है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धान्तों का पालन करना जरूरी है–

## *यथार्थता*

पत्रकार पर सामाजिक और नैतिक मूल्य की जवाबदेही है। यह वास्तविकता या यथार्थता की ओर इशारा करती है। एक पत्रकार संगठन को अपनी साख बनाए रखने के लिए समाज के यथार्थ को दिखाना होगा। यहां पर कल्पना की कोई जगह नहीं होती है। यह पत्रकारिता की पहली कसौटी है। समाचार समाज के किसी न किसी व्यक्ति, समूह या देश का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए इसका जुड़ाव सीधे समाज की सच्चाई, यानी वास्तविकता से हो जाता है, यानी कि यह कह सकते हैं कि समाचार समाज का प्रतिबिंब होता है। पत्रकार हमेशा समाचार यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है। यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। दरअसल मनुष्य यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियां प्राप्त होती है उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं।

संपूर्ण यथार्थ को प्रतिबिंबित करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि तथ्यों के चयन में संपूर्णता का ध्यान रखना हागेा। समाचार लिखते समय यह ध्यान रखना होगा कि कौन सी सूचनाएं और कौन सा तथ्य संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ऐसे तथ्य एवं सूचनाओं का चयन करना होगा। जैसे कि एक नस्ली, जातीय या धार्मिक हिंसा की घटना का समाचार कई तरह से लिखा जा सकता है। इसे तथ्यपरक ढंग से इस तरह भी लिखा जा सकता है कि किसी एक पक्ष की शैतान की छवि सृजित कर दी जाए और दूसरे पक्ष को इसके कारनामों का शिकार। घटना के किसी एक पक्ष को अधिक उजागर कर एक अलग ही तरह की छवि का सृजन किया जा सकता है या फिर इस घटना

में आम लोगों के दुःख दर्द को उजागर कर इस तरह की हिंसा के अमानवीय और बर्बर चेहरे को भी उजागर किया जा सकता है। एक रोती विधवा, बिलखते अनाथ बच्चे या तो मात्र विधवा और अनाथ बच्चों के बारे में पेश करके यह दिखाना कि जातीय या धार्मिक हिंसा ने यह हालत की है। या फिर यह पेश किया जा सकता है कि चूंकि ये किसी खास जाति या धर्म के हैं, इसलिए ये विधवा और अनाथ हैं। इस तरह समाचार को वास्तव में हकीकत के करीब रखने के लिए एक पत्रकार को प्रोफेशनल और बौद्धिक कौशल में महारथ हासिल करना जरूरी है।

## *वस्तुपरकता*

वस्तु की अवधारणा हमें सामाजिक माहौल से मिलते हैं। बचपन से ही हम घर में, स्कूल में, सड़क पर चलते समय हर कदम, हर पल सूचनाएँ प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषय के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौकों पर इस तरह छवियां वास्तविक भी हो सकती है और वास्तविकता से दूर भी हो सकती है। वस्तुपरकता का संबंध सीधे-सीधे पत्रकार के कर्त्तव्य से जुड़ा है, जहां तक वस्तुपरकता की बात है, पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वस्तुपरकता का संबंध हमारे सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से कहीं अधिक है।

वैसे भी दुनिया में हर चीज को देखने का नजरिया हर व्यक्ति में अलग-अलग होती है। ऐसे में पत्रकार का कर्त्तव्य है कि वह समाचार को ऐसा पेश करे कि पाठक उसे समझते हुए उससे अपना लगाव महसूस करे। समाचार लेखन में लेखक को अपनी राय प्रकट करने की छूट नहीं मिल पाती है। उसे वस्तुपरक होना अनिवार्य है, लेकिन यह ध्यान रखना होता है कि वस्तुपरकता से उसकी जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। पत्रकार का उत्तरदायित्व की परख तब होती है, जब उसके पास कोई विस्फोटक समाचार आता है। आज के संदर्भ में दंगे को ही लें किसी स्थान पर दो समुदायों के बीच दंगा हो जाता है और पत्रकार सब कुछ खुलासा करके नमक-मिर्च लगाकर समाचार पेश करता है तो समाचार का परिणाम विध्वंसात्मक ही होगा। ऐसी स्थिति में अनुभवी पत्रकार अपने विवेक का सहारा लेते हैं और समाचार इस रूप से पेश करते हैं कि उससे

दंगाइयों को बल न मिले ऐसे समाचार के लेखन में वस्तुपरकता और भी अनिवार्य जान पड़ती है।

इसलिए कोई भी समाचार एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता है। एक ही समाचार को एक पत्रकार वस्तुपरक बना सकता है तो दूसरा पूर्वाग्रह से प्रभावित होकर बना सकता है, चाहे जो भी हो एक पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने समाचार प्रस्तुतिकरण में वस्तुपरकता को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। यही कारण है कि वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना जरूरी है, क्योंकि वस्तुपरकता और यथार्थता के बीच काफी कुछ समानताएं भी है और दोनों के बीच अंतर भी है। यथार्थता का संबंध अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति उस तथ्य को कैसे देखता है। जैसे–कि किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से सृजित छवियां समाचार के मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती है और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन पत्रकार को जहां तक संभव हो अपने लेख में वस्तुपरकता का अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

## *निष्पक्षता*

चूंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसलिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में इसकी अहम भूमिका है। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, न्याय और अन्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए सही एवं न्याय के साथ होना चाहिए। इसलिए पत्रकारिता का प्रमुख सिद्धान्त है, उसका निष्पक्ष होना। पत्रकार को उसका शत प्रतिशत पालन करना जरूरी है, तभी उसके समाचार संगठन की साख बनी रहेगी। पत्रकार को समाचार लिखते समय न किसी से दोस्ती न किसी से बैर वाले सिद्धांत को अपनाना चाहिए, तभी वह समाचार के साथ न्याय कर पाएगा और जब पत्रकारिता की आजादी की बात आती है तो इसमें न्यायसंगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया की ताकत बढ़ी है। एक ही झटके में वह किसी को सर आखें पर बिठा सकता है तो किसी को जमीन के नीचे गिरा सकता है। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही सही उसे बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है। इसलिए पत्रकार एवं पत्रकार संगठन की

जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष होकर हमेशा सच्चाई को सामने रखे और सही एवं न्याय का साथ दे।

## संतुलन

पत्रकारिता में निष्पक्षता के साथ संतुलन की बात भी जुड़ी हुई है। जब किसी समाचार के कवरेज पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह संतुलित नहीं है तो यहां यह बात सामने आती है कि समाचार किसी एक पक्ष की ओर झुका हुआ है। यह ऐसे समाचार में सामने आती है, जब किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल हों और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। ऐसी स्थिति में पत्रकार को चाहिए कि संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने-अपने समाचारीय महत्व के अनुसार स्थान देकर समाचार को संतुलित बनाना होगा। एक और स्थिति में जब किसी पर कोई किसी तरह के आरोप लगाए गए हों या इससे मिलती-जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में निष्पक्षता और संतुलन की बात आती है। ऐसे समाचारों में हर पक्ष की बात को रखना अनिवार्य हो जाता है अन्यथा एक पक्ष के लिए चरित्र हनन का हथियार बन सकता है। तीसरी स्थिति में व्यक्तिगत किस्म के आरापों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए। यह स्थिति तभी संभव हो सकती है, जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में है और आरोपों के पक्ष में पक्के सबतू नहीं हैं, लेकिन उस तरह के समाचार में इसकी जरूरत नहीं होती है, जो घोषित अपराधी हों या गंभीर अपराध के आरोपी। संतुलन के नाम पर मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता है। दूसरी बात यह कि यह सिद्धांत सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

## स्रोत

पत्रकारिता के मूल में समाचार है। समाचार में कोई सूचना या जानकारी होती है। पत्रकार उस सूचना एवं जानकारी के आधार पर समाचार तैयार करता है, लेकिन किसी सूचना का प्रारंभिक स्रोत पत्रकार नहीं होता है। आमतौर पर वह किसी घटना के घटित होने के समय घटनास्थल पर उपस्थित नहीं होता है। वह घटना के घटने के बाद घटनास्थल पर पहुंचता है, इसलिए यह सब कैसे हुआ यह जानने के लिए उसे दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस सूचना एवं जानकारी में क्या सही है, क्या असली घटना है, कौन शामिल है, उसकी

पूरी जानकारी के बिना यह अधूरा एवं एक पक्ष होती है, जो हमने पत्रकारिता के सिद्धांतों में यथार्थता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता और संतुलन पर चर्चा करते हुए देखा है। किसी भी समाचार के लिए जरूरी सूचना एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार संगठन एवं पत्रकार को कोई न कोई स्रोत की आवश्यकता होती है। यह समाचार स्रोत समाचार संगठन के या पत्रकार के अपने हाते हैं। स्रोतों में समाचार एजेंसियां भी आती हैं। समाचार की साख बनाए रखने के लिए उसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का क्या स्रोत है, उसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। खासकर ऐसे समाचार जो सामान्य के दायरे से निकलकर खास श्रेणी में आते हैं। स्रोत के बिना समाचार का महत्व कम हो जाता है। इसलिए समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है। हां जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है, उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर यह एक सामान्य जानकारी है, जिसका स्रोत देने की जरूरत नहीं होती है।

## पत्रकारिता के प्रकार

संसार में पत्रकारिता का इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन इक्किसवीं शताब्दी में यह एक ऐसा सशक्त विषय के रूप में उभरा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। आज इसका क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है और विविधता भी लिए हुए है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो, जिसमें पत्रकारिता की उपादेयता को सिद्ध न किया जा सके। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि आधुनिक युग में जितने भी क्षेत्र हैं, सबके सब पत्रकारिता के भी क्षेत्र हैं, चाहे वह राजनीति हो या न्यायालय या कार्यालय, विज्ञान हो या प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा, साहित्य हो या संस्कृति या खेल हो या अपराध, विकास हो या कृषि या गांव, महिला हो या बाल या समाज, पर्यावरण हो या अंतरिक्ष या खोज। इन सभी क्षेत्रों में पत्रकारिता की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही महसूस किया जा सकता है। दूसरी बात यह कि लोकतंत्र में इसे चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसे में इसकी पहुंच हर क्षेत्र में हो जाता है। इस बहु आयामी पत्रकारिता के कितने प्रकार हैं, उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जा रही है।

### *खोजी पत्रकारिता*

खोजी पत्रकारिता वह है, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामले जैसे–भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर

सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। खोजपरक पत्रकारिता भारत में अभी भी अपने शैशवकाल में है। इस तरह की पत्रकारिता में ऐसे तथ्य जुटाकर सामने लाए जाते हैं, जिन्हें आमतौर पर सार्वजनिक नहीं किया जाता, लेकिन एक वर्ग यह मानता है कि खोजपरक पत्रकारिता कुछ है ही नहीं, क्योंकि कोई भी समाचार खोजी दृष्टि के बिना लिखा ही नहीं जा सकता है। लोकतंत्र में जब जरूरत से ज्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार चरम पर हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प होती है। खोजी पत्रकारिता से जुड़ी पुरानी घटनाओं पर नजर ड़ालें तो माई लार्ड कांड, वाटरगेट कांड़, एंडर्सन का पेंटागन पेपर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय कांड तथा सीमेटं घोटाला कांड़, बोफोर्स कांड, ताबूत घोटाला कांड जैसे राष्ट्रीय घोटाले खोजी पत्रकारिता के चर्चित उदाहरण हैं। संचार क्रांति, इंटरनेट या सूचना अधिकार जैसे–प्रभावशाली अस्त्र अस्तित्व में आने के बाद तो घोटाले उजागर होने का जैसे दौर शुरू हो गया। इसका नतीजा है कि पिछले दिनों 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, कामनवेल्थ गेम्स घोटाला, आदर्श घोटाला आदि उल्लेखनीय हैं। समाज की भलाई के लिए खोजी पत्रकारिता अवश्य एक अंग है, लेकिन इसे भी अपनी मर्यादा के घेरे में रहना चाहिए।

## वाचडाग पत्रकारिता

लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना गया है। इस लिहाज से इसका मुख्य कार्य सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वाचडाग पत्रकारिता कहा जा सकता है। दूसरी और सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। इसके तहत मीडिया केवल वही समाचार देता है, जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनापरक पक्ष का परित्याग कर देता है। इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है।

## एडवोकेसी पत्रकारिता

एडवोकेसी, यानि पैरवी करना। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान चलाने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। मीडिया व्यवस्था का ही एक अंग है और

व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्यधारा मीडिया कहा जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे वैकल्पिक सोच रखने वाला मीडिया होते हैं, जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए निकाले जाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को एडवोकेसी (पैरवी) पत्रकारिता कहा जाता है। जैसे–राष्ट्रीय विचारधारा, धार्मिक विचारधारा से जुड़े पत्र–पत्रिकाएँ।

### *पीत पत्रकारिता*

पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोपों प्रत्यारोपों प्रमे संबंधों आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसमें सही समाचारों की उपेक्षा करके सनीसनी फैलाने वाले समाचार या ध्यान खींचने वाला शीर्षकों का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। इसे समाचार पत्रों की बिक्री बढ़ाने, इलेक्ट्रानिक मीडिया की टी.आर.पी बढ़ाने का घटिया तरीका माना जाता है। इसमें किसी समाचार खासकर एसे सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ आपत्तिजनक कार्य, घोटाले आदि को बढ़ा चढ़ाकर सनसनी बनाया जाता है। इसके अलावा पत्रकार द्वारा अव्यवसायिक तरीके अपनाए जाते हैं।

### *पेज थ्री पत्रकारिता*

पजे थ्री पत्रकारिता उसे कहते हैं, जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियों महिलाओं और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है।

## खेल पत्रकारिता

खेल से जुड़ी पत्रकारिता को खेल पत्रकारिता कहा जाता है। खेल आधुनिक हो या प्राचीन खेलों में होने वाले अद्‌भूत कारनामों को जग जाहिर करने तथा उसका व्यापक प्रचार–प्रसार करने में खेल पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज पुरी दुनिया में खेल यदि लोकप्रियता के शिखर पर है तो उसका काफी कुछ श्रेय खेल पत्रकारिता को भी जाता है। खेल केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य, शारीरिक दमखम और बौद्धिक क्षमता का भी प्रतीक है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में अति प्राचीनकाल से खेलों का प्रचलन रहा है। आज आधुनिक काल में पुराने खेलों के अलावा इनसे मिलते–जुलते खेलों तथा अन्य आधुनिक स्पर्धात्मक खेलों ने पुरी दुनिया में

अपना वर्चस्व कायम कर रखा है। आज स्थिति यह है कि समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का स्वरूप भी तब तक परिपूर्ण नहीं माना जाता, जब तक उसमें खेल का भरपूर कवरेज नहीं हो। दूसरी बात यह है कि आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में आबादी का एक बड़ा हिस्सा युवा वर्ग का है, जिसकी पहली पसंद विभिन्न खेल स्पर्धाएं हैं। शायद यही कारण है कि पत्र-पत्रिकाओं में अगर सबसे अधिक कोई पन्ने पढ़े जाते हैं तो वह खेल से संबोधित होते हैं। प्रिंट मीडिया के अलावा टी.वी. चैनलों का भी एक बड़ा हिस्सा खेल प्रसारण से जुड़ा होता है। दूसरी और कुछ खेल चैनल हैं, जो चौबीसों घंटे कोई न कोई खेल लेकर हाजिर ही रहते हैं। पाठकों और दर्शकों की खेल के प्रति दीवानगी का ही नतीजा है कि आज खेल की दुनिया में अकूत धन बरस रहा है। आज धन चाहे विज्ञापन के रूप में हो चाहे पुरस्कार राशि के रूप में न लुटाने वालो की कमी है और पाने वालों की। खेलों में धन वर्षा का प्रारंभ कर्पोरेट जगत के इसमें प्रवेश से हुआ। खेलों में धन की बरसात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसका बदसूरत पहलू भी है। खेलों में गला काट स्पर्धा के कारण इसमें फिक्सिंग और डोपिगं जैसी बुराइयों का प्रचलन भी बढ़ने लगा है। फिक्सिंग और डोपिगं जैसी बराइयां न खिलाड़ियों के हित में है और न खेलों के। खेल पत्रकारिता की यह जिम्मदेारी है कि वह खेलों में पनप रही उन बुराइयों के खिलाफ लगातार आवाज उठाती रहे। खेल पत्रकारिता से यह अपेक्षा की जाती है कि खेल में खेल भावना की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए। खेल पत्रकारिता से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आम लोगों से जुड़े खेलों को भी उतना ही महत्व और प्रोत्साहन मिले, जितना अन्य लोकप्रिय खेलों को मिल रहा है।

## महिला पत्रकारिता

महिला पुरूष समानता के इस दौर में महिलाएं अब घर की दहलीज लांघ कर बाहर आ चुकी है। प्राय: हर क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति और भागिदारी नजर आ रही है। ऐसे में पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की भागिदारी भी देखी जाने लगी है। दूसरी बात यह है कि शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया है। अब महिलाएं भी अपने करियर के प्रति सचेत हैं। महिला जागरण के साथ-साथ महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के मामले भी बढ़े हैं। महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे कानून बने हैं। महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दिलाने में महिला

पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। आज महिला पत्रकारिता की अलग से जरूरत ही इसलिए है कि उसमें महिलाओं से जुड़े हर पहलू पर गौर किया जाए और महिलाओं के सर्वांगीण विकास में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

वर्तमान दौर में राजनीति, प्रशासन, सेना, शिक्षण, चिकित्सा, विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यापार, समाजसेवा आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और दक्षता के बलबूते अपनी राह खुद बनाई है। कई क्षेत्रों में तो कड़ी स्पर्धा और चुनौती के बावजूद महिलाओं ने अपना शीर्ष मुकाम बनाया है। विकास के निरंतर तेज गति से बदलते दौर ने महिलाओं को प्रगति का समान अवसर प्रदान किया, लेकिन पुरुषों की तुलना में अपनी प्रतिभा और लगन के बलबतू पर समाज के हर क्षेत्र में अपनी अमिट छाप छोड़ने का जो सिलसिला शुरू किया है, वह लगातार जारी है। इसका उदाहरण भारत की इंदिरा नूई, नैना किदवाई, चंदा कोचर, नंदिनी भट्टाचार्य, साक्षी मलिक, पीवी सिंधु आदि के रूप में देखा जा सकता है। आज के दौर में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, जहां महिलाओं की उपस्थिति महसूस नहीं की जा रही हो। ऐसे में पत्रकारिता भी कहां पिछे रहेगी। मृणाल पांडे, विमला पाटील, बरखा दत्त, सीमा मुस्तफा, तवलीन सिंह, मीनल बहोल, सत्य शरण, दीना वकील, सुनीता ऐरन, कुमुद संघवी चावरे, स्वेता सिंह, पूर्णिमा मिश्रा, मीमांसा मल्लिक, अंजना ओम कश्यप, नेहा बाथम, मिनाक्षी कंडवाल आदि महिला पत्रकारों के आने से देश के हर लड़की को अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है।

महिला पत्रकारिता की सार्थकता महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है, क्योंकि नारी स्वातंर्त्र्य और समानता के इस युग में भी आधी दुनिया से जुड़े ऐसे अनेक पहलू हैं, जिनके महत्व को देखते हुए महिला पत्रकारिता की अलग विधा की जरूरत महसूस की जा रही है।

## बाल पत्रकारिता

एक समय था, जब बच्चों को परीकथाओं, लोककथाओं पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक कथाओं के माध्यम से बहलाने, फुसलाने के साथ-साथ उनका ज्ञानवर्धन किया जाता था। इन कथाओं का बच्चों के चारित्रिक विकास पर भी गहरा प्रभाव होता था, लेकिन आज संचार क्रांति के इस युग में बच्चों के लिए सूचनातंत्र काफी विस्तृत और अनंत हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट तक पहुंच ने उनके बाल मन स्वभाव के अनुसार जिज्ञासा को असीमित बना

दिया है। ऐसे में इस बात की आशंका और गुंजाइश बनी रहती है कि बच्चों तक वे सूचनाएं भी पहुंच सकती है, जिससे उनके बालमन के भटकाव भी संभव है। ऐसी स्थिति में बाल पत्रकारिता की सार्थक सोच बच्चों को सही दिशा की और अग्रसर कर सकती है। क्योंकि बाल मन स्वभावतः जिज्ञासु और सरल होता है, जीवन की यह वह अवस्था है, जिसमें बच्चा अपने माता-पिता, शिक्षक और चारों तरफ के परिवेश से ही सीखता है। बच्चे पर किसी भी घटना या सूचना की अमिट छाप पड़ती है। बच्चे के आस-पास का परिवेश उसके व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे में उसे सही दिशा दिखाने का काम पत्रकारिता ही कर सकता है। इसलिए बाल पत्रकारिता की महसूस की जाती है।

## आर्थिक पत्रकारिता

आर्थिक पत्रकारिता में व्यक्तियों संस्थानों राज्यों या देशों के बीच होने वाले आर्थिक या व्यापारिक संबंध के गुण-दोषों की समीक्षा और विवेचन की जाती है। जिस प्रकार आमतौर पर पत्रकारिता का उद्देश्य किसी भी व्यवस्था के गुण दोषों को व्यापक आधार पर प्रचारित प्रसारित करना है, ठीक उसी तरह आर्थिक पत्रकारिता अर्थ व्यवस्था के हर पहलू पर सूक्ष्म नजर रखते हुए उसका विश्लषेण कर समाज पर पड़ने वाले उसके प्रभावों का प्रचार-प्रसार करना होना चाहिए। दूसरी बात यह भी है कि आर्थिक पत्रकारिता को आर्थिक व्यवस्था और उपभोक्ता के बीच सेतू की भूमिका निभानी पड़ती है।

आर्थिक उदारीकरण और विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापारिक संबंधों ने पूरी दुनिया के आर्थिक परिदृश्य को बहुत ही व्यापक बना दिया है। आज किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था बहुत कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों पर निर्भर हो गई है। दुनिया के किसी कोने में मची आर्थिक हलचल या उथल-पुथल अन्य देशों की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने लगी है। सोने और चादी जैसी बहुमूल्य धातुओं, कच्चे तेल, यूरो, डालर, पांड, येन जैसी मुद्राओं की कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव पूरी दुनिया पड़ने लगी है। कहने का मतलब यह है कि हर देश अपनी अर्थ व्यवस्थाओं के स्वयं नियामक एवं नियंत्रक हों, लेकिन विश्व के आर्थिक हलचलों से अछूते नहीं हैं। पूरा विश्व एक बड़ा बाजार बन गया है। इसलिए उसकी गतिविधियों से देश की अर्थ व्यवस्था निर्धारित होने लगी है। ऐसे में पत्रकारिता एक प्रमुख भूमिका निर्वाह कर रही है। उस पर एक बड़ी

जिम्मेदारी है कि विश्व की अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का निरंतर विश्लेषण करने के साथ-साथ उसके गुण दोषों के आधार पर एहतियाती उपायों की चर्चा करे। इसमें लेकिन विश्व का आर्थिक परिवेश को जानने समझने की एक बड़ी चुनौती होती है। इयके अलावा कर चोरी, कालाधन और जाली नोट की समस्या को उजागर करना भी एक चुनौती होती है। विकसित और विकासशील देशों में कालाधन सबसे बड़ी चुनौती है। कालाधन भ्रष्टाचार से उपजता है और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देता है। भ्रष्टाचार देश के विकास में बाधक बनती है। इसलिए आर्थिक पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि कालाधन और आर्थिक अपराधों को उजागर करने वाली खबरों का व्यापक प्रचार प्रसार करे। दूसरी और व्यापार के परंपरागत क्षेत्रों के अलावा रिटेल, बीमा, संचार, विज्ञान एवं तकनीकी व्यापार जैसे आधुनिक क्षेत्रों ने आर्थिक पत्रकारिता को नया आयाम दिया है।

## *ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता*

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमारी अर्थ व्यवस्था काफी कुछ कृषि और कृषि उत्पादों पर निर्भर है। भारत में आज भी लगभग 70 प्रतिशत आबादी गांवों में बसती है। देश के बजट प्रावधानों का बड़ा हिस्सा कृषि एवं ग्रामीण विकास पर खर्च होता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास अधूरा है। ऐसे में आर्थिक पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वह कृषि एवं कृषि आधारित योजनाओं तथा ग्रामीण भारत में चल रहे विकास कार्यक्रम का सटीक आकलन कर तस्वीर पेश करे।

## *विशेषज्ञ पत्रकारिता*

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसलिए पत्रकार को भी विशेषज्ञ बनने की जरूरत पड़ती है। पत्रकारिता में विषय के आधार पर सात प्रमुख क्षेत्र हैं। इसमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, अर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फेशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल हैं। इन क्षेत्रों के समाचार उन विषयों में विशषेज्ञता हासिल किए बिना, देना कठिन हातो है। ऐसे में इन विषयों के

जानकार ही विषय की समस्या, विषय के गुण दोष आदि पर सटिक जानकारी हासिल कर सकता है।

## रेडियो पत्रकारिता

मुद्रण के आविष्कार के बाद संदशों और विचारों को शक्तिशाली और प्रभावी ढंग से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचना मनुष्य का लक्ष्य बन गया। इसी से रेडियो का जन्म हुआ। रेडियो के आविष्कार के जरिए आवाज एक ही समय में असंख्य लोगों तक उनके घरों को पहुंचने लगा। इस प्रकार श्रव्य माध्यम के रूप में जनसंचार को रेडियो ने नये आयाम दिए। आगे चलकर रेडियो को सिनेमा और टेलीविजन और इंटरनेट से कड़ी चुनौतियां मिली, लेकिन रेडियो अपनी विशिष्टता के कारण आगे बढ़ता गया और आज इसका स्थान सुरक्षित है। रेडियो की विशेषता यह है कि यह सार्वजनिक भी है और व्यक्तिगत भी। रेडियो में लचीलापन है, क्योंकि इसे किसी भी स्थान पर किसी भी अवस्था में सुना जा सकता है। दूसरा रोडियो समाचार और सूचना तत्परता से प्रसारित करता है। मौसम संबंधी चेतावनी और प्राकृतिक विपत्तियों के समय रेडियो का यह गुण शक्तिशाली बन पाता है। आज भारत के कोने-कोने में देश की 97 प्रतिशत जनसंख्या रेडियो सुन पा रही है। रेडियो समाचार ने जहां दिन-प्रतिदिन घटित घटनाओं की तुरंत जानकारी का कार्यभार संभाल रखा है, वहीं श्रोताओं के विभिन्न वर्गों के लिए विविध कार्यक्रमों की मदद से सूचना और शिक्षा दी जाती है। जैसे–युवाओं, महिलाओं, बच्चों किसान, गृहिणी, विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग समय में कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस तरह हर वर्ग जोड़े रखने में यह एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया है।

## व्याख्यात्मक पत्रकारिता

पत्रकारिता केवल घटनाओं की सूचना देना नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। पत्रकार इस महत्व को बताने के लिए विभिन्न प्रकार से उसकी व्याख्या करता है। इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे कौन था और किसका हाथ है। इसका परिणाम क्या होगा। इसके प्रभाव से क्या होगा, आदि की व्याख्या की जाती है। साप्ताहिक पत्रिकाओं संपादकीय लेखों में इस तरह किसी घटना की जांच पड़ताल कर व्याख्यात्मक

समाचार पेश किए जाते हैं। टी.वी. चैनलों में तो आजकल यह ट्रेंड बन गया है कि किसी भी छोटी सी छोटी घटनाओं के लिए भी विशेषज्ञ पेनल बिठाकर उसकी सकारात्मक एवं नकारात्मक व्याख्या की जाने लगी है।

## विकास पत्रकारिता

लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है लोगों के लिए शासन लोगों के द्वारा शासन। इस लोकतंत्र में तीन मुख्य स्तंभ हैं। इसमें संसदीय व्यवस्था, शासन व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था। इन तीनों की निगरानी रखता है चौथा स्तंभ-पत्रकारिता। लोकतंत्र का मूल उद्देश्य है लोगों के लिए। शासन द्वारा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए सही ढंग से काम किया जा रहा है या नहीं इसका लेखा-जोखा पेश करने की जिम्मेदारी मीडिया पर है। इसका खासकर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए और भी अहम भूमिका है। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कृषि एवं किसान, सिंचाई, परिवहन, भूखमरी, जनसंख्या बढ़ने प्राकृतिक आपदा जैसी समस्याएं हैं। इन समस्याओं से निपटने, सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं। कोई योजना बनी तो उसका फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा या नहीं या उसे सही ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं उस बारे में पत्रकार विश्लेषण कर समाचार पेश करने से शासक की आंखें खुल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह कि क्या इन सरकारी योजनओं से देश का विकास हो रहा है या नहीं, उसका आकलन करना ही विकास पत्रकारिता का कार्य है। विकास पत्रकारिता के जरिए ही इसमें यथा संभव सुधार लाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

## *संसदीय पत्रकारिता*

लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की प्रमुख भूमिका है। संसदीय व्यवस्था के तहत संसद में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि पहुंचते हैं। बहुमत हासिल करने वाला शासन करता है तो दूसरा विपक्ष में बैठता है। दोनों की अपनी-अपनी अहम भूमिका होती है। इनके द्वारा किए जा रहे कार्य पर नजर रखना पत्रकारिता की अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक कड़ी है, जो जनता एवं नेता के बीच काम करता है। जनता किसी का चुनाव इसलिए करते हैं तो वह लोगों की सुख सुविधा तथा जीवनस्तर सुधारने में कार्य करे, लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि या सरकार अगर अपने मार्ग पर नहीं चलते हैं तो उसको चेताने का

कार्य पत्रकारिता करती है। इनकी गतिविधि, इनके कार्य की निगरानी करने का कार्य पत्रकारिता करती है।

## *टेलीविजन पत्रकारिता*

समाचार पत्र एवं पत्रिका के बाद श्रव्य माध्यम का विकास हुआ और इसके बाद श्रव्य दृश्य माध्यम का विकास हुआ। दूर संचार क्रांति में सेटेलाईट, इंटरनेट के विकास के साथ ही इस माध्यम का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज इसके बिना चलना मुश्किल सा हो गया है। इसे मुख्यत: तीन वर्गों में रखा जा सकता है, जिसमें सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। सूचना में समाचार, सामयिक विषय और जनसंचार उद्‌घोषणाएं आते हैं। मनोरजंन के क्षेत्र में फिल्मों से संबंधित कार्यक्रम, नाटक, धारावाहिक, नृत्य, संगीत तथा मनोरंजन के विविध कार्यक्रम शामिल हैं। इन कार्यक्रमों का प्रमखु उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना है। शिक्षा क्षेत्र में टेलीविजन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पाठ्य-सामग्री पर आधारित और सामान्य ज्ञान पर आधारित दो वर्गों में शैक्षिक कार्यक्रमों को बांटा जा सकता है।

आज उपग्रह के विकास के साथ ही समाचार चैनलों के बीच गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। इसके चलते छोटी सी छोटी घटनाओं का भी लाइव कवरेज होने लगा है।

## *विधि पत्रकारिता*

लोकतंत्र के चार स्तंभ में विधि व्यवस्था की भूमिका महत्वपूर्ण है। नए कानून, उनके अनुपालन और उसके प्रभाव से लोगों को परिचित कराना बहुत ही जरूरी है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधी को सजा देने से लेकर शासन व्यवस्था में अपराध रोकने, लोगों को न्याय प्रदान करना इसका मुख्य कार्य है। इसके लिए निचली अदालत से लेकर उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय तक व्यवस्था है। इसमें रोजाना कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसले सुनाए जाते हैं। कई बड़ी-बड़ी घटनाओं के निर्णय, उसकी सुनवाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इस बारे में लोग जानने की इच्छुक रहते हैं, क्योंकि कुछ मुकदमें ऐसे होते हैं, जिनका प्रभाव समाज, संप्रदाय, प्रदेश एवं देश पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि दबाव के चलते कानून व्यवस्था अपराधी को छोड़कर निर्दोष को सजा तो नहीं दे रही है, इसकी निगरानी भी विधि पत्रकारिता करती है।

## *फोटो पत्रकारिता*

फोटो पत्रकारिता ने छपाई तकनीक के विकास के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया है। कहा जाता है कि जो बात हजार शब्दों में लिखकर नहीं की जा सकती है, वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। दूसरी बात ऐसी घटना, जिसमें सबूत की जरूरत होती है, वैसे समाचारों के साथ फोटो के साथ समाचार पेशा करने से उसका विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

## विज्ञान पत्रकारिता

इक्कीसवीं शताब्दी को विज्ञान का युग कहा गया है। वर्तमान में विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है। इसकी हर जगह पहुँच हो चली है। विज्ञान में हमारी जीवन शैली को बदलकर रख दिया है। वैज्ञानिकों द्वारा रोजाना नई-नई खोज की जा रही है। इसमें कुछ तो जनकल्याणकारी है तो कुछ विध्वंसकारी भी है। जैसे परमाणु की खोज से कई बदलाव ला दिया है, लेकिन इसका विध्वंसकारी पक्ष भी है। इसे परमाणु बम बनाकर उपयोग करने से विध्वंस होगा। इस तरह विज्ञान पत्रकारिता दोनों पक्षों का विश्लेषण कर उसे पेश करने का कार्य करता है। जहां विज्ञान के उपयोग से कैसे जीवन शैली में सुधार आ सकता है तो उसका गलत उपयोग से संसार ध्वंस हो सकता है।

विज्ञान पत्रकारों को विस्तृत तकनीकी और कभी-कभी शब्दजाल को दिलचस्प रिपोर्ट में बदलकर समाचार पाठक दर्शक की समझ के आधार पर प्रस्तुत करना होता है। वैज्ञानिक पत्रकारों को यह निश्चिय करना होगा कि किस वैज्ञानिक घटनाक्रम में विस्तृत सूचना की योग्यता है। साथ ही वैज्ञानिक समुदाय के भीतर होने वाले विवादों को बिना पक्षपात के और तथ्यों के साथ पेश करना चाहिए।

## *शैक्षिक पत्रकारिता*

शिक्षा के बिना कुछ भी कल्पना करना संभव नहीं है। पत्रकारिता सभी नई सूचना को लोगों तक पहुंचाकर ज्ञान में वृद्धि करती है, जब से शिक्षा को औपचारिक बनाया गया है, तब से पत्रकारिता का महत्व और बढ़ गया है। जब तक हमें नई सूचना नहीं मिलेगी हमें तब तक अज्ञानता घेर कर रखी रहेगी। उस अज्ञानता को दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम है पत्रकारिता। चाहे वह रेडियो

हो या टेलीविजन या समाचार पत्र या पत्रिकाएं सभी में नई सूचना हमें प्राप्त होती है, जिससे हमें नई शिक्षा मिलती है। एक बात और कि शिक्षित व्यक्ति एक माध्यम में संतुष्ट नहीं होता है। वह अन्य माध्यम को भी देखना चाहता है। यह जिज्ञासा ही पत्रकारिता को बढ़ावा देता है तो पत्रकारिता उसकी जिज्ञासा के अनुरूप शिक्षा एवं ज्ञान प्रदान कर उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करता है। इसे पहुंचाना ही शैक्षिक पत्रकारिता का कार्य है।

## सांस्कृतिक-साहित्यिक पत्रकारिता

मनुष्य में कला, संस्कृति एवं साहित्य की भूमिका निर्विवादित है। मनुष्य में छिपी प्रतिभा, कला चाहे वह किसी भी रूप में हो, उसे देखने से मन को तृप्ति मिलती है। इसलिए मनुष्य हमेशा नई-नई कला, प्रतिभा की खोज में लगा रहता है। इस कला प्रतिभा को उजागर करने का एक सशक्त माध्यम है, पत्रकारिता। कला प्रतिभाओं के बारे में जानकारी रखना, उसके बारे में लोगों को पहुंचाने का काम पत्रकारिता करता है। इस सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण आज कई विलुप्त प्राचीन कला जैसे—लोकनृत्य, लोक संगीत, स्थापत्य कला को खोज निकाला गया है और फिर से जीवित हो उठे हैं। दूसरी ओर भारत जैसे विशाल और बहु सांस्कृति वाले देश में सांस्कृतिक साहित्यिक पत्रकारिता के कारण देश की एक अलग पहचान बन गई है। कुछ आंचलिक लोक नृत्य, लोक संगीत एक अंचल से निकलकर देश, दुनिया तक पहचान बना लिया है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं प्रारंभ से ही नियमित रूप से सांस्कृतिक साहित्यिक कलम को जगह दी है। इसी तरह चैनलों पर भी सांस्कृतिक, साहित्यिक समाचारों का चलन बढ़ा है। एक अध्ययन के अनुसार दर्शकों के एक वर्ग ने अपराध व राजनीति के समाचार कार्यक्रमों से कहीं अधिक अपनी सांस्कृति से जुड़े समाचारों व समाचार कार्यक्रमों से जुड़ना पसंद किया है। साहित्य व सांस्कृति पर उपभेक्तावादी सांस्कृति व बाजार का प्रहार देखकर केन्द्र व प्रदेश की सरकारें बहुत बड़ा बजट इन्हें संरक्षित करने व प्रचारित प्रसारित करने में खर्च कर रही है। साहित्य एव सांस्कृति के नाम पर चलने वाली बड़ी-बड़ी साहित्यिक व संस्कृतिक संस्थाओं के बीच वाद प्रतिवाद, आरोप-प्रत्यारोप और गुटबाजी ने साहित्य संस्कृति में मसाला समाचारों की संभावनाओं को बहुत बढ़ाया है।

## *अपराध पत्रकारिता*

राजनीतिक समाचार के बाद अपराध समाचार ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत से पाठकों व दर्शको को अपराध समाचार जानने की भूख होती है। इसी भूख को शांत करने के लिए ही समाचार पत्रों व चैनलों में अपराध डायरी, सनसनी, वारदात, क्राइम फाइल जैसे–समाचार कार्यक्रम प्रकाशित एवं प्रसारित किए जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार किसी समाचार पत्र में लगभग पैंतीस प्रतिशत समाचार अपराध से जुड़े हाते हैं। इसी से अपराध पत्रकारिता को बल मिला है। दूसरी बात यह कि अपराधिक घटनाओं का सीधा संबंध व्यक्ति, समाज, संप्रदाय, धर्म और देश से हाता है। अपराधिक घटनाओं का प्रभाव व्यापक हाता है। यही कारण है कि समाचार संगठन बड़े पाठक दर्शक वर्ग का ख्याल रखते हुए इस पर विशेष फोकस करते हैं।

## *राजनैतिक पत्रकारिता*

समाचार पत्रों में सबसे अधिक पढ़े जाने वाले और चैनलों पर सर्वाधिक देखे सुने जाने वाले समाचार राजनीति से जुड़े होते हैं। राजनीति की उठा पटक, लटके–झटके, आरोप–प्रत्यारोप, रोचक–रोमांचक, झूठ–सच, आना–जाना आदि से जुड़े समाचार सुर्खियों में होते हैं। राजनीति से जुड़े समाचारों का पूरा का पूरा बाजार विकसित हो चुका है। राजनीतिक समाचारों के बाजार में समाचार पत्र और समाचार चैनल अपने उपभोक्ताओं को रिझाने के लिए नित नये प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। चुनाव के मौसम में तो प्रयोगों की झड़ी लग जाती है और हर कोई एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकल जाने की होड़ में शामिल हो जाता है। राजनीतिक समाचारों की प्रस्तुति में पहले से अधिक बेबाकी आयी है। लोकतंत्र की दुहाई के साथ जीवन के लगभग हर क्षेत्र में राजनीति की दखल बढ़ा है और इस कारण राजनीतिक समाचारों की भी संख्या बढ़ी है। ऐसे में इन समाचारों को नजरअंदाज कर जाना संभव नहीं है। राजनीतिक समाचारों की आकर्षक प्रस्तुति लोकप्रिया हासिल करने का बहुत बड़ा साधन बन चुकी है।

# 2

# पत्रकारिता और अनुवाद

पत्रकारिता में अनुवाद की समस्या से परिचय कराने की दृष्टि से प्रस्तुत लेख 'पत्रकारिता और अनुवाद' में समाचार माध्यमों के लिए लिखे जाने वाले समाचारों के अनुवाद की समस्या की चर्चा की गई है। इसके साथ ही पत्रकारिता की भाषा के अनुवाद, शैली, शीर्षक-उपशीर्षक, मुहावरे एवं लाक्षणिक पदबंधों, पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समस्या और उसके समाधान पर विस्तार से समझा गया है। साथ ही पत्रकारिता में पारिभाषिक शब्दावली के अनुवाद की समस्या और उसके समाधान एवं पारिभाषिक शब्दावाली के कुछ नमूने पर भी सविस्तार से चर्चा की गई है।

## पत्रकारिता और अनुवाद का सामान्य परिचय

यों तो पत्रकार को एकाधिक भाषाओं का ज्ञान होना अपेक्षित होता है, किन्तु भारत के सन्दर्भ में क्षेत्रीय भाषाओं की पत्रकारिता में अनुवाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अत: हिंदी अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा के समाचार पत्र की भाषा के ज्ञान के अतिरिक्त अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसका कारण है कि अभी तक भाषाई पत्र प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पी.टी. आई), यूनाईटेड न्यूज ऑफ इंडिया (यू.एन.आई.) जैसी समाचाए एजेंसियों पर निर्भर हैं। रयटूर आदि विदेशी समाचार एजेंसियों भी अंग्रेज के माध्यम से ही समाचार देती हैं। इसके अतिरिक्त भाषाई पत्रिकाओं को भी बहुत सी रचनाएँ,

बहुत से लेख और फीचर अंग्रेजी में ही प्राप्त हाते हैं। अत: हिंदी भाषाई पत्रकार वास्तव में एक अनुवादक के रूप में ही प्राय: कार्य करता है।

अनुवाद की यह प्रक्रिया एकतरफा नहीं है। हिंदी इलाकों की बहुत सी ऐसी खबरें होती है, जिनका हिंदी से अंग्रेजी में प्रतिदिन अनुवाद किया जाता है। अगर हिंदी एजेंसियां अंग्रेजी अनुवाद करती हैं तो अंग्रेजी एजेंसियां भी हिंदी इलाकों की खबरों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करती हैं। हिंदी एजेंसियों को अनुवाद करना इसलिए मजबूरी है कि हिंदी एजेंसियों के संवाददाता गैर हिंदी इलाकों में नहीं हैं और विदेशों में भी नहीं हैं। किसी इलाके की खबरें सिफ इसलिए हम देने से मना नहीं कर सकते कि वहां हमारा अपना, यानि हिंदी का संवाददाता नहीं है। इसलिए उन इलाकों से अंग्रेजी में आने वाली खबरों का हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है।

## पत्रकारिता में अनुवाद की समस्याएँ

पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद प्रत्येक समय आवश्यकता होती है, किंतु यह विडंबना ही है कि हमारे हिंदी अनुवादकों के पास अनुवाद के लिए अधिक समय नहीं होता है। उन्हें तो दी गई सामग्री का तुरंत अनुवाद और प्रकाशन करना होता है। यह भी चिंतनीय है कि यह समाचार किसी भी विषय से संबद्ध हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि अनुवादक को उस विषय की पूर्ण जानकारी ही हो। इसी प्रकार यह भी संभव है कि कभी-कभी कथ्य का संपूर्णतया अंतर न हो सके, क्योंकि प्रत्येक भाषा का पाठक वर्ग तथा सामाजिक, सांस्कृतिक संदर्भ अलग ही होते हैं। इस प्रकार अनुवादकों के सामने कई समस्या सफल पत्रकारिता के लिए बाधाएँ बनती हैं, जिसमें प्रमुख हैं।

### *भाषा की समस्या*

पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुवाद करते समय सबसे पहले भाषा संरचना की समस्या देखने को मिलते हैं। भाषा के संदर्भ में दो-तीन प्रश्न हमारे सामने उठते हैं-एक पत्रकारिता की भाषा स्वरूप क्या है? क्या पत्रकारिता की भाषा स्वरूप विशिष्ट है? हाँ, अवश्य पर विज्ञान और आयुर्विज्ञान की भाषा के समान न तकनीकी है और न तो अधिक साहित्यिक ही है और न ही सामान्य बोलचाल की भाषा। इसे हम किसी सीमा तक लिखित और औपचारिक भाषा के समकक्ष तथा निश्चित प्रयोजनमूलक स्तर पर से संबद्ध भाषा मान सकते

हैं। हम इसे संपादित शैली में प्रस्तुत भाषा मान सकते हैं, जहां प्रत्येक विषय सुविचरित है, प्रत्येक विषय के लिए निश्चित स्थान, स्तंभ और पृष्ठ हैं। कभी-कभी स्थिति विशेष में पारिभाषिक शब्दों का प्रयागे करना पड़ता है। प्राय: पत्र की भाषा में लोक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली शब्दावाली का प्रायुर्य रहता है। पत्रकारिता की भाषा में सर्वजन सुबोधता तथा प्रयोगधर्मिता का गुण होना आवश्यक है।

प्रत्येक भाषा की निजी संरचना होती है। अनुवादक को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे हिंदी की प्रकृति के अनुकूल और उपर्युक्त पत्रकारिता की भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रखकर अनुवाद करने की चेष्टा करनी चाहिए। जिससे सहजता और स्वाभाविकता बनी रहे। हिंदी में अनुवाद करते समय अंग्रेजी वाक्य रचना का अनुसरण करने की अपेक्षा वाक्य को जटिल तथा अस्पष्ट न बनाकर, उसे दो-तीन छोटे वाक्यों में ताड़ेना अच्छा रहता है। उदाहरण के लिए-

In the pre independence era, Indian newspapers covered only politics, for the majority of them at that time were fighting for country*s freedom।

''स्वातंर्त्र्य-पूर्व युग में, भारतीय समाचार पत्र राजनीतिक चर्चा तक सीमित थे। उनमें से अधिकांश, उस समय देश की स्वतंत्रता के लिए जूझ रहे थे।''

उपर्युक्त उदाहरण में एक दीर्घ वाक्य को दो वाक्यों में तोड़ने से कथन में सौंदर्य और आक्रामकता का समावेश हुआ है।

## *मुहावरों, शैली, लाक्षणिक पदबंधों की समस्या*

प्राय: अनुवादक अंग्रेजी मुहावरों, शैली, लाक्षणिक पदबंधों आदि के समानांतर हिंदी में मुहावरें आदि नहीं ढूंढते। शाब्दिक भ्रष्ट अनुवाद करने के कारण एक अस्वाभाविकता का भाव बना रहता है। उदाहरण के लिए-

- Put him behind the bars&उसे जेल के सीखंचों के पीछे भेज दिया जाए।
- We weres tunned with astonishment-हम आश्चर्य से स्तब्ध रहा।

उपर्युक्त उदाहरणों में हिंदी की स्वाभाविक प्रवृत्ति का हनन करते हुए अंग्रेजी का शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। इससे एक फालतूपन का आभास होता है।

## *पत्रकारिता में साधारण ज्ञान, तुरंत निर्णय की समस्या*

उप संपादकों आदि को रात-भर बैठकर प्राप्त होने वाले समाचारों को साथ-साथ हिंदी में अनूदित करके देना होता है। समय के एक-एक मिनट का इतना हिसाब होता है कि अंग्रेजी में प्राप्त सामग्री में कोई शब्द/अभिव्यक्त समझ न आने पर शब्दकोश/ज्ञानकोश आदि देखने या सोचने का वक्त भी प्रायः नहीं होता, किंतु पत्रकार बहुत कुशल अनुवादक होते हैं, एकदम नए शब्द का भाव समझकर ही वे काफी अच्छे हिंदी समानक दे देते हैं और वही हिंदी समानक या प्रतिशब्द जनता में, पाठकों में चल भी पड़ते हैं, लेकिन कभी-कभी पत्रकार की असावधानी या उसके अज्ञान से अनुवाद में भयकंर भूलें हो जाती है, जैसे-एक बार एक उपसंपादक ने (salt) का अनुवाद 'नमक समझौता' कर दिया, जबकि वहां 'साल्ट' का अर्थ 'नमक' नहीं, बल्कि Strategic Arms Limitation Treaty था। इस प्रकार के अन्य उदाहरण देखा जा सकता है-

Legend of Glory-गौरव गाथा, Limitless-सीमाहीन, Lovely Baby-सलोना शिशु, The Knight of Kabul-काबुल का वीर अतः पत्रकार अनुवादक को साधारण ज्ञान तथा विषय को समझने की क्षमता होना परमावश्यक है।

## शब्द-प्रति-शब्द अनुवाद की समस्या

समाचार पत्रों के अनुवाद में स्वाभाविकता और बोधगम्यता होना बहुत आवश्यक है। यहां अनुवादक के तकनीकी रूप से सही होने से भी काम नहीं चलता-उसका सरल और जानदार होना भी जरूरी है। इस संदर्भ में नवभारत टाइम्स मुंबई के मुख्य संवाददाता श्रीलाल मिश्र का कहना है-प्रायः यह देखा गया है कि कुछ उप संपादक अनुवाद का ढांचा तैयार करते हैं। शब्दकोश से शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। येन केन प्रकारेण व एक वाक्य तैयार कर देते हैं। तकनीकी दृष्टि से उनका अनुवाद प्रायः सही भी रहता है। उसे सही अनुवाद की संज्ञा दी जा सकती है, लेकिन उनमें जान नहीं रहती है। वाक्य सही भी होता है, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता है। हिंदी पत्रकारों द्वारा हुए निम्नलिखित गलत अनुवादों के असर का अनुमान लगातार समझा जा सकता है-

- Twentieth Century Fox-बीसवीं शताब्दी की लोमड़ी एक विदेशी फिल्म कंपनी का नाम

- Topless Dress–शिखरहीन पोशाक (नग्न वक्ष)।
- Call Money–मंगनी का रुपया (शीघ्रावधि राशि)।
- Informal visit–गैर रस्मी मुलाकात (अनौपचारिक भेटं)।
- Railway Gard–रेलवे के पहरेदार।
- Flowery Language–मुस्कुराती हुई भाषा (सजीली भाषा/औपचारिक भाषा)।

यहां एक बात और उल्लेखनीय है कि जहां तक हो सके अप्रचलित शब्दों के व्यवहार से बचना चाहिए जैसे—इें के लिए 'विद्रधि' के स्थान पर 'फोड़ा' ही ठीक है, appendix को 'उडुकपुछ' करने के बदल अप्रचलित शब्द लाने की अपेक्षा इन्हें हिंदी में ध्वनि अनुकूल द्वारा भी राखा जा सकता है।

## *शैली की समस्या*

समाचार पत्रों में विषय के अनुसार समाचारों की पृथक-पृथक शैलियां होना स्वाभाविक है, जैसे कि अंग्रेजी पत्रो में होता ही है, किंतु भारतीय भाषाओं के पत्रों का पाठक विषय के अनुसार भाषा की गूढता को प्राय: अस्वीकार करके सरल भाषा को ही स्वीकार करता है। अत: पत्रकारों को गढ़ू –से–गढ़ू विषय के समाचार फीचर आदि भी सरलतम भाषा में अनूदित करने पड़ते हैं। यह कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे किसी 8–10 साल के बच्चे को उसकी भाषा में न्यूक्लीयर विखंडन की पूर्ण प्रक्रिया समझाना पड़े। अत: सरल शैली की समस्या भी अनुवाद की एक प्रमुख समस्या बन जाती है।

## *शीर्षक-उपशीर्षकों आदि की समस्या*

शीर्षकों के अनुवाद में कई तरह की बाधाएँ हैं, जैसे—शीर्षक में उसके लिए पृष्ठ पर रखी गई जगह के अनुसार शब्दों की संख्या का चयन करना पड़ता है। शीर्षक का रोचक/आकर्षक होना तथा विषय की प्रतीति कराने वाला होना आवश्यक है। अतएव शीर्षकों के मामले में शब्दानुवाद या भावानुवाद से भी काम नहीं चलता, बल्कि उनका छायानुवाद का या पुन: सृजन ही करना पड़ता है।

## *पत्रकारिता में पारिभाषिक शब्दावली*

अपने दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में हम भाषा और उसकी शब्दावली का ही प्रयोग करते हैं। अपने सामान्य जीवन को चलाने के लिए हम जिन शब्दों का

प्रयोग करते हैं उनमें प्राय: भाषा के सारे स्वर, व्यंजन तथा संज्ञा आदि शब्द आ जाते हैं। यह भाषा का सामान्य रूप है, किंतु भाषा के कुछ ऐसे शब्द भी हैं, जो इन सामान्य शब्दों से भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को मोटे रूम से दो वर्गों में रखा जाता है–1.पारिभाषिक 2.अर्ध पारिभाषिक। बृहत् हिंदी शब्दकोश में पारिभाषिक शब्दावली की परिभाषा इस प्रकार की गई है–जिसका प्रयोग किसी विशिष्ट अर्थ में किया जाए, जो कोई विशिष्ट अर्थ सूचित करे, उसे पारिभाषिक कहते हैं तथा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों की सूची को 'पारिभाषिक शब्दावली' कहते हैं। इस तरह पारिभाषिक शब्द वह शब्द है, जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है। चूंकि हमारी पारिभाषिक शब्दावली बहुत कुछ अंग्रेजी पर आधारित है अत: अंग्रेजी की शब्द संपदा पर कुछ विचार करना चाहिए। पिछले सौ–डेढ सौ वर्षों में अंग्रेजी के शब्द भंडार में लगभग 90–95 प्रतिशत अंश तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दों का ही रहा है। प्रत्येक वर्ष अंग्रेजी के 10–15 हजार शब्द प्रचलन से बाहर हो जाते हैं और 20–25 हजार नए शब्द जुड़ जाते हैं। यह जोड़–घटाव भी मुख्यत: पारिभाषिक शब्दों का होता है और इन सभी अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी में सम शब्दों का निर्धारण नहीं हुआ है।

जहां तक पत्रकारिता की बात है पत्रकारिता का कार्य है, इसके जरिए लोगों को समसामयिक घटना एवं विचार आदि के बारे में लोगों को सूचित करना है। इसके अलावा विभिन्न विषय पर शिक्षा देना, लोगों का मनारेंजन करना, लोकतंत्र की रक्षा करना और जनमत है। ऐसे में इन विषयों की अभिव्यक्ति के लिए पारिभाषिक शब्द बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात यह है कि समाचार पत्र पढ़ते समय या टेलीविजन देखते समय या रेडियो सुनते समय कोई शब्दकोष लेकर नहीं बैठता है। पाठकदर्शक/श्रोता सुबह की चाय के साथ, सफर के दौरान या कहीं समय व्यतीत कर रहा हो देश दुनियाकी खबरों को समझना एवं जानना चाहता है। तीसरी बात यह है कि समाचार पत्र–पत्रिकाओं तथा टी.वी. के पाठकद्धर्शक बच्चे से लेकर बुढ़े तथा साक्षर से लेकर बुद्धीजीवी तक के लिए होता है। ऐसे में पाठक वर्ग को समझ में आए, उस तरह की भाषा, शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। यदि अर्थ निश्चित नहीं होगा तो उसका प्रयोक्ता उसे एक अर्थ में प्रयुक्त करेगा और श्रोता या पाठक उसे दूसरे अर्थ में लेगा।

## पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

पत्रकारिता का कार्य रोजाना देश-दुनिया में घटित घटनाओं, आंदोलन, घोटाला, आविष्कार, विभिन्न समस्या अपने कलेवर में लिए हुए रहते हैं तो यह निश्चित है कि इसमें सभी प्रकार की चीजें आ जाती है। इसके साथ ही कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं, जो अपनी विशिष्टता लिए हुए रहते हैं। इसमें कोई आंचलिक शब्द हो सकता है, कोई ज्ञान-विज्ञान के शब्द हो सकता है, कार्यालयीन शब्द हो सकता है, इतिहास से संबंधित हो सकता है। इन शब्दों को पाठकों के सामने रखना पत्रकार के लिए चुनौती होती है। ऐसे शब्दों का हिंदी में अनुवाद करके रखा जाए या उसे ऐसे ही लिप्यंतरण कर दिया जाए या उसके लिए कोई नया शब्द गढ़ लिया जाए। पत्रकार को यह भी ध्यान रखना होता है कि ऐसे शब्द के मायने क्या हैं, क्योंकि यह सीधे समाज के लोगों तक पहुंचता है। दूसरी बात यह होता है कि पत्रकार को समाचार लिखते समय इतना समय नहीं होता है कि वह इस बारे में शब्दकोश का सहारा ले या विभिन्न विशेषज्ञों से पूछताछ करके कोई ठोस निर्णय लिया जाए।

### *पारिभाषिक शब्द की विशेषताएँ-*

पारिभाषिक शब्दों में निम्नलिखित विशेषताएँ अपेक्षित हैं-

**उच्चरण**-पारिभाषिक शब्द उच्चारण की दृष्टि से सुविधाजनक होना चाहिए।

**अर्थ**-पारिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित परिधि से युक्त तथा स्पष्ट होना चाहिए, साथ ही विज्ञान या शास्त्र विशेष में एक संकल्प अथवा वस्तु आदि के लिए एक ही पारिभाषिक शब्द होना चाहिए एवं प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए।

**लघुता**-यथासंभव पारिभाषिक शब्दों का आकार छोटा होना चाहिए, ताकि प्रयोक्ता को सुविधा रहे। शब्द व्याख्यात्मक हो, इसके बजाय उसका पारदर्शी होना बेहतर है।

**उर्बरता**-पारिभाषिक शब्द उर्वर होना चाहिए अर्थात उसे ऐसा बनाए जा सकें यथा Fertile, Fertility, Fertilizer आदि या उर्वर, उर्वरकता, उर्वरक अति उर्वर आदि।

**रूप**–एक श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में रूप साम्य होना चाहिए जैसे–Science, Scientific, Scientist आदि अथवा विशेषज्ञों के नाम–Scientist, Cytologist, Botanist, Cardiologist, Dramatist आदि।

**प्रसार योग्यता**–भारत और हिंदी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्दों में यह योग्यता भी अपेक्षित है कि वे भारत के अन्य भाषा–भाषियों में प्रसार पा सकें और उन्हें ग्राह्य हो।

**सीमा में बंधा हुआ शब्द**–इसकी परिभाषा से ही स्पष्ट है कि ज्ञान–विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में निश्चित अर्थों में परिभाषा की सीमा में बंधा हुआ शब्द है।

**अर्थ संकोच**–अर्थ की दृष्टि से देखें तो प्राय: अधिकांश पारिभाषिक शब्द अर्थ संकोच से बनते हैं।

**त्रिविधता**–प्रयोग के आधार की दृष्टि से देखें तो पारिभाषिक शब्दावली के स्वरूप में त्रिविधता पाई जाती है। अर्थात कुछ पूर्ण पारिभाषिक, कुछ अर्ध पारिभाषिक और कुछ कभी–कभी पारिभाषिक के रूप में प्रयुक्त थे।

**विषय विशेष की संकल्पना**–विषय की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द विषय विशेष की संकल्पनाओं के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे–ऑक्सीजन, विरेचन, कार्बन आदि।

**वर्ण संकर**–इतिहास और स्रोत की दृष्टि से पारिभाषिक शब्दावली वर्ण संकर होती है।

## निर्माण के सिद्धांत

भारत में पारिभाषिक शब्दावली पर सर्वप्रथम डा. रघुवीर ने ही व्यवस्थित, पूर्ण वैज्ञानिक एवं विशद रूप से विचार एवं कार्य किया। डा. रघुवीर का कहना है कि पारिभाषिक शब्दों का नियम है कि जितने शब्द, अंग्रेजी में हो, उतने ही हिंदी में भी होने चाहिए, उससे कम में काम नहीं चलेगा। इस विचार से असहमत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। विज्ञान आदि अनेक विषयों में यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान का अनुसरण करने की मजबूरी और पुरानी अंग्रेजी दासता के परिप्रेक्ष्य में कम से कम अंग्रेजी भाषा के प्रत्येक पारिभाषिक शब्द का समानक तो हिंदी को लाना ही पड़ेगा। यहां तक तो ठीक है, किंतु इसके आगे प्रश्न उठता है कि इन शब्दों को कहां से लाए जाए और उनका स्रोत तथा स्वरूप कैसा हो? इस प्रश्न पर पिछले कई दशकों में विद्वानों का मतैक्य नहीं रहा। पारिभाषिक

शब्दों के स्वरूप, स्रोत और निर्माण संबंधी विचारधाराओं में निम्नलिखित प्रमुख रही–

**1. पुनरुद्धारवादीध्शुद्धतावादी विचारधारा**–कुछ विद्वान ऐसे हैं, जो भारतीय भाषाओं की सारी की सारी पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत से लेने के पक्ष में हैं। वे यथासंभव अधिक से अधिक शब्दों को प्राचीन संस्कृत वांङ्मय से लेना चाहते हैं। इस संदर्भ में डा. रघुवीर का मानना है कि जो पारदर्शिता हिंदी के शब्दों में है, वह संसार की किसी और भाषा में नहीं है तथा संस्कृत में उपलब्ध 20 उपसर्गों, 500 धातुओं और 80 प्रत्ययों की सहायता से लाखों करोड़ों शब्द बनाए जा सकते हैं। उनके अनुसार भारतीय भाषाओं का आधार भाषा संस्कृत है। यदि हम चाहते हैं कि सभी भाषाओं के पारिभाषिक शब्द एक जैसे हों तो वह संस्कृत से ही हो सकते हैं। इसके विरुद्ध यह बात सामने आ सकती है कि यह अतिवादी हैं। विदेशी या अन्य भाषा के शब्दों को आज पूर्णतया बहिष्कृत करना संभव नहीं है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं, जिनका संस्कृत या हिंदी में कुछ पर्याय नहीं है। जैसे–स्टेशन। इन विद्वानों द्वारा जो पारिभाषिक शब्दावली तैयार की गई है कठिन है। जैसे-रेल-संयान, टिकट-संयान पत्र, रिक्शा-नरयान, मिल-निर्माणी आदि। ऐसे अनुवाद हास्यास्पद हो गई है। कहीं–कहीं पर इसका जड़ अनुवाद हो गया है जैसे-पी.एच.डी. के लिए महाविज्ञ और रीडर के लिए प्रवाचक आदि।

**2. शब्दग्रहणवादी विचारधारा**–इस सिद्धांत को अपनाने वालों को स्वीकारवादी, अंतर्राष्ट्रीयवादी या आदानवादी कहते हैं। अधिकांश अंग्रेजी परंपरा के लोग इसी पक्ष में हैं। इनका मानना है कि अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का प्रचार विश्व में सर्वाधिक है अतः उससे परिचित होने पर हमारे विज्ञान या शास्त्रवेत्ताओं को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित साहित्य को समझने में आसानी होगी। दूसरी बात, इसे अपनाने से नई पारिभाषिक शब्दावली बनाने और उसके मानक रूप की समस्या समाप्त हो जाती है। तीसरी बात, नए शब्द विभिन्न विज्ञानों में हमेशा आते रहेंगे तो फिर कब तक देशी स्रोतों को खोजते रहेंगे। इसके विरुद्ध यह बात कही जा सकती है कि यह शब्दावली सर्वत्र नहीं अपनाई गई है। दूसरा, अंग्रेजी के सारे पारिभाषिक शब्द हिंदी नहीं पचा पाती है। वस्तुतः कोई भी भाषा किसी दूसरी भाषा के सारे के सारे शब्द पचा नहीं सकती। तीसरा, गृहित शब्द अर्धमृत होते हैं, क्योंकि उनमें जनन शक्ति या तो बहुत कम होती है, या बिल्कुल नहीं होती। इसको मानने वाले अंग्रेजी शब्दों को ज्यों का त्यों लेना

चाहते हैं जैसे-एकेडमी, इंटेरिम, टैकनीक, कमेडी आदि। कुछ लोग ध्वनि व्यवस्था के अनुरूप अनुवाद करना चाहते हैं जैसे-अकादमी, अंतरिम, तकनीक, कामदी आदि।

**3. प्रयोगवादी विचारधारा**-तीसरा सिद्धांत को मानने वाले हैं प्रयोगवादी या हिन्दुस्तानी। इसको मानने वाले हिंदी-उर्दू के समन्वय तथा सरल शब्दावली के नाम पर बोलचाल के शब्दों, संस्कृत शब्दों तथा अरबी-फारसी शब्दों की खिचड़ी से ऐसे शब्द बनाए हैं, जो बड़े हास्यास्पद हैं। जैसे-Recation-पलटकारी, Emergency-अचानकी, President-राजपति, Government-शासनिया आदि। इनका प्रयोग एक तो हास्यास्पद लगे तो इसमें गंभीरता नजर नहीं आई।

**4. लोकवादी विचारधारा**-इस तरह के मानने वाले या तो जनता से शब्द ग्रहण किए हैं या जन प्रचलित शब्दों के योग से शब्द बनाने के पक्षधर हैं। जैसे—Defector-दलबदलू, आयाराम गयाराम, Maternity Home-जच्चा बच्चा घर, Power House-बिजली घर आदि। इस प्रकार के अनुवाद हिंदी के प्रकृति के अनुरूप तो है, लेकिन हिंदी के लिए सभी प्रकार के पारिभाषिक शब्द नहीं जुटाए जा सकते हैं। तो इससे भी पूरी तरह काम नहीं चल सकता है।

**5. मध्यमार्गी विचारधारा**-इस सिद्धांत को अपनाने वालों को समन्वयवादी भी कहा जा सकता है, जो भी इस विषय पर गंभीतरता से विचार करेगा वह इसका समर्थन करेगा। इस विचार का अनुसरण खासकर सरकारी शब्द निर्माण संस्थानो में किया गया। इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय, अंग्रेजी, संस्कृत, प्राप्त, आधुनिक भाषाओं के प्राचीन, मध्यकालीन साहित्य, सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा बोलियों के समन्वय से नए शब्द निर्माण किया जा सकता है। इनका मानन है कि-यथा संभव अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को लिया जाए, जो अपने मूल रूप में चल रहे हैं, उन्हें वैसा ही लें या जिसमें ध्वनि परिवर्तन की आवश्यकता है, उसे बदलें दूसरा, अंग्रेजी के लंबे समय तक संपर्क में रहने के कारण हमारे काफी निकट है, जो अंग्रेजी शब्द हमारी भाषा में प्रचलित हैं, उन्हें चलने दिया जाए। तीसरा, प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य से भी चलने वाले तथा सभी दृष्टियों से सटीक शब्दों को लिया जा सकता है। चौथा, शब्दावली में अखिल भारतीयता का गुण लाने के लिए यह उचित होगा कि विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा बोलियों में पाए जाने वाले उपयुक्त शब्दों को भी यथासभंव ग्रहण कर लिया जाए। पांचवां, शेष आवश्यक शब्दावली के लिए हमारे पास नए शब्द बनाते समय साधारणतः हमें इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि शब्द की व्युत्पत्ति मूलतः क्या है,

बल्कि हमें उसके वर्तमान प्रयोग और अर्थ देखना चाहिए। उस स्थिति में हमारे लिए मूल शब्दार्थ की अपेक्षा, वर्तमान शब्दार्थ ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग एवं केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने भी अपनी शब्दावलियों के निर्माण में उपर्युक्त विचारधारा को अपनया है।

## *पारिभाशिक शब्दावली के अनुवाद में समस्या का समाधान*

ऐसे में इसका कुछ समाधान के लिए भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-351 और राष्ट्रपति के 2 अप्रैल 1960 के आदेश के अनुसार अक्टूबर 1961 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। इसे तब तक निर्मित शब्दावली के समन्वय, शब्दावली निर्माण के सिद्धान्तों के निर्धारण, वैज्ञानिक तथा तकनीकी कोशों के निर्माण और आयोग द्वारा तैयार/अनुमोदित नई शब्दावली का उपयागे करते हुए मानक वैज्ञानिक पाठ्य-पुस्तकों का मौलिक लेखन और अनुवाद का काम सौंपा गया। आयोग द्वारा कुछ नियम स्वीकृत और प्रतिपादित किए गए हैं, जो इस प्रकार है-

अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को यथा संभव उनके प्रचलित अंग्रेजी रूपों में अपनाना चाहिए और हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं की प्रकृति के अनुसार ही उनका लिप्यांतरण करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं-

(क) तत्वों और यौगिकों के नाम जैसे—हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन आदि।

(ख) तौल और माप की इकाइयों और भौतिक परिमाण की इकाइयों जैसे-कैलोरी, ऐम्पियर आदि।

(ग) ऐसे शब्द जो व्यक्तियों के नाम पर बनाए गए हैं जैसे-वोल्ट के नाम पर वोल्टामीटर आदि।

(घ) वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, भू-विज्ञान आदि की द्विपदी नामावली।

जैसे-Mangifera indica

(ड) स्थिरांक जैसे—द, ह आदि।

(च) ऐसे अन्य शब्द जो आमतौर पर सारे संसार में प्रयोग हो रहा है, जैसे-रेडियो, पेट्रोल, रेडार, इलेक्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान आदि।

प्रतीक, रोमन लिपि में अंतर्राष्ट्रीय रूप में ही रखे जाएंगे, परंतु संक्षित रूप नागरी और मानक रूपों में भी लिखा जा सकता है। जैसे-सेंटीमीटर का प्रतीक cm हिंदी में भी ऐसे ही प्रयुक्त होगा, परंतु इसका नागरी संक्षित रूप सी.एम. हो सकता है।

ज्यामितीय आकृतियों में भारतीय लिपियों के अक्षर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, जैसे-अ, ब, स, क, ख, ग, परंतु त्रिकोणमितीय संबंधों में केवल रोमन अथवा ग्रीक अक्षर ही प्रयुक्त करने चाहिए जैस-साइन।, कास B आदि।

संकल्पनाओं को व्यक्त करने वाले शब्दों का सामान्यतः अनुवाद किया जाना चाहिए। हिंदी पर्यायों का चुनाव करते समय सरलता, अर्थ की परिशुद्धता और सुबोधता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुधार विरोधी और विशुद्धतावादी प्रवृतित्तयों से बचना चाहिए।

सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों में यथासंभव अधिकाधिक एकरूपता लाना ही इसका उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए ऐसे शब्द अपनाने चाहिए जो-(अ) अधिक से अधिक प्रादेशिक भाषाओं में प्रयुक्त होते हों और (इ) सस्कृत धातुओं पर आधारित हो

ऐसे दशी शब्द जो सामान्य प्रयोग के वैज्ञानिक शब्दों के स्थान पर हमारी भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे–telegraph, telegram के लिए तार continent के लिए महाद्वीप, जवउ के लिए परमाणु आदि। यह सब इसी रूप में व्यवहार किए जाने चाहिए

अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि भाषाओं के ऐसे विदेशी शब्द जो भातीय भाषाओं में प्रचलित हो गए हैं, जैसे–इंजन, मशीन, लावा, मीटर, लीटर, प्रिज्म, टार्च आदि इसी रूप में अपनाए जाने चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय शब्दों का देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण-इस समस्या पर विस्तार से लिखा जा रहा है।

**लिंग**-हिंदी में अपनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को, अन्यथा कारण न होने पर पुलिंग रूप में ही प्रयुक्त करना चाहिए।

**संकर शब्द**-वैज्ञानिक शब्दावली में संकर शब्द, जैसे-प्वदप्रंजपवद के लिए आयनीकरण, टवसजंहम के लिए वोल्टता, ringhstand के लिए वलयस्टैंड, saponifier के लिए साबुनीकरण आदि के सामान्य और प्राकृतिक भाषा शास्त्रीय क्रिया के अनुसार बनाए गए हैं और ऐसे शब्द रूपो को वैज्ञानिक

शब्दावली की आवश्यकताओ, यथा सुबोधता, उपर्या गता और संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए व्यवहार में लाना चाहिए।

**वैज्ञानिक शब्दों में संधि और समास**–कठिन संधियों का यथासंभव कम से कम प्रयागे करना चाहिए और संयुक्त शब्दों के लिए दो शब्दों के बीच 'हाइफन' लगा देना चाहिए। इससे नई शब्द रचनाओं की सरला ओर शीघ्रता से समझने में सहायता मिलेगी।

**हलंत**–नए अपनाए हुए शब्दों में आवश्यकतानुसार हलंत का प्रयागे करके उन्हें सही रूप में लिखना चाहिए।

**पंचम वर्ण का प्रयोग**–पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए, परंतु lenss, patent आदि शब्दों का लिप्यंतरण लेंस, पेटेंट या पेटेण्ट न करके लेन्स, पेटेन्ट ही करना चाहिए।

# 3

# पत्रकारिता के उद्देश्य

पत्रिकाओं में सदा से ही समाज को प्रभावित करने की क्षमता रही है। समाज में जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा और जो होना चाहिए, यानी जिस परिवर्तन की जरूरत है, इन सब पर पत्रकार को नजर रखनी होती है। आज समाज में पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ गया है। इसलिए उसके सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व भी बढ़ गए हैं। पत्रकारिता का उद्देश्य सच्ची घटनाओं पर प्रकाश डालना है, वास्तविकताओं को सामने लाना है। इसके बावजूद यह आशा की जाती है कि वह इस तरह काम करे कि 'बहुजन हिताय' की भावना सिद्ध हो।

**महात्मा गांधी के अनुसार–**'पत्रकारिता के तीन उद्देश्य हैं–पहला जनता की इच्छाओं, विचारों को समझना और उन्हें व्यक्त करना है। दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाएं जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को नष्ट करना है। गांधी जी ने पत्रकारिता के जो उद्देश्य बताए हैं, उन पर गौर करें तो प्रतीत होता है कि पत्रकारिता का वही काम है, जो किसी समाज सुधारक का हो सकता है।

पत्रकारिता नई जानकारी देता है, लेकिन इतने से संतुष्ट नहीं होता, वह घटनाओं, नई बातों नई जानकारियों की व्याख्या करने का प्रयास भी करता है। घटनाओं का कारण, प्रतिक्रियाएं, उनकी अच्छाई बुराइयों की विवेचना भी करता है।

**पूर्व राष्ट्रपति शंकरदयाल शर्मा के अनुसार**–पत्रकारिता पेशा नहीं, यह जनसेवा का माध्यम है। लोकतांत्रिक परम्पराओ की रक्षा करने शांति और भाईचारे की भावना बढ़ाने में इसकी भूमिका है।

समाज के विस्तृत क्षेत्र के संदर्भ में पत्रकारिता के निम्नलिखित उद्देश्य व दायित्व बताये जा सकते है–

- नई जानकारियां उपलब्ध कराना,
- सामाजिक जनमत को अभिव्यक्ति देना,
- समाज को उचित दिशा निर्देश देना,
- स्वस्थ मनोरंजन की सामग्री देना,
- सामाजिक कुरीतियों को मिटाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाना,
- धार्मिक सांस्कृतिक पक्षों का निष्पक्ष विवेचन करना,
- सामान्यजन को उनके अधिकार समझाना,
- कृषि जगत व उद्योग जगत की उपलब्धियां जनता के सामने लाना,
- सरकारी नीतियों का विश्लेषण और प्रसारण,
- स्वास्थ्य जगत के प्रति लोगों को सतर्क करना,
- सर्वधर्म समभाव को पुष्ट करना,
- संकटकालीन स्थितियों में राष्ट्र का मनोबल बढ़ाना,
- वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का प्रसार करना।

समाज में मानव मूल्यों की स्थापना के साथ जन–जीवन को विकासोन्मुख बनाना पत्रकारिता का दायित्व है। पत्रकारिता के सामाजिक और व्यावसायिक उत्तरदायित्व के अनेकानेक आयाम हैं। अपने इन उत्तरदात्वि का निर्वाह करने के लिए पत्रकार का एक हाथ हमेशा समाज की नब्ज पर होता है।

## विकास पत्रकारिता' समय की मांग

डा. ब्रजेश पति त्रिपाठी/विकास के क्षेत्र में सूचना का सबसे अधिक महत्व होता है। किसी क्षेत्र का विकास सूचना के बिना संभव नहीं है। कहां किसे क्या आवश्यकता है? कितनी आवश्यकता है? कैसे उस आवश्यकता की पूर्ति की जाय? विकास के लिए किन–किन बातों का जानना जरूरी है? कौन–कौन से सामान या तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, वे सभी चीजें सूचना के माध्यम से ही सोचा, समझा और जाना जा सकता है। विकास पत्रकारिता उसी प्रक्रिया

को कहते हैं, जो लोगों को सभी आवश्यक सूचना देकर विकास को गति प्रदान करते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पूरी दुनिया में आर्थिक-सामाजिक विकास की दिशा में चेतना बढ़ी है। 1950 से पहले विकास मुख्य रूप से आर्थिक बिन्दुओं के इर्द-गिर्द घूमते नजर आते थे, लेकिन 1950 के बाद विकास में आर्थिक बिन्दु के साथ-साथ सामाजिक भी जुड़ गयी। इसी के साथ विकास का अर्थ आर्थिक विकास नहीं रहकर इसमें समाज के सामाजिक, भौतिक विकास संबंधी पक्षों को भी सम्मिलित किया गया। स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा आदि क्षेत्रों का महत्व भी धीरे-धीरे विकास के दायरे में आता चला गया, फिर भी सभी पक्षों की तुलना में आज भी आर्थिक पक्ष ही विकास प्रक्रिया पर अधिक हावी रहा है। विकास की गति को बढ़ाने की आवश्यकता का मुख्य कारण गरीबी, भूखमरी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास संबंधी समस्याओं का होना है।

मनुष्य की आवश्यक आवश्यकताएं आखिर क्या है। इस पर अनेक बार अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में विकसित व विकासशील देशों के बीच अच्छी खासी बहस हुई। आवश्यक आवश्यकताएं को ही हम मूल आवश्यकता भी कहते हैं। आवश्यक आवश्यकता वह है, जो व्यक्ति में रचनात्मकता प्रदान करने के लिए स्वस्थ वातावरण पैदा करें, आत्मनिर्भर बनाये और व्यक्ति स्वयं को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र महसूस करे। इसीलिए विकास ऐसा होना चाहिए, जिससे व्यक्ति और समाज का समग्र विकास हो।

विकास क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए गरीबी के अर्थशास्त्र के साथ-साथ गरीबी का भूगोल पढ़ना बहुत ही जरूरी है। इस दिशा में विकास पत्रकारिता का विशेष योगदान हो सकता है। अत्यंत गरीब किस क्षेत्र में है? उनकी संख्या क्या है? उनकी गरीबी का कारण क्या है? प्रत्येक क्षेत्र के गरीबी के कारण अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए जब तक उस स्थिति का सही ज्ञान नहीं होगा तब तक उससे निजात नहीं पाया जा सकता है। सामान्यत: अत्यंत गरीब लोग बहुत सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन बहुत से गरीब लोग हमारे आस-पास भी रहते हैं। जिनका प्राय: समाज के सम्पन्न लोगों द्वारा शोषण किया जाता रहा है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें गरीबी के कारण प्राकृतिक संसाधनों से भी वंचित होना पड़ता है। इस प्रकार लोग प्राय: ग्रामीण क्षेत्रों में पाये जाते हैं, जिनकी जमीनें बिक चुकी है और उनके पास गुजर बसर के आवश्यक साधन भी नहीं बचे हैं। इस

स्थिति के लिए अलग सोचने, विचारने और कार्य करने की आवश्यकता है। जिसमें विकास पत्रकारिता का विशेष योगदान संभव है।

विकास प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक जैसा संभव नहीं हो सकता है। किसी क्षेत्र विशेष के विकास कार्य करने से पहले वहां के लोगों के मानस को जानना जरूरी है। लोग क्या सोचते हैं? उनकी मानसिक दशा ऐसी क्या है, जो विकास के प्रति झुकायी जा सकती है? पूरी तरह से अविकसित क्षेत्र में मुख्यत: आदिवासी क्षेत्र आते हैं, जो विकास के प्रति उत्साही नहीं होते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि मानसिक स्थिति के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक दशा के संबंध में भरपूर जानकारी प्राप्त किये बिना विकास के कदम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। इस दायित्व को पत्रकारिता के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादक, संवाददाता वैसे अविकसित क्षेत्रों में जाये, जहां विकास की शुरूआत ही नहीं हुई है अथवा अभी-अभी शुरू हुई है और वहां की सभी पक्षों का अध्ययन करके समाज और सरकार को बतायें कि वहां के लोगों की मूल-भूत आवश्यकताएं क्या हैं? विकास कैसे किया जा सकता है।

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में पत्रकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए लोकतंत्र में पत्रकारिता को चौथा स्तम्भ के रूप में जाना जाता है। वस्तुत: लोकतन्त्र की सफलता बहुत हद तक पत्रकारिता की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजादी के बाद देश में पत्रकारिता के हर विधा में तेजी से प्रगति हुई है। साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में भी काफी वृद्धि हुई है। पत्रकारिता के फैलाव के साथ ही साथ इनके कई क्षेत्रों में ऐसी समस्यायें पैदा हुई, जिसका विश्लेषण करना आवश्यक है। वर्तमान समय में इसकी जरूरत और भी बढ़ गयी है। इस समय सरकार का उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, जबकि वस्तुस्थिति यह है कि भारत एक गरीब देश है। 18वीं शताब्दी से पहले भारत की गणना तत्कालीन विश्व के उन्नत देशों में होती थी। तीन सौ वर्ष बाद इक्कीसवीं सदी की प्रथम दशक में पहुंचते-पहुंचते इसका आर्थिक विकास इतना अधिक पिछड़ गया कि इसकी पहचान एक बेहद गरीब देश के रूप में होने लगी।

एक अकाट्य सत्य यह है कि भारत की एक तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। एक तिहाई आबादी को दो जून का सन्तुलित भोजन भी उपलब्ध

नहीं है। गरीबी का प्रश्न सही अर्थो में बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि देश के सामने सबसे बड़ी समस्या गरीबी व बेरोजगारी है। अगर समय रहते इसका समाधान नहीं हुआ तो विकास की सारी उपलब्धियां बेकार साबित होंगी। यह समस्या जितना सरकार के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही पत्रकारिता के लिए। पत्रकारिता देश में व्याप्त गरीबी और बेरोजगारी को किस रूप में देखती है और जनता के समक्ष इसका विश्लेषण किस रूप में करती है। गरीबी और बेरोजगारी की समस्या के साथ सामाजिक-आर्थिक विकास के सारे महत्वपूर्ण सवाल जुड़े हुए हैं। इसका बेवाक विश्लेषण इस रूप में करना चाहिए कि जनता इसके मर्म को आसानी से समझ सके। वैसे भी जब हम विकास की बात करते हैं तो इस बात पर जोर देते हैं कि इसकी सफलता के लिए जनता की जागरूकता व विकास की प्रक्रिया में इसकी भागीदारी सबसे बड़ी शक्ति होती है, जो विकास के मार्ग में सही दिशा में प्रशस्त करती है। वस्तुतः विकास की समस्याओं को राजनीतिक नारों से नहीं सुलझाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार और पत्रकारिता जगत को अधिक से अधिक संवेदनशील होना चाहिए। तभी जाकर सामाजिक-आर्थिक विकास में गुणात्मक परिवर्तन सम्भव हो सकता है। जनता की भागीदारी और सरकार की नीतियों की पारदर्शिता की समस्या का हल भी विकास पत्रकारिता के रणनीति में शामिल करना होगा। जिसके माध्यम से हम विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं।

सरकार का यह प्रयास रहा है कि विकास-पत्रकारिता का क्षेत्र व्यापक हो। इसी लक्ष्य को सामने रखकर पंचवर्षीय योजनाओं को प्रसारित और प्रचारित करने की दिशा में सरकार ने सक्रिय रूप से कार्य करना शुरू किया। विकास कार्यों की ओर प्रेरित करने की सबसे बड़ी आवश्यकता क्षेत्र के नवयुवकों के लिए होनी चाहिए। जिसको विकास पत्रकारिता के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। समाचार पत्रों के पाठक सर्वेक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि 21-35 आयु वर्ग के लोग सबसे अधिक समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। महिलाएं ज्यादातर क्षेत्रीय भाषाई पत्रिकाओं को पढ़ती हैं। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों के सम्पादकों का परम पुनीत कार्य राष्ट्रीय स्तर की विकास संबंधी लेखों को प्रकाशित करना होना चाहिए तथा विकास के कार्यो में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने हेतु आलेखों पर वक्त देना चाहिए। सर्वेक्षणों से यह भी पता चला है कि

शहरी पाठकों की संख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है, लेकिन सबसे दु:खद पहलू यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों के पाठकों की स्थिति क्या है। इसकी सही तस्वीर अभी उभरकर सामने नहीं आयी है। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास नहीं हो पा रहा है।

विकास पत्रकारिता को हमारे देश में उचित महत्व नहीं मिलने के लिए एक सीमा तक स्वयं नेता जिम्मेदार हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरूआती दौर में हमारे नेताओं ने विकास को महत्व दिया, लेकिन बाद में नेता अपने आपको बड़े नगरों तक सीमित कर लिया। वे जनता के सेवक के बजाय जनता के मालिक की भूमिका में आ गये जिसका कुपरिणाम यह हुआ कि अधिकांश पत्रकार भी गांवों से विमुख हो गये।

आकाशवाणी ने सही अर्थों में अपनी अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए विकास पत्रकारिता की कमी को पूरा करने में अपना विशिष्ट योगदान किया है। देशवासियों को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने तथा देश-विदेश की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विकास परियोजनाओं की विकास गति और उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभायी है। आकाशवाणी के साथ-साथ दूरदर्शन की भूमिका भी सराहनीय रही है। केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों प्रेस, इन्फारमेशन ब्यूरो, पब्लिकेशन, डिवीजन, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, सांख्यिकीय व मूल्यांकन इत्यादि ने भी विकास क्षेत्र की गतिविधियों को आम जनता तक पहुंचाते रहे हैं।

पिछले दशक में दूरदर्शन का तेजी से प्रसार हुआ है, फिर जितना व्यापक क्षेत्र आकाशवाणी का है, उतना किसी माध्यम का नहीं है। आकाशवाणी ने व्यापक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास की दिशा में योगदान किया है। लोगों को नीत नयी जानकारी देकर उन्हें विकास कार्यो की ओर आकृष्ट किया है, जो निश्चय ही भारत जैसे विकासशील देश के लिए वरदान है।

आकाशवाणी ने विकास संबंधी गतिविधियों को जहां एक तरफ समाचार बुलेटिनों में महत्व दिया, वहीं अलग से विकास संबंधी कार्यक्रमों को नियमित रूप से प्रसारित भी किया, जिससे इसको प्रोत्साहन भी मिलेगा। गरीबी उन्मूलन, लिंग समानता, शुद्ध पेयजल, परिवार नियोजन आदि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समाचारों को विशेष रूप से अधिक समय दिया।

आकाशवाणी का विदेशी भाषा विभाग एक प्रशंसनीय कार्य कर रहा है कि विकसित तथा विकासशील देशों में विकास के क्षेत्र में जो नयी-नयी बातें हो

रही है, उसे भारतीय भाषाओं में अनुवादित कर लोगों के पास पहुंचा रही है। जिससे हमारे देश की जनता वहां के विकास कार्यो के ज्ञान से लाभान्वित होकर अपना सामाजिक आर्थिक उत्थान करने में सफल हो रहे हैं।

विकास के लिए कृषि और उद्योग ही मुख्य आधार है। आकाशवाणी ने समाचार पत्रों से कहीं अधिक ध्यान कृषि क्षेत्रों पर दिया है, जहां से दिन में अनेक बार ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, जो पढ़े-लिखे किसानों के साथ-साथ भोले-भाले किसानों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो रही है। आकाशवाणी द्वारा ऐसे बुलेटिनें जारी हो रही है। जिनमें विज्ञान के नये-नये प्रयोगों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करायी जाती है। कृषि के अलावा मुर्गीपालन, पशुपालन, सहकारिता, जनस्वास्थ्य बाल विकास, पोषण संबंधी जानकारी के साथ-साथ अन्न की वैज्ञानिक ढंग से पैदा करने की महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाती है, जो विकास के लिए आवश्यक है।

आकाशवाणी के बाद सरकारी माध्यमों में दूरदर्शन का दूसरा स्थान आता है। दूरदर्शन ने माध्यम विकास को गति प्रदान करने के लक्ष्य से ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष बल दिया है। कृषि तथा उससे संबंधित अन्य विषयों को प्राथमिकता देकर दूरदर्शन ने विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य से विकास संबंधी कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्य रूप से कृषि दर्शन कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय हुआ। विकास और संचार एक दूसरे के पूरक हैं। विकास की दिशा में हमारे यहां सरकारी माध्यमों का भरपूर लाभ नहीं उठाया जा रहा है।

विकास पत्रकारिता के लिए संकेत और सत्य दोनों पर समान रूप से ध्यान देना चाहिए। आम तौर पर अधिकांश समाचार सांकेतिक होते हैं। उन्हें पढ़ने से घटनाओं के बारे में संकेत मिल सकते हैं, लेकिन सत्य शब्द विशेष ध्यान देकर छिपी हुई बातों को भी प्रकाश में लाना होगा। जो संबद्ध विषय की पूरी तस्वीर पेश करे।

विकास पत्रकारिता का क्षेत्र अभी भी काफी पिछड़ा हुआ है। आई.आई. एम. के निदेशक प्रो. एन.एम. रामास्वामी का मानना है कि समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाने में मीडिया की उल्लेखनीय योगदान नहीं है। जिम्मेदारी तथा संबद्धता दोनों अलग-अलग शब्द हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता जब समाज से अपने आपको सम्बद्ध कर लेती है। तब ऐसी स्थिति में पत्रकारिता अपनी जिम्मेदारी भी पूरी कर लेती है। राष्ट्रीय लक्ष्य

तक पहुंचने में पत्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राष्ट्रीय विकास में देश के करोड़ों लागों को जोड़ने का कार्य विकास पत्रकारिता के माध्यम से आसानी से हो सकता है। मीडिया के बिना करोड़ों लोगों तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं असंभव है। आर्थिक, सामाजिक विकास के क्षेत्र में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन विकास पत्रकारिता का जितना ध्यान दिया जाना चाहिए था उतना ध्यान नहीं दिया गया। इस कुपरिणाम भी हमारे सामने आया कि समाज में ऐसा वातावरण नहीं बन पाया कि विकास को उच्च प्राथमिकता मिल सके।

समाचार पत्रों में विकास संबंधी समाचारों को उतना स्थान नहीं दिया, जितना विदेशी व अन्य समाचारों को दिया, जबकि भारत जैसे विकासशील देश के लिए इसकी आवश्यकता है। सामाजिक उत्थान के प्रति समाचार पत्रों की जिम्मेदारी है, लेकिन अधिकांश समाचार पत्रों का मुख्य कार्यक्षेत्र नगरों तक ही सीमित हो गया है। सम्पादक विकास पत्रकारिता से अपने आपको नहीं जोड़ पाये हैं। ग्रामीण समाज को विकास व ज्ञान की अधिक आवश्यकता है, जबकि सम्पादक इनसे काफी दूर बैठे हुए हैं और उनकी दृष्टि उन पिछड़े हुए क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पा रही है।

आर्थिक सम्पन्नता प्रायः लोगों को पतन की गर्त के तरफ ले जाती है। भारतीय समाचार पत्र भी इससे विमुख नहीं है, क्योंकि अधिकांश समाचार पत्रों के मालिक 'लक्ष्मी पुत्र' उद्योगपति है और वे अपने स्वार्थ सिद्धि अधिक से अधिक विज्ञापन बटोरना तथा सनसनी खबरों के माध्यम से समाचार पत्र का सरकुलेशन को बढ़ाना उनका लक्ष्य है। उनको सामाजिक जिम्मेदारी व विकास पत्रकारिता से कोई मतलब नहीं है।

विकास पत्रकारिता के लिए राष्ट्र की ओर से जो सौंपी जानी चाहिए थी व सोची समझी होनी चाहिए थी। विकास पत्रकारिता के माध्यम से देशवासियों को यह बताने का प्रयास किया गया कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। भारत एक प्रभुता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रत्मक गणराज्य है। भारतवासियों को न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का वचन दिया गया है। संविधन में कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। समाज कल्याण क्षेत्र में सभी विकासशील नीतियों और दृष्टिकोणों की सम्पूर्ण मानव संसाधन के लिए तेज करने की आवश्यकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बहुसंख्य लोगों के जीविका का आधार खेती-बारी है। जबकि गांवों में खेती योग्य जमीन सीमित लोगों के पास है। अधिकांश लोग खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन विकास-पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग ऐसे पिछड़े व कमजोर वर्ग के लोगों पर कम कलम चलाते हैं। उनकी कलम गांव के सम्पन्न किसान या सेठ साहुकारों की तरफदारी करते नजर आते हैं। विकास पत्रकारिता ने जहां-जहां प्रवेश किया है, वहां की समस्याओं पर सरकार और समाज का ध्यान गया और उनका निराकरण हेतु प्रयास भी हुए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास नहीं होने के पीछे केवल गरीबी ही कारण नहीं है। गरीबी के अलावे अज्ञानता विकास को अवरूद्ध करने में महती भूमिका अदा करता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग गरीबी और अज्ञानता के चलते, जिस चीज को पाने के हकदार हैं, उसे प्राप्त नहीं कर पाये हैं। ऐसे पत्रकार और साहित्यकारों का यह दायित्व है कि वे उनके बीच जाकर उनके कष्ट और अनुभवों को प्रकाश में लाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अज्ञानता के कारण विकास तो दूर उनका जीवन भी बहुत कष्टमय है और लोग अपने आपको कुचक्र से नहीं बचा पाते हैं। ऐसे में विकास पत्रकारिता को इन कुचक्रों से मुक्ति का वीणा उठाना चाहिए।

## पश्चिमी मीडिया की भारत-दृष्टि

शंकर शरण/कुछ वर्ष पहले विश्व-प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के हत्यारे तथा 11 सितंबर की तबाही में संलग्न कुख्यात आतंकवादी मुहम्मद शेख पर पूरे एक पृष्ट का लेख छापा था। उस में शेख का चित्रण अनेक प्रशंसनीय विशेषणों के साथ किया गया था। कि वह भला, मददगार, मृदुभाषी आदि जैसा व्यक्तित्व था। इस का प्रमाण? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने सुंदर गुणों से उस भयंकर आतंकवादी को विभूषित करने के लिए, जिसने पशु की तरह गला रेत कर पर्ल की हत्या की थी, टाइम ने शेख के अपने भाई के कथन को ही प्रमाण मान लिया ! कितना सरल विश्वास। संपादकों को यह भी ध्यान न रहा कि किसी भयंकर आतंकवादी, हत्यारे के व्यक्तिगत गुण, यदि हो भी, तो उस के बखान की कोई तुक नहीं, क्योंकि उस की पूरी कुख्याति जिस कारण बनी, वह बात कुछ और है। (क्या आपने कभी नाथूराम गोडसे के निजी गुणों और मनोहर चरित्र का बखान कहीं पढ़ा है?)

किंतु पश्चिमी मीडिया में इस्लामी आतंकवादियों के विवरणों में सदैव एक संजीदगी, लगभग आदरपूर्ण भाव प्राय: मिलता है। तब इसे कैसे समझें कि उसी मीडिया में गुजरात के मुख्य मंत्री नरेंद्र मोदी का उल्लेख करते हुए कभी संजीदगी तक नहीं पाई जाती! मोदी के प्रति सम्मान या किसी गुण का उल्लेख तो दूर की बात रही। यदि ओसामा बिन लादेन, जिस से पश्चिम दस वर्ष से अधिक समय से सब से आतंकित रहा, उस के बारे में भी पश्चिमी मीडिया के सभी विवरण कोई एकत्र करें तो कुल मिलाकर लादेन की एक सम्मानजनक, दबदबे वाली छवि उभरती है। इस की तुलना में नरेंद्र मोदी के बारे में पश्चिमी मीडिया में आए सभी विवरणों से निकलने वाली छवि घृणा और वितृष्णा की बनती है। इतने विचित्र असंतुलन को किस प्रकार समझा जाए?

पिछले दो दशकों में पूरे विश्व में आतंकवाद से सबसे अधिक पीड़ित देशों में भारत संभवत: सर्वोपरि है, किंतु यदि अमेरिकी, यूरोपीय मीडिया और अकादमिक जगत के विश्लेषणों की समीक्षा करें तो आश्चर्यजनक रूप से उन में भारत का उल्लेख लगभग नदारद रहता है। यहाँ तक कि वे पाकिस्तान को भी 'आतंकवाद से पीड़ित' देशों में गिनने लगे हैं—जहाँ सभी आतंकवादी संगठनों के मजबूत ठिकाने और सहयोगी जमे हुए हैं। पिछले दस-बारह वर्षों में विश्व में ऐसी एक भी आतंकवादी घटना नहीं ढूँढी जा सकती, जिसके तार कहीं न कहीं पाकिस्तान से न जुड़े हुए हों! उस पाकिस्तान को तो पश्चिमी मीडिया में आतंकवाद से पीड़ित देश कह दिया जाता है, किंतु भारत में हुए अंतहीन आतंकी विध्वंस और देश के कोने-कोने—वंधामा, गोधरा, अक्षरधाम, नंदीमर्ग, मराड, मुंबई, जम्मू, दिल्ली, मऊ, वाराणसी, जयपुर, आदि—में केवल हिन्दुओं या मुख्यत: हिन्दुओं की सामूहिक हत्याओं के बारे में कहा जाता है कि यह सब 'कथित रूप से' आतंकवादी कारवाइयाँ थीं, यानी कुछ और थीं या हो सकती है।

भारत में होने वाली आतंकवादी घटनाओं का समाचार भी पश्चिमी मीडिया बिना संपादकीय मिलावट के कम ही देता है। छित्तीसिंहपुरा, गोधरा, आदि बड़े-बड़े आंतकवादी हमलों को संदिग्ध रूप में पेश किया गया था। जयपुर में हुए पिछले आतंकवादी हमले पर सी.एन.एन. के स्क्रॉल पर समाचार ऐसे था कि भारत इन विस्फोटों को 'आतंकवादी' हमला कह रहा है। इस प्रकार दुनिया भर को सी.एन.एन. ने यह संदेश दिया कि प्रथम, उसे यह मालूम नहीं है कि वे विस्फोट किस प्रकृति के हैं, तथा दूसरे, भारत का उसे आतंकवादी घटना

कहना विश्वसनीय नहीं भी हो सकता है। बाद में भी सी.एन.एन. ने कभी नहीं बताया कि उस की अपनी सूचना के अनुसार वह क्या था?

अर्थात, सी.एन.एन. नितांत भोला, अनजान बना रहा कि जयपुर में क्या हुआ था। वह कोई अपवाद प्रस्तुति नहीं थी, न ही केवल एक विशेष विदेशी समाचार चैनल की विशेषता। बी.बी.सी. लंदन में होने वाली आतंकी गतिविधियों के जिम्मेदार लोगों, संगठनों आदि के लिए 'आतंकवादी' संज्ञा, विशेषण का प्रयोग करता है, किन्तु भारत में होने वाली बड़ी से बड़ी आतंकवादी कार्रवाइयों पर भी वह करने वालों को 'मिलिटेंट्स' कहने से आगे नहीं बढ़ता।

दरअसल, घटिया मनोरंजन कार्यक्रमों, मुंबइया सिनेमा तथा क्रिकेट–मात्र इन तीन में चाहे–अनचाहे आकंठ डूबे सामान्य भारतवासी विदेशी मीडिया की भारत संबंधी प्रस्तुति पर ध्यान नहीं देते, किंतु यदि नियमित ध्यान दें और उस का फलितार्थ समझने का कष्ट करें तो अत्यंत चिंताजनक परिदृश्य बनता है।

पश्चिमी मीडिया में विश्वव्यापी आतंकवाद के विश्लेषणों में भी सक्रिय आतंकवादी संगठनों के क्रियाकलापों में भी प्रायः अल–कायदा, हमास, तालिबान, मुस्लिम ब्रदरहुड आदि की ही चिंता की जाती है। हरकत–उल–मुजाहिदीन, जैशे–मुहम्मद, लश्करे तोयबा, हूजी, सिमी, इंडियन मुजाहिद्रीन आदि संगठनों की चर्चा नगण्य रहती है। यह इस के बावजूद कि इन संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय सक्रियता और आपसी संबंध बार–बार प्रकट होते रहे हैं। अमेरिकी, यूरोपीय नेतागण भी विश्व–व्यापी आतंकवाद पर भाषणों में केवल अपने देशों और पश्चिम एशिया की चिंता करते हैं। भारत में हुई बड़ी से बड़ी आतंकवादी घटना उन के मस्तिष्क में या तो दर्ज भी नहीं होती, अथवा तुरत विस्मृत हो जाती है। यह मात्र आतंकवाद संबंधी विषयों में ही नहीं है।

सी.एन.एन. और बी.बी.सी समाचार चैनलों अथवा टाइम, न्यूजवीक जैसी विश्व–प्रसिद्ध समाचार–पत्रिकाओं को नियमित देखने वाले पाएंगे कि भारत संबंधित समाचारों, वक्तव्यों के चयन व प्रस्तुति में सदैव एक अमैत्रीपूर्ण, दया–प्रदर्शन या नकचढ़ा रुख रहता है। इन पत्रिकाओं में चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, जैसे तानाशाही प्रणाली वाले देशों के बारे में भी नियमित लेख और टिप्पणियाँ मिलती हैं, जो संवेदना, सहानुभूति, आदर या सद्भाव से भरी होती हैं, पर वहीं भारत के बारे में ऐसा एक भी लेख, टिप्पणी, तस्वीर या कुछ भी खोजना बहुत कठिन है, जो नितांत सकारात्मक कही जा सके। कभी–कभार भारत की आर्थिक, वैज्ञानिक उपलब्धियों की चर्चा में भी नकारात्मक छौंक

इतनी तीखी होती है कि पढ़कर अंतिम निष्कर्ष भारत के प्रति बेचारगी या नाराजगी का ही रहता है।

यदि अमेरिकी पत्र-पत्रिकाओं के कथ्य पर नियमित दृष्टि रखें तो स्पष्ट दिखेगा कि उन के तथा अमेरिकी विदेश विभाग के दृष्टिकोण में जबर्दस्त ताल-मेल रहता है, जब पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने तख्ता पलट कर जबरन सत्ता हथियाई थी (1999) तो अमेरिकी साप्ताहिक न्यूजवीक ने तीखी आलोचना के साथ उस की पहली रिपोर्ट छापी कि किस तरह पाकिस्तान में सैनिक तानाशाही का दौर-दौरा रहा है, किस तरह बेचारी जनता तरह-तरह के जेनरलों के हाथ पिसती रही है, आदि। किंतु अगले ही अंक में 'जेंटील जनरल' कहकर मुशर्रफ की और पाकिस्तान के भविष्य की इतनी गुलाबी तस्वीर खींची गई कि इस पूरी तरह बदले स्वर पर दंग रह जाना पड़ा! मजे की बात है कि दोनों ही रिपोर्ट-विश्लेषण एक ही वरिष्ट रिपोर्टर द्वारा लिखित थे। विदेशों में प्रसारित होने वाले अमेरिकी पत्र-पत्रिकाओं की यही सामान्य रीति-नीति है, कि वे अमेरिकी विदेश विभाग की तात्कालिक नीति के अनुरूप ही अपना वैदेशिक दृष्टिकोण रखते हैं।

इस के उदाहरण अनगिनत हैं और रोज मिलते रहते हैं। कम्युनिस्ट चीन 1979 से पहले तक पश्चिमी विश्व के भयंकर शत्रु के रूप में चित्रित होता था। किंतु जब अमेरिका ने सोवियत रूस के विरुद्ध चीन को अपनी ओर खींचने की नीति अपनाई और चीन को सबसे चहेता देश ('मोस्ट फेवर्ड नेशन') का दर्जा दिया—तब से अमेरिकी मीडिया में भी चीन के प्रति एक स्थाई सद्भावना पैदा हो गई। वही कम्युनिस्ट सत्ता जिस ने अपने करोड़ों लोगों को मूर्खतापूर्ण माओवादी प्रयोगों में होम कर दिया, जहाँ आज भी एक पार्टी की तानाशाही है, प्रेस पर प्रतिबंध है, तिब्बत में दमन जारी है, जिस ने अवैध रूप से परमाणु आयुधों के प्रसार का काम भी किया, जहाँ ईसाई मिशनरियों पर आज भी अंकुश है, जहाँ स्वयं पोप को भी पैर रखने तक की अनुमति आज तक नहीं दी गई है। ऐसे रिकॉर्ड और मानवाधिकार-विरोधी छवि के बावजूद चीन अमेरिकी मीडिया में सर्वाधिक आदर-मान पाने वाला देश है! उस देश के सत्ताधारियों की 'चिंता' को सहानुभूतिपूर्वक समझने, वहाँ विकास की चुनौतियों का आकलन करने, प्रगति का स्वरूप दिखाने आदि में अमेरिकी मीडिया गजब की संवेदना प्रदर्शित करता है। जबकि वही मीडिया भारत को सदैव किसी न किसी बात

पर नीचा दिखाने, निंदित करने, उपदेश देने या खिल्ली उड़ाने के अतिरिक्त शायद ही कभी कुछ करता है।

जब देंग सियाओ पिंग पूर्णत: अशक्त हो चुके थे, तब भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और संपूर्ण सत्ता उन के आदेश पर चलती थी (4 जून 1989 को ताइनानमेन स्क्वायर पर निहत्थे छात्रों पर उन्हीं की सलाह से टैंक चलवाए गए थे)। लेकिन देंग के बारे में कभी कोई खिल्ली उड़ाता लेख टाइम मैगजीन ने नहीं छापा था, पर जब यहाँ अटल बिहारी वाजपेई प्रधान मंत्री थे तो उस ने ऐसा कुत्सापूर्ण लेख प्रकाशित किया कि यह रोगी, भोगी, अशक्त आदमी है, जिस के पास न्यूक्लियर अस्त्रों के प्रयोग का अधिकार भी है। इस से भारत को और दुनिया को कितना खतरा है, आदि। जब इस की यहाँ आलोचना हुई तो स्वयं कुछ प्रमुख भारतीय बुद्धिजीवियों ने टाइम की ही उग्र पैरोकारी की। उन्होंने उस लेख की दुर्भावना और स्पष्ट भारत-विरोध का कोई नोटिस नहीं लिया और ठीक इसी बात में हमारी विडंबना का संकेत मिलता है।

आखिर, पश्चिमी मीडिया भारत के प्रति उपेक्षा या हिकारत किस बूते रखता है? उत्तर बड़ा दु:खद है। जब दिल्ली स्थित विदेशी पत्रकारों से पूछा जाता है कि वे भारत के प्रति इतनी कुत्सित, नकारात्मक और एकांगी रुख क्यों रखते हैं तो वे धड़ल्ले से कहते हैं कि हम तो वही लिखते हैं, जो आपके ही प्रमुख पत्रकार और बुद्धिजीवी बोलते हैं। यह बात काफी हद तक सच भी है। जहाँ पश्चिमी मीडिया अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपने-अपने देशों के हित के प्रति सचेत रहता है, वहाँ हमारे बड़े पत्रकार वैदेशिक मामलों में भी अपनी राजनीतिक झक चलाते हैं। जब केंद्र में भाजपा-नीत सरकार थी, तब हमारे दो बड़े अंग्रेजी अखबारों इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के संपादक (क्रमश: शेखर गुप्ता और एन. राम) तथा अरुंधती राय एक पाकिस्तानी अखबार के निमंत्रण पर पाकिस्तान गए। वहाँ इन्होंने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में अपने भाषणों, सेमिनारों और इंटरव्यू में जो बातें कहीं वह ध्यान देने और स्मरण रखने लायक हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने यह सब कहा: "भारत की सरकार अंधराष्ट्रवादी है, जिस से भारत और पड़ोसी देशों को खतरा है", "हमारा रक्षा मंत्री जार्ज फर्नांडिस संदेहास्पद चरित्र का, अवसरवादी, अंधराष्ट्रवादी नजरिए का आदमी है", "भारत में भाजपा सरकार ने परमाणु नीति का अपहरण कर लिया और पाकिस्तान को भी विवश होकर उसी नीति पर चलना पड़ा", "भारत का एक-एक मुसलमान देशभक्त है और इसीलिए गुजरात में जो हुआ, उस पर हमें बहुत तीखा एतराज

है", "बंबई के (1993 में) बम-विस्फोटों के लिए आई.एस.आई. पर आरोप लगाया गया, जबकि यह (हालात?) हिंदू दक्षिणपंथियों का बनाया हुआ था", आदि।

हमारे दो सबसे बड़े पत्रकारों और एक राजनीतिक लेखिका ने यह बातें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कही। वैसा ही कहने, लिखने वाले हमारे देश में अनेकानेक बड़े संपादक, प्रोफेसर और स्तंभकार हैं। इसलिए यह बात तो सच है कि भारत के बारे में हमारे सेक्यूलर-वामपंथी पत्रकार, बुद्धिजीवी, जो कुत्सा फैलाते हैं, उसी का उपयोग कर विदेशी हमारे मुँह पर कालिख पोतते हैं। वे जान-बूझ कर ऐसे ही स्वरों का चुनाव करते हैं और इसीलिए अन्य स्वरों की अनदेखी करते हैं, किंतु इस से यह बात और दु:खद हो जाती है कि हमारे प्रमुख पत्रकार, बुद्धिजीवी अपनी राजनीतिक झक में देशहित की कोई परवाह नहीं करते, न ही विदेशियों द्वारा भारत की पक्षपाती, अनुचित अवमानना से कोई दु:ख महसूस करते हैं। उलटे वे पश्चिमी संस्थाओं, सरकारों और एजेंसियों को भारत-विरोधी मुहिम में तरह-तरह से सहयोग देते हैं।

उन्हीं की आड़ में अमेरिकी विदेश विभाग, अंतर्राष्ट्रीय ईसाई मिशनरी संगठन और विदेशी मीडिया इसीलिए इतनी ठसक से हमारे विरुद्ध विष-वमन और दबाव डालने की कार्रवाई करते रहते हैं। विनायक सेन प्रसंग इस का ताजातरीन उदाहरण है। हमारे मीडिया ने हमारी न्यायिक व्यवस्था में विदेशी एजेंसियों, विदेशी सरकारों के निराधार हस्तक्षेप की कोई आलोचना नहीं की। न ही उन के एजेंडे पर उँगली उठाई, क्योंकि मीडिया के एक प्रभावशाली हिस्से के लिए भाजपा विरोध के लिए हर चीज जायज हो जाती है। वे यह भी देखने से अंधे हो जाते हैं, कि अंध भाजपा-विरोध और हिन्दू-विरोध बड़ी सरलता से भारत-विरोध में परिणत हो जाता है। हमारे जो रेडिकल, वामपंथी और सेक्यूलरवादी बुद्धिजीवी कश्मीर में 'इंडियन आर्मी' की भर्त्सना 'हिन्दू मिलिटरी बूट' कहकर इस्लामपरस्ती दिखाते हैं, वे उस क्षण देख नहीं पाते कि वे भारत और हिन्दू को समानार्थी मानकर भारत-विरोध में लग जाते हैं। विदेशी तो केवल उन के सहारे अपना अहंकार और हित तुष्ट करते हैं। क्या हम इस चिंता-जनक परिदृश्य को समझने से भी इंकार करते रहेंगे? (ये लेखक के अपने विचार हैं)।

# 4

# हिन्दी पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की कहानी भारतीय राष्ट्रीयता की कहानी है। हिन्दी पत्रकारिता के आदि उन्नायक जातीय चेतना, युगबोध और अपने महत् दायित्व के प्रति पूर्ण सचेत थे। कदाचित् इसलिए विदेशी सरकार की दमन-नीति का उन्हें शिकार होना पड़ा था, उसके नृशंस व्यवहार की यातना झेलनी पड़ी थी। उन्नीसवीं शताब्दी में हिन्दी गद्य-निर्माण की चेष्टा और हिन्दी-प्रचार आन्दोलन अत्यन्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए भी कितना तेज और पुष्ट था, इसका साक्ष्य 'भारतमित्र' (सन् 1878 ई, में) 'सार सुधानिधि' (सन् 1879 ई.) और 'उचित वक्ता' (सन् 1880 ई.) के जीर्ण पृष्ठों पर मुखर है।

वर्तमान में हिन्दी पत्रकारिता ने अंग्रेजी पत्रकारिता के दबदबे को खत्म कर दिया है। पहले देश-विदेश में अंग्रेजी पत्रकारिता का दबदबा था, लेकिन आज हिन्दी भाषा का झण्डा चहुंदिश लहरा रहा है। 30 मई को 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

## भारतीय भाषाओं में पत्रकारिता का आरम्भ और हिन्दी पत्रकारिता

भारतवर्ष में आधुनिक ढंग की पत्रकारिता का जन्म अठारहवीं शताब्दी के चतुर्थ चरण में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हुआ। 1780 ई. में प्रकाशित हिके (Hickey) का "कलकत्ता गजट" कदाचित् इस ओर पहला प्रयत्न था। हिंदी

के पहले पत्र उदंत मार्तण्ड (1826) के प्रकाशित होने तक इन नगरों की ऐंग्लोइंडियन अंग्रेजी पत्रकारिता काफी विकसित हो गई थी।

इन अंतिम वर्षों में फारसी भाषा में भी पत्रकारिता का जन्म हो चुका था। 18वीं शताब्दी के फारसी पत्र कदाचित् हस्तलिखित पत्र थे। 1801 में 'हिंदुस्थान इंटेलिजेंस ओरिएंटल ऐंथॉलॉजी' (Hindusthan Intelligence Oriental Anthology) नाम का जो संकलन प्रकाशित हुआ, उसमें उत्तर भारत के कितने ही "अखबारों" के उद्धरण थे। 1810 में मौलवी इकराम अली ने कलकत्ता से लीथो पत्र "हिंदोस्तानी" प्रकाशित करना आरंभ किया। 1816 में गंगाकिशोर भट्टाचार्य ने "बंगाल गजट" का प्रवर्तन किया। यह पहला बंगला पत्र था। बाद में श्रीरामपुर के पादरियों ने प्रसिद्ध प्रचारपत्र "समाचार दर्पण" को (27 मई 1818) जन्म दिया। इन प्रारंभिक पत्रों के बाद 1823 में हमें बँगला भाषा के 'समाचारचंद्रिका' और "संवाद कौमुदी", फारसी उर्दू के "जामे जहाँनुमा" और "शमसुल अखबार" तथा गुजराती के "मुंबई समाचार" के दर्शन होते हैं।

यह स्पष्ट है कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बाद की चीज नहीं है। दिल्ली का "उर्दू अखबार" (1833) और मराठी का "दिग्दर्शन" (1837) हिंदी के पहले पत्र "उदंत मार्तंड" (1826) के बाद ही आए। "उदंत मार्तंड" के संपादक पंडित जुगलकिशोर थे। यह साप्ताहिक पत्र था। पत्र की भाषा पछाँही हिंदी रहती थी, जिसे पत्र के संपादकों ने "मध्यदेशीय भाषा" कहा है। यह पत्र 1827 में बंद हो गया। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना किसी भी पत्र का चलना असंभव था। कंपनी सरकार ने मिशनरियों के पत्र को डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परंतु चेष्टा करने पर भी "उदंत मार्तंड" को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी।

## *हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण*

1826 ई. से 1873 ई. तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं। 1873 ई. में भारतेन्दु ने "हरिश्चंद्र मैगजीन" की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र "हरिश्चंद्र चंद्रिका" नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेन्दु का "कविवचन सुधा" पत्र 1867 में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु नई भाषाशैली का प्रवर्तन 1873 में "हरिश्चंद्र मैगजीन" से ही हुआ। इस बीच के अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे

जा सकते हैं और उनके पीछे पत्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना नहीं है। "उदन्त मार्तण्ड" के बाद प्रमुख पत्र हैं–

बंगदूत (1829), प्रजामित्र (1834), बनारस अखबार (1845), मार्तंड पंचभाषीय (1846), ज्ञानदीप (1846), मालवा अखबार (1849), जगद्दीप भास्कर (1849), सुधाकर (1850), साम्यदन्त मार्तंड (1850), मजहरुलसरूर (1850), बुद्धिप्रकाश (1852), ग्वालियर गजेट (1853), समाचार सुधावर्षण (1854), दैनिक कलकत्ता, प्रजाहितैषी (1855), सर्वहितकारक (1855), सूरजप्रकाश (1861), जगलाभचिंतक (1861), सर्वोपकारक (1861), प्रजाहित (1861), लोकमित्र (1835), भारतखंडामृत (1864), तत्वबोधिनी पत्रिका (1865), ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका (1866), सोमप्रकाश (1866), सत्यदीपक (1866), वृत्तांतविलास (1867), ज्ञानदीपक (1867), कविवचनसुधा (1867), धर्मप्रकाश (1867), विद्याविलास (1867), वृत्तांतदर्पण (1867), विद्यादर्श (1869), ब्रह्मज्ञानप्रकाश (1869), अलमोड़ा अखबार (1870), आगरा अखबार (1870), बुद्धिविलास (1870), हिंदू प्रकाश (1871), प्रयागदूत (1871), बुंदेलखंड अखबर (1871), प्रेमपत्र (1872) और बोधा समाचार (1872)।

इन पत्रों में से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक। दैनिक पत्र केवल एक था "समाचार सुधावर्षण" जो द्विभाषीय (बंगला हिंदी) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह दैनिक पत्र 1871 तक चलता रहा। अधिकांश पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे, जो उन दिनों एक बड़ा शिक्षाकेंद्र था और विद्यार्थीसमाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। शेष ब्रह्मसमाज, सनातन धर्म और मिशनरियों के प्रचार कार्य से संबंधित थे। बहुत से पत्र द्विभाषीय (हिंदी उर्दू) थे और कुछ तो पंचभाषीय तक थे। इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्व दशा ही सूचित होती है। हिंदीप्रदेश के प्रारंभिक पत्रों में "बनारस अखबार" (1845) काफी प्रभावशाली था और उसी की भाषानीति के विरोध में 1850 में तारामोहन मैत्र ने काशी से साप्ताहिक "सुधाकर" और 1855 में राजा लक्ष्मणसिंह ने आगरा से "प्रजाहितैषी" का प्रकाशन आरंभ किया था। राजा शिवप्रसाद का "बनारस अखबार" उर्दू भाषाशैली को अपनाता था तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्समप्रधान शैली की ओर झुकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1867 से पहले भाषाशैली के संबंध में हिंदी पत्रकार किसी निश्चित शैली का अनुसरण नहीं कर सके थे। इस वर्ष 'कवि वचनसुधा' का प्रकाशन हुआ और एक तरह से हम उसे पहला

महत्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ और अंत में साप्ताहिक। भारतेन्दु के बहुविध व्यक्तित्व का प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परंतु सच तो यह है कि "हरिश्चंद्र मैगजीन" के प्रकाशन (1873) तक वे भी भाषाशैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही खोजते दिखाई देते हैं।

## हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग–भारतेन्दु युग

हिंदी पत्रकारिता का दूसरा युग 1873 से 1900 तक चलता है। इस युग के एक छोर पर भारतेन्दु का "हरिश्चंद्र मैगजीन" था ओर नागरीप्रचारिणी सभा द्वारा अनुमोदनप्राप्त "सरस्वती"। इन 27 वर्षों में प्रकाशित पत्रों की संख्या 300-350 से ऊपर है और ये नागपुर तक फैले हुए हैं। अधिकांश पत्र मासिक या साप्ताहिक थे। मासिक पत्रों में निबंध, नवल कथा (उपन्यास), वार्ता आदि के रूप में कुछ अधिक स्थायी संपत्ति रहती थी, परन्तु अधिकांश पत्र 10-15 पृष्ठों से अधिक नहीं जाते थे और उन्हें हम आज के शब्दों में "विचारपत्र" ही कह सकते हैं। साप्ताहिक पत्रों में समाचारों और उन पर टिप्पणियों का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वास्तव में दैनिक समाचार के प्रति उस समय विशेष आग्रह नहीं था और कदाचित इसीलिए उन दिनों साप्ताहिक और मासिक पत्र कहीं अधिक महत्वपूर्ण थे। उन्होंने जनजागरण में अत्यंत महत्वपूर्ण भाग लिया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के इन 25 वर्षों का आदर्श भारतेन्दु की पत्रकारिता थी। "कविवचनसुधा" (1867), "हरिश्चंद्र मैगजीन" (1874), श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका" (1874), बालबोधिनी (स्त्रीजन की पत्रिका, 1874) के रूप में भारतेन्दु ने इस दिशा में पथप्रदर्शन किया था। उनकी टीका-टिप्पणियों से अधिकरी तक घबराते थे और "कविवचनसुधा" के "पंच" पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। इसमें संदेह नहीं कि पत्रकारिता के क्षेत्र भी भारतेन्दु पूर्णतया निर्भीक थे और उन्होंने नए-नए पत्रों के लिए प्रोत्साहन दिया। "हिंदी प्रदीप", "भारतजीवन" आदि अनेक पत्रों का नामकरण भी उन्होंने ही किया था। उनके युग के सभी पत्रकार उन्हें अग्रणी मानते थे।

### *भारतेन्दु के बाद*

भारतेन्दु के बाद इस क्षेत्र में जो पत्रकार आए उनमें प्रमुख थे पंडित रुद्रदत्त शर्मा, (भारतमित्र, 1877), बालकृष्ण भट्ट (हिंदी प्रदीप, 1877), दुर्गाप्रसाद

मिश्र (उचित वक्ता, 1878), पंडित सदानंद मिश्र (सारसुधानिधि, 1878), पंडित वंशीधर (सज्जन-कीर्त्ति-सुधाकर, 1878), बदरीनारायण चौधरी "प्रेमधन" (आनंदकादंबिनी, 1881), देवकीनंदन त्रिपाठी (प्रयाग समाचार, 1882), राधाचरण गोस्वामी (भारतेन्दु, 1882), पंडित गौरीदत्त (देवनागरी प्रचारक, 1882), राज रामपाल सिंह (हिंदुस्तान, 1883), प्रतापनारायण मिश्र (ब्राह्मण, 1883), अंबिकादत्त व्यास, (पीयूषप्रवाह, 1884), बाबू रामकृष्ण वर्मा (भारतजीवन, 1884), पं. रामगुलाम अवस्थी (शुभचिंतक, 1888), योगेशचंद्र वसु (हिंदी बंगवासी, 1890), पं. कुंदनलाल (कवि व चित्रकार, 1891) और बाबू देवकीनंदन खत्री एवं बाबू जगन्नाथदास (साहित्य सुधानिधि, 1894)। 1895 ई. में "नागरीप्रचारिणी पत्रिका" का प्रकाशन आरंभ होता है। इस पत्रिका से गंभीर साहित्यसमीक्षा का आरंभ हुआ और इसलिए हम इसे एक निश्चित प्रकाशस्तंभ मान सकते हैं। 1900 ई. में "सरस्वती" और "सुदर्शन" के अवतरण के साथ हिंदी पत्रकारिता के इस दूसरे युग पर पटाक्षेप हो जाता है।

इन 25 वर्षों में हिन्दी पत्रकारिता अनेक दिशाओं में विकसित हुई। प्रारंभिक पत्र शिक्षाप्रसार और धर्मप्रचार तक सीमित थे। भारतेन्दु ने सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक दिशाएँ भी विकसित कीं। उन्होंने ही "बालाबोधिनी" (1874) नाम से पहला स्त्री-मासिक-पत्र चलाया। कुछ वर्ष बाद महिलाओं को स्वयं इस क्षेत्र में उतरते देखते हैं-"भारतभगिनी" (हरदेवी, 1888), "सुगृहिणी" (हेमंतकुमारी, 1889)। इन वर्षों में धर्म के क्षेत्र में आर्यसमाज और सनातन धर्म के प्रचारक विशेष सक्रिय थे। ब्रह्मसमाज और राधास्वामी मत से संबंधित कुछ पत्र और मिर्जापुर जैसे–ईसाई केंद्रों से कुछ ईसाई धर्म संबंधी पत्र भी सामने आते हैं, परंतु युग की धार्मिक प्रतिक्रियाओं को हम आर्यसमाज के और पौराणिकों के पत्रों में ही पाते हैं। आज ये पत्र कदाचित् उतने महत्वपूर्ण नहीं जान पड़ते, परंतु इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने हिन्दी की गद्यशैली को पुष्ट किया और जनता में नए विचारों की ज्योति भी। इन धार्मिक वादविवादों के फलस्वरूप समाज के विभिन्न वर्ग और संप्रदाय सुधार की ओर अग्रसर हुए और बहुत शीघ्र ही सांप्रदायिक पत्रों की बाढ़ आ गई। सैकड़ों की संख्या में विभिन्न जातीय और वर्गीय पत्र प्रकाशित हुए और उन्होंने असंख्य जनों को वाणी दी।

आज वही पत्र हमारी इतिहासचेतना में विशेष महत्वपूर्ण हैं, जिन्होंने भाषा शैली, साहित्य अथवा राजनीति के क्षेत्र में कोई अप्रतिम कार्य किया हो। साहित्यिक दृष्टि से "हिंदी प्रदीप" (1877), ब्राह्मण (1883), क्षत्रियपत्रिका

(1880), आनंदकादंबिनी (1881), भारतेन्दु (1882), देवनागरी प्रचारक (1882), वैष्णव पत्रिका (पश्चात् पीयूषप्रवाह, 1883), कवि के चित्रकार (1891), नागरी नीरद (1883), साहित्य सुधानिधि (1894) और राजनीतिक दृष्टि से भारतमित्र (1877), उचित वक्ता (1878), सार सुधानिधि (1878), भारतोदय (दैनिक, 1883), भारत जीवन (1884), भारतोदय (दैनिक, 1885), शुभचिंतक (1887) और हिंदी बंगवासी (1890) विशेष महत्वपूर्ण हैं। इन पत्रों में हमारे 19वीं शताब्दी के साहित्यरसिकों, हिंदी के कर्मठ उपासकों, शैलीकारों और चिंतकों की सर्वश्रेष्ठ निधि सुरक्षित है। यह क्षोभ का विषय है कि हम इस महत्वपूर्ण सामग्री का पत्रों की फाइलों से उद्धार नहीं कर सके। बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, सदानं मिश्र, रुद्रदत्त शर्मा, अंबिकादत्त व्यास और बालमुकुंद गुप्त जैसे सजीव लेखकों की कलम से निकले हुए न जाने कितने निबंध, टिप्पणी, लेख, पंच, हास परिहास औप स्केच आज में हमें अलभ्य हो रहे हैं। आज भी हमारे पत्रकार उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपने समय में तो वे अग्रणी थे ही।

## तीसरा चरण–बीसवीं शताब्दी के प्रथम बीस वर्ष

बीसवीं शताब्दी की पत्रकारिता हमारे लिए अपेक्षाकृत निकट है और उसमें बहुत कुछ पिछले युग की पत्रकारिता की ही विविधता और बहुरूपता मिलती है। 19वीं शती के पत्रकारों को भाषा–शैलीक्षेत्र में अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था। उन्हें एक ओर अंग्रेजी और दूसरी ओर उर्दू के पत्रों के सामने अपनी वस्तु रखनी थी। अभी हिंदी में रुचि रखने वाली जनता बहुत छोटी थी। धीरे–धीरे परिस्थिति बदली और हम हिंदी पत्रों को साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में नेतृत्व करते पाते हैं। इस शताब्दी से धर्म और समाजसुधार के आंदोलन कुछ पीछे पड़ गए और जातीय चेतना ने धीरे–धीरे राष्ट्रीय चेतना का रूप ग्रहण कर लिया। फलतः अधिकांश पत्र, साहित्य और राजनीति को ही लेकर चले। साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में पहले दो दशकों में आचार्य द्विवेदी द्वारा संपादित "सरस्वती" (1903–1918) का नेतृत्व रहा। वस्तुतः इन बीस वर्षों में हिंदी के मासिक पत्र एक महान साहित्यिक शक्ति के रूप में सामने आए।शृंखलित उपन्यास कहानी के रूप में कई पत्र प्रकाशित हुए–जैसे–उपन्यास 1901, हिंदी नोविल 1901, उपन्यास लहरी 1902, उपन्याससागर 1903, उपन्यास कुसुमांजलि 1904, उपन्यासबहार 1907, उपन्यास प्रचार 19012। केवल कविता अथवा समस्यापूर्ति

लेकर अनेक पत्र उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में निकलने लगे थे। वे चले रहे। समालोचना के क्षेत्र में "समालोचक" (1902) और ऐतिहासिक शोध से संबंधित "इतिहास" (1905) का प्रकाशन भी महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं, परंतु सरस्वती ने "मिस्लेनी" () के रूप में जो आदर्श रखा था, वह अधिक लोकप्रिय रहा और इस श्रेणी के पत्रों में उसके साथ कुछ थोड़े ही पत्रों का नाम लिया जा सकता है, जैसे–"भारतेन्दु" (1905), नागरी हितैषिणी पत्रिका, बाँकीपुर (1905), नागरीप्रचारक (1906), मिथिलामिहिर (1910) और इंदु (1909)। "सरस्वती" और "इंदु" दोनों हिन्दी की साहित्यचेतना के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक तरह से हम उन्हें उस युग की साहित्यिक पत्रकारिता का शीर्षमणि कह सकते हैं। "सरस्वती" के माध्यम से आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी और "इंदु" के माध्यम से पंडित रूपनारायण पांडेय ने जिस संपादकीय सतर्कता, अध्यवसाय और ईमानदारी का आदर्श हमारे सामने रखा वह हिन्दी पत्रकारिता को एक नई दिशा देने में समर्थ हुआ।

परंतु राजनीतिक क्षेत्र में हिन्दी पत्रकारिता को नेतृत्व प्राप्त नहीं हो सका। पिछले युग की राजनीतिक पत्रकारिता का केंद्र कलकत्ता था, परंतु कलकत्ता हिंदी प्रदेश से दूर पड़ता था और स्वयं हिंदी प्रदेश को राजनीतिक दिशा में जागरूक नेतृत्व कुछ देर में मिला। हिंदी प्रदेश का पहला दैनिक राजा रामपालसिंह का द्विभाषीय "हिंदुस्तान" (1883) है, जो अंग्रेजी और हिंदी में कालाकाँकर से प्रकाशित होता था। दो वर्ष बाद (1885 में), बाबू सीताराम ने "भारतोदय" नाम से एक दैनिक पत्र कानपुर से निकालना शुरू किया, परंतु ये दोनों पत्र दीर्घजीवी नहीं हो सके और साप्ताहिक पत्रों को ही राजनीतिक विचारधारा का वाहन बनना पड़ा। वास्तव में उन्नीसवीं शतब्दी में कलकत्ता के भारत मित्र, वंगवासी, सारसुधानिधि और उचित वक्ता ही हिंदी प्रदेश की रानीतिक भावना का प्रतिनिधित्व करते थे। इनमें कदाचित् "भारतमित्र" ही सबसे अधिक स्थायी और शक्तिशाली था। उन्नीसवीं शताब्दी में बंगाल और महाराष्ट्र लोक जाग्रति के केंद्र थे और उग्र राष्ट्रीय पत्रकारिता में भी ये ही प्रांत अग्रणी थे। हिंदी प्रदेश के पत्रकारों ने इन प्रांतों के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया और बहुत दिनों तक उनका स्वतंत्र राजनीतिक व्यक्तित्व विकसित नहीं हो सका। फिर भी हम "अभ्युदय" (1905), "प्रताप" (1913), "कर्मयोगी", "हिंदी केसरी" (1904-1908) आदि के रूप में हिंदी राजनीतिक पत्रकारिता को कई डग आगे बढ़ाते पाते हैं। प्रथम महायुद्ध की उत्तेजना ने एक बार फिर कई दैनिक

पत्रों को जन्म दिया। कलकत्ता से "कलकत्ता समाचार", "स्वतंत्र" और "विश्वमित्र" प्रकाशित हुए, बंबई से "वेंकटेश्वर समाचार" ने अपना दैनिक संस्करण प्रकाशित करना आरंभ किया और दिल्ली से "विजय" निकला। 1921 में काशी से "आज" और कानपुर से "वर्तमान" प्रकाशित हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1921 में हिंदी पत्रकारिता फिर एक बार करवटें लेती है और राजनीतिक क्षेत्र में अपना नया जीवन आरंभ करती है। हमारे साहित्यिक पत्रों के क्षेत्र में भी नई प्रवृत्तियों का आरंभ इसी समय से होता है। फलतः बीसवीं शती के पहले बीस वर्षों को हम हिंदी पत्रकारिता का तीसरा चरण कह सकते हैं।

## *आधुनिक युग*

1921 के बाद हिंदी पत्रकारिता का समसामयिक युग आरंभ होता है। इस युग में हम राष्ट्रीय और साहित्यिक चेतना को साथ-साथ पल्लवित पाते हैं। इसी समय के लगभग हिंदी का प्रवेश विश्वविद्यालयों में हुआ और कुछ ऐसे कृती संपादक सामने आए जो अंग्रेजी की पत्रकारिता से पूर्णतः परिचित थे और जो हिंदी पत्रों को अंग्रेजी, मराठी और बँगला के पत्रों के समकक्ष लाना चाहते थे। फलतः साहित्यिक पत्रकारिता में एक नए युग का आरंभ हुआ। राष्ट्रीय आंदोलनों ने हिंदी की राष्ट्रभाषा के लिए योग्यता पहली बार घोषित की ओर जैसे-जैसे राष्ट्रीय आंदोलनों का बल बढ़ने लगा, हिंदी के पत्रकार और पत्र अधिक महत्व पाने लगे। 1921 के बाद गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन मध्यवर्ग तक सीमित न रहकर ग्रामीणों और श्रमिकों तक पहुंच गया और उसके इस प्रसार में हिंदी पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण योग दिया। सच तो यह है कि हिंदी पत्रकार राष्ट्रीय आंदोलनों की अग्र पंक्ति में थे और उन्होंने विदेशी सत्ता से डटकर मोर्चा लिया। विदेशी सरकार ने अनेक बार नए-नए कानून बनाकर समाचारपत्रों की स्वतंत्रता पर कुठाराघात किया, परंतु जेल, जुर्माना और अनेकानेक मानसिक और आर्थिक कठिनाइयाँ झेलते हुए भी हिन्दी पत्रकारों ने स्वतंत्र विचार की दीपशिखा जलाए रखी।

**1921 के बाद साहित्यक्षेत्र में जो पत्र आए उनमें प्रमुख हैं**-स्वार्थ (1922), माधुरी (1923), मर्यादा, चाँद (1923), मनोरमा (1924), समालोचक (1924), चित्रपट (1925), कल्याण (1926), सुधा (1927), विशालभारत (1928), त्यागभूमि (1928), हंस (1930), गंगा (1930), विश्वमित्र (1933), रूपाभ (1938), साहित्य संदेश (1938), कमला

(1939), मधुकर (1940), जीवनसाहित्य (1940), विश्वभारती (1942), संगम (1942), कुमार (1944), नया साहित्य (1945), पारिजात (1945), हिमालय (1946) आदि।

वास्तव में आज हमारे मासिक साहित्य की प्रौढ़ता और विविधता में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो सकता। हिंदी की अनेकानेक प्रथम श्रेणी की रचनाएँ मासिकों द्वारा ही पहले प्रकाश में आई और अनेक श्रेष्ठ कवि और साहित्यकार पत्रकारिता से भी संबंधित रहे। आज हमारे मासिक पत्र जीवन और साहित्य के सभी अंगों की पूर्ति करते हैं और अब विशेषज्ञता की ओर भी ध्यान जाने लगा है। साहित्य की प्रवृत्तियों की जैसी विकासमान झलक पत्रों में मिलती है, वैसी पुस्तकों में नहीं मिलती। वहाँ हमें साहित्य का सक्रिय, सप्राण, गतिशील रूप प्राप्त होता है।

**राजनीतिक क्षेत्र में इस युग में जिन पत्रपत्रिकाओं की धूम रही वे हैं** –कर्मवीर (1924), सैनिक (1924), स्वदेश (1921), श्रीकृष्णसंदेश (1925), हिंदूपंच (1926), स्वतंत्र भारत (1928), जागरण (1929), हिंदी मिलाप (1929), सचित्र दरबार (1930), स्वराज्य (1931), नवयुग (1932), हरिजन सेवक (1932), विश्वबंधु (1933), नवशक्ति (1934), योगी (1934), हिंदू (1936), देशदूत (1938), राष्ट्रीयता (1938), संघर्ष (1938), चिनगारी (1938), नवज्योति (1938), संगम (1940), जनयुग (1942), रामराज्य (1942), संसार (1943), लोकवाणी (1942), सावधान (1942), हुंकार (1942) और सन्मार्ग (1943), जनवार्ता (1972)।

इनमें से अधिकांश साप्ताहिक हैं, परंतु जनमन के निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा है, जहाँ तक पत्र कला का संबंध है, वहाँ तक हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे युग के पत्रों में धरती और आकाश का अंतर है। आज पत्रसंपादन वास्तव में उच्च कोटि की कला है। राजनीतिक पत्रकारिता के क्षेत्र में "आज" (1921) और उसके संपादक स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराड़कर का लगभग वही स्थान है, जो साहित्यिक पत्रकारिता के क्षेत्र में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी को प्राप्त है। सच तो यह है कि "आज" ने पत्रकला के क्षेत्र में एक महान संस्था का काम किया है और उसने हिंदी को बीसियों पत्रसंपादक और पत्रकार दिए हैं।

आधुनिक साहित्य के अनेक अंगों की भाँति हिन्दी पत्रकारिता भी नई कोटि की है और उसमें भी मुख्यत: हमारे मध्यवित्त वर्ग की सामाजिक,

सांस्कृतिक, साहित्यिक औ राजनीतिक हलचलों का प्रतिबिंब भास्वर है। वास्तव में पिछले 200 वर्षों का सच्चा इतिहास हमारी पत्र-पत्रिकाओं से ही संकलित हो सकता है। बँगला के "कलेर कथा" ग्रंथ में पत्रों के अवतरणों के आधार पर बंगाल के उन्नीसवीं शताब्दी के मध्यवित्तीय जीवन के आकलन का प्रयत्न हुआ है। हिंदी में भी ऐसा प्रयत्न वांछनीय है। एक तरह से उन्नीसवीं शती में साहित्य कही जा सकने वाली चीज बहुत कम है और जो है भी, वह पत्रों के पृष्ठों में ही पहले-पहल सामने आई है। भाषाशैली के निर्माण और जातीय शैली के विकास में पत्रों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है, परंतु बीसवीं शती के पहले दो दशकों के अंत तक मासिक पत्र और साप्ताहिक पत्र ही हमारी साहित्यिक प्रवृत्तियों को जन्म देते और विकसित करते रहे हैं। द्विवेदी युग के साहित्य को हम "सरस्वती" और "इंदु" में जिस प्रयोगात्मक रूप में देखते हैं, वही उस साहित्य का असली रूप है। 1921 ई. के बाद साहित्य बहुत कुछ पत्र-पत्रिकाओं से स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, परंतु फिर भी विशिष्ट साहित्यिक आंदोलनों के लिए हमें मासिक पत्रों के पृष्ठ ही उलटने पड़ते हैं। राजनीतिक चेतना के लिए तो पत्र-पत्रिकाएँ हैं ही। वस्तुतः पत्र-पत्रिकाएँ जितनी बड़ी जनसंख्या को छूती हैं, विशुद्ध साहित्य का उतनी बड़ी जनसंख्या तक पहुँचना असंभव है।

# 5

# हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन

इतिहास-लेखन एक दुष्कर एवं श्रमसाध्य कार्य है। यह वैज्ञानिक निरीक्षण, सचेत इतिहास-दृष्टि एवं तटस्थ व्याख्या की माँग करता है, परंतु विशाल अतीत के सभी पहलुओं की संपूर्ण अभिव्यक्ति एक ही स्थल पर संभव नहीं। अतः इतिहासकार काल-विशेष संबंधी किसी खास प्रवृत्ति अथवा विषयों का ही चयन कर पाता है। अतीत-अध्ययन के इस चयनित दृष्टिकोण से भ्रामक अथवा एकांगी इतिहास प्रस्तुति के खतरे भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में इतिहासकार 'अतीत' के सटीक संशोधन हेतु किसी युग-विशेष का अध्ययनय उसकी विभिन्न स्थितियों, महत्वपूर्ण घटनाओं एवं संक्रमणशील परिस्थितियों में अंतर्निहित समान प्रकृति के आधार पर करता है। 'अतीत' निरीक्षणोपरांत जिस तटस्थ व्याख्या को इतिहास-लेखन का आधार माना गया है, उसकी ग्राह्यता बिना उसके सरल, संक्षिप्त और क्रमवार प्रस्तुति के संभव नहीं। इतिहासकार इतिहास-अध्ययन और लेखन संबंधी इस दुरूहता का समाधान, संदर्भित अतीत की पृष्ठभूमि एवं प्रकृति के अनुरूप काल-विभाजन एवं उसके नामकरण द्वारा करता है। काल-विभाजन एवं उसका नामकरण, इतिहास-लेखन अथवा अध्ययन को न मात्र एक प्रवृत्तिपरक ऊर्ध्व दिशा प्रदान करता है, अपितु तथ्यों, संदर्भों और आँकड़ों के भँवरजाल से निकलकर एक उद्देश्यपरक, संक्षिप्त और स्पष्ट अतीत की यथार्थ

प्रस्तुति में भी सहायक सिद्ध होता है, जहाँ प्रस्तुत इतिहास अतीत, वर्तमान और भविष्य के मध्य संवाद का माध्यम बन सके, यद्यपि किसी अनुशासन अथवा विधा में एक ही कालखंड, कालखंडों अथवा संपूर्ण विकासयात्रा पर लिखे गए इतिहास में 'प्रवृत्तियों' एवं 'उद्देश्यों' की भिन्नता इतिहास-प्रस्तुतियों/व्याख्याओं को एक-दूसरे से अलग भी करती हैं।

यदि हम किसी अनुशासन अथवा विधा के अंतर्गत लिखे गए विभिन्न इतिहासों का सम्यक् अध्ययन करें तो पाएँगे कि इतिहासकारों द्वारा परस्पर एक ही धरातल पर कुछेक उद्घाटनों, प्रवृत्तियों, घटनाओं, संदर्भों और स्थापनाओं को छोड़कर कमोबेश समान कालखंड (कालावधि) अथवा नामकरण द्वारा ही इन्हें प्रस्तुत किया गया है, परंतु क्या भारतीय पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के संबंध में यही स्थिति विद्यमान है? संभवतः नहीं, पत्रकारिता अन्य अनुशासनों से कई विषयों, स्तरों और माध्यमों में नितांत भिन्न है। तत्कालीन घटनाओं, प्रतिक्रियाओं एवं कार्यवाहियों की प्रत्यक्षदर्शी पत्र-पत्रिकाएँ समाज की वंशीय, वर्गीय, जातीय, लैंगिक एवं अन्य सामाजिक विभेदों के अनुसार ही विविध रूपी होती हैं। ये मात्र समाज से प्रभावित नहीं होतीं, अपितु उसे प्रभावित भी करती हैं। ऐसे में पत्रकारिता के सम्यक् अनुशीलन के लिए इन सभी विभेदों एवं उनके विभिन्न स्तरों की अभिज्ञता आवश्यक है। यद्यपि एक ही स्थल पर इन सभी विभेदों/स्तरों का कमोबेश उल्लेख तो संभव है, परंतु एकरेखीय प्रवृत्तिमूलक इतिहास-लेखन संभव नहीं। संभवतः यही कारण है कि भारतीय पत्रकारिता अथवा विभिन्न भाषाई पत्रकारिता के इतिहास संबंधी काल-विभाजन एवं नामकरण एक-दूसरे से नितांत भिन्न हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इतिहास-लेखन संबंधी इस दुविधा अथवा चुनौती को 'हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन' में विभिन्न इतिहासकारों/विद्वानों द्वारा किए गए काल-विभाजन एवं नामकरण के माध्यम से समझा जा सकता है।

हिंदी पत्र-पत्रिकाओं संबंधी इतिहास-लेखन का प्रथम प्रयास बाबू राधाकृष्णदास द्वारा किया गया। उनकी पुस्तक 'हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास' एक संक्षिप्त विवरणात्मक इतिहास है, जिसे 1894 ई. में नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया। उस समय तक उन्हें जितनी सामग्री उपलब्ध हुई, उसे उन्होंने अपनी पुस्तक में संकलित कर दिया। प्रथम प्रयास होने के कारण इसमें अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति की कमी और तथ्यात्मक त्रुटियाँ भी दिखाई पड़ती हैं। एक इतिहास-लेखन संबंधी, दूसरा प्रयास संभवतः बाबू

बालमुकुंद गुप्त द्वारा किया गया। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में 'भारत मित्र' के माध्यम से उन्होंने 'हिंदी समाचारपत्रों का इतिहास' लिखना आरंभ किया, परंतु मृत्यु से पूर्व वह इसे पूरा न कर सके। यह एक व्यवस्थित परंतु सूचनापरक इतिहास मात्र है। बाबू राधाकृष्णदास की भाँति इन्होंने भी 'बनारस अखबार' को हिंदी का पहला पत्र माना था। इस क्षेत्र में एक अन्य प्रयास पं. विष्णुदत्त शुक्ल ने 'विशाल भारत' के माध्यम से 'हिंदी पत्रकार कला का इतिहास' लिख कर किया, परंतु वह हिंदी पत्रकारिता का कोई स्पष्ट स्वरूप निर्धारित न कर सके। हिंदी साहित्य के मूर्द्धन्य इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी अपनी चर्चित पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव और विकास का संक्षिप्त विश्लेषण किया है। शुक्ल जी द्वारा हिंदी पत्रकारिता पर किए गए विचार के संबंध में कृष्णबिहारी मिश्र लिखते हैं–"शुक्लजी ने अपने इस इतिहास में साहित्य की विविध धाराओं का गंभीर अनुशीलन प्रस्तुत किया है। पत्रकारिता के माध्यम से भाषा और साहित्य को विकास-बल मिला है, इसलिए साहित्यिक इतिहास-निर्माण के समय पत्रकारिता के विकास-क्रम तथा साहित्य के इतिहास की अन्य विकास-भूमियों पर दृष्टिपात करना आवश्यक था। शुक्लजी ने उधर दृष्टि तो डाली, किंतु प्रामाणिक यथार्थ की उपलब्धि इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि उस दिशा में शुक्लजी की शोधवृत्ति दब-सी गई थी। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि शुक्ल जी के अनुशीलन की दिशा दूसरी थी, उद्देश्य दूसरा था। कदाचित् इसीलिए उनसे तथ्य-संबंधी कई भूलें हो गईं। ऐसा प्रतीत होता है कि राधाकृष्णदास के इतिहास को उन्होंने आधार बनाया और अधिकांश तथ्यों को यथावत अपने इतिहास में रख दिया।"

अनंतर रामरतन भटनागर ने हिंदी पत्रकारिता पर अंग्रेजी में 'राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म' (हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में पी.एच.डी. हेतु किया गया प्रथम शोध) नामक 768 पृष्ठों की एक पुस्तक प्रकाशित की, जो 1846 से 1945 ई. तक प्रकाशित हिंदी पत्र-पत्रिकाओं का एक विवरणात्मक संग्रह है। यद्यपि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के क्षेत्र में यह प्रथम व्यवस्थित कृति कही जा सकती है, तथापि प्रकाशन-काल की अशुद्धि, अप्रामाणिक तथ्य, विवेचनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान प्रवृत्ति का अभाव यहाँ भी बना रहा। अंबिकाप्रसाद वाजपेयी इस शोध-ग्रंथ के संदर्भ में लिखते हैं–"भटनागरजी अपनी कृति से डॉक्टर तो बन गए, पर उनसे जिस शोध और परिश्रम की अपेक्षा की जाती थी, उसका परिचय उनके ग्रंथ से नहीं मिलता। जान पड़ता है कि उन्होंने

संग्रह को ही अधिक महत्व दिया, फलतः 'यद्दृष्टं तल्लिखितं' को ही कर्त्तव्य मान लिया। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास दक्षिण में श्री वेंकटलाल ओझा द्वारा किया गया। उन्होंने बहुत ही परिश्रम से 1826 से 1925 ई. तक सौ वर्षों में प्रकाशित हिंदी समाचारपत्रों की एक सूची तैयार की। इसे समाचारपत्र संग्रहालय, हैदराबाद द्वारा 'हिंदी समाचारपत्र सूची' (भाग-1 तथा भाग-2) नाम से प्रकाशित किया गया है। यह संग्रह प्रारंभिक शोध की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु संवत् को ई. सन् में बदलने के क्रम में (पुस्तक में अंग्रेजी सन् के अनुसार सभी पत्रों का वर्णन है) कई स्थलों पर एक साल तक का अंतर आ गया है। कई उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के पत्रों को भी हिंदी का पत्र मानकर उल्लेख किया गया है। ओझाजी ने भूलवश कुछ पुस्तकों को भी समाचारपत्र मान लिया है।

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन का प्रथम प्रामाणिक प्रयास 1953 ई. में संपादकांचार्य पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी द्वारा लिखित 'समाचारपत्रों का इतिहास' (सं. 2010) है। हिंदी पत्रकारिता के आधार-स्तंभों में एक वाजपेयी जी को हिंदी पत्रकारिता के विकास और विभिन्न चरणों का एक लंबा अनुभव प्राप्त था। साथ ही हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन संबंधी किए गए प्रयासों और खामियों से वह स्वयं परिचित थे। अपनी इतिहास-पुस्तक की भूमिका में वह लिखते हैं-"यह काम जितना श्रम, शक्ति और अर्थसाध्य है, उसका इस लेखक में अत्यंत अभाव था और इस अभाव में जो कसर थी, वह रुग्णता ने पूरी कर दी। ...अनाधिकार चेष्टा इसलिए की गई कि लेखक को गत 48-49 वर्षों की पत्रकारिता का जो अनुभव था और पुराने संपादकों के सत्संग से जो जानकारी प्राप्त हुई थी, उसका अंत उसके साथ ही हो जाना न लेखक को अभीष्ट था और न उनके मित्रों को।" यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इस पुस्तक की कलेवर-लघुता, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की वैशिष्ट्य चर्चा का अभाव तथा कुछ स्थलों पर प्रकाशन-काल संबंधी भूलों के आरोप लगाये हैं (कई स्थलों पर स्वयं वाजपेयीजी भी उक्त पत्र-पत्रिका संबंधी भ्रम की स्थिति स्वीकारते हैं) तथापि उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर क्रमवार विषय-वैशिष्ट्य सहित यह इतिहास-पुस्तक आज भी प्रथम प्रामाणिक संदर्भ स्रोत के रूप में विद्वानों में स्वीकार्य है।

अद्यतन हिंदी पत्र-पत्रिकाओं के इतिहास संबंधी कई प्रवृत्तिपरक, विषयपरक एवं अनुसंधानपरक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। इनमें क्षेत्र-विशेष की हिंदी पत्रकारिता संबंधी कार्य भी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण कार्यों में डॉ. कृष्णबिहारी मिश्र का प्रामाणिक शोध प्रबंध कलकत्ता की 'हिंदी पत्रकारिता–जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण-भूमि', डॉ. रमेश कुमार जैन की 'हिंदी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास', डॉ. वेदप्रताप वैदिक द्वारा संपादित 'हिंदी पत्रकारिता–विविध आयाम', डॉ. कैलाश नारद की 'मध्यप्रदेश में हिंदी पत्रकारिता–राष्ट्रीय नवउद्‌बोधन', विजयदत्त श्रीधर संपादित 'मध्यप्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास', डॉ. मधुकर भट्‌ट द्वारा लिखित 'वाराणसी और प्रयाग की पत्रकारिता (सन् 1850 से 1950)', डॉ. ब्रह्मानंद की 'भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और उत्तर प्रदेश की हिंदी पत्रकारिता', डॉ. रामचंद्र तिवारी की 'पत्रकारिता के विविध रूप' तथा डॉ. अर्जुन तिवारी द्वारा लिखित 'हिंदी पत्रकारिता का बृहद् इतिहास' प्रमुख हैं। अंबिकाप्रसाद वाजपेयी से शुरू हुई अनुसंधानपरक तथा प्रवृत्तिमूलक गंभीर परंपरा में अद्यतन दो दर्जन से अधिक इतिहास-पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, परंतु इन पुस्तकों में हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव और विकास संबंधी काल-विभाजन एवं नामकरण का कोई सर्वमान्य स्वरूप प्रस्तुत नहीं हो पाया है। कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण द्रष्टव्य हैं –

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राममोहन राय ने कई पत्र शुरू किये। जिसमें अहम है–साल 1816 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्‌टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है।

## हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन

भारत में हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना कुछ कठिन कार्य है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास ने ऐसा प्रारंभिक

प्रयास किया था। उसके बाद 'विशाल भारत' के नवंबर 1930 के अंक में विष्णुदत्त शुक्ल ने इस प्रश्न पर विचार किया, किन्तु वे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। गुप्त निबंधावली में बालमुकुंद गुप्त ने यह विभाजन इस प्रकार किया–

## *प्रथम चरण–सन् 1845 से 1877*

1826 ई. से 1873 ई. तक को हम हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कह सकते हैं। 1873 ई. में भारतेंदु ने "हरिश्चंद्र मैगजीन" की स्थापना की। एक वर्ष बाद यह पत्र "हरिश्चंद्र चंद्रिका" नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे भारतेंदु का "कविवचन सुधा" पत्र 1867 में ही सामने आ गया था और उसने पत्रकारिता के विकास में महत्वपूर्ण भाग लिया था, परंतु नई भाषाशैली का प्रवर्तन 1873 में "हरिश्चंद्र मैगजीन" से ही हुआ। इस बीच के अधिकांश पत्र प्रयोग मात्र कहे जा सकते हैं और उनके पीछे पत्रकला का ज्ञान अथवा नए विचारों के प्रचार की भावना नहीं है। "उदंत मार्तंड" के बाद प्रमुख पत्र हैं–बंगदूत (1829), प्रजामित्र (1834), बनारस अखबार (1845), मार्तंड पंचभाषीय (1846), ज्ञानदीप (1846), मालवा अखबार (1849), जगद्दीप भास्कर (1849), सुधाकर (1850), साम्यदंड मार्तंड (1850), मजहरुलसरूर (1850), बुद्धिप्रकाश (1852), ग्वालियर गजेट (1853), समाचार सुधावर्षण (1854), दैनिक कलकत्ता, प्रजाहितैषी (1855), सर्वहितकारक (1855), सूरजप्रकाश (1861), जगलाभचिंतक (1861), सर्वोपकारक (1861), प्रजाहित (1861), लोकमित्र (1835), भारतखंडामृत (1864), तत्वबोधिनी पत्रिका (1865), ज्ञानप्रदायिनी पत्रिका (1866), सोमप्रकाश (1866), सत्यदीपक (1866), वृत्तांतविलास (1867), ज्ञानदीपक (1867), कविवचनसुधा (1867), धर्मप्रकाश (1867), विद्याविलास (1867), वृत्तांतदर्पण (1867), विद्यादर्श (1869), ब्रह्मज्ञानप्रकाश (1869), अलमोड़ा अखबार (1870), आगरा अखबार (1870), बुद्धिविलास (1870), हिंदू प्रकाश (1871), प्रयागदूत (1871), बुंदेलखंड अखबर (1871), प्रेमपत्र (1872) और बोधा समाचार (1872)। इन पत्रों में से कुछ मासिक थे, कुछ साप्ताहिक। दैनिक पत्र केवल एक था "समाचार सुधावर्षण" जो द्विभाषीय (बंगला हिंदी) था और कलकत्ता से प्रकाशित होता था। यह दैनिक पत्र 1871 तक चलता रहा। अधिकांश पत्र आगरा से प्रकाशित होते थे, जो उन दिनों एक

बड़ा शिक्षा केंद्र था और विद्यार्थीसमाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। शेष ब्रह्मसमाज, सनातन धर्म और मिशनरियों के प्रचार कार्य से संबंधित थे। बहुत से पत्र द्विभाषीय (हिंदी उर्दू) थे और कुछ तो पंचभाषीय तक थे। इससे भी पत्रकारिता की अपरिपक्व दशा ही सूचित होती है। हिंदी प्रदेश के प्रारंभिक पत्रों में "बनारस अखबार" (1845) काफी प्रभावशाली था और उसी की भाषा नीति के विरोध में 1850 में तारामोहन मैत्र ने काशी से साप्ताहिक "सुधाकर" और 1855 में राजा लक्ष्मणसिंह ने आगरा से "प्रजाहितैषी" का प्रकाशन आरंभ किया था। राजा शिवप्रसाद का "बनारस अखबार" उर्दू भाषाशैली को अपनाता था तो ये दोनों पत्र पंडिताऊ तत्समप्रधान शैली की ओर झुकते थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1867 से पहले भाषाशैली के संबंध में हिंदी पत्रकार किसी निश्चित शैली का अनुसरण नहीं कर सके थे। इस वर्ष कवि वचनसुधा का प्रकाशन हुआ और एक तरह से हम उसे पहला महत्वपूर्ण पत्र कह सकते हैं। पहले यह मासिक था, फिर पाक्षिक हुआ और अंत में साप्ताहिक। भारतेंदु के बहुविध व्यक्तित्व का प्रकाशन इस पत्र के माध्यम से हुआ, परंतु सच तो यह है कि "हरिश्चंद्र मैगजीन" के प्रकाशन (1873) तक वे भी भाषाशैली और विचारों के क्षेत्र में मार्ग ही खोजते दिखाई देते हैं।

### *द्वितीय चरण–सन् 1877 से 1890*

**तृतीय चरण–सन् 1890 से बाद तक**–डॉ. रामरतन भटनागर ने अपने शोध प्रबंध 'द राइज एंड ग्रोथ आफ हिंदी जर्नलिज्म' काल विभाजन इस प्रकार किया है–

## आरंभिक युग 1826 से 1867

### *उत्थान एवं अभिवृद्धि*

- प्रथम चरण (1867–1883) भाषा एवं स्वरूप के समेकन का युग।
- द्वितीय चरण (1883–1900) प्रेस के प्रचार का युग।

### *विकास युग*

- प्रथम युग (1900–1921) आवधिक पत्रों का युग।
- द्वितीय युग (1921–1935) दैनिक प्रचार का युग।

## *सामयिक पत्रकारिता–1935-1945*

उपरोक्त में से तीन युगों के आरंभिक वर्षों में तीन प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने युगीन पत्रकारिता के समक्ष आदर्श स्थापित किए। सन् 1867 में 'कविवचन सुधा', सन् 1883 में 'हिन्दुस्तान' तथा सन् 1900 में 'सरस्वती' का प्रकाशन है।

काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित 'हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास' के त्रयोदय भाग के तृतीय खंड में यह काल विभाजन इस प्रकार किया गया है–

- प्रथम उत्थान–सन् 1826 से 1867।
- द्वितीय उत्थान–सन् 1868 से 1920।
- आधुनिक उत्थान–सन् 1920 के बाद

'ए हिस्ट्री आफ द प्रेस इन इंडिया' में श्री एस नटराजन ने पत्रकारिता का अध्ययन निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया है–

- बीज वपन काल,
- ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव,
- राष्ट्रीय जागरण काल,
- लोकतंत्र और प्रेस।

डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'हिंदी पत्रकारिता' का अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से यह विभाजन मोटे रूप से इस प्रकार किया है–

1. ृभारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय (सन् 1826 से 1867)।
2. राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति-दूसरे दौर की हिंदी पत्रकारिता (सन् 1867-1900)।
3. बीसवीं शताब्दी का आरंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर–इस काल खण्ड का अध्ययन करते समय उन्होंने इसे तिलक युग तथा गांधी युग में भी विभक्त किया।
4. डॉ. रामचन्द्र तिवारी ने अपनी पुस्तक 'पत्रकारिता के विविध रूप' में विभाजन के प्रश्न पर विचार करते हुए यह विभाजन किया है–

- • उदय काल– (सन् 1826 से 1867)।
- • भारतेंदु युग– (सन् 1867 से 1900)।
- तिलक या द्विवेदी युग– (सन् 1900 से 1920)।

- गांधी युग– (सन् 1920 से 1947)।
- स्वातंर्त्योत्तर युग (सन् 1947 से अब तक)।
- डॉ. सुशील जोशी ने काल विभाजन कुछ ऐसा प्रस्तुत किया है–
- हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव–1826 से 1867,
- हिंदी पत्रकारिता का विकास–1867 से 1900,
- हिंदी पत्रकारिता का उत्थान–1900 से 1947,
- स्वातंर्त्योत्तर पत्रकारिता–1947 से अब तक।

उक्त मतों की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों पत्रकारों ने अपनी-अपनी सुविधा से अलग-अलग ढंग से किया है। इस संबंध में सर्वसम्मत काल निर्धारण अभी नहीं किया जा सका है। किसी ने व्यक्ति विशेष के नाम से युग का नामकरण करने का प्रयास किया है तो किसी ने परिस्थिति अथवा प्रकृति के आधार पर। इनमें एकरूपता का अभाव है।

## *हिंदी पत्रकारिता का उद्‌भव काल (1826 से 1867)*

कलकत्ता से 30 मई, 1826 को 'उदन्त मार्तण्ड' के सम्पादन से प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालांकि आर्थिक अभावों के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया, पर इसने हिंदी अखबारों के प्रकाशन का जो शुभारंभ किया, वह कारवां निरंतर आगे बढ़ा है। साथ ही हिंदी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से महत्त्वपूर्ण बन गया।

## कलकत्ता का योगदान

पत्रकारिता जगत् में कलकत्ता का बड़ा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशासनिक, वाणिज्य तथा शैक्षिक दृष्टि से कलकत्ता का उन दिनों विशेष महत्व था। यहीं से 10 मई 1829 को राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत' समाचार पत्र निकाला जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित हुआ। बंगला पत्र 'समाचार दर्पण' के 21 जून 1834 के अंक 'प्रजामित्र' नामक हिंदी पत्र के कलकत्ता से प्रकाशित होने की सूचना मिलती है, लेकिन अपने शोध ग्रंथ में डॉ.

रामरतन भटनागर ने उसके प्रकाशन को संदिग्ध माना है। 'बंगदूत' के बंद होने के बाद 15 सालों तक हिंदी में कोई पत्र न निकला।

## *हिंदी पत्रकारिता का उत्थान काल ( 1900–1947 )*

सन् 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका,अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है। वह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसे बंगाली बाबू चिन्तामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरी प्रचारिणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके सम्पादक मण्डल में बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिका प्रसाद खत्री, जगन्नाथदास रत्नाकर, किशोरीदास गोस्वामी तथा बाबू श्यामसुन्दरदास थे। 1903 में इसके सम्पादन का भार आचार्य महावर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी-रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भण्डार की अंगपुष्टि, वृद्धि और पूर्ति करन था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव व विकास बड़ी ही विषम परिस्थिति में हुआ। इस समय जो भी पत्र-पत्रिकाएं निकलती उनके सामने अनेक बाधाएं आ जातीं, लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिंदी पत्रकारिता शनैः-शनैः गति पाती गई।

## *हिंदी पत्रकारिता का उत्कर्ष काल ( 1947 से प्रारंभ )*

अपने क्रमिक विकास में हिंदी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नई उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई। जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। रूप-विन्यास में भी सुरुचि दिखाई देने लगी। आजादी के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व उन्नति होने पर भी यह दुःख का विषय है कि आज हिंदी पत्रकारिता विकृतियों से घिरकर स्वार्थसिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है, परन्तु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही हुई। यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति कर ली है, किन्तु उसके उत्कर्षकारी विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी कम नहीं है।

## *प्रतिबंधित पत्र-पत्रिकाएँ*

भारत के स्वाधीनता संघर्ष में पत्र-पत्रिकाओं की अहम भूमिका रही है। आजादी के आन्दोलन में भाग ले रहा हर आम-ओ-खास कलम की ताकत से वाकिफ था। राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदनमोहन मालवीय, बाबा साहब अम्बेडकर, यशपाल जैसे आला दर्जे के नेता सीधे-सीधे तौर पर पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए थे और नियमित लिख रहे थे। जिसका असर देश के दूर-सुदूर गांवों में रहने वाले देशवासियों पर पड़ रहा था। अंग्रेजी सरकार को इस बात का अहसास पहले से ही था, लिहाजा उसने शुरू से ही प्रेस के दमन की नीति अपनाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदंत्त मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। अपने समय का यह खास समाचार पत्र था, मगर आर्थिक परेशानियों के कारण यह जल्दी ही बंद हो गया। आगे चलकर माहौल बदला और जिस मकसद की खातिर पत्र शुरू किये गये थे, उनका विस्तार हुआ। समाचार सुधावर्षण, अभ्युदय, शंखनाद, हलधर, सत्याग्रह समाचार, युद्धवीर, क्रांतिवीर, स्वदेश, नया हिन्दुस्तान, कल्याण, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण,बुन्देलखण्ड केसरी, मतवाला सरस्वती, विप्लव, अलंकार, चाँद, हंस, प्रताप, सैनिक, क्रांति, बलिदान, वालिंटियर आदि जनवादी पत्रिकाओं ने आहिस्ता-आहिस्ता लोगों में सोये हुए वतनपरस्ती के जज्बे को जगाया और क्रांति का आह्वान किया।

नतीजतन उन्हें सत्ता का कोपभाजन बनना पड़ा। दमन, नियंत्रण के दुश्चक्र से गुजरते हुए, उन्हें कई प्रेस अधिनियमों का सामना करना पड़ा। 'वर्तमान पत्र' में पंडित जवाहर लाल नेहः द्वारा लिखा 'राजनीतिक भूकम्प' शीर्षक लेख, 'अभ्युदय' का भगत सिंह विशेषांक, किसान विशेषांक, 'नया हिन्दुस्तान' के साम्राज्यवाद, पूंजीवाद और फॉसीवादी विरोधी लेख, 'स्वदेश' का विजय अंक, 'चाँद' का अछूत अंक, फाँसी अंक, 'बलिदान' का नववर्षांक, 'क्रांति' के 1939 के सितम्बर, अक्टूबर अंक, 'विप्लव' का चंद्रशेखर अंक अपने क्रांतिकारी तेवर और राजनीतिक चेतना फैलाने के इल्जाम में अंग्रेजी सरकार की टेढ़ी निगाह के शिकार हुए और उन्हें जब्ती, प्रतिबंध, जुर्माना का सामना करना पड़ा। संपादकों को कारावास भुगतना पड़ा।

## *गवर्नर जनरल वेलेजली*

भारतीय पत्रकारिता की स्वाधीनता को बाधित करने वाला पहला प्रेस अधिनियम गवर्नर जनरल वेलेजली के शासनकाल में 1799 को ही सामने आ गया था। भारतीय पत्रकारिता के आदिजनक जॉन्स आगस्टक हिक्की के समाचार पत्र 'हिक्की गजट' को विद्रोह के चलते सर्वप्रथम प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। हिक्की को एक साल की कैद और दो हजार रूपए जुर्माने की सजा हुई। कालांतर में 1857 में गैंगिंक एक्ट, 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1908 में न्यूज पेपर्स एक्ट (इन्साइटमेंट अफैंसेज), 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट, 1930 में इंडियन प्रेस आर्डिनेंस, 1931 में दि इंडियन प्रेस एक्ट (इमरजेंसी पावर्स) जैसे दमनकारी कानून अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करने के उद्देश्य से लागू किए गये। अंग्रेजी सरकार इन काले कानूनों का सहारा लेकर किसी भी पत्र-पत्रिका पर चाहे जब प्रतिबंध, जुर्माना लगा देती थी। आपत्तिजनक लेख वाले पत्र-पत्रिकाओं को जब्त कर लिया जाता। लेखक, संपादकों को कारावास भुगतना पड़ता व पत्रों को दोबारा शुरू करने के लिए जमानत की भारी भरकम रकम जमा करनी पड़ती। बावजूद इसके समाचार पत्र संपादकों के तेवर उग्र से उग्रतर होते चले गए। आजादी के आन्दोलन में जो भूमिका उन्होंने खुद तय की थी, उस पर उनका भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। जेल, जब्ती, जुर्माना के डर से उनके हौसले पस्त नहीं हुये।

## बीसवीं सदी की शुरुआत

बीसवीं सदी के दूसरे-तीसरे दशक में सत्याग्रह, असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रचार प्रसार और उन आन्दोलनों की कामयाबी में समाचार पत्रों की अहम भूमिका रही। कई पत्रों ने स्वाधीनता आन्दोलन में प्रवक्ता का रोल निभाया। कानपुर से 1920 में प्रकाशित 'वर्तमान' ने असहयोग आन्दोलन को अपना व्यापक समर्थन दिया था। पंडित मदनमोहन मालवीय द्वारा शुरू किया गया साप्ताहिक पत्र 'अभ्युदय' उग्र विचारधारा का हामी था। अभ्युदय के भगत सिंह विशेषांक में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, मदनमोहन मालवीय, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लेख प्रकाशित हुए। जिसके परिणामस्वरूप इन पत्रों को प्रतिबंध-जुर्माना का सामना करना पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी का 'प्रताप', सज्जाद जहीर एवं शिवदान सिंह चौहान के संपादन में इलाहाबाद से निकलने

वाला 'नया हिन्दुस्तान' राजाराम शास्त्री का 'क्रांति' यशपाल का 'विप्लव' अपने नाम के मुताबिक ही क्रांतिकारी तेवर वाले पत्र थे। इन पत्रों में क्रांतिकारी युगांतकारी लेखन ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी थी। अपने संपादकीय, लेखों, कविताओं के जरिए इन पत्रों ने सरकार की नीतियों की लगातार भर्त्सना की। 'नया हिन्दुस्तान' और 'विप्लव' के जब्तशुदा प्रतिबंधित अंकों को देखने से इनकी वैश्विक दृष्टि का पता चलता है।

## 'चाँद' का फाँसी अंक

फाँसीवाद के उदय और बढ़ते साम्राज्यवाद, पूंजीवाद पर चिंता इन पत्रों में साफ देखी जा सकती है। गोरखपुर से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र 'स्वदेश' को जीवंतपर्यंत अपने उग्र विचारों और स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण समय-समय पर अंग्रेजी सरकार की कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। खासकर विशेषांक विजयांक को। आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा संपादित 'चाँद' के फाँसी अंक की चर्चा भी जरूरी है। काकोरी के अभियुक्तों को फाँसी के लगभग एक साल बाद, इलाहाबाद से प्रकाशित चाँद का फाँसी अंक क्रांतिकारी आन्दोलन के इतिहास की अमूल्य निधि है। यह अंक क्रांतिकारियों की गाथाओं से भरा हुआ है। सरकार ने अंक की जनता में जबर्दस्त प्रतिक्रिया और समर्थन देख, इसको फौरन जब्त कर लिया और रातों-रात इसके सारे अंक गायब कर दिये। अंग्रेज हुकूमत एक तरफ क्रांतिकारी पत्र-पत्रिकाओं को जब्त करती रही, तो दूसरी तरफ इनके संपादक इन्हें बिना रुके पूरी निर्भिकता से निकालते रहे। सरकारी दमन इनके हौसलों पर जरा भी रोक नहीं लगा सका। पत्र-पत्रिकाओं के जरिए उनका यह प्रतिरोध आजादी मिलने तक जारी रहा।

सर्वप्रथम बाबू बालमुकुंद गुप्त ने हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा (1826 ई. से बीसवीं सदी के प्रथम दशक तक) को तीन चरणों में विभाजित किया था -

1. प्रथम चरण-1845 से 1877 ई.
2. द्वितीय चरण-1877 से 1890 ई.
3. तृतीय चरण-1890 ई. से के बाद...

डॉ. रामरतन भटनागर ने अपने शोध-ग्रंथ 'राइज एंड ग्रोथ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म (1826-1945)' में हिंदी पत्रकारिता के विकास को चार कालखंडों में विभाजित किया है -

1. **आरंभिक युग**–1826–1867 ई.
2. **उत्थान तथा अभिवृद्धि युग–** (क) प्रथम चरण–1867–1883 ई.
   (ख) द्वितीय चरण–1883–1900 ई.
3. **विकास युग–** (क) प्रथम चरण–1900–1921 ई.
   (ख) द्वितीय चरण–1921–1935 ई.
4. **आधुनिक युग–1935–1945 ई.**

हिंदी पत्रकारिता पर प्रथम प्रामाणिक, वैशिष्ट्यपरक और श्रमसाध्य इतिहास लिखने वाले संपादकांचार्य पं. अंबिकाप्रसाद वाजपेयी ने अपनी पुस्तक 'समाचार पत्रों का इतिहास' (प्रथम संस्करण, सं.2010) के दूसरे भाग 'हिंदी–समाचारपत्रों का इतिहास' के विभिन्न पड़ावों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है –

(i) प्रारंभकाल के हिंदी के पत्र।

(ii) दूसरे दौर के पत्र।

(iii) तीसरे दौर के पत्र।

(iv) नए युग की झलक।

(v) दैनिक पत्रों का युग।

हिंदी साहित्य के आद्यंत विकास को लिपिबद्ध करने के उद्देश्य से नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की महत्वकांक्षी परियोजना के रूप में 16 भागों में प्रकाशित 'हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास' के भाग–13 (संपादक–डॉ. लक्ष्मीनारायण 'सुधांशु') में डॉ. माहेश्वरी सिंह 'महेश' ने हिंदी पत्रकारिता का काल–विभाजन इस प्रकार किया है –

- प्रथम उत्थान–1826–1867 ई.
- द्वितीय उत्थान–1867–1920 ई.

## *आधुनिक काल–1920 ई. के बाद*

कलकत्ता की हिंदी पत्रकारिता पर केंद्रित चर्चित पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता–जातीय चेतना और खड़ी बोली साहित्य की निर्माण भूमि' के लेखक कृष्णबिहारी मिश्र ने भारतीय पत्रकारिता के विकास को राष्ट्रीयता के विकास से जोड़कर देखा है। उन्होंने इस शोध–ग्रंथ में हिंदी पत्रकारिता को निम्नलिखित कालखंडों में विभाजित किया है –

- भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय–1826–1867 ई.
- राष्ट्रीयता का विकास और हिंदी पत्रकारिता का दूसरा दौर–1867–1900 ई.
- बीसवीं शताब्दी का आरंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर–1900–1947 ई.

  (क) हिंदी पत्रकारिता का तिलक युग–1900–1920 ई.

  (ख) हिंदी पत्रकारिता का गांधी युग–1920–1947 ई.

**सांप्रतिक पत्रकारिता**–आदर्शों में विघटन और मनोबल का ह्रास (1947 के बाद)।

डॉ. रामचंद्र तिवारी ने अपनी पुस्तक 'पत्रकारिता के विविध रूप' में हिंदी पत्रकारिता का काल–विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार किया है –

- उदयकाल–1826–1867 ई.
- भारतेंदु युग–1867–1900 ई.
- तिलक या द्विवेदी युग–1900–1920 ई.
- गांधी युग–1920–1947 ई.
- स्वातंत्र्योत्तर युग–1947 ई. के बाद...

हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को प्रसिद्ध पत्रकार एवं संपादक डॉ. बाँकेबिहारी भटनागर ने निम्नलिखित चरणों में विभाजित किया है –

- प्रथम चरण–1826–1857 ई.
- द्वितीय चरण–भारतेंदु युग–1857–1890 ई.
- तीसरा चरण–1890–1918 ई.
- चौथा चरण–गांधी युग–1918 से स्वतंत्रतापूर्व तक।

डॉ. रमेश कुमार जैन ने अपनी पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता का आलोचनात्मक इतिहास' में हिंदी पत्रकारिता की विकासयात्रा को निम्नलिखित युगों में विभाजित किया है–

- प्रारंभिक युग–1826–1867 ई.
- भारतेंदु युग–1867–1900 ई.
- द्विवेदी युग–1900–1920 ई.
- गांधी युग–1920–1947 ई.
- स्वातंत्र्योत्तर युग–1947 से अब तक।

हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन संबंधी विभिन्न प्रयासों के अवलोकन के इस क्रम में डॉ. नगेंद्र द्वारा संपादित एवं डॉ. अर्जुन तिवारी द्वारा लिखित दो पुस्तकों को देखना समीचीन होगा डॉ. नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक 'हिंदी वा्मय–बीसवीं शती' में श्री अशोक तथा प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने बीसवीं सदी की राजनीतिक घटनाओं, विभिन्न क्रांतियों और उसके व्यापक सामाजिक प्रभावों के आधार पर हिंदी पत्रकारिता का काल-विभाजन एवं नामकरण किया है-

- सन् 1905-1914 ई.-बंग-भंग और गरम दल का उदय।
- सन् 1914 से 1921 ई.-प्रथम विश्वयुद्ध, पंजाब में दमन और सत्याग्रह आंदोलन।
- सन् 1921 से 1939 ई.-राजनीतिक सुधार और संगठन, विधानसभाओं का उदय, समाजवादी क्रांति (रूस) का प्रभाव, नाजीवाद और द्वितीय विश्वयुद्ध।
- सन् 1939 से 1947 ई.-भारत छोड़ो आंदोलन, द्वितीय विश्वयुद्ध, परमाणु युग का आरंभ, भारत का विभाजन और स्वतंत्रता।
- सन् 1947 ई.-स्वतंत्रता के बाद।

डॉ. नगेंद्र द्वारा संपादित एक अन्य चर्चित पुस्तक 'हिंदी साहित्य का इतिहास' में डॉ. ओम प्रकाश सिंह ने उन्नीसवीं सदी की हिंदी पत्रकारिता की विकास-यात्रा को तीन उत्थानों में अभिव्यक्त किया है -

- प्रथम उत्थान-1826 से 1867 ई.
- द्वितीय उत्थान-1868 से 1885 ई.
- तृतीय उत्थान-1886 से 1900 ई.

इस क्रम में डॉ. अर्जुन तिवारी की पुस्तक 'स्वतंत्रता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता' का उदाहरण द्रष्टव्य है। वह हिंदी पत्रकारिता के व्यक्तित्व निर्माण को राष्ट्रीय चेतना और क्रांति के मणिकांचन संयोग की निर्मिति मानते हुए इसका विभाजन एवं नामकरण इस प्रकार करते हैं -

- बीज-वपन काल–1826-1867 ई.
- अंकुरण काल–1867-1905 ई.
- पल्लवन काल–1905-1929 ई.
- फलन काल–1929-1947 ई.

वहीं, दूसरी ओर अपनी बहुचर्चित पुस्तक 'हिंदी पत्रकारिता का बृहद इतिहास' में वह हिंदी पत्रकारिता के उद्‌भव, विकास और वर्तमान काल में

प्रकाशित हिंदी पत्रों के उद्बोधन, जागरण, क्रांति तथा नव-निर्माण द्वारा भारत में राष्ट्रीय एवं सामाजिक परिवर्तनों की स्वस्थ दिशा को परिलक्षित करते हुए हिंदी पत्रकारिता के इतिहास को निम्नलिखित कालों में बाँटते हैं -

## उद्भव काल (उद्बोधन काल)-1826 से 1884 ई.

विकास काल-

(क) स्वातंर्त्र्यपूर्व काल-

(i) जागरणकाल-1885-1919 ई.

(i) क्रांतिकाल-1920-1947 ई.

(ख) स्वातंर्त्र्योत्तर काल-नव निर्माण काल (1948-1974 ई.)

## *वर्तमान काल (बहुउद्देशीय काल)-1975 से... 17*

यदि हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन संबंधी विभिन्न प्रयासों (पुस्तकों) की एक सूची तैयार करें तो यह संख्या 50 से भी अधिक हो जाएगी, परंतु यह सभी ग्रंथ मौलिक अवधारणाओं/इतिहास-दृष्टि से कोसों दूर हैं और उनके द्वारा किए गए काल-विभाजन एवं नामकरण उपरोक्त पुस्तकों की नकल अथवा अनुसरण मात्र है। हिंदी अथवा अन्य भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं के काल-विभाजन में भी कोई खास-अंतर नहीं दिखाई पड़ता। कई स्थलों पर शासकों के नाम पर भी काल-विभाजन एवं नामकरण के प्रयास हुए हैं। यथा-अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग आदि। लगभग सभी भाषाओं की पत्रकारिता में कालजयी साहित्यकारों, समाज-सुधारकों, युगद्रष्टा पत्रकारों अथवा राजनीतिक आंदोलनकारियों/पुरोधाओं के नाम पर काल-विभाजन एवं नामकरण हुए हैं, परंतु इसी क्रम में वे उत्थानकाल और स्वातंर्त्र्योत्तर युग के साथ न्याय नहीं कर पाते। युग-पुरुषों के नाम पर काल-विभाजन यथोचित होते हुए भी एकरूपता की दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता। दूसरी तरफ पत्रकारिता संबंधी ये काल-विभाजन किसी एक प्रकृति, प्रवृत्ति अथवा आंदोलन का दमन कर दूसरे को प्रमुखता देते हैं। पत्रकारिता के रूप-परिवर्तन और दशा-दिशा का अध्ययन तभी समीचीन होगा, जब समान प्रकृति या प्रवृत्ति के आधार पर काल-विभाजन एवं नामकरण हो, परंतु जब प्रकृति और प्रवृत्ति बहुधर्मी हो, तब चयनित अवधि के समस्त पत्रों

में मुख्य अंतर्वृत्ति या स्थिति की परख कई स्वरों के विरोध में खड़ी हो जाती है। यह सही है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा हिंदी पत्रकारिता के एक ही कालखंड में समान प्रकृति अथवा प्रवृत्ति की एक दृढ़ रेखा खींची गई है, परंतु दूसरी ओर उसी कालखंड में मानवीय चेतना का परस्पर विरोधी विकास, भिन्न प्रेरक स्थितियाँ एवं सरोकार, संक्रमणशील परिस्थितियों के प्रति परस्पर विरोधी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विरोधी प्रवृत्तियाँ एवं उद्देश्यय पत्र-पत्रिकाओं की प्रवृत्ति निरूपण और एकरेखीय काल-विभाजन को न मात्र दुरूह बनाती हैं, अपितु काल-विभाजन की नई स्थापनाओं को भी जन्म देती है।

क्या हिंदी पत्रकारिता का एक सर्वमान्य काल-विभाजन एवं नामकरण असंभव है? वास्तव में प्रश्न असंभाव्यता का नहीं है, वरन हिंदी पत्रकारिता के वैविध्यवर्णी, बहुउद्देश्यीय और नवीन अनुसंधान संभाव्यता का है। विभिन्न सरोकारों की दृष्टि से पत्रकारिता अन्य अनुशासनों से नितांत अलग है। पत्र-पत्रिकाएँ अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा साहित्यिक सरोकारों, उनसे उत्पन्न परिस्थितिजन्य दायित्वों, उद्देश्यों और प्रतिक्रियाओं तथा अपने संरचनात्मक विशेषताओं के कारण काल एवं उसकी प्रतीति का सर्वाधिक मुख्य स्रोत होती है। फलस्वरूप किसी भी भाषा की पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के कई आधार हो सकते हैं और यही आधार उनके काल-विभाजन एवं नामकरण के प्रमुख कारक बनते हैं। उदाहरणस्वरूप हिंदी पत्रकारिता के इतिहास का मूल्यांकन हम प्रकाशन अवधि (यथा-दैनिक, साप्ताहिक, अर्द्धसाप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्विमासिक, त्रैमासिक, वार्षिक आदि) के आधार पर, विभिन्न स्थितियों, विषयों अथवा आंदोलनों (राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साइक्लोस्टाइल भूमिगत पत्रों आदि) के आधार पर, वर्गीय अथवा जातीय (दलित, आदिवासी, स्त्री, बाल-पत्रकारिता, आर्य समाज, मजदूर एवं किसान आदि) आधार पर, पेशेगत पत्रकारिता (शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, फिल्म, उद्योग और व्यवसाय आदि) के आधार पर, विभिन्न संस्थाओं के आधार पर (भाषा, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले पत्र), क्षेत्रीयता (बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, पंजाब, दक्षिण भारत आदि

क्षेत्रों में हिंदी पत्रकारिता) के आधार पर तथा भाषा अथवा साहित्य के आधार पर हिंदी पत्रकारिता के इतिहास-लेखन के प्रयास किए जा सकते हैं/किए गए हैं। ऐसे में इनके काल (विषय अथवा स्थान केंद्रित प्रथम पत्रिका से लेकर), प्रवृत्तियाँ तथा उपादेयता एक-दूसरे से नितांत भिन्न हो सकती है, जिन्हें एक ही विभाजन एवं नामकरण में समेटना न तो श्रेयस्कर होगा और न ही उचित। यही कारण है कि हिंदी पत्रकारिता के काल-विभाजन एवं नामकरण संबंधी उपरोक्त प्रयास अपने अन्वेषण, प्रवृत्ति तथा उद्देश्यपूर्ति के आधार पर वैज्ञानिक, सुसंगत और सफल प्रतीत होते हुए भी एक सर्वमान्य आधार उपलब्ध नहीं करा पाते।

# 6

# विश्व में पत्रकारिता का इतिहास

पत्रकारिता (journalism) आधुनिक सभ्यता का एक प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें समाचारों का एकत्रीकरण, लिखना, रिपोर्ट करना, सम्पादित करना और सम्यक प्रस्तुतिकरण आदि सम्मिलित है। आज के युग में पत्रकारिता के भी अनेक माध्यम हो गये हैं, जैसे-अखबार, पत्रिकायें, रेडियो, दूरदर्शन, वेब-पत्रकारिता आदि। विश्व में पत्रकारिता का आरंभ सन 131 ईस्वी पूर्व रोम में हुआ था। उस साल पहला दैनिक समाचार-पत्र निकलने लगा। उस का नाम था-"Acta Diurna" (दिन की घटनाएं). वास्तव में यह पत्थर की या धातु की पट्टी होती था, जिस पर समाचार अंकित होते थे। ये पट्टियां रोम के मुख्य स्थानों पर रखी जाती थीं और इन में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों की सभाओं के निर्णयों और ग्लेडिएटरों की लड़ाइयों के परिणामों के बारे में सूचनाएं मिलती थीं।

मध्यकाल में यूरोप के व्यापारिक केंद्रों में 'सूचना-पत्र ' निकलने लगे। उन में कारोबार, क्रय-विक्रय और मुद्रा के मूल्य में उतार-चढ़ाव के समाचार लिखे जाते थे, लेकिन ये सारे 'सूचना-पत्र ' हाथ से ही लिखे जाते थे। 15वीं शताब्दी के मध्य में योहन गूटनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार किया। असल में उन्होंने धातु के अक्षरों का आविष्कार किया। इस के फलस्वरूप किताबों का ही नहीं, अखबारों का भी प्रकाशन संभव हो गया।

16वीं शताब्दी के अंत में, यूरोप के शहर स्त्रस्बुर्ग में, योहन कारोलूस नाम का कारोबारी धनवान ग्राहकों के लिये सूचना-पत्र लिखवा कर प्रकाशित करता

था, लेकिन हाथ से बहुत सी प्रतियों की नकल करने का काम महंगा भी था और धीमा भी। तब वह छापे की मशीन खरीद कर 1605 में समाचार-पत्र छापने लगा। समाचार-पत्र का नाम था 'रिलेशन'। यह विश्व का प्रथम मुद्रित समाचार-पत्र माना जाता है।

भारत में हिंदी पत्रकारिता—ऐतिहासिक सम-सामयिक परिदृश्यपंडित बनारसी दास चतुर्वेदी ने एक स्थान पर लिखा है कि "पत्रकारिता को युगों की अवधि में ठीक-ठीक निश्चित करना कोई आसान काम नहीं है। एक युग दूसरे युग से मिल-जुल जाता है क्योंकि पत्र एक युग में आरंभ होता है, दूसरे युग में उसका यौवन प्रस्फुटित होता है और संभवत: तीसरे युग में उसका अंत भी हो जाता है।"

वास्तव में हिंदी पत्रकारिता का तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन करना कुछ कठिन कार्य है। सर्वप्रथम राधाकृष्ण दास ने ऐसा प्रारंभिक प्रयास किया था। उसके बाद 'विशाल भारत' के नवंबर 1930 के अंक में विष्णुदत्त शुक्ल ने इस प्रश्न पर विचार किया, किन्तु वे किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे। गुप्त निबंधावली में बालमुकुंद गुप्त ने यह विभाजन इस प्रकार किया—

## प्रथम चरण—सन् 1845 से 1877।

द्वितीय चरण—सन् 1877 से 1890 तृत्तीय चरण—सन् 1890 से बाद तक।

डॉ. रामरतन भटनागर ने अपने शोध प्रबंध 'द राइज एंड ग्रोथ आफ हिंदी जर्नलिज्म' काल विभाजन इस प्रकार किया है—

1. आरंभिक युग 1826 से 1867।
2. उत्थान एवं अभिवृद्धि।

- प्रथम चरण (1867-1883) भाषा एवं स्वरूप के समेकन का युग।
- द्वितीय चरण (1883-1900) प्रेस के प्रचार का युग।

**3.विकास युग**

- प्रथम युग (1900-1921) आवधिक पत्रों का युग।
- द्वितीय युग (1921-1935) दैनिक प्रचार का युग।

**4.सामयिक पत्रकारिता—1935-1945।**

उपरोक्त में से तीन युगों के आरंभिक वर्षों में तीन प्रमुख पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिन्होंने युगीन पत्रकारिता के समक्ष आदर्श स्थापित किए। सन् 1867 में 'कविवचन सुधा', सन् 1883 में 'हिन्दुस्तान' तथा सन् 1900 में

'सरस्वती' का प्रकाशन है। काशी नागरी प्रचारणी द्वारा प्रकाशित 'हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास' के त्रयोदय भाग के तृतीय खंड में यह काल विभाजन इस प्रकार किया गया है–

- प्रथम उत्थान–सन् 1826 से 1867।
- द्वितीय उत्थान–सन् 1868 से 1920।
- आधुनिक उत्थान–सन् 1920 के बाद।

'ए हिस्ट्री आफ द प्रेस इन इंडिया' में श्री एस नटराजन ने पत्रकारिता का अध्ययन निम्न प्रमुख बिंदुओं के आधार पर किया है–

- बीज वपन काल।
- ब्रिटिश विचारधारा का प्रभाव।
- राष्ट्रीय जागरण काल।
- लोकतंत्र और प्रेस।

डॉ. कृष्ण बिहारी मिश्र ने 'हिंदी पत्रकारिता' का अध्ययन करने की सुविधा की दृष्टि से यह विभाजन मोटे रूप से इस प्रकार किया है–

- भारतीय नवजागरण और हिंदी पत्रकारिता का उदय (सन् 1826 से 1867)।
- राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति-दूसरे दौर की हिंदी पत्रकारिता (सन् 1867-1900)।
- बीसवीं शताब्दी का आरंभ और हिंदी पत्रकारिता का तीसरा दौर–इस काल खण्ड का अध्ययन करते समय उन्होंने इसे तिलक युग तथा गांधी युग में भी विभक्त किया। डॉ. रामचन्द्र तिवारी ने अपनी पुस्तक 'पत्रकारिता के विविध रूप' में विभाजन के प्रश्न पर विचार करते हुए यह विभाजन किया है–
- उदय काल– (सन् 1826 से 1867)
- भारतेंदु युग– (सन् 1867 से 1900)
- तिलक या द्विवेदी युग– (सन् 1900 से 1920)
- गांधी युग– (सन् 1920 से 1947)।
- स्वातंर्त्र्योत्तर युग (सन् 1947 से अब तक)।

डॉ. सुशील जोशी ने काल विभाजन कुछ ऐसा प्रस्तुत किया है–

- हिंदी पत्रकारिता का उद्भव–1826 से 1867।
- हिंदी पत्रकारिता का विकास–1867 से 1900।

- हिंदी पत्रकारिता का उत्थान–1900 से 1947।
- स्वातंर्त्र्योत्तर पत्रकारिता–1947 से अब तक।

उक्त मतों की समीक्षा करने पर स्पष्ट होता है कि हिंदी पत्रकारिता का काल विभाजन विभिन्न विद्वानों पत्रकारों ने अपनी-अपनी सुविधा से अलग-अलग ढंग से किया है। इस संबंध में सर्वसम्मत काल निर्धारण अभी नहीं किया जा सका है। किसी ने व्यक्ति विशेष के नाम से युग का नामकरण करने का प्रयास किया है तो किसी ने परिस्थिति अथवा प्रकृति के आधार पर। इनमें एकरूपता का अभाव है। अध्ययन की सुविधा के लिए हमने डॉ. सुशीला जोशी द्वारा किए गए काल विभाजन के आधार पर विश्लेषण किया है– (जो अग्रलिखित पृष्ठों पर है)।

## *हिंदी पत्रकारिता का उद्भव काल ( 1826 से 1867 )*

कलकत्ता से 30 मई, 1826 को 'उदन्त मार्तण्ड' के सम्पादन से प्रारंभ हिंदी पत्रकारिता की विकास यात्रा कहीं थमी और कहीं ठहरी नहीं है। पंडित युगल किशोर शुक्ल के संपादन में प्रकाशित इस समाचार पत्र ने हालांकि आर्थिक अभावों के कारण जल्द ही दम तोड़ दिया, पर इसने हिदी अखबारों के प्रकाशन का जो शुभारंभ किया, वह कारवां निरंतर आगे बढ़ा है। साथ ही हिंदी का प्रथम पत्र होने के बावजूद यह भाषा, विचार एवं प्रस्तुति के लिहाज से महत्वपूर्ण बन गया।

पत्रकारिता जगत में कलकत्ता का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रशासनिक, वाणिज्य तथा शैक्षिक दृष्टि से कलकत्ता का उन दिनों विशेष महत्व था। यहीं से 10 मई 1829 को राजा राममोहन राय ने 'बंगदूत' समाचार पत्र निकाला, जो बंगला, फारसी, अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित हुआ। बंगला पत्र 'समाचार दर्पण' के 21 जून 1834 के अंक 'प्रजामित्र' नामक हिंदी पत्र के कलकत्ता से प्रकाशित होने की सूचना मिलती है, लेकिन अपने शोध ग्रंथ में डॉ. रामरतन भटनागर ने उसके प्रकाशन को संदिग्ध माना है। 'बंगदूदत' के बंद होने के बाद 15 सालों तक हिंदी में कोई पत्र न निकला।

बनारस अखबार वं सुधाकर–उत्तर-प्रदेश से गोविन्द नारायण थत्ते के सम्पादन में जनवरी, 1845 में 'बनारस अखबार' का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसके संचालक राजा शिव प्रसाद सितारेहिन्द थे। बहुत से लोग इसे ही हिंदी का पहला अखबार मानते हैं, परंतु यह हिंदी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जा

सकता है। इसमें देवनागरी लिपि के प्रयोग के बावजूद अरबी व फारसी के शब्दों की भरमार थी, जिसे समझना साधारण जनता के लिए कठिन था। पंडित अंबिका प्रसाद वाजेपयी लिखते हैं–'बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वे राजा शिव प्रसाद सिंह हैं।' 1850 में बनारस से ही तारा मोहन मैत्रोय के संपादन में 'सुधाकर' पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह पत्र साप्ताहिक था तथा बंगला एवं हिंदी दोनों में प्रकाशित होता था। भाषा की दृष्टि से 'सुधाकर' को हिंदी प्रदेश का पहला पत्र कहना चाहिए। 1853 में यह पत्र सिर्फ हिंदी में छपने लगा। 'बनारस अखबार' एवं 'सुधाकर' के बाद 'मार्तण्ड' (11 जून, 1846), ज्ञान दीपक (1846), मालवा अखबार (1894), जगदीपक भास्कर (1849), सामदण्ड मार्तण्ड (1850), फूलों का हार (1850), बुद्धिप्रकाश (1852), मजहरुल सरुर (1852), ग्वालियर गजट (1853), आदि पत्र निकले। मुंशी सदासुखलाल के संपादन में आगरा से बुद्धि प्रकाश नामक यह पत्र पत्रकारिता के दृष्टि से ही नहीं, वरन भाषा व शैली की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। प्रख्यात समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है–"बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय की भाषा को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी।"

समाचार सुधावर्षण–अब धीरे-धीरे हिंदी पत्रों की संख्या बढ़ने लगी। लोगों की दृष्टि पत्रकारिता की ओर उन्मुख हुई। सन् 1854 में कलकत्ता से श्यामसुंदर सेन के संपादन में हिंदी के पहले दैनिक समाचार पत्र 'समाचार सुधावर्षण' का प्रकाशन हुआ। यह द्विभाषीय पत्र था, तथा हिंदी व बंगला में छपता था। अपनी निर्भीकता एवं प्रगतिशीलता के कारण उसे कई बार अंग्रेजी सरकार का कोपभाजन भी बनना पड़ा। 1855 में 'सर्वहितकारक' (आगरा) और 'प्रजा हितैषी' का प्रकाशन हुआ। 1857 में एकमात्र पत्र निकला, जिसका नाम 'पयामे आजादी' था।

पयामे आजादी–दिल्ली से फरवरी 1857 में प्रकाशित पयामे आजादी का प्रकाशन प्रसिद्ध क्रान्तिकारी अजीमुल्ला खां ने किया था। इसके प्रकाशक एवं मुद्रक नवाब बहादुर शाह जफर पौत्र केदार बख्त थे। यह पत्र पहले उर्दू में निकला, बाद में हिंदी में भी इसका प्रकाशन हुआ। इस पत्र में सरकार विरोधी सामग्री होती थी। इस पत्र ने दिल्ली की जनता में स्वतंत्रता प्रेम की आग फूंक दी। इसी पत्र में भारत का तत्कालीन राष्ट्रीय गीत छपा था, उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार थीं–

"हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा।
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा।।
आज शहीदों ने तुझको, अहले वतन ललकारा।
तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा।।"

1861 में हिंदी प्रदेश से चार पत्र निकले, जिनमें 'सूरज प्रकाश' (आगरा), 'जगलाभ चिंतक' (अजमेर), 'प्रजाहित' (इटावा), 'ज्ञानदीपक' (सिकंदरा) शामिल थे। इसके पश्चात 1863 में श्लोकमित्र' (मासिक), 'भारत खंडामृत' (1864–आगरा), 'तत्वबोधिनी' (1866–बरेली), 'ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका' (1866–लाहौर), आदि पत्र प्रकाशित हुए। अब तक हिंदी में छपने वाले पत्रों की संख्या पर्याप्त हो चली थी, पर पाठकाभाव, अर्थाभाव के चलते ये जल्द ही काल-कवलित हो जाते थे। 1867 में 'कवि वचन सुधा' का प्रकाशन एक क्रांतिकारी घटना थी। भारतेंदु हरीश चंद्र के संपादन में प्रकाशित इस पत्र ने हिंदी साहित्य व पत्रकारिता को नए आयाम दिए। डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं–"कवि वचन सुधा क प्रकाशन कर भारतेंदु ने एक नए युग का सूत्रपात किया।" 1867 में 'कवि वचन सुधा' के अलावा 'वृतान्त विलास' (जम्मू), 'सर्वजनोपकारक' (आगरा), रतन प्रकाश (रतलाम), विद्याविलास (जम्मू) का प्रकाशन हुआ।

## *हिंदी पत्रकारिता का विकास काल ( 1867-1900 )*

1867 तक विदेशी शिक्षा के कारण परम्परावादी विचारधारा का लोप हो रहा था, अतः अनेक समाज सुधारकों ने अपनी संस्थाएं कायम की और इसी शिक्षित वर्ग ने पत्रकारिता को नई दिशा प्रदान की। हिंदी पत्रकारिता का यह युग हिंदी गद्य-निर्माण का युग माना जाता है। इस युग के पत्रों में राजनीति, साहित्य, प्रहसन, व्यंग्य तथा ललित निबन्धों की संख्या अधिक रहती थी। इन पत्रों का एकमात्र उद्देश्य सामाजिक, कलुष प्रक्षालन और जातीय उन्नयन था। इस युग का नेतृत्व बाबू हरिशचन्द्र कर रहे थे। यह समय अंग्रेज अधिकारियों की गुलामी का था, परन्तु भारतेंदु जी निडर भाव से राजनैतिक लेख लिखकर जनता-जनार्दन को झकझोर रहे थे। यही कारण है कि यह युग भारतेंदु युग के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस युग में अनेक महत्वपूर्ण पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ।

**हरिश्चन्द्र मैगजीन**–15 अक्टूबर, 1873 को काशी से भारतेंदु हरिश चन्द्र ने ही 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' को जन्म दिया। यह मासिक पत्रिका थी। इसमें

पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि प्रकाशित होते थे, लेकिन जब इसमें देशभक्तिपूर्ण लेख निकलने लगे तो इसे बंद कर दिया गया। 'बाला-बोधिनी पत्रिका' 9 जनवरी, 1874 को भारतेंदु ने निकाली। यह पत्रिका महिलाओं की मासिक पत्रिका थी।

**हिंदी प्रदीप**–1 सितम्बर, 1877 को बालकृष्ण भट्ट ने 'हिंदी प्रदीप' नाम का मासिक पत्र निकाला। यह पत्र घोर संकट के बावजूद भी 35 वर्षों तक निकलता रहा। भारतेंदु जी ने इस पत्र का उद्घाटन किया। पत्रकारिता की दृष्टि से हींदी प्रदीप का जन्म हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने हिंदी पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की। इसका स्वर राष्ट्रीयता, निर्भीकता तथा तेजस्विता का था, अतः सरकार इस पर कड़ी नजर रखती थी। इसमे हिंदी साहित्य और पत्रकारिता पर सामग्री रहती थी।

**भारत मित्र**-17 मई, 1878 को कलकत्ता से यह पत्र प्रकाशित हुआ। जिस समय यह पत्र प्रकाशित हुआ, उस समय वहां से हिंदी का कोई भी पत्र नहीं निकलता था। यह बड़ा प्रसिद्ध और कर्मशील पत्र था। भारत मित्र के कुशल संपादन के कारण इसकी गणना अच्छे पत्रों में होने लगी थी। भारत मित्र की सबसे पहले वैतनिक संपादक पंडित हरमुकुन्द शास्त्री लाहौर से बुलाए गए। इस पत्र की आयु काफी रही। यह पत्र 37 वर्षो तक चला।

**सार सुधानिधि**–13 अप्रैल, 1879 को प्रकाशित सार सुधानिधि पंडित सदानन्दजी के सम्पादन में निकला। इसके संयुक्त संपादक पंडित दुर्गाप्रसाद, सहायक संपादक गोविन्द नारायण और व्यवस्थापक शम्भूनाथ थे। इसकी भाषा संस्कृत मिश्रित थी, अतः कुछ कठिन होती थी, पर साफ थी। लेख अच्छे गंभीर होते थे। यह पत्र राजनीति ही नहीं, अन्य विषयों का भी आलोचक था।

**सज्जन कीर्ति सुधाकर**–ज्यों से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र था, क्योंकि राज्यों के सभी पत्र उर्दू व हिंदी में निकलते थे, जिनमें उर्दू का ही प्रथम स्थान होता था। मेवाड़ के महाराणा सज्जनसिंह के नाम पर यह पत्र निकला था, यह पत्र 1879 में आगरा के पंडित बंशीधर वाजपेयी के सम्पादन में प्रकाशित हुआ।

**उचित वक्ता**–पंडित दुर्गाप्रसाद मिश्र ने 7 अगस्त, 1880 को उचित वक्ता को जन्म दिया। मीठी-मीठी कटारी मारने, व्यंग्य, मुंह चिढ़ाने में उचित

वक्ता पंच का काम करता था। यह पत्र 15 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। इसने इल्बर्ट बिल, प्रेस कानून, वर्नाक्यूलर एक्ट का बड़ी निर्भीकता से विरोध किया।

**भारत जीवन**—बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से 3 मार्च 1884 को भारत जीवन प्रकाशित किया। यह पहले चार पृष्ठ का था, बाद में 8 पृष्ठों में छपने लगा। इसका वार्षिक मूल्य डेढ़ रुपया था। यह पत्र 30 वर्षों तक प्रकाशित हुआ। भारत जीवन सदा एक दब्बू अखबार रहा। स्वाधीनता पूर्व साहस से इसने कभी नहीं लिखा।

**हिन्दोस्थान**—1885 में राजा रामपाल सिंह लन्दन से इसे कालाकांकर (प्रतापगढ़) ले आए और यहां इसके हिंदी, अंग्रेज संस्करण प्रकाशित होने लगे। यह उत्तर प्रदेश से महामना पंडित मदनमोहन मालवीय के संपादन में निकला। यह हिंदी क्षेत्र से प्रकाशित होने वाला प्रथम संपूर्ण हिंदी दैनिक पत्र था। इसके सहयोगी नवरतन प्रसिद्ध थे।

**शुभचिन्तक**—1887 में जबलपुर से पंडित रामगुलाम अवस्थी के समपादन में शुभ-चिन्तक पत्र निकला। यह पत्र साप्ताहिक था। बाद में इसके संपादक हितकारिणी स्कूल के हैटमास्टर रायसाहब रघुवरप्रसाद द्विवेदी हो गए।

**हिंदी बंगवासी**—हिंदी बंगवासी 1890 में कलकत्ता से पंडित अमृतलाल चक्रवर्ती के सम्पादन में निकला। यह एकदम नए ढंग का अखबार था। इस पत्र का अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि सभी श्रेष्ठ पत्रकारों ने इसका सम्पादन कार्य किया था। जिनमें सर्वश्री बालमुकुन्द गुप्त, बाबूराव विष्णु पराड़कर, अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, लक्ष्मीनारायण गर्दे आदि प्रमुख थे। यह पत्र दीर्घजीवी रहा। इस प्रकार यह पत्र हिंदी के वरिष्ठ पत्रकारों का प्राथमिक विद्यालय सिद्ध हुआ।

**साहित्य सुधानिधि**—हिंदी बंगवासी के बाद मुजफ्फरपुर से जनवरी 1893 को बाबू देवकीनन्दन खत्री ने साहित्य सुधानिधि का प्रकाशन किया। इसके सम्पादक मण्डल में बड़े-बड़े साहित्यकार—बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, बाबू राधाराम, राय कृष्णदास, बाबू कीर्तिप्रसाद थे।

**नागरी प्रचारिणी पत्रिका**—यह पत्रिका 1896 में नागरी प्रचारिणी सभा ने त्रैमासिक रूप में प्रकाशित की थी। इसके सम्पाक बाबू श्यामसुन्दर दास, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, कालीदास और राधाकृष्ण दास थे। 1907 में यह मासिक पत्रिका हो गई और इसके सम्पादक श्यामसुन्दर दास, रामचन्द्र शुक्ल, रामचन्द्र शर्मा और वेणीप्रसाद बनाए गए।

## *हिंदी पत्रकारिता का उत्थान काल ( 1900-1947 )*

**सरस्वती**–सन् 1900 का वर्ष हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में महत्वपूर्ण है। 1900 में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका अपने समय की युगान्तरकारी पत्रिका रही है। वह अपनी छपाई, सफाई, कागज और चित्रों के कारण शीघ्र ही लोकप्रिय हो गई। इसे बंगाली बाबू चिन्तामणि घोष ने प्रकाशित किया था तथा इसे नागरी प्रचारिणी सभा का अनुमोदन प्राप्त था। इसके सम्पादक मण्डल में बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिका प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीदास गोस्वामी तथा बाबू श्यामसुन्दर दास थे। 1903 में इसके सम्पादन का भार आचार्य महावर प्रसाद द्विवेदी पर पड़ा। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदी-रसिकों के मनोरंजन के साथ भाषा के सरस्वती भण्डार की अंगपुष्टि, वृद्धि और पूर्ति करन था। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में हिंदी पत्रकारिता का उद्भव व विकास बड़ी ही विषम परिस्थिति में हुआ। इस समय जो भी पत्र-पत्रिकाएं निकलती, उनके सामने अनेक बाधाएं आ जातीं, लेकिन इन बाधाओं से टक्कर लेती हुई हिंदी पत्रकारिता शनैः-शनैः गति पाती गई।

## *हिंदी पत्रकारिता का उत्कर्ष काल ( 1947 से प्रारंभ )*

अपने क्रमिक विकास में हिंदी पत्रकारिता के उत्कर्ष का समय आजादी के बाद आया। 1947 में देश को आजादी मिली। लोगों में नई उत्सुकता का संचार हुआ। औद्योगिक विकास के साथ-साथ मुद्रण कला भी विकसित हुई। जिससे पत्रों का संगठन पक्ष सुदृढ़ हुआ। रूप-विन्यास में भी सुरूचि दिखाई देने लगी। आजादी के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व उन्नति होने पर भी यह दुःख का विषय है कि आज हिंदी पत्रकारिता विकृतियों से घिरकर स्वार्थसिद्धि और प्रचार का माध्यम बनती जा रही है, परन्तु फिर भी यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि भारतीय प्रेस की प्रगति स्वतंत्रता के बाद ही हुई।

यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर पत्रकारिता ने पर्याप्त प्रगति कर ली है, किन्तु उसके उत्कर्षकारी विकास के मार्ग में आने वाली बाधाएं भी कम नहीं हैं। पत्रकारिता एक निष्ठापूर्ण कर्म है और पत्रकार एक दायित्वशील व्यक्ति होता है। अतः यदि हमें स्वच्छ पत्रकारिता को विकसित करना है तो पत्रकारिता के क्षेत्र में हुई अनाधिकृत घुसपैठ को समाप्त करना होगा, उसे जीवन मूल्यों से जोड़ना होगा, उसे आचरणिक कर्मों का प्रतीक बनाना होगा और प्रचारवादी मूल्यों को पीछे धकेल कर पत्रकारिता को जीवन, समाज, संस्कृति और कला का स्वच्छ दर्पण

बनाना होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अतीत से शिक्षा लेकर वर्तमान को समेटते हुए भविष्य का दिशा-निर्देशन भी करना चाहिए।

स्वतंत्रता प्राप्ति के आस-पास यानी दो-चार वर्ष आगे-पीछे कई दैनिक, साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। जिसमें कुच तो निरंतर प्रगति कर रही हैं तथा कुछ बंद हो गई हैं।

प्रमुख पत्रों में नवभारत टाइम्स (1947), हिन्दुस्तान (1936), नवभारत (1938), नई दुनिया (1947), आर्यावर्त (1941), आज (1920), इंदौर समाचार (1946), जागरण (1947), स्वतंत्र भारत (1947), युगधर्म (1951), सन्मार्ग (1951), वीर-अर्जुन (1954), पंजाब केसरी (1964), दैनिक ट्रिब्यून, राजस्थान पत्रिका (1956), अमर उजाल (1948), दैनिक भास्कर (1958), तरूण भारत (1974), नवजीवन (1974), स्वदेश (1966), देशबंधु (1956), जनसत्ता 1903), रांची एक्सप्रेस, प्रभात खबर आदि शामिल हैं।इसमें तरूण भारत और युगधर्म का प्रकाशन बंद हो चुका है। शेष निरन्तर प्रगति कर रहे हैं। साप्ताहिक पत्रों में ब्लिट्ज (1962), पांचजन्य (1947), करंट, चौथी दुनिया (1986), संडे मेल (1987), संडे आब्जर्वर (1947), दिनमान टाइम्स (1990) प्रमुख रहे। इनमें से पांचजन्य के अलावा सभी बंद हो चुके हैं। प्रमुख पत्रिकाओं में धर्मयुग (1950), साप्ताहिक हिन्दुस्तान (1950), दिनमान (1964), रविवार (1977), अवकाश 1982), खेल भारती (1982), कल्याण (1926), माधुरी (1964), पराग (1960), कादम्बिनी (1960), नन्दन (1964), सारिका (1970), चन्दामा (1949), नवनीत (1952), सरिता (1964), मनोहर कहानियां (1939), मनोरमा (1924), गृहशोभा, वामा, गंगा (1985), इंडिया टुडे (1986), माया हैं। इनमें से दिनमान, रविवार, अवकाश, पराग, गंगा, माधुरी अब बंद हो चुकी हैं। इनमें से दिनमान ने नई प्रवृत्तियां प्रारंभ की थी। अतिथि सम्पादक की परम्परा प्रारम्भ की, जिसमें कई राजनेता, साहित्यकार व कलाप्रेमी अतिथि सम्पादक बने। वहीं रविवार खोजपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए विख्यात रहा है।

# 7

# हिन्दी पत्रिकाओं की सूची

हिन्दी पत्रिकाएँ हिन्दी भाषा में छपने वाली पत्रिकाएँ हैं। यहाँ हिन्दी भाषा की प्रमुख पत्रिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है।

## इतिहास

हिन्दी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई और इसका श्रेय राजा राममोहन राय को दिया जाता है। राजा राममोहन राय ने ही सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा। भारतीयों के सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया। समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किये और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। राय ने कई पत्र शुरू किये। जिसमें अहम है–साल 1780 में प्रकाशित 'बंगाल गजट'। बंगाल गजट भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय ने मिरातुल, संवाद कौमुदी, बंगाल हैराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकलने वाले 'उदन्त मार्तण्ड' को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है।

इस समय इन गतिविधियों का चूँकि कलकत्ता केन्द्र था, इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पत्र–पत्रिकाएँ–उदन्त मार्तंड, बंगदूत, प्रजामित्र मार्तंड तथा समाचार सुधा वर्षण आदि का प्रकाशन हुआ। प्रारम्भ के पाँचों साप्ताहिक पत्र थे एवं सुधा वर्षण दैनिक पत्र था। इनका प्रकाशन दो–तीन भाषाओं के माध्यम से

होता था। 'सुधाकर' और 'बनारस अखबार' साप्ताहिक पत्र थे, जो काशी से प्रकाशित होते थे। 'प्रजाहितैषी' एवं बुद्धि प्रकाश का प्रकाशन आगरा से होता था। 'तत्वबोधिनी' पत्रिका साप्ताहिक थी और इसका प्रकाशन बरेली से होता था। 'मालवा' साप्ताहिक मालवा से एवं 'वृतान्त' जम्मू से तथा 'ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका' लाहौर से प्रकाशित होते थे। दोनों मासिक पत्र थे। इन पत्र–पत्रिकाओं का प्रमुख उद्देश्य एवं सन्देश जनता में सुधार व जागरण की पवित्र भावनाओं को उत्पन्न कर अन्याय एवं अत्याचार का प्रतिरोध/विरोध करना था, हालाँकि इनमें प्रयुक्त भाषा (हिन्दी) बहुत ही साधारण किस्म की (टूटी–फूटी हिन्दी) हुआ करती थी। सन् 1868 ई. में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहितयिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रवर्तन किया और यहीं से हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन में तीव्रता आई। आलोचना, हिंदी, वसुधा, अक्षर पर्व, वागर्थ, आकल्प, साहित्य वैभव, परिवेश, कथा, संचेतना, संप्रेषण, कालदीर्घा, दायित्वबोध, अभिनव कदम, हंस, बया आदि वे पत्रिकाएँ हैं, जो हिंदी भाषा की समृद्धि का प्रतीक हैं।

| s.n | Darpan | 1832 | Banbai | Bal shasatri jabedakar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | उदन्त मार्तंड- साप्ताहिक | 30 मई 1826 | कलकत्ता | जुगल किशोर |
| 2 | बंगदूत- साप्ताहिक | 1829 | कलकत्ता | राजा राम मोहन राय |
| 3 | प्रजामित्र- साप्ताहिक | 1834 | कलकत्ता | |
| 4 | बनारस अख़बार-साप्ताहिक | 1845 | बनारस | राजा शिव प्रसाद सिंह |
| 5 | मार्तंड- साप्ताहिक | 1846 | कलकत्ता | मो. नसीरुद्दीन |
| 6 | सुधाकर- साप्ताहिक | 1850 | काशी | बाबु तारा मोहन मित्र |
| 7 | बुद्धि प्रकाश | 1852 | आगरा | मुंशी सदासुखलाल |
| 8 | प्रजा हितैषी | 1855 | आगरा | राजा लक्ष्मण सिंह |
| 9 | कवि वचन सुधा- मासिक | 1868 | काशी | भारतेंदु |
| 10 | हरिश्चन्द्र मैगजीन- मासिक | 1873 | बनारस | भारतेंदु |
| 11 | बाल बोधनी- मासिक | 1874 | बनारस | भारतेंदु |
| 12 | काशी पत्रिका- साप्ताहिक | | अलीगढ़ | बलदेव प्रसाद |
| 13 | भारत बंधु- साप्ताहिक | | अलीगढ़ | तोता राम |
| 14 | भारत मित्र | | कलकत्ता | रूद्र दत्त |
| 15 | हिंदी प्रदीप- मासिक | 1877 | प्रयाग | बाल कृष्ण भट्ट |
| 16 | आनंद कादम्बिनी- मासिक | 1881 | मिर्जापुर | बदरी नारायण चौधरी |
| 17 | भारतेंदु | 1884 | वृंदावन | पं. राधा चरण गोस्वामी |
| 18 | देवनागरी प्रचारक | | मेरठ | |
| 19 | प्रयाग समाचार | | लखनऊ | देवकी नंदन त्रिपाठी |
| 20 | ब्राह्मण- मासिक | 1883 | कानपुर | प्रताप नारायण मिश्र |
| 21 | हिन्दूस्तान- दैनिक | | इंग्लैंड | राजा रामपाल सिंह |
| 22 | इंदु- मासिक | | लाहौर | |
| 23 | नागरी नीरद- साप्ताहिक | | मिर्जापुर | बदरी नारायण चौधरी |

*continent*

| s.n | Darpan | 1832 | Banbai | Bal shasatri jabedakar |
|---|---|---|---|---|
| 26 | सरस्वती- मासिक | 1900 | काशी, बाद में इलाहाबाद | चिंतामणि घोष/ श्याम सुंदर दास (1902)/ महावीर प्रसाद द्विवेदी (1903) |
| 27 | सुदर्शन- मासिक | 1900 | काशी | देवकीनंदन/माधव |
| 28 | समालोचक- मासिक | 1902 | जयपुर | गुलेरी |
| 29 | अभ्युदय- साप्ताहिक | | प्रयाग | मदन मोहन मालवीय |
| 30 | इंदु- मासिक | 1909 | काशी | प्रकाश कुमार उपाध्याय |
| 31 | मर्यादा- मासिक | 1909 | प्रयाग | कृष्ण कान्त मालवीय/संपूर्णानंद/ प्रेमचंद |
| 32 | प्रताप- साप्ताहिक | 1913 | कानपुर | गणेश शंकर विद्यार्थी |
| 33 | चाँद | | | महादेवी वर्मा |
| 34 | प्रभा | 1913 | खंडवा, बाद में कानपुर | कालू राम, बाद में कानपुर में बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'/माखनलाल चतुर्वेदी |
| 35 | माधुरी | 1922 | लखनऊ | दुलारे लाल भार्गव/ रूप नारायण पांडेय/ कृष्ण बिहारी मिश्र/ प्रेमचंद(1928-31) |
| 36 | सुधा- मासिक | 1929 | लखनऊ | दुलारेलाल भार्गव |
| 37 | कल्याण | 1925 | गीता प्रेस- गोरखपुर | - |
| 38 | विशाल भारत- मासिक | 1928 | कलकत्ता | बनारसीदास चतुर्वेदी |
| 39 | हंस | (1)-1930 ( 2) 1984 " | (१)-बनारस (२)-दिल्ली | (1)- प्रेमचंद (2)- राजेन्द्र यादव |
| 40 | आदर्श + मौजी | | कलकत्ता | शिव पूजन सहाय |
| 41 | साहित्य सन्देश- मासिक | 1937 | आगरा | बाबू गुलाब राय |
| 42 | मतवाला- साप्ताहिक | 1923 | कलकत्ता | महादेव प्रसाद सेठ/ शिव पूजन सहाय/ निराला |
| 43 | जागरण- साप्ताहिक | 132 | बनारस | शिव पूजन सहाय/ प्रेमचंद(1932) |
| 44 | भारत- अर्धसप्ताहिक | | इलाहाबाद | नंद दुलारे वाजपेयी |
| 45 | नवजीवन- साप्ताहिक | 1921 | अहमदाबाद | गाँधी |
| 46 | देश- साप्ताहिक | 1920 | पटना | राजेन्द्र प्रसाद |
| 47 | कर्मवीर- साप्ताहिक | 1924 | जबलपुर | माखनलाल चतुर्वेदी |
| 48 | कहानी, नई कहानियाँ, उपन्यास | | | भैरव प्रसाद गुप्त |
| 49 | सैनिक | | आगरा | कृष्ण दत्त पालीवाल |
| 50 | प्रतीक- द्दमासिक | 1947 | इलाहाबाद | अज्ञेय |
| 51 | रूपाभ- मासिक | 1938 | | पन्त/ नरेंद्र शर्मा |
| 52 | कल्पना- द्दमासिक | 1949 | हैदराबाद | आर्येन्द्र शर्मा |
| 53 | धर्मयुग- साप्ताहिक | 1950 | बम्बई | धर्मवीर भारती |
| 54 | आलोचना- त्रैमासिक | 1951 | दिल्ली | शिवदान सिंह चौहान/ धर्मवीर भारती/रघुवंश/ साही/ नंददुलारे वाजपेयी/ नामवर सिंह |

| s.n | Darpan | 1832 | Banbai | Bal shasatri jabedakar |
|---|---|---|---|---|
| 55 | नये पत्ते- | 1953 | इलाहाबाद | लक्ष्मी कान्त वर्मा/ रामस्वरूप चतुर्वेदी |
| 56 | नयी कविता- अर्द्धवार्षिक | 1954 | इलाहाबाद | जगदीश गुप्त, रामस्वरुप चतुर्वेदी |
| 57 | ज्ञानोदय- मासिक | 1955 | कलकत्ता | कन्हैया लाल मिश्र |
| 58 | निकष- साप्ताहिक | 1956 | इलाहाबाद | धर्मवीर भारती/ लक्ष्मीकांत वर्मा |
| 59 | कृति | 1958 | दिल्ली | नरेश मेहता |
| 60 | समालोचक- मासिक | 1958 | आगरा | रामविलास शर्मा |
| 61 | पहल- त्रैमासिक | 1960 | जयपुर | ज्ञानरंजन |
| 62 | क ख ग- त्रैमासिक | 1963 | इलाहाबाद | रघुवंश, लक्ष्मीकांत वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी |
| 63 | दिनमान-साप्ताहिक | 1965 | दिल्ली | रघुवीर सहाय |
| 64 | 1-पूर्वाग्रह- मासिक 2-समास | 1974 | भोपाल | अशोक वाजपेयी |
| 65 | वर्तमान साहित्य | 1984 | इलाहाबाद | विभूति नारायण राय |
| 66 | कथादेश | 1997 | दिल्ली | हरि नारायण |
| 67 | नया खून | | मध्य प्रदेश | मुक्तिबोध |

## ऑनलाइन पत्रिकाएँ

### *साहित्यिक*

हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाएँ हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के विकास और संवर्द्धन में उल्लेखनीय भूमिका निभाती रही हैं। कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, आलोचना, यात्रवृत्तांत, जीवनी, आत्मकथा तथा शोध से संबंधित आलेखों का नियमित तौर पर प्रकाशन इनका मूल उद्देश्य है। आधुनिक हिन्दी में जितने महत्वपूर्ण आंदोलन छिड़े, पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से छिड़े। न जाने कितने महत्वपूर्ण साहित्यकार पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से प्रतिष्ठित हुए, न जाने कितनी श्रेष्ठ 1 रचनाएँ पाठकों के सामने पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से आईं। भारतेंदु युग के साहित्यकारों की केन्द्रीय पत्रिकाएँ थीं–‘हरिश्चन्द्र मैगजीन’, ‘ब्राह्मण’ या ‘हिंदोस्तान’। द्विवेदी युग और स्वयं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ‘सरस्वती’ उन दिनों की सर्वाधिक प्रतिनिधि पत्रिका थी। मैथिलीशरण गुप्त ‘सरस्वती’ की ही देन है। छायावादी कवियों के साथ ‘मतवाला’, ‘इंदु’, ‘रूपाभ’, ‘श्री शारदा’ जैसी पत्रिकाओं के नाम जुड़े हैं।

# 8

# हिंदी पत्रकारिता को सींचने वाले बांग्लाभाषी मनीषी

कोलकाता हिंदी पत्रकारिता की ही जन्मस्थली नहीं है, वह चार दूसरी भाषाओं–उर्दू ('जाम ए जहाँनुमा'), फारसी ('मिरात–उल–अखबार'), अंग्रेजी ('हिकीज बंगाल गजट आर कैलकटा जनरल एडवटाइजर') और बांग्ला पत्रकारिता ('दिग्दर्शन'/'बंगाल गजट') की जन्मस्थली भी है। हिंदी पत्रकारिता के प्रति बंगाल हर काल खंड में उदार रहा है। तथ्य है कि अनेक बांग्लाभाषियों ने अपनी हड्डियाँ गलाकर हिंदी पत्रकारिता की समृद्ध विरासत खड़ी की। भारतीय भाषाई प्रेस के जनक बांग्लाभाषी राजा राम मोहन राय ही थे, वे 19वीं सदी के प्रारंभ में उन भद्र बंगाली सज्जनों में थे, जो अंग्रेजों के संपर्क में सबसे पहले आए। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति जैसी पश्चिमी उदारवादी विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की और उसे सामाजिक सुधार के संदर्भ में भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढाला। राजा राम मोहन राय ने लार्ड विलियम बेंटिक की सहायता से महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और कानून बनवाकर सती प्रथा को अवैध करार दिया और इस मुद्दे पर सामाजिक नवजागरण लाने के लिए उन्होंने पत्रकारिता को माध्यम बनाया। उन्होंने हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी और फारसी भाषाओं की पत्रकारिता के लिए जो रचनात्मक संघर्ष किया, वह इतिहास स्वीकृत तथ्य है। उन्होंने हिंदी, बांग्ला तथा फारसी में 10 मई 1829 को साप्ताहिक 'बंगदूत' निकाला। यह

साप्ताहिक 82 दिनों तक ही चल पाया, किंतु उस अल्प समय में ही उसने अपनी अलग पहचान बना ली। 'बंगदूत' का 10 मई 1829 का अंक कोलकाता के बंगीय साहित्य परिषद, कोलकाता में जतन के साथ सहेजकर रखा गया है।

राजा राममोहन राय की प्रेरणा से ही गंगाधर भट्टाचार्य ने 1816 में कलकत्ता से 'बंगाल गजट' का प्रकाशन प्रारंभ किया। किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित होने वाला वह पहला पत्र था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ 'एशियाटिक जर्नल' के जुलाई 1819 के अंक में लेख लिखा। उन्होंने 1821 में द्विभाषी 'ब्रह्मैनिकल मैग्जीन' निकाली। उसके तीन अंक ही निकले, किंतु हर अंक में राममोहन राय ने लेख लिखकर धार्मिक कुरीतियों पर हल्ला बोला था। राम मोहन राय की ही प्रेरणा से 4 दिसंबर 1821 को ताराचंद दत्त तथा भवानीचरण बंद्योपाध्याय ने बांग्ला साप्ताहिक 'संवाद कौमुदी' का प्रकाशन प्रारंभ किया। राजा राममोहन राय ने 'संवाद कौमुदी' को सती प्रथा के खिलाफ अभियान बना डाला। 'संवाद कौमुदी' ने पारिवारिक रीति-रिवाजों तथा तीज-त्यौहारों व धार्मिक कर्मकांडों पर ज्यादा धन खर्च किए जाने का डटकर विरोध किया।

राजा राम मोहन राय ने 20 अप्रैल 1822 को कलकत्ता से ही फारसी भाषा का 'मिरात उल अखबार' निकालना शुरू किया। इसके पहले संपादकीय मंतव्य में राममोहन राय ने लिखा-'कुछ अंग्रेज देश और विदेश के समाचार प्रकाशित करते हैं, किंतु इससे केवल वे ही लोग लाभ उठा पाते हैं, जो अंग्रेजी जानते हैं, जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वे खबरों को दूसरों से पढ़वाते हैं या 'फिर उनसे अनजान बने रहते हैं। ऐसी दशा में मुझे फारसी में एक साप्ताहिक अखबार प्रकाशित करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। बहुत से लोग फारसी जानते हैं, अतएव यह अखबार बहुत से लोगों तक पहुँचेगा। इस अखबार के प्रकाशन से मेरा अभिप्राय न तो धनाढ्य व्यक्तियों की न अपने मित्रों की प्रशंसा करना है और न मुझे यश और कीर्ति की अभिलाषा है। संक्षेप में इस पत्र के प्रकाशन से मेरा अभिप्राय यह है कि जनता के समक्ष ऐसी बातें प्रस्तुत की जाएँ, जिनसे उनके अनुभवों में वृद्धि हो, सामाजिक प्रगति हो, सरकार को जनता की स्थिति मालूम रहे और जनता को सरकार के कामकाज और नियम-कानूनों की जानकारी मिलती रहे।'

'मिरात उल अखबार' हर शुक्रवार को प्रकाशित होता था। इस अखबार का मूल्यांकन करते हुए कलकत्ता जर्नल ने लिखा था-'देशी भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों में अन्य कोई पत्र इतना अच्छा नहीं निकलता, जितना कि 'मिरात

उल अखबार'।' यह अखबार सालभर ही निकल सका। 4 अप्रैल 1823 को 'मिरात उल अखबार' का अंतिम अंक निकला, जिसकी संपादकीय में राममोहन राय ने लिखा–'शपथ पत्र पर विश्वास दिलाने के बाद भी जब प्रतिष्ठा को आघात लगता है और हर समय यह लाइसेंस रद्द करने का भय बना रहता है, तब दुनिया के समक्ष मुंह दिखाने लायक नहीं होता। इससे मन की शांति भी भंग होती है। स्वभावत: मनुष्य से गलती होती है। अपनी भावना को अभिव्यक्ति देते समय जिन शब्दों और मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, तो उनका अपने पक्ष में अर्थ निकालकर शासन के रोष का सामना करना पड़ता है।श्2

## श्याम सुंदर सेन और 'समाचार सुधावर्षण'

जिस तरह हिंदी का पहला साप्ताहिक 'उदंत मार्तंड' कलकत्ता से 30 मई 1826 को युगल किशोर शुक्ल द्वारा प्रकाशित किया गया, उसी तरह हिंदी का पहला दैनिक 'समाचार सुधावर्षण' भी कलकत्ता से ही 8 जून 1854 को निकला, जिसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। यह अखबार हिंदी-बांग्ला भाषा सेतु बंधन का अनोखा उदाहरण था। यह हिंदी और बांग्ला दोनों में निकलता था। आरंभ के दो पृष्ठ हिंदी में और बाकी पृष्ठ बांग्ला में निकलते थे। यह अखबार रविवार को छोड़कर प्रतिदिन निकलता था। इसका आकार 18 गुणा 12 इंच था। हर पृष्ठ चार कालम में बंटा होता था। 'समाचार सुधावर्षण' का मासिक मूल्य दो रुपए, सालाना चौबीस रुपए, पेशगी सालाना बीस रुपए और छ: महीने की पेशगी दस रुपए था। यह अखबार 1873 तक निकला। उस जमाने में इतने दिनों तक किसी दैनिक अखबार का निकलना ही अपने-आप में एक बड़ी बात थी। 'समाचार सुधावर्षण' की विषय-वस्तु समृद्ध थी और इसकी भाषा भी अपेक्षाकृत परिष्कृत थी। 1854 से 8 जनवरी 1956 तक पहले पृष्ठ में ही अग्रलेख छपता था। विज्ञापन बढ़ जाने के कारण अग्रलेख दूसरे, तीसरे या चौथे पृष्ठ पर छप जाया करता था। देश-विदेश के रोचक समाचारों के साथ ही युद्ध विवरण इसमें छपता था। अंग्रेजों के अनैतिक आचरण की भी बेबाक आलोचना की जाती थी।

इस अखबार के संपादक श्याम सुंदर सेन भारतीय समाचार पत्रों की आजादी के अनन्य सेनानी थे। 1857 के सिपाही विद्रोह में मीडिया की भूमिका की, जब भी चर्चा होगी तो श्याम सुंदर सेन का उल्लेख अनिवार्यत: आएगा। 'समाचार सुधावर्षण' ने लगातार ब्रिटिश सेना के अत्याचारों की खबर साहस के साथ प्रकाशित की। 26 मई 1857 के अंक में अखबार ने लिखा-"हाल ही में

अंग्रेजों ने हमारे धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया। अत: ईश्वर उन पर क्रुद्ध है। ऐसा आभास मिलता है कि ब्रिटिश साम्राज्य का अब अंत आ गया। जब दास मालिक को जवाब देने लगता है, तब समझ लो मालिक का अंत निकट है। साम्राज्य पर जब संकट पड़ा तब गवर्नर ने अनेक वायदे किए, लेकिन विद्रोही सेना का उन वायदों पर कोई विश्वास नहीं। वे युद्ध को समाप्त करने के पक्ष में नहीं। सच्ची बात तो यह है कि युद्ध में दम आ रहा है और अनेक क्षेत्रों की जनता सेना में मिल रही है।" 5 जून 1857 के अंक में 'समाचार सुधावर्षण' ने लिखा कि मेरठ और दिल्ली के विद्रोह ने गवर्नर को इतना भयभीत कर दिया है कि उसने अपने सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी और राजनिवास के सभी रास्तों को प्रतिदिन रात आठ बजे बंद करने का आदेश दिया। गवर्नर की दयनीयता का आलम यह है कि वह प्रतिदिन दमदम, बैरकपुर में जाकर सिपाहियों से दोनों हाथ जोड़कर कहता–मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, जिससे आपके धर्म को ठेस पहुँचे। आपका धर्म जो कहे, वही करिए, इसके लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। श्याम सुंदर सेन ने समाचार सुधावर्षण के 5, 9 और दस जून 1857 के अंकों में भी विप्लवी सेना की तैयारी और प्रगति के समाचारों को प्रकाशित किया था। उन समाचारों से ब्रिटिश सरकार इतनी डर गई कि गवर्नर जनरल ने 12 जून 1857 को श्याम सुंदर सेन पर मुकदमा चलाने का निश्चय किया।

दिल्ली के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने जब 25 अगस्त 1857 को घोषणा पत्र जारी किया तो उसे भी श्याम सुंदर सेन ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। वह घोषणा पत्र भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम का विरल दस्तावेज है। उस घोषणा पत्र में बहादुर शाह जफर ने कहा था–"खुदा ने जितनी बरकतें इंसान को अदा की हैं, उसमें सबसे कीमती बरकत आजादी है। क्या वह जालिम फिरंगी जिसने धोखा देकर हमसे यह बरकत छीन ली है, हमेशा के लिए हमें उससे महरूम रखेगा क्या खुदा की मर्जी के खिलाफ इस तरह का काम हमेशा जारी रह सकता है? नहीं, कभी नहीं, फिरंगियों ने इतने जुल्म किए हैं कि उनके गुनाहों का प्याला लबरेज हो चुका है। यहाँ तक कि हमारे पाक मजहब का नाश करने की नापाक ख्वाहिश भी उनमें पैदा हो गई है। क्या तुम अब भी खामोश बैठे रहोगे? खुदा यह नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो, क्योंकि खुदा ने हिंदुओं–मुसलमानों के दिलों में उन्हें मुल्क से बाहर निकालने की ख्वाहिश पैदा कर दी है और खुदा के फजल और तुम लोगों की बहादुरी के प्रताप से जल्द ही अंग्रेजों को इतनी कामिल शिकस्त मिलेगी कि हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान में

उनका जरा भी निशान न रह जाएगा। हमारी फौज में छोटे और बड़े की तमीज भुला दी जाएगी और सबके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा क्योंकि इस पाक जंग में अपने धर्म की रक्षा के लिए जितने लोग तलवार खींचेंगे, वे सब एक समान यश के भागी होंगे। वे सब भाई हैं। उनमें छोटे-बड़े का कोई भेद नहीं। इसलिए मैं अपने तमाम हिंदू भाइयों से कहता हूँ-उठो और ईश्वर के बताए इस परम कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए मैदान ए जंग में कूद पड़ो।ष्4

1857 में ही लार्ड केनिंग ने लेखन व मुद्रण की आजादी पर अंकुश लगाने के लिए एडम रेगुलेशन लगा दिया था। उसी के तहत समाचार सुधावर्षण पर मुकदमा चला, लेकिन श्याम सुंदर सेन ने तर्क दिया कि उस समय तक भारत का वैधानिक शासक मुगल बादशाह था और जिसे देश का शासक माना जाता हो, उसके फरमान को छापना देशद्रोह की तकनीकी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। इस घटना के बाद भी श्यामसुंदर सेन जहाँ भी अंग्रेज सरकार का प्रतिकार हो रहा रहा था, उसके समाचार 'समाचार सुधावर्षण' में छापते रहे।

'समाचार सुधावर्षण' ने 19 सितंबर 1858 के अंक में लिखा-कैप्टन मेह के नेतृत्व में अतिरिक्त सेनाएँ दमदम आ गई हैं और 19वीं रेजीमेंट का एक भाग मेजर हक के नेतृत्व में चिनपुरा भेजा गया है। 29 सितंबर 1858 के अंक में समाचार सुधावर्षण में कहा गया है-"कैप्टन मिनी के 19 सितंबर को रीवा से लिखे गए पत्र से पता चलता है कि कमांडर माइकेल ने मेहू राज्य से सेनाएँ लेकर तात्या टोपे की सेनाओं पर हमला किया। हम लोग लड़ाई जीत गए हैं, विद्रोही हार गए हैं और हमने उनकी कुछ तोपें अपने कब्जे में कर ली हैं। विद्रोही इधर-उधर बिखर गए हैं और उत्तर-पूर्व की ओर भाग रहे हैं। हमारी घुड़सवार सेना, जिसके पास बंदूकें और हथियार हैं, पैदल सेना के साथ उनका पीछा कर रही हैं। ये विद्रोहियों के अंतिम दिन हैं। ब्रिगेडियर कारपेंटर ने उनके छिपने की जगहों को नष्ट कर दिया है और उनके एक सरदार रामनाथ सिंह को घायल कर दिया है।" समाचार सुधावर्षण की एक अन्य खबर में कहा गया है-कैप्टन माइकेल ने महू क्षेत्र की सेनाओं के साथ तात्या टोपे के सहयोगियों पर राजगढ़ और रीवा में आक्रमण किया और बीस या तीस तोपें कब्जे में कर लीं, पर उनका कोई आदमी हताहत नहीं हुआ है। कहने की जरूरत नहीं कि 1857-58 के दौरान श्याम सुंदर सेन ने अपनी साहसपूर्ण पत्रकारिता से हिंदी पत्रकारिता को वह गौरवशालीपरंपरा दी, जिसे हमेशा याद किया जाता रहेगा। श्याम सुंदर सेन ने हिंदी पत्रकारिता के संग्राम को जो दिशा दी, वह सदैव पत्रकारिता के लिए प्रेरणादायी

रही। कोलकाता के बंगीय साहित्य परिषद में 'समाचार सुधावर्षण' के चुनिंदा अंक उपलब्ध हैं।

## अमृतलाल चक्रवर्ती की पत्रकारिता

अमृतलाल चक्रवर्ती (1863-1936) बांग्लाभाषी होते हुए भी हिंदी के अनन्य सेवी थे। 24 परगना के नादरा गाँव में 1963 में जन्मे अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) में अपने मामा के पास काफी दिनों तक रहने और वहाँ स्कूल में पढ़ने के कारण हिंदी पर उनका अधिकार हो गया तो भोजपुरी पर भी, वे भोजपुरी बोल भी लेते थे। हिंदी, अंग्रेजी, फारसी और संस्कृत पर भी उनका अधिकार था और बांग्ला तो खैर उनकी मातृभाषा ही थी। अमृतलाल चक्रवर्ती ने औपचारिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही इलाहाबाद में प्रकाशित 'प्रयाग-समाचार' पत्र से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। कुछ दिन कालाकांकर से प्रकाशित राजा रामपाल सिंह के पत्र 'हिंदोस्थान' में भी वे रहे। कालाकांकर में रहते हुए अमृतलाल चक्रवर्ती को शिक्षा पूरी करने का मन हुआ सो घर गए, फिर कालाकांकर नहीं लौटे। कोलकाता जाकर उन्होंने कानून की डिग्री ली, लेकिन वकालत में नहीं गए। योगेंद्रचंद्र बसु ने 1890 में जब 'हिंदी बंगवासी' निकाला तो उसके संपादन का दायित्व अमृतलाल चक्रवर्ती को सौंपा। यह अखबार डबल रायल आकार के दो बड़े पन्नों में हर हफ्ते प्रकाशित होता था। इसका वार्षिक मूल्य दो रुपए था और प्रसार संख्या दो हजार। उस जमाने में यह संख्या अपने आप में एक कीर्तिमान मानी जाती थी।

'हिंदी बंगवासी' को निकले एक साल ही हुआ था कि अंग्रेज सरकार ने एज आफ कांसेट बिल पारित कर दिया। अमृतलाल चक्रवर्ती ने हिंदी बंगवासी में इसका पुरजोर विरोध किया। सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। उन्हें तीन दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इस घटना से 'हिंदी बंगवासी' की प्रसिद्धि बढ़ गई। इसकी प्रसार संख्या और बढ़ गई। अमृतलाल चक्रवर्ती दस वर्षों तक हिंदी बंगवासी के संपादक रहे। हिंदी बंगवासी ने हिंदी पत्रकारिता में कई नए प्रयोग किए। समाचारों को विषय और स्थान के अनुसार समायोजित करने की शुरुआत हिंदी बंगवासी ने ही की। तीसरे पृष्ठ का नाम होता था-कलकत्ता और मुफस्सिल। इस पृष्ठ पर कलकत्ता और आस-पास की खबरें छापी जाती थीं। इसमें समाचार भेजने वाले का नाम भी छापा जाता था। प्रेषक अपना नाम

छपने के कारण बेहद सजग रहता था। हिंदी बंगवासी ने विज्ञापन का भी नया तरीका अपनाया। कलकत्ता से बाहर जाने वाली गाड़ियों पर अखबार का पोस्टर चिपका दिया जाता था। अखबार के हर अंक में महापुरुषों की जीवनी सचित्र प्रकाशित होती थी। हर अंक में कोई न कोई कहानी भी छपती थी। अखबार अनुवाद छापने को लेकर भी उदार था। बांग्ला भाषा के महाभारत का अनुवाद हिंदी बंगवासी ने छापकर खासी लोकप्रियता बटोरी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे अखबार की वर्तनी एक होती थी। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है–पत्रकारिता का प्राथमिक विद्यालय था हिंदी बंगवासी। पत्रकार के लिए भाषा की एकरूपता पहली आवश्यकता है। एक शब्द जिस रूप में एक जगह लिखा गया है, उसी रूप में सर्वत्र लिखा जाना चाहिए। यह बात हिंदी बंगवासी में कुछ दिन काम करने से आ जाती थी।

अमृतलाल चक्रवर्ती ने दस साल तक संपादन करने के बाद हिंदी बंगवासी के संचालकों की नीति से असंतुष्ट होकर संपादक पद छोड़ा और श्री वेकटेश्वर समाचार का संपादन करने लगे। उनके संपादन काल में श्री वेंकटेश्वर समाचार ने बहुत प्रसिद्धि पाई। वहाँ भी संपादक के काम में मालिकों के दखल के विरोध में ही श्री चक्रवर्ती को हटना पड़ा। घटना इस प्रकार है–संपादक के पास मालिक से एक मजमून पर एक आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें लिखा था–आज्ञा श्रींमान छापो। अमृतलाल चक्रवर्ती ने उसे इस टीप के साथ लौटा दिया कि पत्र का विषय और उसे छापने न छापने के संबंध में विचार किए बिना केवल आदेश के कारण वह न छापा जाएगा। अखबार के मालिक सेठ खेमराज इससे बहुत नाराज हुए। उन्होंने श्री चक्रवर्ती को संपादक पद छोड़ने को कहा, साथ ही बालमुकंद गुप्त से संपादक बनने की प्रार्थना की। गुप्त जी ने मना करते हुए उन्हें नसीहत दी कि संपादक के काम में मालिक को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

बालमुकुंद गुप्त जब भारतमित्र के संपादक बने तो अमृतलाल चक्रवर्ती को वहाँ ससम्मान ले गए। अमृतलाल चक्रवर्ती 1907 से 1910 तक भारत मित्र के संपादक रहे। अमृतलाल चक्रवर्ती ने मासिक उपन्यास कुसुम, कलकत्ता समाचार, श्री सनातन धर्म, फारवर्ड, निगभागम चंद्रिका, उपन्यास तरंग और श्रीकृष्ण संदेश पत्रों में भी काम किया। अमृतलाल चक्रवर्ती ने चालीस वर्षों तक हिंदी पत्रकारिता की सेवा की। उस समय के हिंदी सेवी किन कठिनाइयों में काम करके राष्ट्र भाषा का ध्वज उठाए रहते थे, इसकी एक झलक अमृतलालजी के जीवन से मिलती है। उन्हें 1925 में वृंदावन के सोलहवें अखिल भारतीय हिंदी

साहित्य सम्मेलन का सभापति बनाया गया था। उस समय उनके पास न तो किराए के पैसे थे, न पहनने के ठीक कपड़े। बड़े आग्रह पर मतवालासंचालक महादेव प्रसाद सेठ से उन्होंने कुछ आर्थिक सहायता स्वीकार की, किंतु इस शर्त पर कि वे बदले में उनका कोई काम कर देंगे।

अमृत लाल चक्रवर्ती ने कहा था–दरिद्रता मेरी चिरसंगिनी है, जिसका बड़ा लाडला है स्वाभिमान और छोटी लाडली है भावुकता। शिवपूजन सहाय द्वारा सरस्वती में लिखी गई उनकी जीवनी के मुताबिक अमृतलाल चक्रवर्ती के पास हमेशा दो धोती और दो पंजाबी कुर्ता ही होता था। ओढ़ने के लिए एक फटा–पुराना कंबल और बिछाने के लिए एक टूटी चटाई के अलावा कुछ न था। अमृतलाल चक्रवर्ती की वह कोरी भावुकता ही तो थी कि राजपूताने की आठ सौ रुपए की मिल की मैनेजरी छोड़कर चंद रुपए की अखबारनवीसी की, लेकिन पत्रकारिता भी उन्होंने अपनी शर्तों पर की। समाचार पत्रों के संचालकों की स्वेच्छाचारिता को उन्होंने कभी बर्दाश्त नहीं किया और उनके जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए कि नौकरी को लात मारकर उन्होंने अपने स्वाभिमान की रक्षा की। मणिमय के यशस्वी संपादक राम व्यास पांडेय ने लिखा है कि यदि अमृतलाल चक्रवर्ती राष्ट्रभाषा हिंदी को छोड़कर अपनी मातृभाषा बांग्ला में लिखते तो बंगाली उन्हें कंगाली न होने देते। चक्रवर्ती जी यदि चाहते तो वकालत के द्वारा पैसे का पहाड़ खड़ा कर लेते और एक अदद नौकरी के लिए उन्हें दर–दर न भटकना पड़ता। न पत्नी का सोने का हार बेचना पड़ा न उन्हें साग–सब्जी भी बेचनी पड़ती और गाँव के लोग उन्हें कुजाति छांटने की धमकी भी न देते। अभावों में भी अमृतलाल चक्रवर्ती ने अपनी अखंड शब्द साधना को मद्धिम न पड़ने दिया।

## *शारदा चरण मित्र और 'देवनागर'*

जस्टिस शारदा चरण मित्र (17 दिसंबर, 1848–1917) बंगाल के ऐसे मनीषी थे, जिन्होंने भारत जैसे विशाल बहुभाषा–भाषी और बहुजातीय राष्ट्र को एक सूत्र में बाँधने के उद्देश्य से 1905 में 'एक लिपि विस्तार परिषद' की स्थापना की थी। इस संस्था का एक मात्र उद्देश्य भारतीय भाषाओं के लिए एक लिपि को सामान्य लिपि के रूप में प्रचलित करना था। जाहिर है कि शारदा चरण मित्र ने देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और व्यापकता को भली–भाँति समझ लिया था और इसीलिए वे इसे भारतीय भाषाओं की सामान्य लिपि बनाना चाहते

थे। एक लिपि विस्तार परिषद के लक्ष्य को आंदोलन की शक्ल देते हुए शारदा चरण मित्र ने परिषद की ओर से 1907 में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला था, जो बीच में कुछ व्यवधान के बावजूद उनके जीवन पर्यन्त यानी 1917 तक निकलता रहा। 'देवनागर' के पहले संपादक यशोदानंदन अखौरी थे। इसके मुखपृष्ठ पर यह वाक्य छपा रहता था-'भारतीय चित्र-विचित्र भाषाओं के लेखों से विभूषित एक अद्वितीय सचित्र मासिक पत्रिका।' 'देवनागर' के प्रवेशांक में उसके उद्देश्यों के बारे में इस तरह प्रकाश डाला गया, "जगद्विख्यात भारतवर्ष ऐसे महाप्रदेश में जहाँ जाति-पांति, रीति-नीति, मत आदि के अनेक भेद दृष्टिगोचर हो रहे हैं, भाव की एकता रहते भी भिन्न-भिन्न भाषाओं के कारण एक प्रांतवासियों के विचारों से दूसरे प्रांतवालों का उपकार नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि भाषा का मुख्य उद्देश्य अपने भावों को दूसरे पर प्रकट करना है, इससे परमार्थ ही नहीं समझना चाहिए, अर्थात मनुष्य को अपना विचार दूसरे पर इसलिए प्रकट करना पड़ता है कि इससे दूसरे का भी लाभ हो, किंतु स्वार्थ साधन के लिए भी भाषा की बड़ी आवश्यकता है। इस समय भारत में अनेक भाषाओं का प्रचार होने के कारण प्रांतीक भाषाओं से सर्वसाधारण का लाभ नहीं हो सकता। भाषाओं को शीघ्र एक कर देना तो परमावश्यक होने पर भी दुस्साध्य सा प्रतीत होता है। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य है भारत में एक लिपि का प्रचार बढ़ाना और वह एक लिपि देवनागराक्षर है। देवनागर का व्यवहार चलाने में किसी प्रांत के निवासी का अपनी लिपि व भाषा के साथ स्नेह कम नहीं पड़ सकता। हाँ, यह अवश्य है कि अपने परिचित मंडल को बढ़ाना पड़ेगा। पहले इस पत्र को पढ़ने में पाठकों को बड़ी नीरसता जान पड़ेगी, किंतु इस दूरदर्शिता, उपयोगिता तथा आवश्यकता का विचार कर सहृदय पाठकगण अनंत भविष्यत के गर्भ में पड़े हुए पचास वर्ष के अनंतर उत्पन्न होने के शुभ फल की आशा से इस क्षुद्र भेंट को अंगीकार करेंगे।

देवनागर में बांग्ला, उर्दू, नेपाली, उड़ीया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी आदि की रचनाएं देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित होकर छपती थीं। उस पत्र में पं. रामावतार शर्मा, डा. गणेश प्रसाद, शिरोमणि अनंतवायु शास्त्री, अक्षयवट मिश्र, कोकिलेश्वर भट्टाचार्य और पांडेय लोचन प्रसाद जैसे विशिष्ट लोग लिखते थे। देवनागर में प्रकाशित रिपोर्टों से पता चलता है कि अनेक अहिंदीभाषी विद्वान खुलकर देवनागरी तथा हिंदी का पक्ष-समर्थन करने लगे थे। सोचने वाली बात है कि शारदाचरण मित्र ने देवनागरी तथा हिंदी के पक्ष

में उस काल में किस तरह अन्य प्रांतों में भी एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया था।

'देवनागर' का परिवेश भारत व्यापी था। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष जैसे मनीषियों ने भी 'देवनागर' के प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा की थी। बाल मुकुंद गुप्त ने 'भारत मित्र' में लेख लिखकर 'देवनागर' के प्रयास की सराहना की थी और शारदा चरण मित्र के आंदोलन के औचित्य को प्रकाशित किया था। गुप्त जी ने 'जमाना' के अप्रैल-मई 1907 के अंक में भी देवनागरी के पक्ष में लंबा लेख लिखा था। शारदा चरण मित्र को विश्वास था कि पाँच वर्ष में न हो, दस वर्ष में न हो, किंतु किसी न किसी समय संपूर्ण भारतवर्ष में एक लिपि प्रचलित होगी ही और तब भारतीय भाषाएँ और साहित्य एक हो जाएँगी। शारदा चरण मित्र ने कहा था-"इस समय हमलोग अन्य प्रदेश के साहित्य में प्राय: निपट अनभिज्ञ हैं, इस समय कितने ही विद्वान बंगाली लोग तुलसीदास के भी प्रबंध नहीं पढ़ सकते। यह क्या सामान्य दु:ख की बात है, महाकवि चंद के ग्रंथों की बड़े-बड़े काव्यों के साथ तुलना की जाती है, यह राजपूत लोगों का इलियड है, किंतु कितने ही इसे जानते तक नहीं। इधर राजनीतिक विषय को लेकर समस्त भारतवर्ष को आलोड़ित करने की कामना तो हम करते हैं, किंतु आपस की भाषाओं को समझने के लिए कोई प्रधान उपाय करने के विषय में हमलोग कुछ भी चेष्टा नहीं करते।"

'देवनागर' की दृष्टि व्यापक थी। उसकी व्यापकता का अंदाजा पत्र में चित्र-विचित्र शीर्षक से प्रकाशित टिप्पणियों को ही देखकर लगाया जा सकता है। शारदा चरण मित्र की दृष्टि केवल भारत पर नहीं थी, अपितु संपूर्ण पूर्वी एशिया पर थी। इस संदर्भ में देवनागर में प्रकाशित उनके लेख 'भारतवर्ष में बौद्ध धर्म' की ये पंक्तियां द्रष्टव्य हैं-वस्तुत: समस्त प्राचीन और मध्य एशिया में अभी एक ही धर्म प्रचलित है और उसे हिंदू अथवा भारतवर्ष का धर्म कहना चाहिए। बाहर से कुछ विभिन्नता दिखने पर भी मूल और अंत:प्रकृति सबकी एक है। बौद्ध धर्म भारत का धर्मज्ञान है। बौद्ध धर्म में आस्था प्रदर्शित कर हम प्राचीन और मध्य एशिया में भी एकता स्थापित कर सकेंगे। शारदा चरण मित्र 1904 से 1908 तक कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे। देवनागरी के भारतव्यापी प्रचार-प्रसार के लिए शारदाचरण मित्र इतने कटिबद्ध थे कि देवनागर वे लगातार घाटे में निकालते रहे और उस घाटे को अपने निजी कोष से भरते रहे।

## *रामानंद चट्टोपाध्याय और 'विशाल भारत'*

बंगाल के जिन मनीषियों ने हिंदी की अप्रतिम सेवा की, उनमें एक प्रमुख नाम रामानंद चट्टोपाध्याय (1865-1943) का है। रामानंद बाबू ने घाटा सहकर भी हिंदी मासिक 'विशाल भारत' निकाला और उसके संपादकों को पूरी स्वतंत्रता दी। वैसे अंग्रेजी और बांग्ला की पत्रकारिता में भी उनका बड़ा अवदान है। रामानंद बाबू 1895 में जब कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रिंसिपल बने तो उस कालेज से 'कायस्थ समाचार' नामक एक उर्दू पत्र प्रकाशित होता था। इसका संपादनभार रामानंद बाबू पर ही आया। उन्होंने उसका रूप ही बदल दिया, उर्दू के स्थान पर उसे अंग्रेजी का पत्र बना दिया तथा उसका उद्देश्य शिक्षाप्रचार रखा। इलाहाबाद जाने से पहले रामानंद बाबू प्रथम श्रेणी में एम.ए. करने के बाद 1887 में कलकत्ता के सिटी कालेज में प्राध्यापक बने थे। उसी दौरान वे केशवचंद्र सेन के संपर्क में आए और ब्रह्मसमाजी हो गए थे।

रामानंद बाबू ने 1901 में इंडियन प्रेस के चिंतामणि घोष के सहयोग से बांग्ला मासिक 'प्रवासी' निकाला। उसके कुछ समय बाद मतभेद के कारण उन्हें कायस्थ कालेज से इस्तीफा देकर कलकत्ता वापस आना पड़ा। बंग-भंग के समय चले आंदोलन से रामानंद बाबू खुद को अलग न रख सके। अतः 1907 में फिर इलाहाबाद आए और 'माडर्न रिव्यू' प्रकाशित करने लगे। 'मार्डन रिव्यू' की गिनती अंग्रेजी संसार के आधे दर्जन श्रेष्ठ पत्रों में की जाती थी। कई प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय लेखक 'माडर्न रिव्यू' में लेख लिखने में अपना गौरव मानते थे। रामानंद बाबू ने ही सबसे पहले रवीन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी जगत के सम्मुख प्रस्तुत किया। रवि बाबू की सबसे पहली अंग्रेजी रचना 'माडर्न रिव्यू' में ही प्रकाशित हुई। अमेरिका के पादरी जे.टी.संडरलैंड की पुस्तक 'इंडिया इन बॉण्डेज' को उन्होंने 'माडर्न रिव्यू' में धारावाहिक रूप में और बाद में 'प्रवासी' प्रेस से पुस्तक रूप में प्रकाशित की। यह पुस्तक जब्त कर ली गई और रामानंद बाबू को पुस्तक के प्रकाशन के लिए दंडित होना पड़ा। सर यदुनाथ सरकार और मेजर वामनदास बसु के ऐतिहासिक शोध विषयक लेख 'माडर्न रिव्यू' में छपे। 'माडर्न रिव्यू' के कुछ अंकों ने ही देश-विदेश में अपना प्रभाव फैला लिया। उनके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर तथा उनकी आलाचनाओं से विचलित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें तुरंत उत्तर प्रदेश छोड़ने का आदेश दिया, अतः वे पुनः कोलकात्ता वापस आ गए।

रामानंद बाबू के पत्रकार और गद्य लेखक रूप को देशव्यापी ख्याति मिली। उनकी शैली तेजयुक्त, प्रवाहपूर्ण और निर्लिप्त थी। रामानंद बाबू की तीन पुस्तकें–'राजा राममोहन राय', 'आधुनिक भारत' तथा 'स्वशासन की ओर' भी बहुत चर्चित कृतियाँ रही हैं। रामानंद बाबू कुशल पत्रकार और लेखक ही नहीं, वरन् सच्चे समाजसुधारक भी थे। 1826 में राष्ट्रसंघ (लीग ऑव नेशन्स) की बैठक में उपस्थित होने के लिए रामानंद बाबू आमंत्रित किए गए। उस बैठक में वे अपने ही खर्च से गए। सरकारी खर्च से यात्रा करना इसीलिए अस्वीकार कर दिया, ताकि उनके स्पष्ट और निर्भीक विचारों पर किसी प्रकार भी आर्थिक दबाव की आँच न आने पाए। 1929 में लाहौर कांग्रेस के अवसर पर जात-पाँत तोड़क मंडल के अधिवेशन का सभापतित्व उन्होंने किया।

'प्रवासी' और 'माडर्न रिव्यू' के संपादक रामानंद बाबू हिंदी की व्यापकता से भली-भाँति वाकिफ थे। देश के ज्यादा से ज्यादा पाठकों तक अपने विचार पहुँचाने के लिए 1928 में उन्होंने हिंदी मासिक 'विशाल भारत' निकाला। बनारसी दास चतुर्वेदी उसके संस्थापक संपादक हुए। जनवरी 1928 में 'विशाल भारत' का प्रवेशांक निकला, 144 पृष्ठों का साहित्य, समाज सुधार, राजनीति, इतिहास और अर्थशास्त्र पर पठनीय लेखों से सुसज्जित। प्रवेशांक में चतुर्वेदी जी ने पत्र के उद्देश्य के बारे में लिखा–'विशाल भारत' के संचालक श्री रामानंद चट्टोपाध्याय लगभग चालीस वर्षों से पत्र-संपादन का कार्य कर रहे हैं। हिंदी जनता को उनके 'माडर्न रिव्यू' तथा 'प्रवासी' का परिचय देने की आवश्यकता नहीं। जिन सिद्धांतों तथा विचारों का प्रचार आप अंग्रेजी तथा बांग्ला पत्र द्वारा करते हैं, उन्हीं को अब आप राष्ट्रभाषा हिंदी द्वारा जनता के सम्मुख रखना चाहते हैं। 'विशाल भारत' की आयोजना का एक मात्र उद्देश्य यही है। बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में 'विशाल भारत' जल्द की हिंदी का सर्वश्रेष्ठ मासिक बन गया। शुरू के तीन वर्षों में ही उसने साहित्यांक, प्रवासी अंक तथा कला अंक जैसे विशेषांक निकालकर अपनी धाक जमा ली।

कतिपय मामलों पर बनारसी दास चतुर्वेदी से रामानंद बाबू के मतभेद हुए, किंतु कभी भी रामानंद बाबू ने बनारसी दास जी की संपादकीय स्वायत्तता में हस्तक्षेप नहीं किया। रामानंद बाबू जब सूरत में हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने तो 'विशाल भारत' में उनकी कटु आलोचना छपी। रामानंद बाबू ने उसका उत्तर लिखकर दिया और उसे भी चतुर्वेदी जी ने छापा। 1937 में बनारसी दास चतुर्वेदी के आग्रह पर 'विशाल भारत' का संपादन करने के लिए अज्ञेय कलकत्ता आ

गए। अज्ञेय 'विशाल भारत' में डेढ़ वर्ष तक रहे, पर उस अल्प अवधि में ही उन्होंने अपनी अमिट छाप छोड़ी।

अज्ञेय का भी रामानंद बाबू से विरोध हुआ। हिंदी के स्वाभिमान के सवाल पर। उस प्रसंग का विवरण खुद अज्ञेय ने 'कलकत्ते की याद' शीर्षक लेख में इस तरह दिया है–" प्रवासी तथा माडर्न रिव्यू में रामानंद चट्टोपाध्याय की कुछ टिप्पणियां प्रकाशित हुईं, जिनमें हिंदी के प्रति अवज्ञा का भाव था। इससे क्लेश तो बहुत से लोगों को हुआ, लेकिन बोला कोई नहीं, क्योंकि रामानंद बाबू की और उनके द्वारा संपादित पत्रों की बहुत धाक थी। अपनी अनुभवहीनता में मुझे लगा कि उनके आरोपों का खंडन आवश्यक है और मैंने 'विशाल भारत' की संपादकीय टिपप्णियों में उनके तर्कों का उत्तर भी दे दिया। सप्ताह–भर बाद मुझे रामानंद बाबू का हाथ का लिखा पत्र मिला। उन्होंने मेरे तर्कों का जवाब तो दिया ही था, पत्र के अंत में उन्होंने दो बातें और लिखी थीं। एक तो उन्होंने मुझे याद दिलाया था कि वह स्वयं बंगाली होकर हिंदी का साहित्यिक पत्र निकाल रहे हैं और लगातार उस पर घाटा उठा रहे हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि बहुत से हिंदीभाषी धनिक और सेठ भी तो हैं, क्या एक भी ऐसा हिंदी भाषी व्यक्ति है, जो बांग्ला में पत्र निकाल रहा हो–उस पर घाटा उठाना तो दूर दूसरे, उन्होंने मुझे स्मरण दिलाया था कि 'विशाल भारत' प्रवासी प्रेस से निकलता है, जिसके मालिक वे स्वयं हैं। क्या कोई दूसरा ऐसा मालिक भी होगा, जो अपने संगठन के किसी कर्मचारी को यह अधिकार दे कि वह उसी के पत्र में उसी की आलोचना करे। पत्र के उत्तर में मैंने लिखा कि 'विशाल भारत' की टिप्पणी में जो कुछ लिखा गया है, उसे मैं ठीक मानता हूं और उनके पत्र के बाद भी मुझे कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी। इस बात को मैंने स्वीकार किया कि हिंदी पत्रकारिता में उन्होंने जो योगदान किया है, उसके तुल्य किसी हिंदी भाषी ने बांग्ला के लिए कुछ नहीं किया और यह भी मैंने स्वीकार किया कि 'विशाल भारत' के संपादक को उन्होंने जो स्वतंत्रता दी है, उसके लिए भी उनका सम्मान होना चाहिए। मैंने यह भी जोड़ दिया कि मेरे मन में श्रद्धा और भी अधिक होती, अगर यह बात स्वयं उन्होंने मुझे न लिखी होती और दूसरे ही उसका उल्लेख करते, इस पत्र प्रकरण के बाद अज्ञेय लिखते हैं–'मैं अपने को उतना ही स्वाधीन मानता रहा, जितना पहले मानता था और जितना संपादक के नाते अपने को हमेशा रखता रहा हूं।' संपादकीय स्वतंत्रता का जो सम्मान रामानंद बाबू करते थे, उसका यह एक उदाहरण है। 'विशाल भारत' ने जो श्रेष्ठता तथा

ऊंचाई अर्जित की, उसके पीछे एक कारण यह भी था कि रामानंद बाबू संपादकीय स्वतंत्रता का पूरा सम्मान करते थे। उनकी इस भूमिका को कभी लघु करके नहीं देखा जा सकता।

## *चिंतामणि घोष और 'सरस्वती'*

इंडियन प्रेस, प्रयाग के मालिक चिंतामणि घोष ने प्रथम सर्वश्रेष्ठ मासिक 'सरस्वती' द्वारा और हिंदी के अनेक ग्रंथों को छापकर हिंदी साहित्य की जितनी सेवा की है, उतनी सेवा हिंदी भाषा भाषी किसी प्रकाशक ने शायद ही की होगी। चिंतामणि घोष ने 1884 में इंडियन प्रेस की स्थापना की और 1899 में नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्ताव किया कि सभा एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार ले, जिसे वे प्रकाशित करेंगे। नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका अनुमोदन तो कर दिया, किंतु संपादन का भार लेने में अपनी असमर्थता जताई। अंत में संपादन का भार एक समिति को सौंपने पर सहमति बनी। इस समिति में पाँच लोग थे। वे थे बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी और इस तरह 'सरस्वती' की योजना को अंतिम रूप मिला। जनवरी 1900 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। प्रवेशांक के मुखपृष्ठ पर पाँच चित्र थे–सबसे ऊपर वीणावादिनी सरस्वती का चित्र था। ऊपर बाईं ओर सूरदास और दाईं ओर तुलसीदास तथा नीचे बाईं ओर राजा शिव प्रसाद सितारेहिंद और बाबू हरिश्चंद्र के चित्र थे। पत्रिका के नाम के नीचे लिखा रहता था–काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से प्रतिष्ठित। पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि बाबू ने पत्रिका का नीति वक्तव्य इस तरह घोषित किया था, "परम कारुणिक सर्व शक्तिमान जगदीश्वर की असीम अनुकम्पा से ही ऐसा अनुपम अवसर आकर प्राप्त हुआ है कि आज हम लोग हिंदी भाषा के रसिक जनों की सेवा में नए उत्साह से उत्साहित हो एक नवीन उपहार लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम सरस्वती है। इसके नवजीवन धारण करने का केवल यही मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी रसिकों के मनोरंजन के साथ ही भाषा के सरस्वती भंडार की अंगपुष्टि, वृद्धि और यथार्थ पूर्ति हो तथा भाषा सुलेखकों की ललित लेखनी उत्साहित और उत्तेजित होकर विविध भावभरित ग्रंथराजि को प्रसव करे।"

'सरस्वती' के एक साल बीतते न बीतते यह स्पष्ट हो गया कि संपादक मंडल से काम नहीं चलेगा तो जनवरी 1901 से बाबू श्याम सुंदर दास उसके

संपादक हो गए। 1902 के आखिर में बाबू श्याम सुंदर दास ने आगे से संपादन करने में असमर्थता जताई और उन्होंने सरस्वती प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष से नए संपादक के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम सुझाया। चिंतामणि घोष द्विवेदी जी के महत्व से परिचित थे। उन्होंने द्विवेदी जी को आमंत्रित किया और द्विवेदी जी ने रेलवे की पौने दो सौ रुपए की स्थापित नौकरी छोड़कर इक्कीस रुपए मासिक के वेतन पर 'सरस्वती' के संपादन का दायित्व स्वीकार किया। द्विवेदी जी जितने बड़े कवि, निबंधकार, समीक्षक और अनुवादक थे, उतने ही श्रेष्ठ संपादक भी सिद्ध हुए। इसीलिए उस युग को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 के जनवरी महीने में 'सरस्वती' का संपादक बनने के साथ ही उसे ज्ञान के सभी अनुशासनों का खुला मंच तो बनाया ही, यह भी सुनिश्चित किया कि प्रकाशन के पूर्व हर रचना की भाषा व्याकरण की दृष्टि से शास्त्रसम्मत हो। उन्होंने भरसक कोशिश की कि पूरी पत्रिका एक ही वर्तनी में निकले।

द्विवेदी जी ने 1904 में जब नागरी प्रचारिणी सभा की खोज संबंधी रिपोर्ट की आलोचना की तो सभा ने पत्रिका के प्रकाशक चिंतामणि घोष को लिखा कि पत्रिका से सभा का अनुमोदन हटा लिया जाए। चिंतामणि घोष संपादक की स्वतंत्रता के इतने बड़े हिमायती थे कि उन्होंने द्विवेदी जी को कुछ कहने से ज्यादा बेहतर सभा से नाता तोड़ना समझा। 1905 में नागरी प्रचारिणी सभा के 12वें वार्षिक विवरण में पृष्ठ 38 पर इसका इस तरह उल्लेख किया गया है, "मासिक पत्रों में अब सबसे श्रेष्ठ सरस्वती है। यद्यपि कई कारणों से अब इस पत्रिका के साथ इस सभा का कोई संबंध नहीं है। सभा को दुःख है कि सरस्वती के प्रकाशक ने उसमें अपवादपूर्ण लेखों को रोकना उचित न जानकर नागरी प्रचारिणी सभा से अपना संबंध तोड़ना उचित समझा।"

भाषा-परिमार्जन के साथ ही सर्जनात्मक साहित्य की हर विधा से लेकर साहित्य समालोचना के लिए द्विवेदी जी के संपादन में 'सरस्वती' ने युगांतकारी भूमिका निभाई। उदाहरण के लिए सिर्फ कहानी विधा को लें तो रामचंद्र शुक्ल की कहानी 'ग्यारह वर्ष का समय' 1903 में द्विवेदी जी के संपादन में 'सरस्वती' में ही छपी। बंग महिला (राजेंद्रबाला घोष) की कहानी 'कुंभ की छोटी बहू' 'सरस्वती' के सितंबर 1906 के अंक में छपी। 'सरस्वती' में 1909 में वृंदावन लाल वर्मा की कहानी 'राखी बंद भाई' और 1915 में प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी 'सौत' और 1916 में उन्हीं की बहुचर्चित कहानी 'पंच परमेश्वर' छपी।

1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 'उसने कहा था' 'सरस्वती' में छपी। किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 'इंदुमती' और 'गुलबहार' तथा भगवान दास की कहानी 'प्लेग की चुड़ैल' पहले ही 'सरस्वती' में छप चुकी थीं। 'सरस्वती' की संपादकीय टिप्पणियां और समालोचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं लिखते थे और उनकी समालोचना की साख इतनी थी कि जिस भी किताब की वे प्रशंसा कर देते थे, उसकी प्रतियाँ देखते-देखते बिक जाती थीं।

साहित्य की विधाओं-कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, जीवनी, आलोचना के समांतर समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नागरिक शास्त्र, इतिहास और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को भी पत्रिका में महत्व दिया और इस तरह उसका फलक विस्तृत कर दिया। अनेक रचनाकारों को सबसे पहले द्विवेदी जी ने ही अवसर दिया और जिनकी कविता या कहानी या लेख 'सरस्वती' में छपते थे, वे भी चर्चा में आ जाते थे। 'सरस्वती' के रचनाकारों में श्याम सुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, संत निहाल सिंह, माधव राव सप्रे, राम नरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, जय शंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, राय कृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर जैसे साहित्यकार शामिल थे।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिसंबर 1920 में 'सरस्वती' से विदा ली। उनका अंतिम संपादकीय 'संपादक की विदाई' शीर्षक से जनवरी 1921 की 'सरस्वती' में छपा। उसमें द्विवेदी जी ने लिखा, "सरस्वती को निकलते पूरे 21 वर्ष हो चुके, जिस समय उसका आविर्भाव हुआ था, उस समय हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की क्या दशा थी, यह बात लोगों से छिपी नहीं है। जिन्होंने उस समय को भी देखा है और जो इस समय को भी देख रहे हैं। 'सरस्वती' के आकार-प्रकार, उसके ढंग और लेखन शैली आदि को लोगों ने बहुत पसंद किया अच्छी मासिक पुस्तक में जो गुण होने चाहिए, उसका शतांश भी मुझमें नहीं।..." इसी टिप्पणी में द्विवेजी ने चिंतामणि घोष के बारे में लिखा था, "मैं सेवा का अर्थ अच्छी तरह जानता हूँ। अतएव मैं कह सकता हूँ कि मैंने सेवा भाव से प्रेरित होकर सरस्वती का संपादन नहीं किया। हिंदी की सेवा मैंने तो नहीं, चिंतामणि घोष ने अवश्य की है। जन्मभूमि उनकी बंगदेश है और मातृभाषा बांग्ला। यदि उनमें उदारता की मात्रा इतनी अधिक न होती तो सरस्वती का विसर्जन कभी का हो गया होता।"

'सरस्वती' 1975 तक निकलती रही। दिसंबर 2013 में इलाहाबाद में चिंतामणि घोष की प्रतिमा लगाकर देश ने उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इलाहाबाद में घोष बाबू की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने किया।

इस तरह हम पाते हैं कि हिंदी पत्रकारिता को आदि काल से ही बांग्लाभाषी सींचते आ रहे हैं। निकट अतीत में 'माया' जैसी राष्ट्रीय पत्रिका इलाहाबाद के जिस मित्र प्रकाशन समूह से छपती थी, उसके कर्ता-धर्ता बांग्लाभाषी क्षितिंद्र मोहन मित्र ही थे। 'रविवार' जैसी पत्रिका आनंद बाजार पत्रिका समूह से ही निकली थी। 'संडे इंडियन' तथा 'राष्ट्रीय सहारा' निकालने वाले भी मूलतः बांग्लाभाषी हैं। परितोष चक्रवर्ती और कल्लोल चक्रवर्ती से लेकर सुमन चट्टोपाध्याय तक दर्जनों बांग्लाभाषी हिंदी पत्रकारिता को नई धार देने में जुटे हुए हैं।

# 9

# हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के 150 वर्ष

भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वाराणसी से कविता केंद्रित पत्रिका 'कविवचनसुधा' का प्रकाशन 15 अगस्त, 1867 को प्रारंभ किया था। इस तरह हिंदी की साहित्यिक पत्रकारिता के 150 वर्ष पूरे हुए। भारतेंदु 'कवि वचन सुधा' में आरंभ में पुराने कवियों की रचनाएँ छापते थे, जैसे—चंद बरदाई का रासो, कबीर की साखी, जायसी का पदमावत, बिहारी के दोहे, देव का अष्टयाम और दीन दयाल गिरि का अनुराग बाग, लेकिन जल्द ही पत्रिका में नए कवियों को भी स्थान मिलने लगा। पत्रिका के प्रवेशांक में भारतेंदु ने अपने आदर्श की घोषणा इस प्रकार की थी–

"खल जनन सों सज्जन दुःखी मति होंहि, हरिपद मति रहै।
अपधर्म छूटै, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुःख बहै।।
बुध तजहि मत्सर, नारि नर सम होंहि, जग आनंद लहै।
तजि ग्राम कविता, सुकविजन की अमृतवानी सब कहै।"

भारतेंदु खलजनों द्वारा पीड़ित किए जाने वाले सज्जनों के प्रति संवेदना जताते हैं, वहीं यह आकांक्षा प्रकट करते हैं कि पाठक अच्छी कविता का रसास्वादन करें। भारतेंदु की यह भी कामना है कि भारत अपने खोए हुए स्वत्व को प्राप्त करे। वे नर–नारी की समानता पर भी बल देते हैं। भारतेंदु स्त्री–पुरुष

की समानता के इतने बड़े पैरोकार थे कि 'कविवचनसुधा' के 3 नवंबर, 1873 के अंक में उन्होंने लिखा, "यह बात सिद्ध है कि पश्चिमोत्तर देश की कदापि उन्नति नहीं होगी, जब तक यहाँ की स्त्रियों की भी शिक्षा न होगी, क्योंकि यदि पुरुष विद्वान होंगे और उनकी स्त्रियाँ मूर्ख तो उनमें आपस में कभी स्नेह न होगा और नित्य कलह होगी।"

'कवि वचन सुधा' में साहित्य तो छपता ही था। उसके अलावा समाचार, यात्र, ज्ञान विज्ञान, धर्म, राजनीति और समाज नीति विषयक लेख भी प्रकाशित होते थे। इससे पत्रिका की जनप्रियता बढ़ती गई। इतनी कि उसे मासिक से पाक्षिक और फिर साप्ताहिक कर दिया गया। प्रकाशन के दूसरे साल 'कवि वचन सुधा' पाक्षिक हो गई थी और 5 सितंबर, 1873 से साप्ताहिक। 'कवि वचन सुधा' के द्वितीय प्रकाशन वर्ष में मस्टहेड के ठीक नीचे छपता था -

"निज-नित नव यह कवि वचन सुधा सकल रस खानि।
पीवहु रसिक आनंद भरि परमलाभ जिय जानि।।
सुधा सदा सुरपुर बसै सो नहीं तुम्हरे जोग।
तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग।।"

'कवि वचन सुधा' में सूचना का एक नियमित स्तंभ रहता था। सूचना के अलावा नाना विषयों पर टिप्पणियाँ छपती थीं। 'कवि वचन सुधा' के 8 फरवरी, 1874 के अंक में प्रकाशित एक ऐसी ही टिप्पणी द्रष्टव्य है, "कुछ काल पहले अंग्रेज लोग जब हिंदुस्थान के विषय में व्याख्यान देते थे, तब यही प्रगट करते थे कि हम लोग इस देश के लाभ अर्थ राज्य करते हैं यही चिल्ला-चिल्ला कर सर्वदा कहा करते कि हम सदैव हिंदुस्तान की वृद्धि के निमित्त विचार करते हैं कि हम लोग इस देश की वृद्धि करेंगे और यहाँ के निवासियों को विद्यामृत पिलाएँगे और राज्य का प्रबंध किस भात करना यह ज्ञान प्रजा को स्वतः हो जाएगा तब हम लोग हिंदुस्तान का सब राज्य प्रबंधन यहाँ के निवासियों को स्वाधीन कर देंगे और अंत को सब राम-राम कह कर जहाज पर पैर रख स्वदेश गमन करेंगे। यह वार्ता हम लोग अपनी गढ़ी हुई नहीं कहते। पर इन्हीं अंग्रेजों की और मुख्य करके पाद्रियों के जो व्याख्यान प्रसिद्ध हुए हैं, उनसे स्पष्ट प्रगट होता है कि यह प्रकार पाठकजनों के देखने में निस्संदेह आया ही होगा इसमें संदेह नहीं।

अंग्रेजी शासन के प्रति भारतेंदु की यह टिप्पणी बेहद तात्पर्यपूर्ण है कि भारतीयों के लाभ के लिए अंग्रेजी शासन होने का दावा खोखला था। अंग्रेज किस

तरह भारत की संपदा लूट रहे थे, इसका संकेत भारतेंदु ने 'कवि वचन सुधा' के 7 मार्च, 1874 के अंक में अपनी टिप्पणी में दिया, "सरकारी पक्ष का कहना है कि हिंदुस्तान में पहले सब लोग लड़ते-भिड़ते थे और आपस में गमनागमन न हो सकता था। यह सब सरकार की कृपा से हुआ। हिंदुस्तानियों का कहना है कि उद्योग और व्यापार बाकी नहीं। रेल आदि से भी द्रव्य के बढ़ने की आशा नहीं है। रेलवे कंपनी वाले जो द्रव्य व्यय किया है, उसका व्याज सरकार को देना पड़ता है और उसे लेने वाले बहुधा विलायत के लोग हैं। कुल मिलाकर 26 करोड़ रुपया बाहर जाता है।"

'कवि वचन सुधा' में प्रकाशित लेख 'भुतही इमली का कन कौआ' पर राजा शिवप्रताप सितारेहिंद ने गवर्नर से शिकायत की। रही-सही कसर 'मर्सिया' के प्रकाशन ने पूरी कर दी। उससे अंग्रेजी शासन का क्रोध और बढ़ गया। भारतेंदु ने 20 अप्रैल, 1874 के अंक में शंका शोधन (स्पष्टीकरण) भी छापा, "मर्सिया में हमारे अपने ग्राहकों को शंका होगी कि वह राजा कौन था? इससे अब हम उस राजा का अर्थ स्पष्ट करके सुनाते हैं। वह राजा अंग्रेजी फैसन था, जो इस अपूर्ण शिक्षित मंडली रूप अँधेर नगरी का राज करता था, जब से बंबई और काशी इत्यादि स्थानों में अच्छे-अच्छे लोगों ने प्रतिज्ञा करके अंग्रेजी कपड़ा पहिरना छोड़ देने की सौगंध खाई, तब से मानो वह मर गया था। स्पष्टीकरण का कोई लाभ न हुआ। अंग्रेज सरकार ने 'कवि वचन सुधा' की प्रतियों की खरीद बंद कर दी। सरकार भक्तों ने भी पत्र खरीदना, पढ़ना और अपने घर में रखना बंद कर दिया, इससे 'कविवचन सुधा' को आर्थिक नुकसान तो बहुत हुआ, किंतु उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। भारतेंदु ने अंग्रेजी हुकूमत के मानद दंडाधिकारी का पद भी त्याग दिया। यही क्या, उन्होंने अंग्रेज अफसरों से मिलना तक बंद कर दिया। भारतेंदु ने विलायती कपड़ों के बहिष्कार की अपील करते हुए स्वदेशी का जो प्रतिज्ञा पत्र 23 मार्च, 1874 के 'कविवचनसुधा' में प्रकाशित किया, वह समूचे हिंदी समाज का प्रतिज्ञा पत्र बन गया। उसमें भारतेंदु ने कहा था, "हमलोग सर्वांतर्यामी सब स्थल में वर्तमान सर्वद्रष्टा और नित्य सत्य परमेश्वर को साक्षी देकर यह नियम मानते हैं और लिखते हैं कि हम लोग आज के दिन से कोई विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे और जो कपड़ा कि पहले से मोल ले चुके हैं और आज की मिती तक हमारे पास हैं, उनको तो उनके जीर्ण हो जाने तक काम में लायेंगे, पर नवीन मोल लेकर किसी भाँति का भी विलायती कपड़ा नहीं पहनेंगे, हिंदुस्तान का ही बना कपड़ा पहनेंगे। हम आशा रखते हैं कि

इसको बहुत ही क्या प्राय: सब लोग स्वीकार करेंगे और अपना नाम इस श्रेणी में होने के लिए श्रीयुत बाबू हरिश्चंद्र को अपनी मनीषा प्रकाशित करेंगे और सब देश हितैषी इस उपाय के बाद में अवश्य उद्योग करेंगे।"

सात वर्षों तक 'कवि वचन सुधा' का संपादक-प्रकाशन करने के बाद भारतेंदु ने उसे अपने मित्र चिंतामणि धड़फले को सौंप दिया और 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' का प्रकाशन 15 अक्टूबर, 1873 को बनारस से आरंभ किया। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के मुखपृष्ठ पर उल्लेख रहता था कि यह 'कवि वचन सुधा' से संबद्ध है। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के प्रवेशांक में एक निबंध छापा-'हिंदूज क्वश्चन टू यूरोपीयन'। यह लेख प्रश्नोत्तर शैली में है—आप इंग्लैंड के हो या हमारे? क्यों अपना घरबार छोड़कर यहाँ आ बसे? यदि आप हमारे हैं तो क्यों हमारे देश को इतनी पीड़ा दे रहे हैं।..? आप किसी के नहीं हैं-फिर आपकी स्तुति करें या निंदा? आपको साधु कहें या गुरु? इसी तरह 'रिलीजन्स' शीर्षक लेख में अंधविश्वासी युवकों की खबर ली गई थी, "हमें यह देखकर खेद होता है कि हिंदू धर्म का पतन हो रहा है। हिंदू धर्म, अन्य सभी धर्मों से श्रेष्ठ है, परंतु हमारे प्रबुद्ध मित्र इसे अंधविश्वास की संज्ञा देते हैं। प्रथम अंक 24 पृष्ठों में प्रकाशित हुआ। कुछ अंक बीस और बयालीस पृष्ठ के भी निकले। इसमें प्राय: अंग्रेजी भाषा में हर अंक में तीन से छ: पृष्ठ होते थे। अंग्रेजी की सामग्री अधिकतर अन्य व्यक्ति लिखकर भेजते थे, जिनके नाम से वह छपती थी। इसमें साहित्य, विज्ञान, राजनीति, धर्म, पुरातत्व, इतिहास आदि विषयों पर लेखों के साथ ही उपन्यास, कविता, हास्य-व्यंग्य आदि पर भी सामग्री रहती थी।

'हरिश्चंद्र मैग्जीन' जल्द ही 'कवि वचन सुधा' से भी अधिक लोकप्रिय हो गई थी तथा उस समय के मशहूर लेखक जैसे—बाबू तोताराम मुंशी, ज्वाला प्रसाद, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, दयानंद सरस्वती और स्वयं भारतेंदु समय-समय पर 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के लिए लिखा करते थे। भारतेंदु जी ने अपने लेखकों को सहायक संपादकों की मर्यादा दी। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के केवल आठ अंक ही निकल सके। उन आठ अंकों में कुल 113 रचनाएँ प्रकाशित हुईं। आठवें अंक निकलने के बाद पत्रिका का नाम 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' कर दिया गया। मुखपृष्ठ पर 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' छपा होता था और आखिरी पृष्ठ पर 'हरिश्चंद्र मैग्जीन'।

'हरिश्चंद्र चंद्रिका' का प्रवेशांक जून 1874 में निकला। मुखपृष्ठ पर यह श्लोक और छंद छपता था –

"विद्वत्कुलाम लस्वांत कुमुदामोददायिका।
आर्याज्ञान-तमोहंती श्री हरिश्चंद्र चंद्रिका।।"
'कविजन-कुमुद-गन हिय विकासि चकोर रसिकन सुख भरै।
प्रेमिन सुधा सों सींचि भारतभूमि आलस तम हरै।।
उद्यम सु औषधि पोखि विरहिनि दाहि खल चोरन दरै।
हरिश्चंद्र की यह चंद्रिका पर कासि जग मंगल करै।।"

'हरिश्चंद्र चंद्रिका' में हठीकृत राधा सुधा शतक, भारतेंदु जी का धनंजय विजय व्यायोग, गदाधर सिंह कृत कादंबरी, लाला श्रीनिवास दास कृत तप्सासंवरण नाटक आदि प्रकाशित हुए। भारतेंदु का 'पाँचवा पैगंबर', मुंशी कमला सहाय का 'रेल का विकट खेल', मुंशी ज्वाला प्रसाद का 'कलिराज की सभा' आदि रचनाएँ भी उसमें छपे। पुरातत्व संबंधी लेख भी उसमें प्रकाशित किए जाते थे। कुछ पृष्ठों में अंग्रेजी रचनाएँ भी प्रकाशित होती थीं। कविता में ही मूल्यादि का विवरण छपता था -

"षट् मुद्रा पहले दिए बरस बिताए सात।
साथ चंद्रिका के लिए दस में दोऊ मिल जात।।
बरन गए बारह लगत दो के दो महसूल।
अलग चंद्रिका सात, षट् वचन सुधा समतूल।।
दो आना एक पत्र की टका पोस्टेज साथ।
सारध आना आठ दै लहत चंद्रिका हाथ।।
प्रति पंगति आना जुगुल जो कोऊ नोटिस देई।
जो विशेष जानन चहै पूछि सबै कुछ लेई।।"

'हरिश्चंद्र चंद्रिका' का प्रकाशन घाटे के बावजूद छः वर्षों तक होता रहा। हरिश्चंद्र ने 'नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका' भी निकाली। उसमें धारावाहिक रूप में 'पुरावृत्त संग्रह', 'स्वर्णलता' (उपन्यास) तथा 'सती प्रताप' (नाटक) का प्रकाशन हुआ था। 'प्रेम-प्रलाप' के कुछ उत्कृष्ट पद भी प्रकाशित किए गए थे। उस पत्रिका के तीन अंकों का ही विवरण मिलता है। नवंबर 1874 के अंक में 31 सहायक संपादकों के नाम दिए गए हैं। जैसे-ईश्वरचंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद सरस्वती। कहना न होगा कि वस्तुतः ये सहायक संपादक पत्रिका के लेखक थे। पत्रिका के विदेशों में भी पाठक थे।

भारतेंदु ने एक स्त्री शिक्षोपयोगी मासिक पत्रिका की जरूरत को शिद्दत से महसूस किया और जनवरी, 1874 में 'बाला बोधिनी' नामक आठ पृष्ठों की

डिमाई साइज की पत्रिका प्रकाशित की। उसके मुखपृष्ठ पर यह कविता प्रकाशित होती थी -

"जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति।
जो नारि सोई पुरुष या में कुछ न विभक्ति।।
सीता अनुसूया सती अरुंधती अनुहारि।
शील लाज विद्यादि गुण लहौ सकल जग नारि।।
पितु पति सुत करतल कमल लालित ललना लोग।
पढ़ै गुनैं सीखैं सुनै नासैं सब जग सोग।।
और प्रसविनी बुध वधू होई हीनता खोय।
नारी नर अरधंग की सांचेहि स्वामिनि होय।।"

उन दिनों 'बाल बोधिनी' और 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' की पाँच-पाँच सौ प्रतियाँ छपती थीं, जिसमें सौ-सौ प्रतियाँ तो सरकार ही खरीद लेती थी। 'बाला बोधिनी' के प्रवेशांक में लिखा था, "मैं तुम लोगों से हाथ जोड़कर और आँचल खोलकर यही माँगती हूँ कि जो कभी कोई भली बुरी कड़ी नरम कहनी अनकहनी कहूँ उसे मुझे अपनी समझकर क्षमा करना, क्योंकि मैं जो कुछ कहूँगी सो तुम्हारे हित की कहूँगी।" इस पत्रिका में महिलापयोगी रचनाएँ ही अधिकतर छपती थीं, परंतु इतिहास, साहित्य, राजनीति पर सामयिक लेख भी दिए जाते थे। 'मुद्राराक्षस' नाटक का प्रकाशन भी इसमें हुआ था। यह पत्रिका चार वर्षों तक निरंतर प्रकाशित होती रही। भारतेंदु स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देते थे। उस समय जो युवतियाँ अंग्रेजी परीक्षाएँ पास करतीं, उनको वे साड़ी भेंट करते थे। 'बाला बोधिनी' के जिल्द 2 संख्या-73 में स्त्रियों में नैतिक शिक्षा के प्रसार के लिए लिखा गया था, "हे सुमति, जब बालक तुम्हारा भली प्रकार बातचीत करने लगे तो उसको वर्णमाला याद कराती रहे, फिर उन्हीं को पट्टी पर लिख के अभ्यास कराओ और रातों को गिनती और सुंदर-सुंदर श्लोक व छोटे स्रोत याद कराओ। इस व्यवहार में कई एक बातें सुंदर प्राप्त होंगी। प्रथम तो बालक को खेल ही खेल में अक्षर ज्ञान हो जायेगा दूसरे उसका काल भी व्यर्थ नहीं जाने का, फिर इस अवसर का पढ़ा लिखा विशेष करके याद रहता है।" 'बाला बोधिनी' में 'गुरुसारणी' नाम से एक स्तंभ होता था, जिसमें घर के हिसाब-किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित किए जाते थे। 'हरिश्चंद्र चंद्रिका' के साथ ही 'बाला बोधिनी' की भी सरकारी सहायता बंद हो गई तो भारतेंदु ने उसे 'कविवचनसुधा' में समाहित कर दिया। राममोहन राय ने स्त्री अधिकारों के लिए जो रचनात्मक

संघर्ष किया, सती प्रथा और बाल–विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह को समर्थन दिया और स्त्री शिक्षा पर जोर दिया और उस नवजागरण के लिए पत्रकारिता को अस्त्र बनाया और जिसे द्वारिका प्रसाद टैगोर तथा ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने 'तत्वबोधिनी' पत्रिका के माध्यम से आगे बढ़ाया, उसी की अगली कड़ी भारतेंदु की पत्रिका 'बालाबोधिनी' से जुड़ती है। ध्यान देने योग्य है कि 'बालाबोधिनी' का प्रकाशन होने के दस साल बाद 1884 में फ्रेडरिक एंगेल्स की किताब 'परिवार, निजी संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति' आई थी, जिसमें मार्क्सवादी अवधारणा के आलोक में स्त्रीत्ववाद का गंभीर विवेचन किया गया था। कहना न होगा कि हिंदी साहित्य और पत्रकारिता में स्त्री विमर्श की जब भी चर्चा होगी तो उसमें 'बालाबोधिनी' के रचनात्मक अवदान का उल्लेख अनिवार्य होगा।

भारतेंदु की पत्रिकाओं के बाद बालकृष्ण भट्ट के संपादन में 1877 में मासिक पत्रिका 'हिंदी प्रदीप' निकली। उसके प्रत्येक अंक में 'विद्या, नाटक, इतिहास, परिहास, उपन्यास, साहित्य, दर्शन, राज संबंधी इत्यादि के विषय में हर महीने की पहली को छपता है' लिखा रहता था। 'हिंदी प्रदीप' ने भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रसार किया। बालकृष्ण भट्ट ने 'हिंदी प्रदीप' में कालिदास, श्री हर्ष, भवभूति, बिल्हण, बाण, त्रिविक्रम भट्ट, हरिश्चंद्र, भारवि, क्षेमेंद्र तथा गोवर्धन आदि कवियों के जीवन और योगदान पर लेख प्रकाशित किए और प्राचीन पुस्तकों की समालोचनाएँ भी छापीं। 'नल दमयंति', 'किरातार्जुनीयम', 'सौ अजान एक सुजान' और 'भाग्य की परख' जैसे नाटक भी 'हिंदी प्रदीप' में छपे। 1908 में माधव शुक्ल की कविता 'बम क्या है' छापने के लिए 'हिंदी प्रदीप' पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगा, जिसे न चुका पाने के कारण उसका प्रकाशन बंद हो गया। सन् 1878 में 'भारत मित्र', 1879 में 'सारसुधानिधि' और 1880 में 'उचित वक्ता' का प्रकाशन हुआ। 'भारत मित्र' के संपादक छोटेलाल मिश्र, 'सारसुधानिधि' के संपादक सदानंद मिश्र और 'उचित वक्ता' के दुर्गाप्रसाद मिश्र ने हिंदी गद्य के उन्नयन के लिए ठोस काम किए। 'सारसुधानिधि' के वर्ष 2, अंक 12 की संपादकीय टिप्पणी में सदानंद मिश्र ने लिखा था, "एक विशुद्ध साधु हिंदी भाषा की सर्वत्र एक ही पुस्तक पढ़ाई जाना उचित है, किंतु विशेष दु:ख का विषय है कि जिस हिंदी भाषा का अधिकार इतना बड़ा है कि भारतवर्ष के प्राय: आधे दूर तक परिव्याप्त है। ...हिंदुस्तान की उन्नति का मूल जब यह ठहरा कि हिंदुस्तान की प्रधान भाषा हिंदी परिशुद्ध होकर सर्वत्र एक ही रूप से

प्रचार हो, तब अवश्य गवर्नमेंट की सहायता आवश्यक है, क्योंकि संप्रति भारतवासियों की सर्व प्रकार की शिक्षा एकमात्र गवर्नमेंट के अधीन है।" इसी तरह दुर्गाप्रसाद मिश्र ने 12 जनवरी, 1895 के 'उचितवक्ता' की संपादकीय टिप्पणी में लिखा था, 'आजकल हिंदी साहित्य की विचित्र दशा वर्तमान है। इसकी कुछ स्थिरता ही नहीं देख पड़ती। विविध प्रकार के रंग-बिरंगे लेख प्रकाशित होते हैं। कोई तो आज संस्कृत शब्दों पर झुक रहे हैं और ज्यों ही किसी ने कह दिया कि आपकी भाषा कठिन है, कुछ सरल कीजिए, कि चट-पलट कर उर्दू की खिचड़ी पकाने लग गए, फिर ज्यों ही किसी ने कह दिया कि केवल संस्कृत के शब्दों के मिलाने से व उर्दू के शब्दों के प्रयोग से भाषा पुष्ट होगी, बस चट बदल गए और दोनों प्रकार के शब्दों को मिलाने में उतारू हो गए। सारांश यह कि ग्राहकों की खोज में भाषा को भी भटकाते रहते हैं।" 'सारसुधानिधि' और 'उचितवक्ता' की इन संपादकीय टिप्पणियों से स्पष्ट है कि तब के संपादकों में भाषा के प्रश्न को लेकर कितनी गहरी चिंता थी। इसी सरोकार से 1881 में बद्रीनारायण उपाध्याय ने 'आनंद कादंबिनी' और प्रतापनारायण मिश्र ने 'ब्राह्मण' का प्रकाशन किया।

माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ के पेंड्रा से 'छत्तीसगढ़ मित्र' पत्रिका का प्रकाशन व संपादन जनवरी, 1900 में आरंभ किया। वामन बलीराम लाखे और रामराव चिंचोलकर उनके सहयोगी थे। 'छत्तीसगढ़ मित्र' के प्रवेशांक में सप्रेजी ने 'आत्म परिचय' शीर्षक से अपने मंतव्य की घोषणा इस प्रकार की-(1) इसमें कुछ संदेह नहीं कि सुसंपादित पत्रों के द्वारा हिंदी भाषा की उन्नति हुई है। अतएव यहाँ भी 'छत्तीसगढ़ मित्र' हिंदी भाषा की उन्नति करने में विशेष प्रकार से ध्यान देवे। आजकल भाषा में बहुत सा कूड़ा-कर्कट जमा हो रहा है, वह न होने पाये, इसलिए प्रकाशित ग्रंथों पर प्रसिद्ध मार्मिक विद्वानों के द्वारा समालोचना भी करे। (2) अन्यान्य भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद कर सर्वोपयोगी विषयों का संग्रह करना आवश्यक है। 'छत्तीसगढ़ मित्र' तीन साल ही निकल सका, किंतु उसने सर्जनात्मक साहित्य यथा-कविता, कहानी, व्यंग्य व निबंध विधा की रचनाएँ तो छापीं ही, समालोचना विधा को प्रतिष्ठित करने का महत्वपूर्ण काम भी किया। 'छत्तीसगढ़ मित्र' में सप्रे जी ने दस पुस्तकों की विस्तृत समालोचना की और सत्रह पुस्तकों पर परिचयात्मक टिप्पणियाँ प्रकाशित की। सप्रे जी की राय थी कि किसी पुस्तक या पत्र की आलोचना करने में समालोचक को उचित है कि उस पुस्तक या पत्र के गुण-दोष सप्रमाण सिद्ध करे।

सन 1900 में ही इलाहाबाद के इंडियन प्रेस से 'सरस्वती' निकली। आरंभ में इसका संपादन एक समिति को सौंपा गया था, जिसमें बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू राधाकृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद, बाबू जगन्नाथ दास और किशोरीलाल गोस्वामी शामिल थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 के जनवरी महीने में 'सरस्वती' के संपादक बने। उन्होंने पत्रिका को ज्ञान के सभी अनुशासनों का खुला मंच तो बनाया ही, यह भी सुनिश्चित किया कि प्रकाशन के पहले हर रचना की भाषा व्याकरण की दृष्टि से ठीक हो। भाषा-परिष्कार उनकी पहली प्राथमिकता थी। उन्होंने 'सरस्वती' के नवंबर, 1905 के अंक में 'भाषा और व्याकरण' शीर्षक से अपनी भाषा नीति स्पष्ट की और भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिवप्रसाद, गदाधर सिंह, काशीनाथ खत्री, मधुसूदन गोस्वामी और बाल कृष्ण भट्ट आदि की भाषा की गलतियों पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि भाषा की यह अनस्थिरता बहुत ही हानिकारिणी है।" द्विवेदी जी के इस 'अनस्थिरता' शब्द को लेकर लंबा विवाद चला। 'भारतमित्र' के तत्कालीन संपादक बालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से दस लेख लिखकर द्विवेदी जी की तीखी आलोचना की। गोविंदनारायण मिश्र भी सामने आए और उन्होंने 'हिंदी बंगवासी' में 'आत्माराम की टें-टें' शीर्षक से लेख लिखकर गुप्त जी की आलोचना की। वह ऐतिहासिक विवाद डेढ़ साल तक चला।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अनेक रचनाकारों को सबसे पहले अवसर दिया और जिनकी कविता या कहानी या लेख 'सरस्वती' में छपते थे, वे भी चर्चा में आ जाते थे। श्यामसुंदर दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधाकृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त, गयाप्रसाद शुक्ल स्नेही, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रायकृष्ण दास, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर आदि की रचनाएँ 'सरस्वती' में ही प्रकाशित हो कर चर्चित हुईं। 'सरस्वती' ने सर्जनात्मक साहित्य की हर विधा के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। रामचंद्र शुक्ल की कहानी 'ग्यारह वर्ष का समय' 1903 में द्विवेदी जी के संपादन में 'सरस्वती' में ही छपी। बंग महिला (राजेंद्रबाला घोष) की कहानी 'कुंभ की छोटी बहू' 'सरस्वती' के सितंबर 1906 के अंक में छपी। 'सरस्वती' में 1909 में वृंदावन लाल वर्मा की कहानी 'राखी बंद भाई' और 1915 में प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी 'सौत' तथा 1916 में 'पंच परमेश्वर' छपी। 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी

की कहानी 'उसने कहा था' 'सरस्वती' में ही छपकर विख्यात हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिसंबर 1920 में 'सरस्वती' से विदा ली। सरस्वती 1975 तक निकलती रही, किंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल को सर्वोत्कृष्ट काल माना जाता है।

शारदा चरण मित्र ने 1907 में 'देवनागर' नामक मासिक पत्र निकाला था जो बीच में कुछ व्यवधान के बावजूद उनके जीवन पर्यंत, यानी 1917 तक निकलता रहा। 'देवनागर' के पहले संपादक यशोदानंदन अखौरी थे। देवनागर में बांग्ला, उर्दू, नेपाली, उड़ीया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, मलयालम और पंजाबी आदि की रचनाएँ देवनागरी लिपि में लिप्यंतरित होकर छपती थीं। उस पत्रिका में पं. रामावतार शर्मा, डॉ. गणेश प्रसाद, शिरोमणि अनंतवायु शास्त्री, अक्षयवट मिश्र, कोकिलेश्वर भट्टाचार्य और पांडेय लोचन प्रसाद जैसे विशिष्ट लोग लिखते थे। 1909 में वाराणसी से 'इंदु' पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। अंबिकाप्रसाद गुप्त उसके संपादक थे। 'इंदु' को छायावाद की नींव डालने का श्रेय जाता है। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी 'ग्राम' 'इंदु' में ही 1911 में छपी थी।

नवंबर 1922 में रामरख सिंह सहगल ने स्त्रियों के सर्वांगीण उत्थान पर केंद्रित सचित्र मासिक 'चाँद' का प्रकाशन प्रारंभ किया। बाद में इसका दायरा विस्तृत कर दिया गया। 'चाँद' ने कई विशेषांक निकाले जैसे—अछूतांक, पत्रंक, वैश्यांक, शिशु अंक, विधवा अंक, प्रवासी अंक। 'चाँद' का फाँसी अंक नवंबर 1928 में आया था और उसमें चार अत्यंत महत्वपूर्ण कहानियाँ छपी थीं। वे हैं–चतुरसेन शास्त्री की 'फंदा', पांडेय बेचन शर्मा उग्र की 'जल्लाद', जनार्दन प्रसाद झा द्विज की 'विद्रोही के चरणों पर' और विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक की 'फाँसी'। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी 'कफन' 'चाँद' के अप्रैल 1936 के अंक में छपी थी। महादेवी वर्मा का अधिकांश साहित्य 'चाँद' में ही छपा।

विष्णुनारायण भार्गव द्वारा 1922 में नवल किशोर प्रेस से साहित्यिक मासिक पत्रिका 'माधुरी' निकाली। संपादक थे दुलारेलाल भार्गव व रूपनारायण पांडेय। शिवपूजन सहाय, प्रेमचंद, बांके बिहारी भटनागर भी कभी न कभी पत्रिका की संपादकीय टीम के हिस्से रहे। 1950 में पत्रिका बंद हो गई। 1923 में कलकत्ता से साप्ताहिक 'मतवाला' पत्रिका निकली। संपादक के रूप में महादेव सेठ का नाम छपता था, किंतु संपादक मंडल में निराला, शिवपूजन सहाय और मुंशी नवजादिक लाल भी थे। 'मतवाला' के प्रकाशन का एक

मकसद निराला की कविताओं को प्रकाशित करना भी था। पत्रिका के हर अंक में प्रथम पृष्ठ पर निराला की कविता छपती थी। पत्रिका में समालोचना भी वही करते थे। संपादकीय, चलती चक्की व अन्य विनोदपूर्ण टिप्पणियाँ लिखने तथा प्रूफ पढ़ने का जिम्मा शिवपूजन सहाय का था। मुंशी नवजादिक लाल भी हास्य विनोदपूर्ण टिप्पणियाँ लिखते थे। प्रेस की व्यवस्था महादेव सेठ देखते थे। पत्रिका का प्रबंध मुंशी जी के जिम्मे था। 1927 में मध्यप्रदेश हिंदी साहित्य समिति इंदौर ने अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी के संपादन में मासिक पत्रिका 'वीणा' का प्रकाशन किया। बाद में कालिकाप्रसाद दीक्षित कुसुमाकर, शांतिप्रिय द्विवेदी, चंद्ररानी सिंह, नेमीचंद्र जैन उसके संपादक हुए। इसी साल लखनऊ से दुलारेलाल व सावित्री के संपादन में मासिक पत्रिका 'सुधा' का प्रकाशन हुआ। 'सुधा' का प्रवेशांक दो बार छपा था। पहली बार तीन हजार प्रतियाँ बिक जाने पर दोबारा चार हजार छापा गया था। 'सुधा' का मार्च 1929 का अंक कार्टून विशेषांक के रूप में निकला। कार्टून पर पहली बार कोई विशेषांक तब निकला था।

1928 में रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी मासिक 'विशाल भारत' का प्रकाशन प्रारंभ किया। बनारसीदास चतुर्वेदी उसके संस्थापक संपादक थे। चतुर्वेदी जी के संपादन में 'विशाल भारत' जल्द की हिंदी की सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिका बन गई। शुरू के तीन वर्षों में ही उसने साहित्यांक, प्रवासी अंक तथा कला अंक जैसे विशेषांक निकालकर अपनी धाक जमा ली। जैनेंद्र की पहली कहानी 'खेल' 1928 में 'विशाल भारत' में ही छपी। 'विशाल भारत' ने प्रचुर अनुवाद साहित्य भी प्रकाशित किया। 1937 में बनारसीदास चतुर्वेदी के आग्रह पर 'विशाल भारत' का संपादन करने के लिए अज्ञेय कलकत्ता आ गए। 'विशाल भारत' में आने के पहले अज्ञेय 1936 में आगरा के साप्ताहिक 'सैनिक' के बिना नाम के संपादक थे। वहाँ साल भर रहे थे। अज्ञेय अकेले साहित्यकार हैं, जिन्होंने हर तरह की पत्रकारिता की। उन्होंने दैनिक अखबार, साप्ताहिक अखबार, मासिक पत्रिका, द्विमासिक पत्रिका और त्रैमासिक पत्रिका का संपादन किया। 1947 में अज्ञेय ने इलाहाबाद से द्वैमासिक 'प्रतीक' नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। बाद में वह मासिक हो गई। त्रिलोचन, शमशेर, भारतभूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर, केदारनाथ सिंह, गिरिजाकुमार माथुर, जगदीश गुप्त, कुँवरनारायण, रांगेय राघव, राजेंद्र यादव, मनोहरश्याम जोशी, अहमद हुसैन, शिवप्रसाद सिंह, राधाकृष्ण, विद्यानिवास मिश्र 'प्रतीक' में छपकर ही चर्चित हुए। 'प्रतीक' में अज्ञेय की संपादकीय टीम में

रघुवीर सहाय, सियाराम शरण गुप्त, शिवमंगल सिंह सुमन और श्रीपत राय थे और प्रिंट लाइन में इन सबका नाम छपता था।

मार्च 1930 में मुंशी प्रेमचंद ने 'हंस' पत्रिका निकाली। प्रेमचंद ने 'हंस' में श्रेष्ठ कविताएँ, कहानियाँ, नाटक, अनूदित साहित्य, साहित्यिक लेख व टिप्पणियाँ छापकर उसे भारतीय साहित्य का मुखपत्र ही बना दिया। 1932 में 'हंस' के अलावा साप्ताहिक 'जागरण' का भी संपादन भार प्रेमचंद पर आ पड़ा। 'जागरण' पहले पाक्षिक साहित्यिक पत्र के रूप में शिवपूजन सहाय के संपादन में 11 फरवरी, 1932 को निकला, किंतु उसके बारह अंक निकालने के बाद सहाय जी ने उसे प्रेमचंद जी को हस्तांतरित कर दिया। मासिक 'हंस' और 'जागरण' साप्ताहिक प्रेमचंद घाटे के बावजूद निकालते रहे। हजारीप्रसाद द्विवेदी के संपादन में 1942 'विश्वभारती पत्रिका' शांतिनिकेतन से निकली। द्विवेदी जी उसे 1947 तक निकालते रहे। द्विवेदी जी के संपादन में उस पत्रिका ने रवीन्द्र साहित्य से हिंदी जगत को अवगत कराया। प्रवेशांक के संपादकीय में द्विवेदी जी ने लिखा था कि देश आज किस प्रकार नाना भाँति की संकीर्णताओं का शिकार बनता जा रहा है। उससे रक्षा पाने का सर्वोत्तम उपाय साहित्य ही है। रवीन्द्रनाथ टैगौर ने द्विवेदी जी के बारे में कहा था कि उनका ज्ञान हमलोग पाँच सौ वर्षों में भी सीख पाएँगे, कहना कठिन है। टैगोर ने यह टिप्पणी इसलिए की थी, क्योंकि द्विवेदी जी ने भारतीय दर्शन, अध्यात्म, साधना, इतिहास, संस्कृति और कला को खोज डाला था और वैदिक वांगमय, इतिहास, संस्कृति, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र और काव्य शास्त्र का द्विवेदी जी ने अपने साहित्य और साहित्यिक पत्रकारिता में जितना समर्थ उपयोग किया, उतना किसी अन्य साहित्यकार ने नहीं। मोहन सिंह सेंगर ने कलकत्ता से जुलाई 1948 में 'नया समाज' का प्रवेशांक निकाला, अस्सी पृष्ठों का। उसमें प्रकाशित पहली रचना मैथिलीशरण गुप्त की सोद्देश्य कविता 'एकलव्य' है। द्वितीय रचना हरिवंश राय बच्चन की दो शिक्षाप्रद कविताएँ–'बापू के फूलों का जुलूस' और 'आत्मशक्ति का पुजारी' है। इसी अंक में जैनेंद्र कुमार का लेख 'सर्वोदय की नीति', अंबिकाप्रसाद वाजपेयी का लेख 'क्या यही स्वराज्य है', हजारीप्रसाद द्विवेदी का निबंध 'नाखून क्यों बढ़ते हैं' छपा है। 'नया समाज' दस वर्षों तक निकलता रहा। उसे मैथिलीशरण गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, रांगेय राघव, महादेवी वर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, अज्ञेय समेत हिंदी के सभी दिग्गजों का रचनात्मक सहयोग मिलता रहा। सितंबर 1948 के अंक में भगवत शरण उपाध्याय, वृंदावनलाल वर्मा, रांगेय

राघव, हजारीप्रसाद द्विवेदी, काका कालेलकर की रचनाएँ छपी हैं तो दिसंबर 1948 के अंक में रघुवीर सहाय, चंद्रकुँवर लाल की रचनाएँ छपी हैं। 'नया समाज' ने साहित्य के माध्यम से समाज को जाग्रत करने का प्रयास किया। 'नया समाज' दस वर्षों तक निकलने के बाद बंद हो गया।

बदरी विशाल पित्ती ने 1949 में हैदराबाद से 'कल्पना' का प्रकाशन शुरू किया। 'कल्पना' ने कई लेखक पैदा किए। कृष्ण बलदेव वैद के उपन्यास 'विमल उर्फ जाएँ तो जाएँ कहाँ' को उस दौर में सभी बड़े प्रकाशकों ने प्रकाशित करने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उसका कथ्य उन्हें पच नहीं रहा था, लेकिन बदरी विशाल ने उसे 'कल्पना' में छापा। वह उपन्यास हिंदी साहित्य की थाती बन गया है। मार्कंडेय 'चक्रधर' के उपनाम से लंबे समय तक 'कल्पना' के हर अंक में साहित्य समीक्षा का एक स्तंभ 'साहित्यधारा' लिखते रहे। उसी तरह 'कल्पना का सर्वेक्षण' नाम से विवेकी राय का साहित्य सर्वेक्षण धारावाहिक उसमें छपा। 'कल्पना' में सिर्फ साहित्य ही नहीं, ललित कलाओं पर समीक्षात्मक लेख भी छपते थे। बदरी विशाल ने रामकुमार, मकबूल फिदा हुसैन जैसे बड़े कलाकारों को 'कल्पना' से जोड़ा था। रघुवीर सहाय, प्रयाग शुक्ल, कमलेश, मुनींद्र जी जैसे लोग कभी न कभी 'कल्पना' की संपादकीय टीम का हिस्सा रहे। 'कल्पना' 1977 तक निकली। जिस साल 'कल्पना' निकली थी, उसी साल 1949 के जनवरी महीने में भारतीय ज्ञानपीठ ने कलकत्ता से मासिक 'ज्ञानोदय' पत्रिका निकाली थी। लक्ष्मीचंद्र जैन और जगदीश के संपादन में 'ज्ञानोदय' ने नवलेखन के प्रयोगों को उदारतापूर्वक प्रस्तुत किया। रमेश बक्षी ने जब 'ज्ञानोदय' का संपादन भार सँभाला तो उन्होंने भी आधुनिकता से संबंधित विचार-विमर्श से परिपूर्ण निबंध लगातार प्रकाशित किए। 'ज्ञानोदय' फरवरी 1970 तक निकलती रही। 2003 से ज्ञानपीठ ने 'नया ज्ञानोदय' के नाम से पत्रिका का पुनर्प्रकाशन प्रारंभ किया। संप्रति उसके संपादक लीलाधर मंडलोई हैं। इसी तरह 'नई धारा' पिछले 67 वर्षों से पटना से निरंतर निकल रही है। शिव पूजन सहाय के संपादन में अप्रैल 1950 में उसका प्रकाशन राधिकारमण प्रसाद सिंह ने प्रारंभ किया था। सहाय जी ने 'नई धारा' के प्रवेशांक की संपादकीय में लिखा था, "समाज को विद्रोही चाहिए। उससे अधिक विद्रोही चाहिए साहित्य को, कला को। 'नई धारा' ऐसे विद्रोहियों की वाणी कहकर जिस दिन बदनाम की जाएगी, हमारी चरम सफलता का दिन तब होगा। इस समय पत्रिका के संपादक डॉ. शिवनारायण हैं। वे पिछले 25 वर्षों से 'नई धारा' का संपादन कर

रहे हैं। 'नई धारा' की तरह ही भारतीय विद्या भवन की मासिक पत्रिका 'नवनीत' 65 वर्षों से निरंतर निकल रही है। इस समय उसके संपादक विश्वनाथ सचदेव हैं। इस पत्रिका ने श्रेष्ठ साहित्य के प्रकाशन की धारावाहिकता अक्षुण्ण रखी है।

साहित्यिक पत्रिकाओं ने साहित्यांदोलनों में भी अहम भूमिका निभाई। नई कविता आंदोलन के विकास में 1954 में प्रकाशित 'नई कविता' नामक पत्रिका का उल्लेखनीय योगदान रहा। 'नई कविता' पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेवनारायण साही करते थे। इसी तरह 'कहानी' और 'नई कहानी' पत्रिकाओं ने हिंदी में नई कहानी आंदोलन को जन्म दिया और 'सारिका' ने समानांतर कहानी को। भैरवप्रसाद गुप्त ने जनवरी 1955 से 'कहानी' पत्रिका के माध्यम से नई कहानी आंदोलन का नेतृत्व किया। 'कहानी' के नववर्षांक 1956 के अंक में पहली बार स्पष्टतः नई कहानी की बात उठाई गई। उस बीच छपी कई कहानियाँ कालजयी साबित हुईं। जैसे–'राजा निरबंसिया', 'रसप्रिया', 'गुलकी बन्नो', 'गदल', 'मवाली', 'हंसा जाई अकेला', 'डिप्टी कलक्टरी', 'चीफ की दावत', 'बादलों के घेरे' और 'सेब'। 'कहानी' पत्रिका ने अमरकांत, शेखर जोशी, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर को प्रतिष्ठित किया। भैरव प्रसाद गुप्त 1955 से 1959 तक 'कहानी' पत्रिका के संपादक रहे। उसके बाद वे 'नई कहानियाँ' नामक पत्रिका का संपादन करने लगे, जिसमें छपकर राम नारायण, प्रयाग शुक्ल, मन्नू भंडारी, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, रमेश बक्षी और उषा प्रियंवदा प्रतिष्ठित हुए।

बड़े मीडिया घरानों से प्रकाशित पत्रिकाओं की भूमिका की बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' का प्रकाशन 1950 से शुरू हुआ। 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' लगभग 42 वर्ष तक निकलता रहा, जिसका संपादन मुकुटबिहारी वर्मा, बांकेबिहारी भटनागर, रामानंद दोषी, मनोहरश्याम जोशी, शीला झुनझुनवाला, राजेंद्र अवस्थी तथा मृणाल पांडे ने किया। मनोहरश्याम जोशी ने 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' को पत्रकारीय उत्कर्ष प्रदान किया। टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने 'धर्मयुग' जैसी उत्कृष्ट पत्रिका निकाली। 'धर्मयुग' का जन्म 'नवयुग' की कोख से हुआ। 1950 में बेनेट एंड कोलमैन ने बंबई से 'नवयुग' से संयुक्त कर रविवार 8 अक्टूबर, 1950 से 'धर्मयुग' का प्रकाशन शुरू किया। 'धर्मयुग' का इलाचंद्र जोशी एवं हेमचंद्र जोशी का संपादककाल अल्पकालीन रहा। 'धर्मयुग' को शैशव से किशोरावस्था तक पहुँचाने का श्रेय सत्यदेव

विद्यालंकार को जाता है। उन्होंने एक दशक तक 'धर्मयुग' का संपादक किया। 'झूठा सच', 'आपका बंटी', 'आधे-अधूरे', 'सुखदा', 'गली आगे मुड़ती है', 'तेरी मेरी उसकी बात', 'इदन्नमम', 'रुकोगी नहीं राधिका', 'मानस के हंस', 'खंजन नयन' जैसी प्रसिद्ध रचनाएँ 'धर्मयुग' ने ही छापीं। इसके अलावा विष्णु प्रभाकर की कहानियाँ 'दुराचारिणी', 'भीगी पलकें', 'मर्यादा की रक्षा', यशपाल की कहानी 'सामंती कृपा', जैनेंद्र की कहानी 'ये पल' व उपन्यास 'सुखदा', वृंदावन लाल वर्मा की 'इस हाथ लें, उस हाथ दें', डॉ. रामकुमार वर्मा के नाटक-'दुर्गावती, रात का रहस्य', भवानी प्रसाद मिश्र की 'परछाइयाँ' और राजेंद्र यादव की कहानी 'कुलटा' धर्मयुग में छपकर ही चर्चित हुई थीं। गोपाल सिंह नेपाली, दिनेश नंदिनी, रामधारी सिंह दिनकर, गोपाल दास नीरज, रांगेय राघव, हरिवंश राय बच्चन, रमानाथ अवस्थी, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, शिवकुमार श्रीवास्तव, वीरेंद्र मिश्र आदि की कविताएँ नियमित रूप से 'धर्मयुग' में प्रकाशित होती थीं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सरोजिनी नायडू जैसे कवियों की कविताओं के अनुवाद प्रमुखता से प्रकाशित होते थे। 'धर्मयुग' का 16 अगस्त, 1956 का अंक 'कविता अंक' था। 1957 में देशी विदेशी कविताओं पर आधारित लेखों की श्रृंखला का प्रकाशन और 1958 का व्यंग्य विशेषांक भी चर्चित रहा था।

6 मार्च, 1960 को धर्मवीर भारती 'धर्मयुग' के संपादक हुए और 28 नवंबर, 1987 तक, यानी 27 वर्षों तक उन्होंने 'धर्मयुग' का संपादन किया। उस कालखंड में 'धर्मयुग' और धर्मवीर भारती एक दूसरे के पर्याय बन गए। भारती ने उच्च कोटि का साहित्य प्रकाशित कर 'धर्मयुग' को श्रेष्ठ राष्ट्रीय साहित्यिक-सांस्कृतिक पत्रिका बनाया। धर्मवीर भारती के संपादन काल में 60-70 दशक में वसंत ऋतु आई (ख्वाजा अहमद अब्बास), अरक्षणीया (राजकमल चौधरी) उत्सव, मलयालम कहानी, (तकषी शिवशंकर पिल्लै) अंतरपट, (गुजराती कहानी, हसुनायक) रात आठ बजे वाली सवारी (बांग्ला कहानी, विमल मित्र), समय (यशपाल), सिफारिशी चिट्ठी (भीष्म साहनी), बिल्लियाँ (मृणाल पांडेय), कल्कि अवतार (शिव प्रसाद सिंह), बयान (कमलेश्वर), माँ (बांग्ला कहानी-विमल मित्र), ऊब (एक उलजलूल कहानी-छेदी लाल), बदलाव (विवेकी राय), चतुरी लाल (बांग्ला कहानी-बनफूल), अरस का पावा (सलमा सिद्दकी), झुका हुआ आकाश (उड़िया कहानी-नंदनी सत्यपंथी), प्रेत (गंगा प्रसाद विमल), प्रतीक्षा (लंबी कहानी-शिवानी), दिलबाग सिंह की हत्या (सुदर्शन सिंह मजीठिया), बौना और चाँद (देशज प्रसाद

मिश्र) 'धर्मयुग' में छपकर ही चर्चित हुई थीं। धर्मवीर भारती के संपादन काल में 'कथा दशक' श्रृंखला का सफल आयोजन 'धर्मयुग' की उल्लेखनीय उपलब्धि थी। उसमें कथाकार अपनी कहानियों के पीछे की कहानी भी बताते थे। 'कथा दशक' श्रृंखला के तहत उस दशक के सभी चर्चित कथाकारों जैसे—उषा प्रियंवदा, कमलेश्वर, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, नरेश मेहता, फणीश्वरनाथ रेणु, भीष्म साहनी, मार्कंडेय, मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा, अमरकांत, रघुवीर सहाय, राजेंद्र यादव, राजकमल चौधरी, राजकुमार, लक्ष्मीनारायण लाल, विजय चौहान, शरद जोशी, ज्ञानी, शिव प्रसाद सिंह, शेखर जोशी, शैलेश मटियानी, सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, हरिशंकर परसाई, रमेश बक्षी आदि की कहानियाँ प्रस्तुत की गईं। अनेक श्रेष्ठ उपन्यास 'धर्मयुग' में धारावाहिक प्रकाशित हुए। 'धर्मयुग' ने महिला कथाकारों एवं कवयित्रियों को भी आगे बढ़ाया। शिवानी, मृणाल पांडेय, सूर्यबाला, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, कुर्रतुल उन हैदर, पद्मा सचदेव, मैत्रोयी पुष्पा, अमृता प्रीतम इस्मत चुगताई, महादेवी वर्मा, ममता कालिया, मालती जोशी, नासिरा शर्मा, कमला चमोला, शांति मेहरोत्र, कुंदनिका कापड़िया, इंदिरा चंद्रा, सुधा अरोड़ा, उषा महाजन, आभा दयाल, मृदुला हसन, शुभदा मिश्र की रचनाएँ धर्मयुग में निरंतर प्रकाशित हुईं। भारती के बाद गणेश मंत्री और मंत्री जी के बाद विश्वनाथ सचदेव उसके संपादक बने। 'धर्मयुग' पत्रिका 47 वर्षों तक निकलती रही।

टाइम्स ऑफ इंडिया समूह ने ही 1965 में साप्ताहिक 'दिनमान' पत्रिका निकाली थी। अज्ञेय उसके संस्थापक संपादक थे। उनके संपादन में 'दिनमान' जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित पत्रिका बन गई थी। उसका आधार वाक्य था 'राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान।' उसने पाठकों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का संचार किया। 'दिनमान' ने नई शब्दावली चलाई। अज्ञेय की मान्यता थी कि व्यक्तियों और स्थानों के नामों को जहाँ तक हो सके, वैसे ही लिखा जाए, जैसा उन देशों में बोला जाता है। मास्को शब्द जब पूरे भारत में चल गया था, उस समय 'दिनमान' मस्क्वा लिखता था। इसी तरह चिली को 'दिनमान' चिले लिखता था। सौ किलोग्राम के लिए जब कुएँटल शब्द चला तो दिनमान ने उसे कुंतल लिखना शुरू किया। अज्ञेय ने 'दिनमान' के लिए वर्तनी के लिए जो नियम स्थिर किए थे, उनमें कुछ प्रमुख हैं–1. विभक्तियाँ सर्वनाम के साथ लिखी जाएँ–जैसे—मैंने, हमने, किससे, उससे। 2. क्रिया पद 'कर' मूल क्रिया से मिलाकर लिखा जाए–जैसे—जाकर, जमकर, हँसकर। 3. चंद्रबिंदु के

स्थान पर अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाए–जैसे–हंसना, मां, पहुंचना। 4. प्रदेशों के नाम मिलाकर लिखे जाए–जैसे–उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, आंध्रप्रदेश, हिमाचलप्रदेश। 5. बड़े संवाद के लिए दोहरा उद्धरण चिह्न और छोटे उद्धरणों तथा वाक्यांशों के लिए एकल उद्धरण चिह्न यथेष्ट है। 6. संस्कृत के शब्दों में जहाँ 'यी' का प्रयोग होता है, वहाँ 'ई' का प्रयोग उचित नहीं, जैसे–स्थायी, अनुयायी। अज्ञेय ऐसे संपादक थे जिन्होंने हर जगह अपने उत्तराधिकारी खुद बनाए। इसीलिए उनके संपादक पद से हटने के बाद भी संबद्ध समाचार पत्र या पत्रिका में उत्तराधिकार का कोई संकट कभी खड़ा नहीं हुआ। 'दिनमान' की अपनी संपादकीय टीम में उन्होंने रघुवीर सहाय, मनोहर श्याम जोशी, श्रीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को शामिल किया था। इसीलिए 1969 में अज्ञेय ने 'दिनमान' छोड़ा, उसके बाद भी वह पुराने तेवर के साथ ही निकलता रहा।

सन 1973 में अज्ञेय ने 'प्रतीक' को नए सिरे से निकाला। इस बार उसका नाम 'नया प्रतीक' था। वह मासिक पत्रिका भी नई प्रतिभाओं का खुला मंच बनी। अज्ञेय 1977 के अगस्त में दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के संपादक बने और 1979 तक वहाँ रहे। उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' को तत्कालीन अंग्रेजी दैनिक पत्रकारिता का विकल्प बनाने की चेष्टा की। यही काम परवर्ती काल में विद्यानिवास मिश्र ने किया। विद्यानिवास मिश्र 1992 से 1994, यानी दो वर्ष तक हिंदी दैनिक 'नवभारत टाइम्स' के संपादक थे। उन्होंने दस वर्षों तक मासिक 'साहित्य अमृत' का भी संपादन किया। बड़े मीडिया समूहों द्वारा निकाली गईं 'धर्मयुग', 'साप्ताहिक हिंदुस्तान' और 'दिनमान' का हिंदी समाज पर व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा था। वे पत्रिकाएँ बंद हो चुकी हैं, ऐसे में मासिक पत्रिका 'अहा जिंदगी' का पिछले तेरह वर्षों से हो रहा नियमित प्रकाशन तात्पर्यपूर्ण है। भास्कर समूह ने यशवंत व्यास के संपादन में 2004 में मासिक पत्रिका 'अहा जिंदगी' निकाली थी। संप्रति आलोक श्रीवास्तव उसके संपादक हैं।

राजकमल प्रकाशन समूह ने 1951 में 'आलोचना' पत्रिका शुरू की थी। शिवदान सिंह चौहान उसके संस्थापक संपादक थे। 'जनयुग' के संपादक रह चुके तथा सहारा के प्रधान संपादकीय सलाहकार रह चुके नामवर सिंह 'आलोचना' के प्रधान संपादक हैं। संपादन नामवर जी के लिए कविता अथवा आलोचनात्मक निबंध लिखने जैसा सर्जनात्मक कार्य ही रहा है। यही बात

राजेंद्र यादव, ज्ञानरंजन तथा कमलेश्वर के लिए भी सही है। राजेंद्र यादव ने 1986 में 'हंस' का संपादन शुरू किया और उसमें छपकर ही उदय प्रकाश, संजीव, शिवमूर्ति, प्रियंवद, सृंजय, प्रभा खेतान, मैत्रोयी पुष्पा आदि प्रतिष्ठित हुए। राजेंद्र यादव ने 'हंस' के जरिए दलित और स्त्री विमर्श को आंदोलन के रूप में चलाया और चर्चा के केंद्र में ला खड़ा किया। राजेंद्र यादव के निधन के बाद 'हंस' संजय सहाय के संपादन में निकल रही है। 'पहल' का 108 वाँ अंक जुलाई 2017 में आया है। ज्ञानरंजन उसे 1973 से ही निकाल रहे हैं। कमलेश्वर ने 'सारिका' का संपादन बहुत कुशलता से किया था और उसके माध्यम से हिंदी में समानांतर कहानी आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। परवर्ती काल में वे दैनिक भास्कर के संपादकीय सलाहकार भी बने थे। 'अमृत प्रभात' और 'जनसत्ता' के साहित्य संपादक रहे मंगलेश डबराल निकट अतीत तक 'सहारा समय', 'पब्लिक एजेंडा' से जुड़े रहे। इस समय वे 'शुक्रवार' के साहित्य संपादक हैं। 'शुक्रवार' को विष्णु नागर का भी संपादकीय संस्पर्श मिला था। प्रयाग शुक्ल ने 'रंगप्रसंग', पंकज बिष्ट ने 'समयांतर', अखिलेश ने 'तद्भव' और ज्योतिष जोशी ने 'समकालीन कला' को अपनी संपादन दृष्टि से अलग पहचान दी है। प्रभाकर श्रोत्रिय ने 'अक्षरा', 'साक्षात्कार', 'वागर्थ' और 'नया ज्ञानोदय' का संपादन किया और हर जगह अपनी अमिट छाप छोड़ी। 'वागर्थ' पत्रिका 1995 से ही निकल रही है। प्रभाकर श्रेत्रिय, रवीन्द्र कालिया और एकांत श्रीवास्तव के बाद अब शंभुनाथ उसके संपादक हैं। हरिनारायण के संपादन में मासिक 'कथादेश' 36 वर्षों से निरंतर निकल रही है। देशबंधु समाचार पत्र समूह से मासिक पत्रिका 'अक्षर पर्व' दो दशकों से निरंतर निकल रही है। सर्वमित्र सुरजन उसकी संपादक हैं। 'अक्षर पर्व' पत्रिका के वर्ष में दो विशेषांक भी निकालते हैं। सितंबर 2017 में प्रेम भारद्वाज के संपादनवाली 'पाखी' के ठीक नौ साल पूरे हुए। सितंबर 2008 में उसका प्रवेशांक आया था। एक समय 'अब' निकालने वाले शंकर संप्रति द्विमासिक 'परिकथा' निकाल रहे हैं। विभूतिनारायण राय 'वर्तमान साहित्य' निकाल रहे हैं। हरिशंकर परसाई और कमला प्रसाद के बाद अब राजेंद्र शर्मा के संपादन में 'वसुधा' निकल रही है। इसी कड़ी में 'मधुमती', 'समकालीन भारतीय साहित्य', 'गवेषणा', 'इंद्रप्रस्थ भारती', 'बहुवचन', 'पुस्तक वार्ता', 'आजकल', 'त्रिपथगा', 'भाषा', 'उत्तर प्रदेश', 'पूर्वग्रह', 'समकालीन सृजन', 'संवेद', 'समास', 'समीक्षा', 'बया', 'अपेक्षा', 'कसौटी', 'कल के लिए', 'कथा', 'कथाक्रम',

'समालोचना', 'लमही', 'अभिव्यक्ति', 'संचेतना', 'अभिनव कदम', 'परिवेश', 'साम्य', 'साखी', 'संबोधन', 'पल-प्रतिपल', 'दस्तक', 'पुरुष', 'विपक्ष', 'उद्‌भावना', 'मंतव्य', 'परिवेश', 'दस्तावेज', 'बया', 'स्त्री काल', 'इकाई', 'गल्पभारती', 'संदर्भ', 'परिदृश्य', 'समवेत', 'समिधा', 'विध्वंस,' 'अर्थात', 'धूमकेतु', 'बोध' जैसी पत्रिकाओं का उल्लेख लाजिमी है। पत्रिकाओं की दुनिया में नया चलन ई-पत्रिकाओं और ब्लॉग का है, जिसमें बड़ी शीघ्रता से पाठ्‌य-सामग्री सारी दुनिया में पाठकों तक पहुँच जाती है।

# 10

# स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता की भूमिका

- जेम्स अगस्टन हिक्की ने 29 जनवरी 1780 में पहला भारतीय समाचार पत्र बंगाल गजट कलकत्ता से अंग्रजी में निकाला। इसका आदर्श वाक्य था–सभी के लिये खुला फिर भी किसी से प्रभावित नहीं।
- अपने निर्भीक आचरण और विवेक पर अड़े रहने के कारण हिक्की को इस्ट इंडिया कंपनी का कोपभाजन बनना पड़ा। हेस्टिंगस सरकार की शासन शैली की कटू आलोचना का पुरस्कार हिक्की को जेल यातना के रूप में मिली।
- हिक्की ने अपना उद्देश्य ही घोषित किया था–अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिये अपने शरीर को बंधन में डालने में मुझे मजा आता है। समाचार पत्र की शुरूआत विद्रोह की घोषणा से हुई।
- हिक्की भारत के प्रथम पत्रकार थे जिन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिये ब्रिटिश सरकार से संघर्ष किया।
- उत्तरी अमेरिका निवासी विलियम हुआनी ने हिक्की की परंपरा को समृद्ध किया। 1765 में प्रकाशित बंगाल जनरल जो सरकार समर्थक था 1791 में हुमानी के संपादक बन जाने के बाद सरकार की आलोचना करने लगा। हुमानी की आक्रामक मुद्रा से आतंकित होकर सरकार ने उसे भारत से

निष्कासित कर दिया।

- जेम्स बंकिघम ने 2 अक्टूबर 1818 को कलकत्ता से अंग्रजी का कैलकटा जनरल प्रकाशित किया। जो सरकारी नीतियों का निर्भीक आलोचक था।
- पंडित अंबिकाप्रशाद ने लिखा कि इस पत्र की स्वतंत्रता व उदारता पहले किसी पत्र में नहीं देखी गयी।
- कैलकटा जनरल उस समय के एंग्लोइंडियन पत्रों को प्रचार प्रसार में पीछे छोड़ दिया था। एक रूपये मुल्य के इस अखबार का दो वर्ष में सदस्य संख्या एक हजार से अधिक हो गयी थी।
- जेम्स बंकिघम को प्रेस की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। सन् 1823 में उन्हें देश निकाला दे दिया गया। हालांकि इंगलैंड जाकर उन्होंने आरियंटल हेराल्ड निकाला जिसमें वह भारतीय समस्याओं और कंपनी के हाथों में भारत का शासन बनाये रखने के खिलाफ लगातार अभियान चलाता रहा।
- 1961 के इंडियन कांउसिल एक्ट के बाद समाज के उपरी तबकों में उभरी राजनीतिक चेतना से भारतीय व गैरभारतीय दोनों भाषा के पत्रों की संख्या बढ़ी।
- 1861 में बंबई में टाइम्स आफ इंडिया की 1865 में इलाहाबाद में पायनियर 1868 में मद्रास मेल की 1875 में कलकत्ता स्टेटसमैन की और 1876 में लाहौर में सिविल ऐंड मिलटरी गजट की स्थापना हुई। ये सभी अंग्रेजी दैनिक ब्रिटिश शासनकाल में जारी रहे।
- टाइम्स आफ इंडिया ने प्राय: ब्रिटिश सरकार की नीतियों का समर्थन किया।
- पायोनियर ने भूस्वामी और महाजनी तत्त्वों का पक्ष तो मद्रास मेल ने यूरोपीय वाणिज्य समुदाय का पक्षधर था।
- स्टेटसमैन ने सरकार और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों का ही आलोचना की थी।
- सिविल एण्ड मिलिटरी गजट ब्रिटिश दाकियानूसी विचारों का पत्र था।
- स्टेटसमैन टाइम्स आफ इंडिया सिविल एण्ड मिलिटरी गजट पायनियर और मद्रास मेल जैसे प्रसिद्ध पत्र अंग्रेजी सरकार और शासन की नीतियों एवं कार्यक्रम का समर्थन करते थे।
- अमृत बाजार पत्रिका बांबे क्रानिकल बांबे सेंटिनल हिन्दुस्तान टाइम्स

हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड फ्री प्रेस जनरल नेश्नल हेराल्ड नेश्नल काल अंग्रेजी में छपने वाले लक्ष्य प्रतिष्ठित राष्ट्रवादी दैनिक और साप्ताहिक पत्र थे। हिन्दू लीडर इंडियन सोशल रिफार्मर माडर्न रिव्यू उदारपंथी राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्ति देते थे।

- इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों को राष्ट्रीय पत्रों ने पूर्ण और उदारपंथी पत्रों ने आलोचनात्मक समर्थन दिया था।
- डान मुस्लिम लीग के विचारों का पोषक था। देश के विद्यार्थी संगठनों के अपने पत्र थे जैसे स्टूडेंट और साथी।

## सुरेंद्रनाथ बनर्जी का बंगाली ( 1879 अंग्रेजी में )

- भारत के राष्ट्रीय नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने 1874 में बंगाली ( अंग्रेजी ) पत्र का प्रकाशन व संपादन किया। इसमें छपे एक लेख के लिये उनपर न्यायालय की अवज्ञा का अभियोग लगाया गया था। उन्हें दो महीने के कारावास की सजा मिली थी। बंगाली ने भारतीय राजनीतिक विचारधारा के उदारवादी दल के विचारों का प्रचार किया था।
- सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की राय पर दयाल सिंह मजीठिया ने 1877 में लाहौर में अंग्रेजी दैनिक ट्रिब्यून की स्थापना की। पंजाब की उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा का यह प्रभावशाली पत्र था।
- लार्ड लिटन के प्रशासनकाल में कुछ सरकारी कामों के चलते जनता की भावनाओं को चोट पहुँची जिससे राजनीतिक असंतोष बढ़ा और अखबारों की संख्या में वृद्धि हुई। 1878 में मद्रास में वीर राधवाचारी और अन्य देशभक्त भारतीयों ने अंग्रेजी सप्ताहिक हिन्दू की स्थापना की। 1889 से यह दैनिक हुआ। हिन्दु का दृष्टिकोण उदारवादी था। लेकिन इसने इंडियन नेश्नल कांग्रेस की राजनीति की आलोचना के साथ ही सका समर्थन भी किया।
- राष्ट्रीय चेतना का समाज सुधार के क्षेत्र में भी प्रसार हुआ। बंबई में 1890 में इंडियन सोशल रिफार्मर अंग्रेजी साप्ताहिक की स्थापना हुई। समाज सुधार ही इसका मुख्य लक्ष्य था।
- 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा ने अंग्रेजी मासिक हिन्दुस्तान रिव्यू की स्थापना की। इस पत्र का राजनैतिक और वैचारिक दृष्टिकोण उदारवादी था।

## *1900 के बाद*

- 1900 में जी ए नटेशन ने मद्रास से इंडियन रिव्यू का और 1907 में कलकत्ता से रामानन्द चटर्जी ने मॉडर्न रिव्यू का प्रकाशन शुरू किया।
- मॉडर्न रिव्यू देश का सबसे अधिक विख्यात अंग्रेजी मासिक सिद्ध हुआ। इसमें सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विषयों पर लेख निकलते थे और अंतराष्ट्रीय घटनाओं के विषय में भी काम की खबरें होती थी। इसने इंडियन नेश्नल कांग्रेस में प्राय: दक्षिणपंथियों का समर्थन किया।
- 1913 में बी जी हार्नीमन के संपादकत्व में फिरोजशाह मेहता ने बांबे क्रानिकल निकाला।
- 1918 में सर्वेंटस आफ इंडिया सोसाइटी ने श्रीनिवास शास्त्री के संपादकत्व में अपना मुखपत्र सर्वेंट आफ इंडिया निकालना शुरू किया। इसने उदारवादी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देश की समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया। 1939 में इसका प्रकाशन बंद हो गया।
- 1919 में गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया और इसके माध्यम से अपने राजनीतिक दर्शन कार्यक्रम और नीतियों का प्रचार किया। 1933 के बाद उन्होंने हरिजन (बहुत सी भाषाओं में प्रकाशित साप्ताहिक) का भी प्रकाशन शुरू किया।
- पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इलाहाबाद से इंडीपेंडेंट (अंग्रेजी दैनिक) का प्रकाशन शुरू किया।
- स्वराज पार्टी के नेता ने दल के कार्यक्रम के प्रचार के लिये 1922 में दिल्ली में के एम पन्नीकर के संपादकत्व में हिन्दुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी दैनिक) का प्रकाशन शुरू किया। इसी काल में लाला लाजपत राय के फलस्वरूप लाहौर से अंग्रेजी राष्ट्रवादी दैनिक प्युपल का प्रकाशन शुरू किया गया।
- 1923 के बाद धीरे-धीरे समाजवादी, साम्यवादी विचार भारत में फैलने लगे। वर्कर्स एंड प्लेसंट पार्टी आफ इंडिया का एक मुखपत्र मराठी साप्ताहिक क्रांति था। मर्ट कांसपीरेसी केस के एम जी देसाई और लेस्टर हचिंसन के संपादकत्व में क्रमश: स्पार्क और न्यू स्पार्क (अंग्रेजी साप्ताहिक) प्रकाशित हुआ।

- मार्क्सवाद का प्रचार करना और राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं किसानों मजदूरों के स्वतंत्र राजनीतिक आर्थिक संघर्षों को समर्थन प्रदान करना इनका उद्देश्य था।
- 1930 और 1939 के बीच मजदूरों किसानों के आंदोलनों का विस्तार हुआ और उनकी ताकत बढ़ी। कांग्रेस के नौवजवानों के बीच सामाजवादी साम्यवादी विचार विकसित हुए। इस तरह स्थापित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने अधिकारिक पत्र के रूप में कांग्रेस सोशलिस्ट का प्रकाशन किया।
- कम्युनिस्ट के प्रमुख पत्र नेश्नल फ्रंट और बाद में प्युपलस् वार थे। ये दोनों अंग्रेजी सप्ताहिक पत्र थे।
- एम एन रॉय के विचार अधिकारिक साम्यवाद से भिन्न थे। उन्होंने अपना अलग दल कायम किया जिसका मुखपत्र था इंडीपेंडेंट इंडिया।

## राजा राममोहन राय

- राजा राममोहन राय ने सन् 1821 में बंगाली पत्र संवाद कौमुदी को कलकत्ता से प्रकाशित किया। 1822 में फारसी भाषा का पत्र मिरात उल अखबार और अंग्रेजी भाषा में ब्रेहेनिकल मैगजीन निकाला।
- राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी में बंगला हेराल्ड निकाला। कलकत्ता से 1829 में बंगदूत प्रकाशित किया जो बंगला फारसी हिन्दी अंग्रेजी भाषाओं में छपता था।
- संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार भारत में स्पष्ट प्रगतिशील राष्ट्रीय और जनतांत्रिक प्रवृति के सबसे पहले प्रकाशन थे। ये समाज सुधार के प्रचार और धार्मिक– दार्शनिक समस्याओं पर आलोचनात्मक वाद–विवाद के मुख्य पत्र थे।
- राजा राममोहन राय की इन सभी पत्रों के प्रकाशन के पीछे मूल भावना यह थी ... मेरा उद्देश्य मात्र इतना है कि जनता के सामने ऐसे बौध्दिक निबंध उपस्थित करूं जो उनके अनुभव को बढ़ावें और सामाजिक प्रगति में सहायक सिध्द हो। मैं अपनी शक्ति भर शासकों को उनकी प्रजा की परिस्थितियों का सही परिचय देना चाहता हू और प्रजा को उनके शासकों द्वारा स्थापित विधि व्यवस्था से परिचित कराना चाहता हूँ ताकि जनता को शासन अधिकाधिक सुविधा दे सके। जनता उन उपायो से अवगत हो सके

जिनके द्वारा शासकों से सुरक्षा पायी जा सके और अपनी उचित मांगें पूरी करायी जा सके।

- दिसंबर 1823 में राजा राममोहन राय ने लार्ड एमहस्ट को पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु व्यवस्था करने का अनुरोध किया ताकि अंग्रेजी को अपनाकर भारतवासी विश्व की गतिविधियों से अवगत हो सके और मुक्ति का महत्व समझे।

## लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

विष्णु शास्त्री चिपलणकर और लोकमान्य तिलक ने मिलकर 1 जनवरी 1881 से मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा साप्ताहिक पत्र निकाले।

तिलक और उनके साथियों ने पत्र– प्रकाशन की उदघोषणा में कहा–हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम हर विषय पर निष्पक्ष ढंग से तथा हमारे दृष्टिकोण से जो सत्य होगा उसका विवेचन करेंगे। नि:संदेह आज भारत में ब्रिटिश शान में चाटुकारिता की प्रवृति बढ़ रही है। सभी ईमानदार लोग यह स्वीकार करेंगे कि यह प्रवृति अवांछनीय तथा जनता के हितों के विरूद्ध है। इस प्रस्तावित समाचारपत्र (केसरी) में जो लेख छपेंगे वे इनके नाम के ही अनुरूप होंगे।

केसरी और मराठा ने महाराष्ट्र में जनचेतना फैलाई तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में स्वर्णिम योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जनता को दीन–हीन व दब्बू पक्ष की प्रवृति से उठ कर साहसी निडर व देश के प्रति समर्पित होने का पाठ पढ़ाया। बस एक ही बात उभर कर आती थी –स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सन् 1896 में भारी आकाल पड़ा जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई। बंबई में इसी समय प्लेग की महामारी फैली। अंग्रज सरकार ने स्थिति संभालने के लिये सेना बुलायी। सेना घर– घर तलाशी लेना शुरू कर दिया जिससे जनता में क्रोध पैदा हो गया। तिलक ने इस मनमाने व्यवहार व लापरवाही से क्षुब्ध होकर केसरी के माध्यम से सरकार की कड़ी आलोचना की। केसरी में उनके लिखे लेख के कारण उन्हें 18 महीने कारावास की सजा दी गयी।

### *महात्मा गांधी*

गांधीजी ने 4 जून 1903 में इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। जिसके एक ही अंक से अंग्रेजी हिन्दी तमिल गुजराती भाषा में छ: कॉलम प्रकाशित होते थे। उस समय गांधीजी दक्षिण अफ्रीका में रहते थे।

अंग्रेजी में यंग इंडिया और जुलाई 1919 से हिन्दी–गुजराती में नवजीवन का प्रकाशन आरंभ किया। इन पत्रों के माध्यम से अपने विचारों को जनमानस तक पहुँचाया। उनके व्यक्तित्व ने जनता पर जादू सा कर दिया था। उनकी आवाज पर लोग मर–मिटने को तैयार हो गये।

इन पत्रों में प्रति सप्ताह महात्मा गांधी के विचार प्रकाशित होते थे। ब्रिटिश शासन द्वारा पारित कानूनों के कारण जनमत के अभाव में ये पत्र बंद हो गये। बाद में उन्होंने अंग्रेजी में हरिजन और हिन्दी में हरिजन सेवक तथा गुजराती में हरिबन्धु का प्रकाशन किया तथा ये पत्र स्वतंत्रता तक छापते रहे।

## *अमृत बाजार पत्रिका*

- सन् 1868 में बंगाल के छोटे से गांव अमृत बाजार से हेमेन्द्र कुमार घोष, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के संयुक्त प्रयास से एक बांगला साप्ताहिक पत्र अमृत बाजार पत्रिका शुरू हुआ। बाद में कलकत्ता से यह बांगला और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपने लगी।
- 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिये इसे पूर्णत: अंग्रेजी साप्ताहिक बना दिया गया। सन् 1891 में अंग्रेजी दैनिक के रूप में इसका प्रकाशन शुरु हुआ।
- अमृत बाजार पत्रिका ने तगड़े राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया और यह अत्याधिक लोकप्रिय राष्ट्रवादी पत्र रहा है। सरकारी नीतियों की कटू आलोचना के कारण इस पत्र का दमन भी हुआ। इसके कई संपादकों को जेल की भी सजा भुगतनी पड़ी।
- जब ब्रिटिश सरकार ने धोखे से कश्मीर में राजा प्रताप सिंह को गद्दी से हटा दिया और कश्मीर को अपने कब्जे में लेना चाहा तो इस पत्रिका ने इतना तीव्र विरोध किया कि सरकार को राजा प्रताप सिंह को राज्य लौटाना पड़ा।

## पयामे आजादी

स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता अजीमुल्ला खां ने 8 फरवरी 1857 को दिल्ली से पयामे आजादी पत्र प्रारंभ किया। शोले की तरह अपनी प्रखर व तेजस्वनी वाणी से जनता में स्वतंत्रता की भावना भर दी। अल्पकाल तक जीवित रहे इस पत्र से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसे बंद कराने में कोई कसर नहीं

छोड़ी। पयामे आजादी पत्र से अंग्रेज सरकार इतनी आतंकित हुई कि जिस किसी के पास भी इस पत्र की कॉपी पायी जाती उसे गद्दार और विद्रोही समझ कर गोली से उड़ा दिया गया। अन्य को सरकारी यातनायें झेलनी पड़ती थी। इसकी प्रतियां जब्त कर ली गयी फिर भी इसने जन– जागृति फैलाना जारी रखा।

## युगांतर

- जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिखा है–जहां तक क्रांतिकारी आंदोलन का संबंध है भारत का क्रांतिकारी आंदोलन बंदूक और बम के साथ नहीं समाचारपत्रों से शुरु हुआ।
- वारिन्द्र घोष का पत्र युगांतर वास्तव में युगान्तरकारी पत्र था। कोई जान नहीं पाता था कि इस पत्र का संपादक कौन है। अनेक व्यक्तियों ने ससमय अपने आपको पत्र का संपादक घोषित किया और जेल गये। दमनकारी कानून बनाकर पत्र को बंद किया गया।
- चीफ जस्टिस सर लारेंस जैनिकसन ने इस पत्र की विचारधारा के बारे में लिखा था– इसकी हर एक पंक्ति से अंग्रेजों के विरुध्द द्वेष टपकता है। प्रत्येक शब्द में क्रांति के लिये उत्तेजना झलकती है।
- युगांतर के एक अंक में तो बम कैसे बनाया जाता है यह भी बताया गया था। सन् 1909 में इसका जो अंतिम अंक प्रकाशित हुआ उस पर इसका मुल्य था– फिरंगदि कांचा माथा ( फिरंगी का तुरंत कटा हुआ सिर )

## एक से अधिक भाषा वाले भाषाई पत्र

हिन्दु मुसलमान दोनों सांप्रदायिकता के खतरे को समझते थे। उन्हें पता था कि साम्प्रदायिकता साम्राज्यवादियों का एक कारगर हथियार है। पत्रकारिता के माध्यम से सामप्रदायिक वैमनस्य के खिलाफ लड़ाई तेज की गयी थी। भाषाई पृथकतावाद के खतरे को देखते हुए एक से अधिक भाषाओं में पत्र निकाले जाते थे। जिसमें द्विभाषी पत्रों की संख्या अधिक थी।

# 11

# राष्ट्रीय नवजागरण और हिन्दी पत्रकारिता

नवजागरण एक राजनीतिक तथ्य,ऐतिहासिक कालबोध, जीवनशैली में परिवर्तन तथा आधुनिक मानव सभ्यता के उदगम विकास की आदर्श मूल प्रतीक अवधारणा है। नवजागरण न आधुनिक युग का अरुणोदय मात्र है न अतीत की वापसी न उच्च क्लासिकी ज्ञान का संरक्षण,न सामंती व्यवस्था के विरुद्ध राज व्यवस्था, न अभूतपूर्व अविष्कारों की खोज मात्र है नवजागरण का मूल प्रस्थान बिंदु है–मानव, मानव मंगल और मानव की स्वतन्त्र सत्ता का विकास। इसकी मूल चेतना सुशुप्त जनमानस में नवस्फूर्त चेतना, विवेक युक्त मुक्त चिंतन और राष्ट्र–भाव–ज्ञान सम्बेदन का स्फुरण जागरण यह इतिहास है आत्मबोध,आत्मपरीक्षण और आत्मा चेतना की प्राप्ति का जिसने मानव जाति को प्रबुद्ध,स्वाधीन आधुनिक और कर्तव्यशील बनाया।

भारतीय इतिहास के संदर्भ में 19वीं सदी का काल जिसमें सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक पुनरुत्थान और नवविकास आया. इस काल में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की चेतना का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी की इस भारतीय नवजागरण को विकसित करने में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका महत्वपूर्ण रही। समकालीन भारतीय परिदृश्य में पत्रकारिता एक मिशन को लेकर चल रही थी, जिसका उद्देश्य था–सामाजिक–आर्थिक–धार्मिक–सांस्कृतिक क्षेत्रों

में फैली कुरीतियों के प्रति भारतीय जनमानस को जागरूक करना। समकालीन विचारकों ने पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसी परिदृश्य में जब 19 वीं शताब्दी में राष्ट्रीय नवजागरण और सुसंगठित जनमत के अंकुरण का काल था, पत्रकारिता का विकास हुआ। इस नई प्रविधि ने भारतीयों में चेतना फैलाने का काम किया। यह न केवल सामाजिक बल्कि समाज के विभिन्न आयामों में जागरूकता फैलाने का काम किया। राजा राम मोहन राय का मानना था कि–"मेरा उद्देश्य मात्र इतना ही है की जनता के सामने ऐसे बौद्धिक निबंध उपस्थित करूं जो उनके अनुभव को बढायें और सामाजिक प्रगति में सहायक सिद्ध हो" इस मिशन को लेकर चलने वाली पत्रकारिता का राष्ट्रीय नवजागरण के विकास में बड़ी भूमिका रही।

अरबिंद घोष का मानना था की–" राजनीतिक आजादी किसी राष्ट्र की जीवन वायु है " इसको पाने के लिए पत्रकारिता ने जनमानस में विचारों को उद्धेलित किया। पत्रकारिता द्वारा यह बताया जाता था–"मुल्क हिंदुस्तान के रहनेवाले हर कौम और मजहब के लोगों से मेरी इल्तजा है की इस नामुराद फिरंगी कौम से मुल्क की हुकूमत को छीनकर मुल्क के काबिल और समझदार लोगों के हाथ में मुल्क सौप दे"

यह चेतना न केवल राजनीतिक क्षेत्रों बल्कि आर्थिक क्षेत्रों में भी दिखाई देता है, जो पत्रकारिता के माध्यम से हो रहा था।

"अंगरेजी अरु फारसी अरबी संस्कृत ढेर

खुले खजाने तिनन्ही क्यों लुटत लाबहू देर." नवजागरण हेतु आत्मगौरव की बात पत्रकारिता में भी हो रही थी।

"एक देव, एक देश एक भाषा

एक जाति,एक जीव एक आशा " हिन्दी पत्रकारिता में स्वराज हेतु संघर्ष करने की बात भी की जा रही थी।

"मुझको तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक

मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाये वीर अनेक"

नवजागरण मूलतः यूरोपीय इतिहास से ली गई अवधारणा है,जिसका प्रयोग और विकास 19 वीं सदी के भारत में इसके ऐतिहासिक–सांस्कृतिक विरासत और चिंतन के अनुरूप हुआ है। वंदे मातरम पत्र के अनुसारकृ"राष्ट्रीय नवजागरण वस्तुतः पुनर्जन्म है और पुनर्जन्म,न केवल बुद्धि से न पूर्ण आर्थिक समृद्धि से,न

नीति या सिद्धांत से न प्रशासनिक परिवर्तन से होता है।वह तो नया ह्रदय प्राप्त करने, त्याग की अग्नि में अपना सर्वस्व होम करने और माँ के गर्व में पुनः जन्म लेने से होता है।"

भारतीय विचारकों ने 19वीं शताब्दी की सामाजिक-सांस्कृतिक रूपांतरण, पुनरुत्थान तथा नवविकास को "भारतीय नवजागरण" के नाम से जाना जाता है। शिवदान सिंह चौहान ने राष्ट्रीय नवजागरण को इसी अर्थो में रूपायित किया है-"राष्ट्रीय जागरण से तात्पर्य अपने राष्ट्रीय अस्तित्त्व एंव एकता की ब्रिटिश सत्ता विरोधी राजनीतिक चेतना या भावना का उत्पन हो जाना मात्र नहीं, इससे केवल इतना समझ लेना इसके अर्थ को अत्यंत संकुचित कर देना है। हमारे राष्ट्रीय जागरण से मिलती-जुलती किन्तु भिन्न ऐतिहासिक परिस्तिथियों में एक धारा यूरोप के देशों में पहले प्रवाहित हो चुकी है जिसे इतिहास में सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते है।"

ब्रिटिश सत्ता के अधीन भारतीय इतिहास में 19 वीं शताब्दी का नवजागरण काल राष्ट्रीयता के भावों का प्रतीक भी था। देवराज पथिक कहते है---"वस्तुतः जब कभी भी समाज अथवा राष्ट्र की परंपरागत मूल धारणा निर्बल पड़ जाती है और किसी नई विचारधारा को कोई समाज अथवा राष्ट्र ग्रहण करता है और वह विचारधारा किसी निश्चित लक्ष्य अथवा ध्येय के आलोक में आगे बढ़ती है तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत होती है।इसी जागृति को राष्ट्रीय नवजागरण के नाम से संबोधित किया जाता है।" वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय नवजागरण यूरोपीय सभ्यता और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के राजनीतिक प्रभुत्व के संघर्ष-प्रतिसंघर्ष से उत्पन जन आंदोलन था।

19वीं शताब्दी के इसी परिदृश्य में भारतीय पत्रकारिता का विकास प्रारंभ हुआ। यह आधुनिक काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है जिससे जागरूकता का व्यापक प्रसार सुलभ होता है। पत्रकारिता ने उस सामाजिक-सांस्कृतिक चेतना को वैज्ञानिक आलोक में मानवीय धरातल के बिभिन्न स्तरों और आयामों पर प्रस्तुत किया। इससे भारतीय पत्रकारिता ने भारतीय जनजागरण और कालांतर में राष्ट्रीयता के विकास को प्रोत्साहित किया। पत्रकारिता, नवजागरण और राष्ट्रीयता का विकास एक दूसरे हेतु सहायक रही। यदि भारतीय पत्रकारिता को राष्ट्रीयता ने विकसित किया तो पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीयता के विकास में भूमिका निभाई। इस प्रकार राष्ट्रीयता के विकास के साथ-साथ पत्रकारिता का अपेक्षित विकास हुआ।

पत्रकारिता के इसी दौर में केशवचंद्र सेन ने सर्वप्रथम हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया।इन्होंने कहा की–"इस समय भारत में जितनी भाषाएँ प्रचलित है।इस हिन्दी भाषा को यदि भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाये तो यह कार्य शीघ्र ही समाप्त हो सकता है "इस परिवर्तन में पत्रकारिता का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी की हिन्दी पत्रकारिता ने न केवल सामाजिक–धार्मिक कुरीतियों हेतु जनमानस में जागरूकता फैलाया बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध मुक्ति की मानसिकता को तैयार करने में योगदान दिया। हिन्दी पत्रकारिता ने राष्ट्रीयता को आकार देने का काम भी किया। यह राष्ट्रीयता भारत के लिए नवीन विश्वास था इससे पहले इस देश में यह बात अपरचित थी। भारत में राष्ट्र और राष्ट्रीयता की भावना के प्रति चेतस और एकीकरण का कम 19वीं शताब्दी में हिन्दी पत्रकारिता द्वारा किया गया। यही प्रवृति "राष्ट्रीय नवजागरण" कहलाती है।

'पत्रकारिता राष्ट्र की आत्मा और जीवनी शक्ति को पुनर्जीवित करने का सशक्त माध्यम है। वह राष्ट्रीय जीवन की समस्त गतिविधियों अनुभूति का दर्पण होती है।' रेनेंसा काल की हिन्दी पत्रकारिता का तत्कालिन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नवजागरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही। 19वीं शताब्दी के क्रांतिकारी परिवर्तनों और नवजागरण ने भारतीय जनमानस को जागरूक किया। इतिहासकार विपन चन्द्र का मानना था कि "19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शिक्षित भारतीयों पर पत्रकारिता के प्रभाव को स्वीकार किया है, क्योंकि इसके माध्यम से जनता का राजनीतिकरण और राजनीतिक–आर्थिक चेतना का प्रसार किया गया था।"

समकालीन हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से राजनैतिक–आर्थिक गतिविधियों की पारदर्शक सच्चाई उजागर हो उठती है।इस काल की पत्रिकायों में सामयिक सामाजिक–धार्मिक रूढियों के प्रति विद्रोह की चेतना को देखा जा सकता है।इसमें ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति हेतू संघर्षकारिता की भावना का संचार भी देखने को मिलता है। "हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक गंभीर राजनीतिक प्रश्नों और विषम आर्थिक समस्याओं पर निरंतर चिंतन विश्लेषण चर्चा और वाद–विवाद करके राष्ट्रीय जीवन में एक नया मोड़ और राजनीतिक झंझावत ला दिया"।

'पयामे आजादी' पत्र में राजनीतिक संघर्षकारिता की धारा अत्यंत तीव्र है।

"आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा

लूटा दोनों हाथों हे प्यारा वतन हमारा" इसी पत्र में प्रकाशित कविताओं से राजनीतिक चेतना का विकास व्यापक रूप से हुआ।

"हम है इसके मालिक,हिंदुस्तान हमारा
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा"

1907 से इलाहबाद से प्रकाशित 'स्वराज' नमक साप्ताहिक पत्र में राष्ट्रीय पराधीनता के आवासन और स्वाधीनता के आगमन की कामना प्रकट करते हुए संपादक के विज्ञापन इस प्रकार प्रकाशित की गई है।

"चाहिए स्वराज के लिए एक संपादक.वेतन दो सूखी रोटियाँ.एक ग्लास ठंडा पानी और हर सम्पादकीय के लिए दस साल की जेल"

स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राणवायु होती है। इसके लिए हिन्दी पत्रकारिता ने जनमानस में चेतना का संचार किया।स्वराज की स्थापना हेतू 'नृसिंह' ने लिखा–"स्वराज की आवश्यकता भारतवासियों को इसलिए है की विदेशी सरकार उनके आभाव को समझने में असमर्थ है। स्वराज के बिना भारत की गति नहीं है।"

राष्ट्रप्रेम की भावना को प्रसारित करने में दशरथ प्रसाद की 'स्वदेशी' ने भी योगदान दिया।

"जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमे रसधार नहीं
वह ह्रदय नहीं,पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं"

पराधीनता के काल में स्वाधीनता हेतु भारतीय जनमानस का आह्वान किया।

" ऐ मादरे हिन्द न हो गमगीं दिन अच्छे आने वाले हैं
आजादी का पैगाम तुम्हेँ हम जल्द सुनाने वाले है"

क्रांतिकारिता की तेजस्वी प्रतीक की पत्र 'गदर' ने मातृभूमि के लिए उत्सर्ग का तराना गुंजित किया।

"जो पूछे कौन हो तुम, तो कह दो बागी है नाम अपना
जुल्म मिटाना हमारा पेशा, गदर करना है काम अपना"

राजनीतिक स्तर पर जागरूकता फैलाने हेतु क्रांतिकारियों ने भी अपनी वैचारिक अवधारणा को जनमानस के सामने हिन्दी पत्रकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया। 'विजय' पत्र का कहना था कि–

" लेकर पूर्ण स्वराज स्वत्व अपना पहचानें
आजादी या मौत यही प्रण में ठानें"

"ब्रिटिश शासक भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। 'भारत जीवन' ने लिखा "क्या देशी मनुष्य नहीं होते?क्या उनके हाथ-पाँव और ह्रदय

नहीं है? क्या देशीयो को मरने से चोट नहीं लगती?"

जागरणकालीन पत्रकारिता ने फूटपरस्त भावनायों और परस्पर सद्भाव के आभाव को ही भारतीय परतंत्रता और देशोन्नति न होने का मूल कारण बताया "अमीर और रईसों की ओर अदृष्टी और आपस का विरोध ही देशोन्नति न होने का कारण है"

'उचित वक्ता' ने देशीय एकता पर जीर देते हुए आपसी मतभेद भुलाकर उनका अनुकरण करने को कहा "एकता जिसके आभाव से यह अगण्य भारतवासी मुष्टि प्रमाण लोगों के पददलित हो रहें है"

नवजागरणकालीन पत्रकारिता न केवल राजनीतिक क्षेत्रों में जाग्रति फैला रही थी बल्कि सामाजिक क्षेत्रों में भी हिन्दी पत्र-पत्रिका ने इसको फैलाया। स्त्री शिक्षा पर बल देकर सामाजिक सुधारों पर बल दिया। आगरा से प्रकाशित 'बुद्धि प्रकाश' ने लिखा "स्त्रियों में संतोष,नम्रता और प्रीत ये सब गुण कर्त्ता ने उत्पन्न किये है,केवल विधा की ही न्यूनता है, जो यह भी होती तो स्त्रियां अपने सरे ऋण से चूक सकती है"

कहने को तो 'कवि बचन सुधा' साहित्यिक पत्रिका थी, परन्तु इसने जो दिशा निर्देश दिया उसके परिणामस्वरूप हिन्दी जगत में ऐसी पत्रकारिता का प्रचलन हुआ जो किसी सामाजिक सुधार, जाति मत विशेष के समर्थन ने नहीं चल रही थी।बल्कि जिसका उद्देश्य समूचे पाठकों को चाहे वे किसी भी क्षेत्र, धर्म या जाति के हों देश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्याओं से परिचित करना था। महिलाओं पर केंद्रित पत्रिका ने भी महिलाओं में जागरूकता फैलाने का कम किया। सुगृहिणी पत्रिका की संपादिका हेमंत कुमारी चौधरी ने इस पत्रिका का उद्देश्य बताते हुए लिखा की "हे बहनों, द्वार खोल दो,तुम्हारे यंहा कौन आई है। तुम्हारे दुखो को देखकर तुम्हें अज्ञानता और पराधीनता में बध्द देखकर तुम्हारी यह बहिन तुम्हारे द्वारे पर आई है"

इस काल की पत्र-पत्रिकायों ने बाल विवाह की सामाजिक विसंगति पर भरपूर प्रहार किया।हिन्दी पत्र-पत्रिकायों ने बाल विवाह से होने वाली राष्ट्रीय हानि तथा सामाजिक पतन को गहराई से विवेचित किया है। सामाजिक रुढियों पर प्रहार किया है। बाल विवाह,शिशु हत्या.विधवा विवाह अस्पृश्यता जैसे विषयों पर लिखा। तत्कालिक हिन्दी पत्रकारिता ने समाज की हर दुखती राग को छेड़ा जिसे पत्रकारों ने जिया और भोग था। उसने सामाजिक दायित्व वाहन करने में पूरी इमानदारी और वैज्ञानिक चिंतन का सहारा लिया था। तत्कालीन पत्रकारिता

की जीवन्तता और प्रासंगिकता उनकी गहरी चिंतन का परिश्रम था। नवजागरणकालीन हिन्दी पत्रकारिता न केवल सामाजिक और राजनीतिक बल्कि आर्थिक मुद्दों पर भी लोगों को जागरूक किया।इस क्षेत्र में भी पत्र-पत्रिका नवजागरण फैला रही थी। 'मालवा अखबार' का लिखना है कि "भारतीयों को अक्ल नहीं है है की विलायत से कपड़ा बनकर आता है तथा हमारा रुपया विलायत जा रहा है"

भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने ब्रिटिश सत्ता के आर्थिक शोषण को उजागर किया है "जैसे हजार धारा होकर गंगा समुंद्र में मिलती है वैसी ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरहों से इंग्लैंड जाती है।" देश की दुर्दशा पर भारतेंदु व्यथित हों गए थे।

"अब जहँ देखहुँ तहँ दुखहि दुख दिखाई
हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई"

स्वदेशी के प्रति आग्रह करते हुए 'उचित वक्ता' पत्र लिखता है। " देशी वस्तुयों का आदर देश की आवश्यकता है।यदि देशवासी विशेष कर बाबू लोग देशी वस्तुयों का समाकर करने लग जाये और विलायती कल की बनी सस्ती वस्तु की प्रतियोगिता में देशी हाथ की धनी वस्तुयों को बर्ताब में लेन कलग जाये तो अनायास देश की हीन दशा में परिवर्तन ही सकता है।"

'परदेशी भारतवासी' पत्र में अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने देशवासियों को जागरूक करते हुए कहा की-"आओ समस्त देशवासियों हमलोग उपनिवेश और उसके पिट्टू इंग्लैंड की वस्तुयों का बहिष्कार करे"

हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं ने धर्म और संस्कृति को व्यापक उद्धात अर्थ में ग्रहण किया था। उसे किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध न होकर मानव धर्म और राष्ट्र धर्म के रूप में निरुपित किया गया है। 'सारसुरानिधि' में लिखा है की "प्रकृति के उत्कर्ष साधन का नाम धर्म है।अतएव दोनों प्रकारके उत्कर्ष करना ही मनुष्य का उचित कर्त्तव्य है"

हिन्दी पत्रकारिता राष्ट्रीय नवजागरण के लिए वैचारिक क्रांति की वाहिका रही,वंही पत्रकारिता को आधुनिक स्वरुप प्रदान करने का श्रेय नवजागरणकाल को दिया जा सकता है।न वजागरण की प्रवृति ने हिन्दी पत्रकारिता में प्रगतिशीलता, यथार्थपरक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय बोध का संचार किया। जातीय चिंतन को सबल रूप से पेश करके नवजागरण के माध्यम से पत्रकारिता में वैज्ञानिक तर्कशीलता और बौद्धिकता का समावेश किया।इस प्रकार कहा जा सकता है की इस काल की पत्रकारिता ने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता का संचार किया

# 12

# उदन्त मार्तण्ड

उदन्त मार्तण्ड (शाब्दिक अर्थः 'समाचार सूर्य' या ' (बिना दाँत का) बाल सूर्य') हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30मई, 1826 ई. में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कलकत्ता के कोलू टोला नामक मोहल्ले की 37 नंबर आमड़तल्ला गली से जुगलकिशोर सुकुल ने सन् 1826 ई. में उदंतमार्तंड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे, किन्तु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए "उदंत मार्तड" का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके संपादक भी श्री जुगुलकिशोर सुकुल ही थे। वे मूल रूप से कानपुर के निवासी थे।

**इस पत्र की प्रारंभिक विज्ञप्ति इस प्रकार थी** –यह "उदन्त मार्तण्ड" अब पहले-पहल हिंदुस्तानियों के हित के लिए जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी ओर पारसी ओर बंगाल में जो समाचार का कागज छपता है, उनका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही होता है और सब लोग पराए सुख सुखी होते हैं। जैसे–पराए धन धनी होना और अपनी रहते परायी आंख देखना, वैसे ही जिस गुण में जिसकी पैठ न हो उसको उसके रस का मिलना कठिन ही है। यह पत्र पुस्तकाकार (12x8) छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियाँ प्रकाशित होती थीं और उस समय की वैज्ञानिक खोजों तथा आधुनिक

जानकारियों को भी महत्त्व दिया जाता था। इस पत्र में ब्रज और खड़ी बोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था, जिसे इस पत्र के संचालक "मध्यदेशीय भाषा" कहते थे। इसके उद्देश्य के सम्बन्ध में बांग्ला साप्ताहिक 'समाचार चंद्रिका' ने लिखा था कि अज्ञान तथा रूढ़ियों के अँधेरों में जकड़े हुए हिन्दुस्तानी लोगों की प्रतिभाओं पर प्रकाश डालने और 'उदंत मार्तण्ड' द्वारा ज्ञान के प्रकाशनार्थ' इस पत्र का श्री गणेश हुआ था, 'हिन्दुस्तान और नेपाल आदि देशों के लोगों, महाजनों तथा इंगलैंड के साहबों के बीच वितरित हुआ और हो रहा है। उन दिनों सरकारी सहायता के बिना, किसी भी पत्र का चलना प्रायः असंभव था। कंपनी सरकार ने ईसाई मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परन्तु चेष्टा करने पर भी "उदन्त मार्तंड" को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि डेढ़ साल बाद दिसंबर, 1827 ई. को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। इसके अंतिम अंक में लिखा है–उदन्त मार्तण्ड की यात्रा–मिति पौष बदी 1 भौम संवत् 1884 तारीख दिसम्बर सन् 1827।

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त<br>
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अन्त।

उन्होंने अपने सम्पादकीय के अन्त में ग्राहकों एवं पाठकों से निवेदन किया था कि "हमारे कुछ कहे–सुने का मन में न लाइयो जो दैव और भूधर मेरी अन्तरव्यथा और गुण को विचार सुधि करेंगे तो मेरे ही हैं, शुभमिति।"

शुक्ल ने इस पत्र के बाद भी 'समदन्त मार्तण्ड' नामक एक और पत्र निकालने की हिम्मत जुटायी, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी अल्पायु निकला। उदन्त मार्तण्ड के प्रथम प्रकाशन की तिथि 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है

## उद्देश्य

उदन्त मार्तण्ड के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए जुगलकिशोर शुक्ल ने लिखा था, जो यथावत प्रस्तुत है–

### *प्रकाशन बंद*

उदन्त मार्तण्ड ने समाज में चल रहे विरोधाभासों एवं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आम जन की आवाज को उठाने का कार्य किया था। कानूनी कारणों एवं

ग्राहकों के पर्याप्त सहयोग न देने के कारण 19 दिसंबर, 1827 को युगल किशोर शुक्ल को उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। उदन्त मार्तण्ड के अंतिम अंक में एक नोट प्रकाशित हुआ था, जिसमें उसके बंद होने की पीड़ा झलकती है। वह इस प्रकार था–

''आज दिवस लौ उग चुक्यों मार्तण्ड उदन्त। अस्ताचल को जाता है दिनकर दिन अब अंत।।''

उदन्त मार्तण्ड बंद हो गया, लेकिन उससे पहले वह हिंदी पत्रकारिता का प्रस्थान बिंदु तो बन ही चुका था।

# 13

# बनारस अखबार

बनारस अखबार का प्रकाशन जनवरी, 1845 में हुआ। यह अखबार गोविन्द नारायण थत्ते के सम्पादन में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित हुआ। अखबार के संचालक राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द थे। अधिकांश लोग इस अखबार को ही हिन्दी का पहला अखबार मानते हैं, किंतु इसे हिन्दी भाषी क्षेत्र का प्रथम समाचार पत्र माना जा सकता है।

## अरबी तथा फारसी शब्दों का प्रयोग

देवनागरी लिपि के प्रयोग के बावजूद इस अखबार में अरबी और फारसी भाषा के शब्दों की बहुतायत थी, जिसे समझना साधारण जनता के लिए एक कठिन कार्य था। पंडित अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है कि "बनारस अखबार की निकम्मी भाषा का उत्तरदायित्व यदि किसी एक पुरुष पर है तो वे राजा शिवप्रसाद सिंह हैं।" बनारस से ही 1850 में तारा मोहन मैत्रोय के संपादन में 'सुधाकर' पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ।

यह पत्र साप्ताहिक था तथा बंगला एवं हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। भाषा की दृष्टि से समाचार पत्र 'सुधाकर' को हिन्दी प्रदेश का पहला पत्र कहा जाना अधिक उपयुक्त है। 1853 में यह पत्र सिर्फ हिन्दी में ही छपने लगा था।

## अन्य अखबार

'बनारस अखबार' एवं 'सुधाकर' के बाद कुछ अन्य अखबारों का भी प्रकाशन हुआ, जिनके नाम निम्नलिखित हैं-

- 'मार्तण्ड' (11 जून, 1846)।
- 'ज्ञान दीपक' (1846)।
- 'जगदीपक भास्कर' (1849)।
- 'सामदण्ड मार्तण्ड' (1850)।
- 'फूलों का हार' (1850)।
- 'बुद्धिप्रकाश' (1852)।
- 'मजहरुल सरुर' (1852)।
- 'ग्वालियर गजट' (1853)।
- 'मालवा अखबार' (1894)।

मुंशी सदासुखलाल के संपादन में आगरा से 'बुद्धि प्रकाश' नाम का यह पत्र पत्रकारिता के दृष्टि से ही नहीं, अपितु भाषा व शैली की दृष्टि से भी खास स्थान रखता है। प्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पत्र की भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा था कि "बुद्धि प्रकाश की भाषा उस समय की भाषा को देखते हुए बहुत अच्छी होती थी।

# 14

# हिन्दुस्तान दैनिक

हिन्दुस्तान अथवा हिन्दुस्तान दैनिक एक प्रमुख हिन्दी समाचार पत्र है। 'हिन्दुस्तान', अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय राजनीति, व्यापार, मनोरंजन, खेल और अन्य सामान्य हितों से संबंधित समाचारों के समस्त विभागों को प्रकाशित करने के लिए समाचार जगत में प्रसिद्ध हैं। 'हिन्दुस्तान' का पहला संस्करण 12 अप्रैल, 1936 को दिल्ली से प्रकाशित किया गया था। आज हिन्दुस्तान अखबार की पहुंच छः क्षेत्रों में फैली हुई है–उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मोहाली और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है। हाल ही में घोषित पाठकों की संख्या (IRS 2010 Q4)के कारण हिन्दुस्तान आज भारत में दूसरा सबसे बड़ा समाचार पत्र है।

## स्थापना

हिन्दुस्तान समाचार पत्र की स्थापना 12 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसके मुख्य संपादक शशि शेखर और प्रकाशक अमित चोपड़ा हैं।

### *मुद्रण स्थल*

उत्तर भारत के राज्यों (दिल्ली, बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड) में हिन्दुस्तान का प्रकाशन होता है। पिछले तीन वर्षों में, हिन्दुस्तान ने उत्तर प्रदेश में महत्त्वपूर्ण निवेश किया है और आगरा, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर और बरेली

में पांच नए मुद्रण संस्थानों को खोला है। वाराणसी में वर्तमान मुद्रण सुविधाओं (एक फ्रेंचाइजी के आधार पर) और लखनऊ को जोड़ने की योजना है। उत्तराखंड के देहरादून में हिन्दुस्तान ने मुद्रण स्थान के साथ मई 2008 में प्रवेश किया है। इस मुद्रण स्थान से उत्तराखंड में प्रमुख शहरों को कवर किया जाएगा।

## विकास

पिछले नौ महीनों में, हिन्दुस्तान ने 58 लाख पाठकों को अपने 'पाठक आधार' में जोड़ा है। यह वृद्धि उत्तर प्रदेश से है, जहां हिन्दुस्तान ने नौ महीने की अवधि में 41 लाख पाठकों को जोड़ा है। हिन्दुस्तान अब उत्तर प्रदेश में 1.28 करोड़ कुल पाठकों के साथ उत्तर प्रदेश में पाठकों का 30प्रतिशत हिस्सा है। हिन्दुस्तान बिहार में 83प्रतिशत और झारखंड में कुल पाठकों के 73 प्रतिशत हिस्से के साथ अपनी प्रमुख स्थिति बनाए हुए है। सभी बाजारों में बढ़त को देखते हुए स्पष्ट रूप से हिन्दुस्तान दैनिक की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करता है। अभी तक नए संस्करणों के लिए आई.आर.एस. में प्रतिबिंबित होने के साथ, विकास की गति के निरंतर होने की संभावना है।

### *मुख्य कार्यालय*

हिन्दुस्तान का मुख्य कार्यालय का पता कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110001 है।

# 15

# मूकनायक

1917 से 1920 के बीच तीन वर्ष उनकी जिंदगी के उथल-पुथल से भरे थे।सच तो यह है कि उनकी पूरी जिंदगी ही उथल-पुथल से भरी रही। इसी बीच वे इकरारनामे के अनुसार बड़ौदा नरेश के यहां नौकरी करने गए थे। उन्हें किन-किन अपमानों का सामना करना पड़ा, इसका दिल दहला देने वाला वर्णन उन्होंने अपनी संक्षिप्त आत्मकथा 'वेटिंग फॉर वीजा' में किया है। इसी बीच वे सिड्हम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हुए। नवंबर, 1918 में उन्होंने यह पद संभाला। प्रोफेसर होना न तो उनकी जिंदगी का ध्येय था और न ही यह उनको संतुष्टि दे सकता था। हर समय उनकी चिंता का विषय अस्पृश्यों का अपमान और इससे मुक्ति बनी रही। इसी बीच वे 'साउथबरो कमेटी' के सामने प्रस्तुत हुए, जो 'मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार' कार्यक्रम के तहत भारत की विभिन्न जातियों से मताधिकार के बारे में पूछताछ कर रही थी। अस्पृश्य वर्ग की ओर से कर्मवीर शिंदे (23 अप्रैल, 1873– 2 अप्रैल, 1944) और डॉ. आंबेडकर (14 अप्रैल, 1891– 6 दिसंबर, 1956) उस कमेटी के सामने उपस्थित हुए और अपनी गवाही दी। इस संदर्भ में 'बम्बई टाइम्स' को लिखे अपने एक पत्र में डॉ. आंबेडकर ने लिखा– "स्वराज जैसा ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसा ही वह महारों का भी है।"

इसी वर्ष दत्तोबा पवार नाम के एक व्यक्ति की मध्यस्थता से डॉ. आंबेडकर को राजर्षि शाहू महराज (26 जून, 1874– 6 मई, 1922) के साथ

प्रत्यक्ष परिचय का संयोग प्राप्त हुआ। शाहू जी महाराज ने डॉ. आंबेडकर को आर्थिक सहायता देकर एक पाक्षिक निकालने को कहा। (वही, पृ. 40)। धनजंय कीर के विपरीत अन्य अध्येताओं का कहना है कि शाहू जी से मुलाकात के समय डॉ. आंबेडकर ने एक पत्र प्रकाशित करने की रचनात्मक रूपरेखा शाहू जी महाराज के सामने प्रकट की और शाहू जी महाराज आर्थिक सहायता देने को तैयार हो गए। इस संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के गहन अध्येता वसंत मून लिखते हैं कि "सन् 1919 के करीब डॉ. आंबेडकर कोल्हापुर के महराज के निकट संपर्क में आए। यह संपर्क उन्होंने कोल्हापुर निवासी दत्तोबा पवार के मार्फत स्थापित किया था। उन्होंने 'मूकनायक' नामक पाक्षिक पत्र प्रारंभ करने की इच्छा से महाराजा साहब से आर्थिक मदद देने का अनुरोध किया।" (वसंत मून, पृ. 20)

## डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं व उनकी तस्वीर

इस तथ्य की पुष्टि श्यौराज सिंह बेचैन 'मूकनायक' के संपादकीय लेखों के संकलन में 'दो शब्द' में करते हैं। ('मूकनायक', संपादन, श्यौराज सिंह बेचैन, पृ.8-9)। यह पाक्षिक 'मूकनायक' दलित आंदोलन के मुखपत्र के रूप में आरंभ हुआ था।

चूंकि डॉ. आंबेडकर सिंड़हम कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में शासकीय सेवा में थे, इस कारण वे आधिकारिक रूप से संपादक नहीं बन सके। किंतु व्यवस्थापन, मंत्रणा, अग्रलेख, स्फुट लेख लिखने का कार्य उन्होंने ही किया था।

पांडुरंग नंदराम भटकर को डॉ. आंबेडकर ने संपादक नियुक्त किया था। वे महार समाज के थे। यद्यपि उस पाक्षिक पर डॉ. आंबेडकर का संपादक के रूप में नाम नहीं था, फिर भी बहुत से लोग जानते थे कि वह डॉ. आंबेडकर द्वारा जारी किए गए आंदोलन का मुखपत्र था।

'मूकनायक' के प्रकाशन के साथ ही आंबेडकर मूक समाज के घोषित नायक बन गए। मई, 1920 के अंत में नागपुर में, सामाजिक क्रांति के महान नेता छत्रपति शाहू जी महाराज के आह्वान पर एक अखिल भारतीय बहिष्कृत परिषद कांफ्रेंस का आयोजन हुआ। कुछ प्रतिनिधियों के साथ डॉ. आंबेडकर भी नागपुर गए। उपर्युक्त परिषद में डॉ. आंबेडकर में नेतृत्व के लिए आवश्यक सभी गुण दिखाई पड़े। सार्वजनिक जीवन में डॉ. आंबेडकर की यह पहली कामयाबी थी। 'मूकनायक' (डॉ. आंबेडकर) ने अपने भावी महान कार्य की झलक दी थी।।

'मूकनायक' निकालने के दौरान प्रोफेसर होते हुए भी डॉ. आंबेडकर कितनी कठिन जिंदगी जी रहे थे, इसका उनके विभिन्न जीवनी लेखकों ने विस्तार से वर्णन किया है। इस संदर्भ में धनंजय कीर लिखते हैं– "यद्यपि प्रोफेसर आंबेडकर को पर्याप्त मासिक वेतन मिलता था, फिर भी वे मजदूर-विभाग में इम्प्रूवमेंट चालक के दो कमरों में ही रहते थे। पैसे का व्यय वे हाथ समेटकर ही करते थे। वे सादगी और मितव्ययिता से रहते थे।

'मूकनायक' समाचार-पत्र के कुल 19 अंक निकले थे। अंक 12 तक 'मूकनायक' समाचार-पत्र का लेखन पूर्ण रूप से बाबासाहेब डॉ. आंबेडकर द्वारा किया गया। ('मूकनायक', वासनिक पृ.15) उसके बाद डॉ. आंबेडकर सन् 1920 के जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए लंदन चले गए। इस प्रकार उन्होंने करीब 7 महीने 'मूकनायक' का प्रकाशन सीधे अपनी देख-रेख में की। 13वें से 19वें अंक तक का संपादन ज्ञानदेव ध्रुवनाथ घोलप ने किया। उनके संपादन में 7 अंक निकले।

कुछ विवादों और अप्रिय प्रसंगों के साथ डॉ. आंबेडकर के अध्ययन के लिए लंदन जाने के बाद भी यह पाक्षिक समाचार-पत्र चलता रहा और अन्ततः अप्रैल, 1923 में बंद हो गया। इस तरह यह करीब 3 वर्ष तक जीवित रहा।

मैं 'मूकनायक' समाचार-पत्र की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए डॉ. आंबेडकर द्वारा लिखी गई 12 संपादकीय और उनके द्वारा विविध अवसरों पर लिखे गए 10 लेखों को ही अपने विवेचन के लिए चुन रहा हूं।

'मूकनायक' के प्रवेशांक की शुरुआत डॉ. आंबेडकर ने संत तुकाराम की इन पंक्तियों से की है–

अभी मैं इच्छाएं धारण करके क्या करूं<br>
व्यर्थ तोमड़ी बजाकर क्या करूं<br>
संसार में खामोश लोगों की कोई नहीं सुनता।

अभी कोई लाज, हित सार्थक नहीं ( मूकनायक, श्यौराज सिंह 'बेचैन' पृ. 23) तुकाराम कह रहे हैं कि 'संसार में खामोश लोगों की कोई नहीं सुनता'। 'मूकनायक' समाचार-पत्र दलितों की सदियों की खामोशी को तोड़ने के लिए डॉ. आंबेडकर ने शुरू किया था और करीब 7 महीने के भीतर ही उन्होंने दलितों की आवाज 'मूकनायक' के माध्यम से देश के साथ-साथ बल्कि विश्व पटल पर पहुँचा दिया। 'मूकनायक' के निकलने के समय गांधी कांग्रेस की न केवल बागडोर संभाल चुके थे, बल्कि सर्वेसर्वा बन गए थे। ब्रिटिश शासन से भारत

के स्वराज की मांग जोर पकड़ रही थी। मूकनायक' के माध्यम से मूकनायकों के नेता डॉ. आंबेडकर ने यह तीखा सवाल पुरजोर तरीके से प्रस्तुत किया कि यह स्वराज किसके लिए? क्या यह स्वराज बहिष्कृतों-अछूतों (दलितों) के लिए भी होगा? क्या इसमें उनकी भी बराबरी के आधार पर सहभागिता होगी? या यह स्वराज सदियों से अछूत कहे जाने वाले लोगों पर अत्याचार कर रहे उच्च जातियों का स्वराज होगा?

## *मूकनायक की पहली प्रति का मस्ट हेड*

डॉ. आंबेडकर द्वारा लिखे गए 12 संपादकीय में से 4 तो सीधे तौर पर स्वराज के प्रश्न से जुड़े हुए हैं और अन्य संपादकीय एवं लेखों में भारत में स्वराज का प्रश्न और उसमें बहिष्कृतों की हिस्सेदारी का प्रश्न केंद्रीय चिंता का प्रश्न है। जैसा कि मैं ऊपर जिक्र कर चुका हूं कि इस संदर्भ में 'बम्बई टाइम्स' को लिखे अपने एक पत्र में आंबेडकर ने लिखा, "स्वराज जैसा ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, वैसा ही वह महारों का भी है।"

'स्वराज्य का महत्व सुराज्य में नहीं है', 'स्वराज के मातादृपिता', 'वह स्वराज्य नहीं है, हमारे ऊपर राज्य करना है', और स्वराज में हमारा आरोहण, उसका प्रमाण तथा उसकी प्रणालीदृ ये चार सीधे स्वराज्य के प्रश्न से जुड़ी संपादकीय हैं। इसके अलावा 'घबराएंगे इसलिए', 'मुसलमान ब्राह्मण न बन गए' और 'क्या भैंसा कभी दूध देगा' शीर्षक संपादकीय भी स्वराज में बहिष्कृत समाज की हिस्सेदारी का प्रश्न ही मुख्य प्रश्न है। 'मूकनायक' के संपादकीय में बहिष्कृत समाज के लिए स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग की जरूरत को रेखांकित करते हुए वे लिखते हैं– "जाति-भेद और जातिद्वेष से ग्रसित भारत जैसे समाज में सच्चे स्वराज की स्थापना करने के लिए बहिष्कृत वर्ग को स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग करनी होगी। स्वतंत्र प्रतिनिधित्व के द्वारा राजनीतिक सत्ता में समुचित भागीदारी की मांग करनी होगी। स्वतंत्र प्रतिनिधित्व की मांग का उच्चवर्णीय अधिकारियों ने झूठा विरोध किया है। इस बदसलूकी की शिकायत बहिष्कृत वर्ग ने की है। राजनीतिक सत्ता के बल पर समाजिक भेदभाव को जबरदस्ती थोप कर उसे स्थायी बनाने की धोखाधड़ी को बहिष्कृत वर्ग अब पहचान चुका है, यही अछूतों में पनप रही जागरूकता की पहचान है।

'स्वराज का महत्व सुराज में नहीं है' शीर्षक संपादकीय में कांग्रेस की स्वराज्य की मांग के संदर्भ में सवाल उठाते हैं कि "स्वराज किसका और किससे लिए, हम इसे समझे बगैर स्वराज्य की महत्ता का बखान नहीं कर सकते हैं। कोई अगर करता है तो उस बेचारे का क्या करें?"

वे स्वराज्य के लिए संघर्ष करने वालों द्वारा दिए जाने वाले तर्कों की विवेचना करते हुए कहते हैं कि यदि व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए स्वराज्य यानी ब्रिटिश शासन से मुक्ति की आवश्यकता है तो यह बात सबसे अधिक 6 करोड़ बहिष्कृतों पर लागू होती है। क्या इन बहिष्कृतों के स्वाभिमान के विकास के लिए ब्राह्मणी राज्य से मुक्ति जरूरी नहीं है। वे स्वराजियों से प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने "छह करोड़ बहिष्कृत लोगों के व्यक्तित्व के विकास का मार्ग खोलने के लिए क्या किया है? ऐसा उनसे पुनः पूछने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। जैसे परकीयों (विदेशी लोगों) के वर्चस्व एवं क्रिया-कलापों की वजह से हिंदी लोगों ( भारतीय) में हो रही हीनता है वैसे ही इस राष्ट्रीय सभा (कांग्रेस) को दिखाई देती है, वैसी ही स्वकीयों (देशी लोगों-उच्च जातियों) के वर्चस्व और क्रियादृकलापों की वजह से इन बहिष्कृत लोगों में उत्पन्न हुई हीनता इन्हें क्यों नहीं दिखाई देती।

## मूकनायक के एक अंक व डॉ. आंबेडकर की तस्वीर

'मूकनायक' की स्वराज संबंधी संपादकीय लेखों में कहीं भी डॉ. आंबेडकर ब्रिटिश शासन की जगह स्वराज्य की कांग्रेस की मांग का विरोध नहीं करते हैं। वे तीन प्रश्न उठाते हैं– पहला, जो लोग अपने लिए स्वराज्य की मांग कर रहे हैं, वे बहिष्कृतों को अपनी गुलामी से मुक्त कर स्वराज्य देने को तैयार हैं या नहीं? बहिष्कृत अपने लिए स्वराज्य हासिल कर सके इसके लिए जरूरी है कि उनका पृथक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए, क्या इसके लिए स्वराजी (कांग्रेस) तैयार है या नहीं? तीसरा स्वराज्य में बहिष्कृतों को समान अधिकार प्राप्त होंगे या नहीं? यह सब कुछ वे भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति से पहले हल कर लेना चाहते हैं, इस मामले में वे स्वराजियों पर विश्वास करने को तैयार नहीं है क्योंकि स्वराजियों का नेतृत्व ऐसे लोगों के हाथ में है, जो बहिष्कृतों को अपनी आधीनता में रखना चाहते हैं। 'मूकनायक' में डॉ. आंबेडकर का स्वराज संबंधी विमर्श इस बात का संकेत देता है कि वे भी स्वाधीनता के

लिए ही संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके स्वाधीनता संघर्ष का दायरा स्वराजियों (कांग्रेसियों) की तरह केवल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्ति तक सीमित नहीं था। उनके स्वाधीनता संघर्ष का दायरा स्वराजियों के दायरे से गहरा और व्यापक था। इसे ही रेखांकित करते हुए गेल ओमवेट लिखती हैं कि– "डॉ. आंबेडकर का जीवनकाल बीसवीं सदी के प्रथम भाग में पड़ता है। यही वह अवधि थी जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम अपने निर्णायक चरण में था। आंबेडकर की बुनियादी लड़ाई एक अलग स्वाधीनता की लड़ाई थी। यह लड़ाई भारतीय समाज के सर्वाधिक संतप्त वर्ग की मुक्ति की लड़ाई थी। उनका स्वाधीनता संग्राम उपनिवेशवाद के विरुद्ध चलाए जा रहे स्वाधीनता संग्राम से वृहत और गहरा था। उनकी नजर नवराष्ट्र के निर्माण पर थी।"

डॉ. आंबेडकर को यह अच्छी तरह अहसास था कि बहिष्कृतों (दलितों) को उनका हक दिलाने के लिए कई स्तर पर संघर्ष करना होगा। एक तरफ ब्रिटिश सत्ता से अपने हक-हकूक की मांग करनी होगी, दूसरी तरफ स्वराजियों से अपने हकों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन यह सब तभी संभव है, जब बहिष्कृत समाज शिक्षित बने और आपस में संगठित हो। 'मूकनायक' की हर संपादकीय और उसमें प्रकाशित लेखों में इसे स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। विशेषकर 21-22 मार्च 1920 को दक्षिण महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्ग की परिषद माणगांव, कोल्हापुर रियासत और 30 मई 1920 को हुए अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद, नागपुर की रिपोर्टों में देखा जा सकता है। बहिष्कृत समाज की इन दोनों परिषदों की बहसों और कार्यवाहियों का विस्तृत ब्यौरा 'मूकनायक' में प्रकाशित है। बहिष्कृत समाज के इन दोनों सम्मेलनों में विस्तार से इस समाज की अवनति के कारणों और इससे बाहर निकलने के उपायों पर विस्तृत चर्चा हुई। शाहू जी की उपस्थिति में हुई इस सभा की अध्यक्षता डॉ. आंबेडकर ने की थी। इस सभा में शाहू जी ने डॉ. आंबेडकर को अपना मित्र कहते हुए उनका अभिनंदन किया और 'मूकनायक' समाचार-पत्र की चर्चा की। उन्होंने कहा कि "मेरे मित्र डॉ. आंबेडकर ने आज इस सभा का अध्यक्ष पद स्वीकार किया है। मुझे भी उनके भाषण का लाभ मिलना चाहिए, इसलिए शिकार छोड़कर यहां आया हूं। मिस्टर आंबेडकर 'मूकनायक' समाचारदृपत्र निकालते हैं तथा सभी पिछड़ी जातियों का परामर्श लेते हैं। इसके लिए मैं उनका सम्मानपूर्वक अभिनंदन करता हूं।"

सभा ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि "हमारे बहिष्कृत वर्ग की स्थिति जन्मसिद्ध अयोग्यता और अपवित्रता के कारण बहुत चिंताजनक हो गई है। सदियों से उन्हें अयोग्य और अपवित्र मान लेने के कारण आज उनका नैतिक दृष्टि से स्वबल और स्वाभिमान नष्ट हो गया है। मनुष्य की उन्नति के लिए स्वाभिमान और स्वबल का होना आवश्यक है।" इसका कारण प्रतिकूल परिस्थितियों को मानते हुए परिषद ने एक स्वर से डॉ. आंबेडकर का समर्थन करते हुए कहा कि "प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के उपाय सुझाए जाते हैं, परंतु इसके लिए हम लोगों को राजनीतिक बल प्राप्त करना चाहिए और हमें जातिवार प्रतिनिधित्व प्राप्त करना चाहिए। जातिवार प्रतिनिधित्व के बगैर राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। 'सत्यमेव जयते' खोखला सिद्धांत है। सत्य पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें अपना आंदोलन जारी रखना चाहिए।"

डॉ. आंबेडकर दुनिया के उन व्यक्तित्वों में शामिल थे, जो अपनी प्रतिबद्धताओं और प्रयोजनों को छिपाते नहीं थे। उन्होंने साफ शब्दों में बारदूबार यह घोषित किया था कि उनकी पहली प्रतिबद्धता अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के प्रति थी। न केवल 'मूकनायक' के संपादक के तौर पर बल्कि 1939 में भी उन्होंने अपनी इस प्रतिबद्धता को पुरजोर शब्दों में इस रूप में प्रकट किया– "जब मेरे निजी हितों और देश के हितों के बीच कोई टकराव रहा है, मैंने हमेशा अपने निजी दावों के मुकाबले देश के दावों को ऊंचा दर्जा दिया है। मगर मैं इस देश के लोगों के जेहन में इस विषय में कोई संदेह शेष नहीं छोड़ना चाहता कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसको मैं कभी त्याग नहीं सकता। यह निष्ठा अस्पृश्यों के समुदाय के प्रति है, जिसमें मैं खुद पैदा हुआ हूं, जहां से मैं आता हूं और आशा करता हूं कि इसे मैं कभी भी छोड़ नहीं पाऊंगा।"

'मूकनायक' में भी उनकी यह प्रतिबद्धता दिखाई देती है, लेकिन अछूतों की मुक्ति का रास्ता क्या हो, इस विषय में 1920 के आस-पास दो संभावनाओं पर वे विचार कर रहे थे। इस संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के अध्येता क्रिस्टॉफ जैफरलॉ लिखते हैं कि " 'मूकनायक' के पहले संपादकीय में डॉ. आंबेडकर दो संभावनाओं के बीच झूल रहे हैं कि अस्पृश्य के पास खुद अपने मंदिर होने चाहिए या उसे हिंदुओं के मंदिर में प्रवेश के लिए दबाव बनाना चाहिए3 लेकिन 1920 के आखिर तक डॉ. आंबेडकर सांस्कृतिककरण के तर्क से खुद को दृढ़तापूर्वक मुक्त कर चुके थे और उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह नकार दिया था। इतना ही नहीं, वे इससे एक कदम और आगे गए और उन्होंने भक्ति

परंपरा द्वारा सुझाए मार्ग को भी खारिज कर दिया।"

डॉ. आंबेडकर द्वारा 'मूकनायक' के संपादन के सात महीने बहिष्कृतों (अछूतों) की मुक्ति के रास्ते के तलाश के सात महीने हैं। इन सात महीनों के गंभीर चिंतनदृमनन, लेखन और संघर्ष के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जाति के विनाश और सत्ता में हिस्सेदारी के बिना बहिष्कृतों की मुक्ति संभव नहीं है और इसके लिए आवश्यक है कि बहिष्कृत समाज खुद को शिक्षित करे और आपसी बंटवारों को तोड़कर खुद को संगठित करे।

# 16

# बहिष्कृत भारत

सन् 1920 के जुलाई महीन के अंत में अपने अध्ययन को आगे जारी रखने के लिए डॉ. आंबेडकर लंदन पहुँचे। वहां उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स एडं पोलिटिकल साइंस संस्था में अध्ययन शुरू किया। उन्होंने बैरिस्टरी का अध्ययन 'ग्रेज इन' में शुरू किया। यद्यपि डॉ. आंबेडकर विदेशों में अध्ययन कर रहे थे, फिर भी वे भारत में रहने वाले अपने सहयोगियों का बराबर मार्गदर्शन करते थे। इस दौरान उनके द्वारा लिखे पत्रों से अछूतोद्धार के बारे में उनके मन की बेचैनी का पता चलता है। उन्होंने अढ़ाई साल में ही एम.एस-सी और डी. एस-सी दोनों पदवियां (डिग्रियां) प्राप्त कर लीं। इसी बीच उन्होंने जर्मनी में भी प्रवास किया। वहां बोन विश्वविद्यालय में तीन माह तक संस्कृत का अभ्यास करते रहे। लंदन के अध्ययन के इस प्रवास के दौरान ही उन्होंने विद्यार्थियों की एक संस्था की सभा में 'रिस्पांसिबिलिटिज ऑफ ए रिस्पांसिबल गवर्नमेंट इन इंडिया' विषय पर एक विचारोत्तेजक लेख प्रस्तुत किया। इस लेख के बारे में प्रो. हेराल्ड लास्की ने कहा कि 'इस लेख में प्रकट किए गए डॉ. आंबेडकर के विचार क्रांतिकारी स्वरूप के हैं।' खराब आर्थिक हालातों के बीच अप्रैल 1923 में वे मुंबई पहुँचे। उन्होंने अपना शोध-प्रबंध का पुनर्लेखन कर भेज दिया और उन्हें लंदन विश्वविद्यालय ने 'डॉक्टर ऑफ साइंस' की उपाधि से सम्मानित किया। भारत लौटने पर सन् 1923 के जुलाई महीने में उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की।

इन सभी शैक्षिक उपलब्धियां उनके लिए निजी हितों की पूर्ति या पदवी पाने का साधन नहीं थी। उनकी मुख्य चिंता यह थी कि इस देश के एक-तिहाई आबादी वाले अछूतों-बहिष्कृतों का भविष्य क्या होगा? क्या उन्हें इस देश में मानवीय गरिमा के साथ जीने का हक प्राप्त होगा? क्या बहिष्कृतों को भारतीय समाज समानता का हक प्रदान करेगा? और इसके लिए बहिष्कृतों को क्या करना होगा? इसी उधेड़बुन के बीच उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना का निर्णय लिया, जो बहिष्कृतों के व्यापक हितों के लिए संघर्ष करे। इस हेतु 20 जुलाई, 1924 को 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' स्थापित की गई। डॉ. आंबेडकर कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष चुने गए।

इस समिति के माध्यम से डॉ. आंबेडकर ने बहिष्कृतों की मुक्ति की परियोजना को पूरा करने में जुट गए। सन् 1927 का वर्ष डॉ. आंबेडकर के जीवन को निर्णायक मोड़ देने वाला वर्ष रहा। वर्ष का प्रारंभ उन्होंने कोरेगांव (कोरेगांव-भीमा) के युद्ध स्मारक की यात्रा से प्रारंभ की और पेशवाओं का धूल चटा देने वाले महार योद्धाओं की वीरता को सलाम किया। इसी क्रम में उन्होंने 3 अप्रैल, 1927 को 'बहिष्कृत भारत' नामक मराठी पाक्षिक निकाला। यह वही वर्ष था जब उन्होंने महाड़ सत्याग्रह शुरू किया और 25 दिसंबर, 1927 को मनुस्मृति का दहन किया। इसी वर्ष डॉ. आंबेडकर को बंबई विधान परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। इस प्रकार यह वर्ष डॉ. आंबेडकर के लिए निर्णायक संघर्ष के उदघोष का था।

## 'बहिष्कृत भारत' के पहले अंक का मास्ट हेड

उन्होंने असमानता के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक रूपों के खिलाफ एक साथ निर्णायक संघर्ष छेड़ दिया था। जिसके चलते उनके ऊपर आलोचकों के तीखे हमले होने लगे। द्विज पत्र-पत्रिकाओं ने उनके ऊपर अनर्गल आरोपों की झड़ी लगा दी। अपना मत प्रतिपादित करने और विरोधियों के मतों का तथ्यपरक और तार्किक, लेकिन पुरजोर तरीके से खंडन करने के लिए डॉ. आंबेडकर को अपने समाचार-पत्र की जरूरत शिद्दत से महसूस होने लगी। 'बहिष्कृत भारत' उनकी इसी जरूरत की पूर्ति का साधन बना।

इस संदर्भ में डॉ. आंबेडकर के जीवनीकार धनंजय कीर लिखते हैं कि "बहिष्कृत भारत नाम कितना मार्मिक और समर्पक सार्थक, है। दो शब्दों में दो भारत। बहिष्कृत है, लेकिन भारत! भारत है, लेकिन बहिष्कृत है! बहिष्कृत भारत

के माध्यम से आंबेडकर ने स्वजनों को सलाह देना देना और आलोचकों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने तिलक की भांति सिंह गर्जना की–' पुनश्य हरि।" पहली गर्जना 'मूकनायक' द्वारा की जा चुकी थी। मूकनायक के बंद होने के करीब 4 वर्षों के अंतराल पर शुरू हुआ 'बहिष्कृत भारत' करीब 2 वर्षों तक निरंतर प्रकाशित होता रहा। इसका अंतिम अंक 15 नवंबर, 1929 को निकला। कई बार अंक नहीं निकल पाए, तो संयुक्त अंक भी प्रकाशित हुए। अपने अन्य कामों का भार संभालते हुए डॉ. आंबेडकर इस पत्र का बहुतायत भाग स्वयं लिखते थे। अकेले ही 24-24 कॉलम की सामग्री स्वयं लिखने का चमत्कार उन्हें ही करना पड़ा। असल बात यह थी कि अन्य समाचार पत्रों के संपादकों से बहिष्कृत भारत का संपादन निराला था। यह पैसा कमाने का व्यवसाय न होकर जनजागृति के लिए था। अविरल निष्ठा और पूरी दक्षता के साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बाबा साहब तीन साल तक अखबार का यह जंजाल चलाते रहे।

मूकनायक का संपादन के करने के बाद भी औपचारिक तौर संपादक के रूप में डॉ. आंबेडकर का नाम प्रकाशित नहीं होता था, लेकिन 'बहिष्कृत भारत' संपादक के रूप में उनका नाम प्रकाशित होता था। 'बहिष्कृत भारत' में 'मूकनायक' के प्रवेशांक की संपादकीय को शब्दशरू पुनर्प्रकाशित किया गया है। (श्यौराज सिंह बेचैन, बहिष्कृत भारत, प्रस्तावना, पृ. 15) 'बहिष्कृत भारत' के 33 अग्रलेख और 150 स्फुट लेख उपलब्ध हैं। ( वही) हिंदी में प्रभाकर गजभिये के संपादन में प्रकाशित 'बहिष्कृत भारत' के संपादकीय में कुल 33 संपादकीय (अग्रलेख) मौजूद हैं। (सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली)। श्यौराज सिंह बेचैन के संपादन में प्रकाशित 'बहिष्कृत भारत' में कुल 16 लेखों को संग्रहित किया गया है।

20 मार्च, 1927 को डॉ. आंबेडकर ने महाड़ के चावदार तालाब से दो घूंट पानी पीकर ब्राह्मणवाद के हजारों वर्षों के कानून को तोड़ा था और ब्राह्मणवाद को चुनौती दी थी। महाड़ सत्याग्रह का डॉ. आंबेडकर के जीवन और दलित आंदोलन के इतिहास में अहम भूमिका है। 'बहिष्कृत भारत' की शुरूआती तीन संपादकीय महाड़ सत्याग्रह पर केंद्रित हैं। जिसके शीर्षक इस प्रकाश हैं–'महाड़ का धर्मसंग्राम और सवर्ण हिंदुओं की जिम्मेदारी', 'महाड़ का धर्मसंग्राम तथा अंग्रेज सरकार का उत्तरदायित्व' और 'महाड़ का धर्मसंग्राम तथा अछूतों की जिम्मेदारी'। महाड़ धर्मसंग्राम और सवर्ण हिंदुओं की जिम्मेदारी में वे

विस्तार से हिंदू धर्म के घोषित आदर्श सिंद्धांतों का विवेचन करते हुए बताते हैं कि कैसे हिंदू अपने व्यवहार में इसका पालन नहीं करते हैं और कैसे हिंदुओं ने चावदार तालाब पर गए लोगों के साथ क्रूरतापूर्ण हिंसा की। यह संपादकीय 22 अप्रैल, 1927 को लिखी गई। इसी संपादकीय में उनका वह बहुचर्चित और बार-बार उद्धृत वाक्य भी है, जिसमें वे लिखते हैं कि "हमें इतना ही बताना है कि आज तक हम महात्मा गांधी के कथनानुसार यह मान रहे थे कि अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर बड़ा कलंक है, परंतु अब हम हमारा विचार बदल चुका है। हम अब मान रहे हैं कि अस्पृश्यता हमारे ही शरीर का कलंक है। हम जब तक यह मानते थे कि यह हिंदू धर्म पर कलंक है, तब तक उस कलंक को हटाने का काम हमने तुम पर सौंप रखा था। परंतु यह कलंक हम पर है, इसका अहसास होने पर इस कलंक को धोने का पवित्र कार्य हमने अपने हाथों में लिया है। इस कार्य की पूर्ण सफलता हेतु हममे से कुछ लोगों को अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़ी, तो हम पीछे नहीं हटेंगे।तुमने तालाब ( चावदार तालाब) को शुद्ध कर हमारी अपवित्रता को सिद्ध करने का नीचतम प्रयत्न किया है।"

डॉ. आंबेडकर द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाएं व उनकी तस्वीर

इतना ही नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और अहिंसा में विश्वास रखने वाले आंबेड़कर इस संपादकीय के अंत में यह भी लिखते हैं कि "इस स्वजन उद्धार में तथा स्वउद्धार के महत ख्अत्यंत महत्वपूर्ण, कार्य में विजय प्राप्ति के लिए रक्तपात न हो, यही हमारी प्रबल इच्छा है। परंतु ब्राह्मणवाद ग्रस्त लोगों के दुराग्रह से यदि रक्तपात प्रसंग उत्पन्न हुआ, तब हम पीछे नहीं हटेंगे। इसकी जवाबदारी हम पर नहीं होगी, उनको यह बात अवश्य याद रखनी चाहिए ( वही)

6 मई, 1927 को महाड़ सत्याग्रह पर लिखी गई संपादकीय ' महाड़ का धर्मसंग्राम तथा अंग्रेज सरकार' का उत्तरदायित्व में उन्होंने रूढ़ि एवं परंपरा पोषित ब्राह्मणवादी कानून और ब्रिटिश कानून की तुलना की। इसके मुताबिक, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए कानूनों एवं नियमों का पालन करते हुए ही अछूत चावदार तालाब में पानी पीने गए थे। यह उनके अधिकार का प्रश्न था, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उनके कानूनी अधिकार को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और उनके ऊपर हमला बोल दिया। इस पूरे संदर्भ में डॉ. आंबेडकर ब्राह्मणवादियों के साथ ब्रिटिश सरकार की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि वह अस्पृश्यों के अधिकारों की रक्षा करने आगे नहीं आई और सवर्णो को गुंडागर्दी करने का अवसर मिल गया। इस संदर्भ में संपादकीय में वे लिखते हैं कि

"महाड़ में सवर्णों की जिस गुंडागर्दी तथा अन्याय अत्याचार को अछूतों ने सहन किया, वह बस इसी आशा पर कि सरकार उन्हें उचित संरक्षण देगी, परंतु यह आशा बेकार साबित हुई।3अंत में सरकार को ऐसे समय में सवर्णों को नाराज नहीं करना चाहिए, यह सोचकर यदि अस्पृश्यों को मदद करने में टाल-मटोल की गई, तो सरकार को लकवा मार जाएगा तथा शासन व्यवस्था पंगु बन जायेगी।"

महाड़ संबंधी तीसरी संपादकीय अछूत कहे जाने वाले समुदाय को संबोधित है। यह संपादकीय 20 मई, 1927 को लिखी गई। संपादकीय की शुरूआत इन पंक्तियों से होती है-"पिछले दो अंकों में महाड के पानी प्रकरण के संदर्भ में सवर्ण हिंदुओं तथा सरकार का क्या कर्तव्य है? हमने इसका विवेचन किया है। आज हमने तय किया है कि हमारे अछूत बंधुओं का क्या करना चाहिए? वे आगे विस्तार से वर्णन करते हैं कि कैसे महाड प्रकरण से यह साबित होता है कि हिंदू धर्म अछूतों को अपवित्र मानता है। फिर विस्तार से पवित्रता और अपवित्रता के मूल वजहों की विवेचना करते हैं और इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि अस्पृश्यता इसलिए भी कायम है और चली आ रही है, क्योंकि अस्पृश्य कहे जाने वाले लोग भी इसे स्वीकार करते हैं। वे लिखते हैं-"अस्पृश्यता की रूढ़ि चालू रहने का मुख्य कारण यह है कि इस रूढ़ि पर अछूत लोगों ने कभी संदेह नहीं किया, यदि उन्होंने संदेह और एतराज किया होता, तब सवर्ण लोगों ने अस्पृश्यता संबंधी अपने विचार कब के बदल दिए होते।"

डॉ. आंबेडकर अपने अछूत भाईयों को सलाह देते हुए कहते हैं-"अतः हमारी अछूत भाईयों को सलाह है कि उन्होंने महाड में जो कार्य किया, वैसा ही कार्य उनके द्वारा सब तरफ प्रारंभ किए जाएं। बिना मुकाबले के कुछ काम नहीं होगा।" आंबेडकर अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अछूतपन को मिटाने के लिए अछूतों द्वारा किए जाने वाले संघर्ष का तीखा प्रतिकार सवर्ण करेंगे। इस संदर्भ में वे लिखते हैं कि "हमने जो प्रतिकार का मार्ग बताया है, वह सही है, किंतु कठिन है। यह बात हम जानते हैं। परंतु हमारे प्रतिकार करने पर सवर्ण लोग उसे प्रत्युत्तर देंगे, इसलिए हमारे अछूत बंधुओं को डरना नहीं चाहिए। यदि वे प्रतिकार करेंगे, तब उनका प्रतिकार करने को हमें भी तत्पर रहना चाहिए। उसके बगैर बात बनने वाली नहीं है। हमारे अस्पृश्य बंधुओं को इस कार्य में अपना पराक्रम दिखाना चाहिए।" इस संपादकीय के अंत में अछूतों का आह्वान करते हुए वे लिखते हैं-"अतः समस्त अछूतों में से, जिन्हें हम कौन हैं? हमारा अस्तित्त्व कैसे है? अगर इसकी पहचान हो गई है, तब उनको अपने कुल में जो दाग लगा है,

उसे धोकर मिटाने के लिए उनको इस धर्मयुद्ध में छलांग लगानी चाहिए तथा अछूत भाईयों के कुलोद्धार व मानवीय धर्मोद्धार का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।"

बहिष्कृत भारत की पांचवीं संपादकीय 'अस्पृश्यता निवारण– बच्चों का खेल' अस्पृश्यता के प्रश्न का ऐतिहासिक विवेचन करती है और अन्य धर्मों एवं समुदायों में इसकी उपस्थिति के स्वरूप का विस्तृत विवेचन करती है। इसी संपादकीय में डॉ. आंबेडकर ने ब्रिटिश सत्ता और ब्राह्मणी सत्ता को हिंदू जनता के शरीर पर लगे दो जोंकों की तरह प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा–"हमारे मतानुसार ब्रिटिश सत्ता तथा ब्राह्मणी सत्ता हिंदू जनता के शरीर लगे दो जोंक हैं, तथा ये बिना रूके भारतीय जनता का खून पी रहे हैं। अंग्रेजी सत्ता ने लोगों को देह से गुलाम बनाया है, तो ब्राह्मणी सत्ता ने जनता की आत्मा (दिमाग) को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी सत्ता ने भारत की संपत्ति की शोषण किया है, तो ब्राह्मणी सत्ता ने स्वाभिमान जैसी मन की संपत्ति का हरण किया है।"

बहिष्कृत भारत की आठवीं संपादकीय में 'हमारे आलोचक' में डॉ. आंबेडकर ने 'बहिष्कृत भारत' समाचार–पत्र की आलोचना करने वालों को जवाब दिया है। यह संपादकीय उन्होंने 29 जुलाई, 1927 को लिखी। संपादकीय की शुरूआत में वे लिखते हैं कि "बहिष्कृत भारत की नीति की अनेक तरह की आलोचना की जाती है। इस सबका उत्तर देना तथा सबका समाधान करना हमारे लिए संभव नहीं है। हमें यह अच्छी तरह ज्ञात है। तथापि हमारे आलोचकों में जो प्रमाणिक आलोचक हैं तथा उन्हें हमारी नीतियों के संदर्भ में जो भ्रम हुआ है, उनके लिए हम अपनी नीतियों के संदर्भ में स्पष्टीकरण देना चाहेंगे।"

डॉ. आंबेडकर ने विस्तार से इस संपादकीय में 'बहिष्कृत भारत' की वैचारिकी को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही वे उन लोगों का चेतावनी भी देते हैं, जो बहिष्कृत समाज के आंदोलन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। वे लिखते हैं–"दूसरे मुद्दों (विषयों) की आलोचना करना या आंबेडकर को धराशायी करने का प्रयत्न करना अथवा 'बहिष्कृत भारत' के विरोध में निंदासत्र( आलोचना–सभा) चलाकर हमारा पक्ष या हमारे आंदोलन को नेस्तनाबूद करना संभव नहीं है। हमारे आलोचकों को इस बात को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। अस्पृश्य वर्ग में दरार डालकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का कोई भी दांव–पेंच सफल नहीं होगा। अस्पृश्यता निवारण के संदर्भ में बहानेबाजी करने वालों को हम कोई छूट नहीं देते, इसी कारण हमारे उच्च वर्गीय आलोचकों का हमारे प्रति आक्रोश है। इस बात को हम अच्छी तरह पहचनाते हैं।"

सोलहवीं संपादकीय 'बहिष्कृत भारत' के एक वर्ष पूरा होने पर लिखी गई है। इसमें विस्तार से उन्होंने 'बहिष्कृत भारत' समाचार-पत्र के उद्देश्यों, उपलब्धियों और चुनौतियों की चर्चा की है। 'बहिष्कृत भारत' की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा कि "बहिष्कृत भारत महाराष्ट्र के हिंदू समाज में एक प्रकार का तूफान ला दिया है। यह बात बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसे तूफान में अपने पास पर्याप्त साहित्य है या नहीं? इसकी पूरी जांच किए बगैर इस साप्ताहिक के नायकत्व का काम इस संपादक को आखिर किस तरह अपने हाथ में लेना है?"

इस उपलब्धि के साथ ही वे 'बहिष्कृत भारत' के संकटों की भी चर्चा करते हुए लिखते हैं कि "बहिष्कृत भारत की वर्तमान अवस्था अत्यन्त दयनीय है, यह बताते हुए संपादक को बहुत कष्ट हो रहा है। जमा खर्च का हिसाब करने पर आज की तिथि तक बहिष्कृत भारत पर 500 रुपए का कर्ज हो गया है। दरअसल बहिष्कृत भारत की यह सोचनीय स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। किसी भी समाचार-पत्र का संपादक, प्रबंधक तथा काम करने वाला चपरासी आदि के वेतन की समस्या रहती है। बड़े-बड़े सामाजिक कार्य करने के पवित्र उद्देश्य से स्थापित यह साप्ताहिक भी उक्त समस्या से छुटकारा नहीं पा सकता। परंतु बहिष्कृत भारत क्या अपवाद कहा जाएगा? बहिष्कृत भारत के संपादक तथा व्यवस्थापक ने वर्ष भर जो कष्ट सहा तथा परिश्रम किया, उसके बदले उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया गया। छपाई और डाक खर्च के सिवाय बहिष्कृत भारत के और दो खर्च थे, उनमें एक कार्यालय का किराया तथा दूसरा चपरासी का वेतन था। परंतु, दोनों का खर्च इतना कम था वह चर्चा करने लायक नहीं है। कार्यालय का पूरे वर्ष का किराया 205 रुपए 8 आने तथा चपरासी का वेतन 98 रुपए हुए। बहिष्कृत भारत जैसा मितव्ययता( किफायत) वाला कोई समाचार-पत्र महाराष्ट्र में दूसरा नहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतना सब होते हुए भी बहिष्कृत भारत पर एक वर्ष के अंदर 500 रुपए का कर्ज हो गया है। यदि यही परिस्थिति रही, तो फिर प्रति वर्ष पहाड़ बढ़ते ही जाएगा तथा फिर 'बहिष्कृत भारत' को बंद करना पड़ेगा। इस घाटे की भरपाई करने के लिए हमें हमेशा के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी।"

इन आर्थिक कठिनाईयों और चुनौतियों के बीच 'बहिष्कृत भारत' ने एक वर्ष की और यात्रा संपन्न की। 'बहिष्कृत भारत' की अंतिम संपादकीय डॉ. आंबेडकर ने 'पुणे का पार्वती सत्याग्रह' शीर्षक से लिखा, जो 15 नवंबर, 1929

को लिखा। इस अंतिम संपादकीय में डॉ. आंबेडकर ने कांग्रेस की स्वराज के प्रति मांग के संदर्भ में बहिष्कृतों के रूख के संदर्भ में सलाह देते हुए लिखा कि "हमें हमारे अधिकार दो, तभी हम स्वराज की मांग का समर्थन करेंगे" इसी नीति का पालन मुसलमान कर रहे हैं, तब फिर अछूतों को इस नीति का पालन क्यों नहीं करना चाहिए? हमारे मतानुसार "स्वराज प्राप्ति तक तुम ठहरो" यह कहने वाला व्यक्ति या तो भोला-भाला होना चाहिए या फिर अपना काम निकालने वाला होना चाहिए या फिर यह सब सुनने वाला मूर्ख होना चाहिए। हम अपने अछूत बंधुओं को बताना चाहते हैं कि उन्हें समय न गंवाते हुए अपने अधिकार प्राप्ति के काम में लग जाना चाहिए। इसके लिए कमर कसकर पूरी तैयारी के साथ विरोधियों से मुकाबला करने को तत्पर रहना चाहिए।"

'बहिष्कृत भारत' अखबार के बंद होने के कारणों की विवेचना करते हुए वसंत मून लिखते हैं कि 'बहिष्कृत भारत' अखबार निकालने में आर्थिक अड़चन बहुत बढ़ गई थी। डॉ. साहब ने जनता से निधि की याचना की। लेकिन मदद के लिए कोई अग्रसर नहीं हुआ। 29 जून, 1928 को आंबेडकर के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में 'समता' नामक पाक्षिक प्रारंभ हुआ। 'बहिष्कृत भारत' के दूसरे वर्ष का पहला अंक 19 नवंबर, 1928 को निकला। फिर आगे चलकर एक शुक्रवार को 'समता' का अंक प्रकाशित होता था, तो दूसरे शुक्रवार को बहिष्कृत भारत। यह प्रयोग कुछ महीनों तक चला, मगर 19 नवंबर, 1929 को 'बहिष्कृत भारत का अंतिम अंक प्रकाशित कर फिर इस अखबार को बंद कर देना पड़ा।"

भले ही 'मूकनायक' के बाद 'बहिष्कृत भारत' भी बंद हो गया, लेकिन आंबेडकर की पत्रकारिता की यात्रा 'समता' (29 जून, 1928), 'जनता' (24 नवंबर, 1930) से होते हुए 'प्रबुद्ध भारत' (4 फरवरी 1956) तक आजीवन जारी रही, लेकिन कभी उन्होंने खुद द्वारा तय पत्रकारिता के मानदंड़ों के साथ समझौता नहीं किया।

# 17

# बंगाल गजट

बंगाल गजट (अंग्रेजी: Bengal Gazette) भारत में प्रकाशित होने वाला एक अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसके प्रकाशक जेम्स आगस्टस हिक्की (James Augustus Hickey) थे। यह एक साप्ताहिक पत्र था जो कोलकाता से सन् 1780 में आरम्भ हुआ। हिकी गजट के प्रकाशन का एक कारण बाजार के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराना था। यह मानना कि वह अंग्रेजी प्रशासन के विरोध के लिए निकाला गया गलत और भ्रामक है। हाँ यह जरूर है कि उसमें अंग्रेजी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के समाचार प्रमुखता से होते थे।

## जेम्स ऑगस्टस हिक्की

जेम्स ऑगस्टस हिक्की (JamesA ugustus Hickey) भारत में आधुनिक पत्रकारिता की नींव डालने वाले पत्रकार थे। वे अपनी निष्पक्ष लेखनी के लिये जाने जाते हैं।

जेम्स ऑगस्टस हिक्की ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम के रूप में भारत आये थे और कलकत्ता से उन्हों ने अंग्रेजी में बंगाल गजट समाचार पत्र प्रकाशित किया था। अपनी निष्पक्ष लेखनी से उन्हों ने किसी को भी नहीं बख्शा, यहां तक कि वायसराय जैसे ताकतवर औहदेदार वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किये गये स्वैच्छाचार और कंपनी के धन का निजी हित में उपयोग किया जाना भी उनकी

कलम से नहीं बचा। इन्हीं सुर्खियों के कारण अंग्रेज होने के बाबजूद उन्हें कई बार कंपनी की जेल में भी रहना पडा। हिक्की अब तो बीते जमाने की कहानी हैं किंतु इसकी सच्चाई बयान करने के लिये अब भी कल्लकत्ता स्थित नेशनल लाइब्रेरी में उनके प्रकाशन की एक प्रति अब भी सुरक्षित है, जिसे देख भारत या अंग्रेज पत्रकार ही नहीं दुनियां भरके पत्रकार अपने लिये प्रेरणाप्रद मानते हैं।

## मुद्रित पत्रकारिता की शुरुआत

ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्मचारी जेम्स आगस्टस हिक्की ने पहली बार कलकत्ता से चार पृष्ठों के एक अंग्रेजी समाचार पत्र 'बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। इस तरह भारत में मुद्रित पत्रकारिता प्रारंभ करने का श्रेय हिक्की को जाता है। 'बंगाल गजट आर कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर' नामक यह पत्र 'बंगाल गजट' या 'हिक्की गजट' के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि इसका प्रकाशन हिक्की किया करता था।

'हिक्की गजट' के प्रवेशांक में हिक्की ने स्वयं को आनरेबल कंपनी का मुद्रक घोषित किया। हिक्की ने पत्रकारिता का कार्य क्यों शुरू किया, इसके बारे में उसने अपने पत्र में लिखा है। उसका कहना था कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा भारत में जो लूट मचाई गई थी, उससे वह आहत था। अन्य कर्मचारियों की तरह वह भी यह सब देखते हुए चुप नहीं बैठ सकता था। इसी वजह से अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उसने पत्रकारिता का काम शुरू किया। यह पत्र एक ऐसा साप्ताहिक होने का दावा करता था, जिसकी मुख्य सामग्री राजनीतिक और वाणिज्यिक थी। 'बंगाल गजट' के पहले अंक में हिक्की ने अपने पत्र के उददेश्यों के बारे में लिखा-

राजनीतिक और वाणिज्यिक खबरों के अलावा इस पत्र में शादी-ब्याह व अन्य तत्कालीन सामाजिक विषयों जैसे बाजार भाव आदि की भी जानकारियां प्रकाशित की जाती थीं। इस प्रकार समाचारों के प्रति कौतूहल हिक्की ने ही पैदा किया था। संपादक के नाम पत्र कालम को प्रारंभ करने का श्रेय भी 'बंगाल गजट' को ही जाता है। इस कालम के माध्यम से यह भी पता चलता है कि पत्र जनता की भावनाओं को अभिव्यक्ति देने का पक्षधर था। यह एक लोकतांत्रिक सोच को ही दर्शाता है। 25 मार्च, 1780 के अंक में फिलन थ्रोप्स के नाम से संपादक के नाम एक पत्र छपा था, जिसमें कोलकाता के पोर्तगीज 'मशान घाट की गंदगी के बारे में शिकायत की गई थी।

उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने निजी व्यापार चलाकर तथा अन्य तरीकों से भारी लूट मचा रखी थी। हिक्की ने इन सब गड़बड़ियों का भांडा-फोड़ करना शुरू किया। इसके लिए समाचार पत्र से अच्छा माध्यम और क्या हो सकता था। हिक्की के गजट की महारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मियों की निजी जिंदगी का भांडा-फोड़ करने में थी। अपने कृत्यों को सबके सामने लाया जाना उस समय के अंग्रेज अधिकारियों को नागवार गुजरा। उन्होंने हिक्की को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिये। हिक्की ने जब वारेन हेस्टिंग्स की पत्नी और कुछ अन्य आला अफसरों के विरुद्ध व्यक्तिगत और तीखे प्रहार किये, तब उसे जीओपी (जनरल पोस्ट आफिस) के द्वारा समाचार पत्र भेजने की सुविधा से वंचित कर दिया गया। हिक्की ने इन सब के बावजूद अपना काम जारी रखा। उसने भ्रष्ट अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ कठोर और निंदात्मक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया। 'बंगाल गजट' ने तत्कालीन गवरनर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को भी नहीं छोड़ा। अपने पत्र के माध्यम से हेस्टिंग्स को अनेक नामों से हिक्की ने पुकारना शुरू किया,

अपने पत्र के एक अंक में हिक्की ने हेस्टिंग्स और उनकी पत्नी तथा मुख्य न्यायाधीश सर एलिज इम्पी के बारे में चरित्र हननकारी बातें लिखीं। इस वजह से उस पर मानहानि का मुकदमा चलाया गया। दोष सिद्ध होने पर उसे भारी जुर्माने चुकाने पड़े तथा जेल की सलाखों के पीछे भी बंद रहना पड़ा। इन सबके बावजूद भी हिक्की ने अपना काम जारी रखा। इस बीच यूरोपीय लोगों की अगुवाई में करीब चार सौ हथियारबंद लोगों की भीड़ ने हिक्की के प्रेस पर धावा बोल दिया। हिक्की से जमानत मांगी गई, जिसे वह नहीं दे सका और परिणामस्वरूप उसे जेल भेज दिया गया। उस पर चले मुकदमे में एक आरोप में एक साल की कैद और दो सौ रुपये जुर्माने की सजा हुई, वहीं दूसरे आरोप में मुख्य न्यायाधीश ने वारेन हेस्टिंग्स को पांच हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश पारित किया। इस तरह भारत में पत्रकारिता पर शासकीय अंकुश और दबाव उसके जन्म के साथ ही शुरू हो गया।

हिक्की की पत्रकारिता पर वारेन हेस्टिंग्स ने पहला प्रहार 14 नवंबर, 1780 को यह आदेश जारी करके किया-आम सूचना दी जाती है कि एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम बंगाल गजट आर कलकत्ता जनरल एडवरटाइजर है, जो जे. ए. हिक्की द्वारा मुद्रित किया जाता है, के अंकों में निजी जिंदगी को कलंकित करने वाले अनेक अनुचित अंश पाये गये हैं, जो शांति भंग

करने वाले हैं, अत: इसे जीओपी के माध्यम से प्रसारित होने की और अधिक अनुमति नहीं दी जा सकती। यह भारत में समाचार पत्र और शासन के बीच टकराव की प्रथम घटना थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जिस जेम्स आगस्टस हिक्की को पत्रकारिता के प्रादुर्भाव का श्रेय जाता है, उसी के खाते में व्यवस्था से टकराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रताड़ना के रूप में कीमत चुकाने का सम्मान भी दर्ज है।

## *प्रकाशन बंद*

अपने ऊपर लगाए गये जुर्मानों और मुकदमों से तंग आकर हिक्की अंतत: पूरी तरह से टूट गया। मार्च, 1782 में इस पत्र का प्रकाशन बंद हो गया। 'हिकीज गजट के 29 जनवरी, 1780 से 16 मार्च, 1782 तक प्रकाशित होने की पुष्टि होती है, यद्यपि इसके सभी अंक उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के दुर्लभ ग्रंथ संग्रह में केवल 29 जनवरी, 1780 और 5 जनवरी, 1782 के अंक उपलब्ध हैं। 'बंगाल गजट' का प्रकाशन बंद होने का कारण सिर्फ हिक्की के ऊपर लगाए गए आरोप ही नहीं थे, बल्कि इसके दूसरे भी वजह थे। 'बंगाल गजट के संरक्षक फिलिप फ्रांसिस को भी हिक्की के मुफलिसी के दिनों में ही इंग्लैंड वापस लौट जाना पड़ा। इस वजह से हिक्की बिल्कुल अकेला पड़ गया और उसके पत्र को सरकार का कोपभाजन बनना पड़ा। गर्वनर जनरल हेस्टिंग्स ने न केवल पत्र के प्रकाशन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टाइप्स जब्त कर लिए बल्कि हिक्की के प्रेस को बंद भी करवा दिया।

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान भारत में रह रहे कुछ यूरोपीयों के अंदर तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के विरूद्ध गहन आक्रोश और असंतोष व्याप्त था। कलकत्ता इस विक्षोभ का केन्द्र बिन्दू बना। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप ही 'हिक्की गजट' का प्रकाशन हुआ और उसे देश का पहला समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। इससे ही प्रेरणा लेकर भारत में अन्य प्रमुख स्थानों जैसे-मद्रास (अब चेन्नई), बंबई (अब मुंबई) और दिल्ली जैसे जगहों से भी अंग्रेजी के साथ-साथ कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ।

# 18

# कविवचनसुधा

कविवचनसुधा भारतेन्दु हरिशचंद्र द्वारा सम्पादित एक हिन्दी समाचारपत्र था। इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को वाराणसी आरम्भ हुआ जो एक क्रांतिकारी घटना थी। यह कविता-केन्द्रित पत्र था। इस पत्र ने हिन्दी साहित्य और हिन्दी पत्रकारिता को नये आयाम प्रदान किए। हिन्दी के महान समालोचक डॉ. रामविलास शर्मा लिखते हैं-'कवि वचन सुधा का प्रकाशन करके भारतेन्दु ने एक नए युग का सूत्रपात किया।"

आरम्भ में भारतेन्दु 'कविवचनसुधा' में पुराने कवियों की रचनाएँ छापते थे, जैसे चंद बरदाई का रासो, कबीर की साखी, जायसी का पद्मावत, बिहारी के दोहे, देव का अष्टयाम और दीनदयालु गिरि का अनुराग बाग। लेकिन शीघ्र ही पत्रिका में नए कवियों को भी स्थान मिलने लगा। पत्रिका के प्रवेशांक में भारतेन्दु ने अपने आदर्श की घोषणा इस प्रकार की थी -

खल जनन सों सज्जन दुखी मति होंहि, हरिपद मति रहै।
अपधर्म छूटै, स्वत्व निज भारत गहै, कर दुख बहै।।
बुध तजहि मत्सर, नारि नर सम होंहि, जग आनंद लहै।
तजि ग्राम कविता, सुकविजन की अमृतवानी सब कहै।

'कविवचनसुधा' में साहित्य तो छपता ही था, उसके अलावा समाचार, यात्रा, ज्ञान-विज्ञान, धर्म, राजनीति और समाज नीति विषयक लेख भी प्रकाशित होते थे। इससे पत्रिका की जनप्रियता बढ़ती गई। लोकप्रिया इतनी कि उसे

मासिक से पाक्षिक और फिर साप्ताहिक कर दिया गया। प्रकाशन के दूसरे वर्ष यह पत्रिका पाक्षिक हो गई थी और 5 सितंबर, 1873 से साप्ताहिक।

कविवचनसुधा के द्वितीय प्रकाशन वर्ष में मस्टहेड के ठीक नीचे निम्नलिखित पद छपता था –

निज-नित नव यह कवि वचन सुधा सकल रस खानि।
पीवहुं रसिक आनंद भरि परमलाभ जिय जानि।।
सुधा सदा सुरपुर बसै सो नहिं तुम्हरे जोग।
तासों आदर देहु अरु पीवहु एहि बुध लोग।।

भारतेन्दु की टीकाटिप्पणियों से अधिकरी तक घबराते थे और 'कविवचनसुधा' के 'पंच' पर रुष्ट होकर काशी के मजिस्ट्रेट ने भारतेन्दु के पत्रों को शिक्षा विभाग के लिए लेना भी बंद करा दिया था। सात वर्षो तक 'कविवचनसुधा' का संपादक-प्रकाशन करने के बाद भारतेन्दु ने उसे अपने मित्र चिंतामणि धड़फले को सौंप दिया और 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' का प्रकाशन 15 अक्टूबर, 1873 को बनारस से आरम्भ किया। 'हरिश्चंद्र मैग्जीन' के मुखपृष्ठ पर उल्लेख रहता था कि यह 'कविवचनसुधा' से संबद्ध है।

# 19

# द टाइम्स ऑफ इण्डिया

द टाइम्स ऑफ इण्डिया के रूप में संक्षेपाक्षरित) भारत में प्रकाशित एक अंग्रेजी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इसका प्रबन्धन और स्वामित्व बेनेट कोलेमन एंड कम्पनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। दुनिया में सभी अंग्रेजी भाषा के व्यापक पत्रों में इस अखबार की प्रसार संख्या सर्वाधिक है। 2005 में, अखबार ने रिपोर्ट दी कि (24 लाख से अधिक प्रसार के साथ) इसे ऑडिट बुरो ऑफ सर्क्युलेशन के द्वारा दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले अंग्रेजी भाषा के सामान्य समाचार पत्र के रूप में प्रमाणित किया गया है। इसके वावजूद भारत के भाषायी समाचार पत्रों (विशेषतः हिन्दी के अखबारों) की तुलना में इसका प्रसार बहुत कम है।

टाइम्स ऑफ इंडिया को मीडिया समूह बेनेट, कोलेमन एंड कम्पनी लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, इसे टाइम्स समूह के रूप में जाना जाता है, यह समूह इकॉनॉमिक टाइम्स, मुंबई मिरर, नवभारत टाइम्स (एक हिंदी भाषा का दैनिक), दी महाराष्ट्र टाइम्स (एक मराठी भाषा का दैनिक) का भी प्रकाशन करता है।

## इतिहास

टाइम्स ऑफ इंडिया को ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवम्बर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कामर्स के रूप में स्थापित किया गया। इसे 1861 में

इसका वर्तमान नाम दिया गया। इसे हर शनिवार और बुधवार को प्रकाशित किया जाता है। बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कामर्स को द्वि-साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू किया गया। इसमें यूरोप, अमेरिका और उप महाद्वीपों के समाचार निहित होते थे और इसे नियमित भाप के जहाजों के द्वारा भारत और यूरोप के बीच भेजा जाता था। अखबार का दैनिक संस्करण 1850 से शुरू हुआ और 1861 तक बॉम्बे टाइम्स को नया नाम दे दिया गया दी टाइम्स ऑफ इंडिया . 19 वीं सदी में इस अखबार ने 800 से अधिक लोगों को रोजगार दिया और भारत व यूरोप में इसका प्रसार बहुत अधिक था।

मूलतः ब्रिटिश लोगों ने इसका स्वामित्व और नियंत्रण किया। इसके अंतिम ब्रिटिश संपादक आइवर एस जेहू थे, जिन्होंने 1950 में अपने संपादक के पद से इस्तीफा दे दिया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इस समाचार पत्र के स्वामित्व को डालमिया के प्रसिद्द औद्योगिक परिवार को दे दिया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के साहू जैन समूह के साहू शांति प्रसाद जैन के द्वारा इसे नियंत्रण में ले लिया गया।

टाइम्स को एक उदारवादी समाचार पत्र के रूप में घोषित किया गया है और कभी कभी इसे अप्रासंगिक के रूप में वर्णित किया जाता है। टाइम्स समूह का वर्तमान प्रबंधन भारतीय पत्रकारिता के दृष्टिकोण को बदलने में सहायक रहा है। जैसा कि दुनिया में सब जगह होता है भारत में, एक समाचार पत्र के संपादक को पारंपरिक रूप से सबसे उल्लेखनीय पद माना जाता है। बाजार में किसी भी अन्य ब्रांड की तरह अखबार की प्रबंधन निति को ध्यान में रखते हुए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हालांकि, 1990 के दशक के शुरू में इसे बदल डाला.

मुख्य समाचार पत्र और उसके कई उप संस्करण अब व्यक्तिगत रूप से चलाये जाते हैं जिन्हें 'फेसलेस संपादक' कहा जाता है। अखबार ने एक बड़ी सीमा तक, प्रबंधक के अधिकारों को हल्का कर दिया है, इस अधिकारों को पदानुक्रम के व्यावहारिक क्रम में सबसे ऊपर के स्लॉट पर बिक्री विज्ञापन में काम करने वाले, विपणन स्टाफ और प्रबंधकों के साथ बाँट दिया गया है।

मुख्य कम्पनी ने हाल ही में एक विवादस्पद नए व्यापार की पहल की है, जिसे 'निजी संधियाँ' कहा जाता है। जो विज्ञापन के बदले में एक कम्पनी में 'इक्विटी हिस्सेदारी' की पेशकश करती है। हालांकि प्रबंधन ने सम्पादकीय

पक्ष को कमजोर बना दिया है, सिने अखबार के व्यापार पक्ष, संचरण और तकनीक को अधिक प्रबल बनाया है। जिससे यह देश में सबसे अधिक लाभ कमाने वाला अखबार बन गया है।

जनवरी 2007 में, कन्नड़ संस्करण को बंगलौर में शुरू किया गया और अप्रैल 2008 में चेन्नई संस्करण की शुरुआत की गयी। चेन्नई संस्करण के प्रक्षेपण को, भारत में होने वाला अंतिम प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र का संघर्ष माना जाता है।

# 20

# उदन्त मार्तण्ड

उदन्त मार्तण्ड (शाब्दिक अर्थ– 'समाचार सूर्य' या (बिना दाँत का) बाल सूर्य') हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई, 1826 ई. में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। कलकता के कोलू टोला नामक मोहल्ले की 37 नंबर आमड़तल्ला गली से जुगलकिशोर सुकुल ने सन् 1826 ई. में उदंतमार्तंड नामक एक हिंदी साप्ताहिक पत्र निकालने का आयोजन किया। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में तो अनेक पत्र निकल रहे थे किन्तु हिंदी में एक भी पत्र नहीं निकलता था। इसलिए 'उदंत मार्तड' का प्रकाशन शुरू किया गया। इसके संपादक भी श्री जुगुलकिशोर सुकुल ही थे। वे मूल रूप से कानपुर के निवासी थे।

**इस पत्र की प्रारंभिक विज्ञप्ति इस प्रकार थी** –यह 'उदन्त मार्तण्ड' अब पहले-पहल हिंदुस्तानियों के हित के हेत जो आज तक किसी ने नहीं चलाया पर अंग्रेजी ओ पारसी ओ बंगाल में जो समाचार का कागज छपता है उनका सुख उन बोलियों के जान्ने और पढ़ने वालों को ही होता है। और सब लोग पराए सुख सुखी होते हैं। जैसे पराए धन धनी होना और अपनी रहते परायी आंख देखना वैसे ही जिस गुण में जिसकी पैठ न हो उसको उसके रस का मिलना कठिन ही है और हिंदुस्तानियों में बहुतेरे ऐसे हैं। इससे सत्य समाचार हिंदुस्तानी लोग देख आप पढ़ ओ समझ लेयँ ओ पराई अपेक्षा न करें ओ अपने भाषे की उपज न छोड़े। इसलिए दयावान करुणा और गुणनि के निधान सब के

कल्यान के विषय गवरनर जेनेरेल बहादुर की आयस से ऐसे साहस में चित्त लगाय के एक प्रकार से यह नया ठाट ठाटा...।

यह पत्र पुस्तकाकार (12x8) छपता था और हर मंगलवार को निकलता था। इसमें विभिन्न नगरों के सरकारी क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियाँ प्रकाशित होती थीं और उस समय की वैज्ञानिक खोजों तथा आधुनिक जानकारियों को भी महत्त्व दिया जाता था। इस पत्र में ब्रज और खड़ीबोली दोनों के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता था जिसे इस पत्र के संचालक 'मध्यदेशीय भाषा' कहते थे। इसके उद्देश्य के सम्बन्ध में बांग्ला साप्ताहिक 'समाचार चंद्रिका' ने लिखा था कि अज्ञान तथा रूढ़ियों के अँधेरों में जकड़े हुए हिन्दुस्तानी लोगों की प्रतिभाओं पर प्रकाश डालने और 'उदंत मार्तण्ड' द्वारा ज्ञान के प्रकाशनार्थ' इस पत्र का श्री गणेश हुआ था। और, 'हिन्दुस्तान और नेपाल आदि देशों के लोगों, महाजनों तथा इंगलैंड के साहबों के बीच वितरित हुआ और हो रहा है।

उन दिनों सरकारी सहायता के बिना, किसी भी पत्र का चलना प्राय: असंभव था। कंपनी सरकार ने ईसाई मिशनरियों के पत्र को तो डाक आदि की सुविधा दे रखी थी, परन्तु चेष्टा करने पर भी 'उदन्त मार्तंड' को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकी। इसके कुल 79 अंक ही प्रकाशित हो पाए थे कि डेढ़ साल बाद दिसंबर, 1827 ई को इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। इसके अंतिम अंक में लिखा है–उदन्त मार्तण्ड की यात्रा–मिति पौष बदी 1 भौम संवत् 1884 तारीख दिसम्बर सन् 1827।

आज दिवस लौं उग चुक्यौ मार्तण्ड उदन्त
अस्ताचल को जात है दिनकर दिन अब अन्त।

उन्होंने अपने सम्पादकीय के अन्त में ग्राहकों एवं पाठकों से निवेदन किया था कि 'हमारे कुछ कहे–सुने का मन में न लाइयो जो दैव और भूधर मेरी अन्तरव्यथा और गुण को विचार सुधि करेंगे तो मेरे ही हैं। शुभमिति। "

शुक्ल ने इस पत्र के बाद भी 'समदन्त मार्तण्ड' नामक एक और पत्र निकालने की हिम्मत जुटायी, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी अल्पायु निकला।

उदन्त मार्तण्ड के प्रथम प्रकाशन की तिथि 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।

# 21

# नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स (एनबीटी) एक दैनिक समाचार पत्र है, जो दिल्ली और मुंबई से प्रकाशित होता है। इसकी प्रकाशक कंपनी बेनेट, कोलमैन एवं कंपनी है, जो 'द टाइम्स ऑफ इंडिया', 'द इकनॉमिक्स टाइम्स', 'महाराष्ट्र टाइम्स' जैसे दैनिक अखबारों एवं 'फिल्मफेयर' व 'फेमिना' जैसी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन करती है। 'नवभारत टाइम्स' इस समूह के सबसे पुराने प्रकाशनों में से एक है।

## पहला अंक

नवभारत टाइम्स के पहले अंक का प्रकाशन 3 अप्रैल, 1947 में भारत की स्वतंत्रता से ठीक पहले हुआ था।

### *स्वामित्व*

इस समाचार पत्र का स्वामित्व डालमिया के प्रसिद्ध औद्योगिक परिवार के पास था जिसे बाद में उत्तर प्रदेश के बिजनौर के 'साहू जैन समूह' के 'साहू शांति प्रसाद जैन' ने इसे नियंत्रण में ले लिया गया।

### *नीतियाँ*

इंडियाटाइम्स एक सरल विश्वास के साथ स्थापित विश्व स्तरीय मीडिया उत्पाद और सेवाओं के लिए स्थापित किया गया था। हमारा यह विश्वास है कि

उपभोक्ता का अनुभव हमारी सफलता के लिए महत्त्वपूर्ण है। इसकी वजह से यह सफलता है। इसके अलावा 16 विशेष रुचिकर स्तम्भ हैं–फोटोग्राफी से शिक्षा और सुंदरता से फैशन तक को लेकर हम उपभोक्ताओं के समूहों को लक्षित कर रहे हैं। टीम इंडिया टाइम्स प्रतिबद्धता के साथ वैश्विक स्तर पर भारतीयों के साथ कई रिश्ते बनाने के प्रयासरत है। इस कार्य को करने के लिए इंडिया टाइम्स के प्रबंधक और रणनीतिकार विभिन्न कार्यों में संलग्न हैं और निरंतर विचार विमर्श और नीतियाँ बनाते रहते हैं।

# 22

# सरस्वती

सरस्वती हिन्दी साहित्य की प्रसिद्ध रूपगुणसम्पन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इण्डियन प्रेस, प्रयाग से सन 1900 ई. के जनवरी मास में प्रारम्भ हुआ था। 32 पृष्ठ की क्राउन आकार की इस पत्रिका का मूल्य 4 आना मात्र था। 1903 ई. में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और 1920 ई. तक रहे। इसका प्रकाशन पहले झाँसी और फिर कानपुर से होने लगा था।

श्यामसुन्दर दास के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा उनके पश्चात् पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, श्रीनाथ सिंह, और श्रीनारायण चतुर्वेदी सम्पादक हुए। 1905 ई. में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का नाम मुखपृष्ठ से हट गया। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। एक ओर भाषा के स्तर पर और दूसरी ओर प्रेरक बनकर मार्गदर्शन का कार्य संभालकर द्विवेदी जी ने साहित्यिक और राष्ट्रीय चेतना को स्वर प्रदान किया। द्विवेदी जी ने भाषा की समृद्धि करके नवीन साहित्यकारों को राह दिखाई। उनका वक्तव्य है–

हमारी भाषा हिंदी है। उसके प्रचार के लिए गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, सो तो कर ही रही है, हमें चाहिए कि हम अपने घरों का अज्ञान तिमिर दूर करने और अपना ज्ञानबल बढ़ाने के लिए इस पुण्यकार्य में लग जाएं।

महावीरप्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' पत्रिका के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने के साथ-साथ नए रचनाकारों को भाषा का महत्त्व समझाया व गद्य और पद्य के

लिए राह निर्मित की। महावीर प्रसाद द्विवेदी की यह पत्रिका मूलतः साहित्यिक थी और हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त से लेकर कहीं-न-कहीं निराला के निर्माण में इसी पत्रिका का योगदान था परंतु साहित्य के निर्माण के साथ राष्ट्रीयता का प्रसार करना भी इनका उद्देश्य था। भाषा का निर्माण करना साथ ही गद्य-पद्य के लिए खड़ी बोली को ही प्रोत्साहन देना इनका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य था।

जून1980 के बाद इसका प्रकाशन बन्द हो गया। जिस समय इस पत्रिका का प्रकाशन बन्द हुआ उस समय पत्रिका के संपादक निशीथ राय थे। लगभग अस्सी वर्षों तक यह पत्रिका निकली। अंतिम बीस वर्षों तक इसका सम्पादन पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी तथा बिलकुल अंत में निशीथ राय ने किया।

## सम्पादक

निम्नलिखित प्रसिद्ध साहित्यकार सरस्वती पत्रिका के सम्पादक रहे हैं-

- सम्पादक मण्डल- जगन्नाथदास रत्नाकर, श्यामसुन्दर दास, राधाकृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी- (जनवरी 1900 --1901)
- श्यामसुन्दर दास (1899 --1902)
- महावीर प्रसाद द्विवेदी (1903 --1921)
- कामताप्रसाद गुरु (1920)
- पदुमलाल पन्नालाल बख्शी (1921 --25 जुलाई, 1927 तथा जनवरी 1952)
- देवी दत्त शुक्ल (1925 --1929)
- हरिकेशव घोष, व्यवस्थापक इण्डियन प्रेस (1926)
- उदयनारायण वाजपेयी (सहायक), गणेश शंकर 'विद्यार्थी', देवी दयाल चतुर्वेदी, हरिभाऊ उपाध्याय, देवी प्रसाद शुक्ल, शंभु प्रसाद शुक्ल, ठाकुर प्रसाद मिश्र (1928 --1933)
- श्रीनाथ सिंह (1934 --1938)
- लल्लीप्रसाद, उमेश चंद्र मिश्र (संयुक्त सम्पादक, 1935 --1945)
- श्रीनारायण चतुर्वेदी (1955 --1976)
- निशीथ राय (1977 से जून 1980 )
- देवेन्द्र शुक्ल (2020 से.. )

## *पुनः प्रकाशन*

दिसम्बर 2017 में समाचार आया कि सरस्वती पुनः प्रकाशित होगी लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों से यह सम्भव नहीं हो सका। अब यह पत्रिका लगभग मुद्रित होकर तैयार है और 'कोविड-19' के विदा होते ही प्रयागराज में इसका विमोचन होगा। 'इंडियन प्रेस' के निदेशक श्री सुप्रतीक घोष ने पत्रिका के संपादक के रूप में देवेन्द्र शुक्ल तथा सह सम्पादक अनुपम परिहार को नियुक्त किया है। 17 अक्टूबर 2020 को 'हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज' के 'गांधी सभागार' में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित के द्वारा 'सरस्वती' पत्रिका का लोकार्पण हुआ।

# 23

# हिन्दी प्रदीप

हिन्दी प्रदीप, हिन्दी की एक मासिक पत्रिका थी जिसका प्रथम अंक 1877 ई. में प्रकाशित हुआ। इस पत्र का विमोचन भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने किया था। यह पत्रिका प्रयाग से निकलती थी और इसका सम्पादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया जाता था। हिन्दी प्रदीप में नाटक, उपन्यास, समाचार और निबन्ध सभी छपते थे। हिंदी प्रदीप के मुखपृष्ठ पर लिखा था–

शुभ सरस देश सनेह पूरित, प्रगट होए आनंद भरै  
बलि दुसह दुर्जन वायु सो मनिदीप समथिर नहिं टरै।  
सूझै विवेक विचार उन्नति कुमति सब या में जरै,  
हिंदी प्रदीप प्रकाश मूरख तादि भारत तम हरै।।

प्रदीप से कई लेखकों का अभ्युदय हुआ। इनमें राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, आगम शरण, पंडित माधव शुक्ल, मदन मोहन शुक्ल, परसन और श्रीधर पाठक आदि थे। इनके अतिरिक्त बाबू रतन चंद्र, सावित्री देवी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगदंबा प्रसाद उनके प्रभाव में थे। पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रदीप में 12 रचनाएं प्रकाशित हुई जो उन्होंने 1899 से लेकर 1905 के बीच लिखी थी।

हिंदी प्रदीप में बहुत ही खरी बातें प्रकाशित होती थी। 1909 अप्रैल के चौथे अंक में माधव शुक्ल ने 'बम क्या है' नामक कविता लिखी जो अंग्रेज सरकार को नागवार लगी और उन्होंने पत्रिका पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया। उस समय भट्ट जी के पास भोजन तक के पैसे नहीं थे, जमानत

कहां से भरते। विवश होकर उन्हें पत्रिका बंद करनी पड़ी।

हिन्दी प्रदीप लगभग 33 वर्ष तक प्रकाशित होता रहा और प्रकाशन की सम्पूर्ण अवधि तक पं. भट्ट जी ही संपादक बने रहे। तत्कालीन विषम परिस्थितियों में इतनी लम्बी अवधि तक पत्र का प्रकाशन स्वयं में एक उपलब्धि थी। यह भारतेन्दु युग के सर्वाधिक दीर्घजीवी पत्रों में से एक था।

हिन्दी प्रदीप एक साहित्यिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक मासिक पत्र था। इसमें राजनैतिक वयस्कता थी। समाज के प्रति दायित्व-बोध प्रचुर मात्रा में था। राजनैतिक वयस्कता की परिपक्वता की झलक हिन्दी प्रदीप में प्रकाशित विभिन्न नाटकों और संपादकीय अग्रलेखों से स्पष्ट होती थी। पुस्तक समीक्षा प्रकाशन की पहल हिन्दी प्रदीप ने ही की थी। भट्ट जी ने पत्रकारिता का प्रारम्भिक ज्ञान रमानन्द चट्टोपाध्याय से प्राप्त किया था जो कायस्थ पाठशाला, प्रयाग के प्रिंसिपल थे। भट्ट जी इसी कॉलेज में संस्कृत के शिक्षक नियुक्त हुए। प्रिंसिपल रहते हुए ही श्री चट्टोपाध्याय अंग्रेजी मासिक माडर्न रिव्यू का सम्पादन किया करते थे। 14 मार्च 1878 को वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट परित हुआ जिसके तहत भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम की निर्भीक व तीखी आलोचना कर 'हिन्दी प्रदीप' ने संपूर्ण भारतीय पत्रकारिता का मार्गदर्शन किया था। हिन्दी प्रदीप में 'हम चुप न रहें' शीर्षक से अग्रलेख प्रकाशित हुआ था जिसमें पाठकों से इस एक्ट के विरुद्ध आन्दोलन करने का आग्रह किया गया था। तत्पश्चात अनेक पत्र-पत्रिकाओं ने अधिनियम का विरोध किया और परिणामस्वरूप लॉर्ड रिपन को 19 जनवरी 1882 को यह एक्ट वापस लेना पड़ा।

देवनागरी लिपि को न्यायालय-लिपि और कार्यालय-लिपि की मान्यता प्रदान कराने की दिशा में हिन्दी प्रदीप का बहुमूल्य योगदान रहा है। अपने प्रकाशन के दसवें माह से ही इस पत्र ने इस विषय में जोरदार आन्दोलन किया और सम्पूर्ण हिन्दी भाषी जनता को जागरूक किया। भट्ट जी ने हिन्दी प्रदीप के माध्यम से 1878 में कहा था, 'खैर हिन्दी भाषा का प्रचार न हो सके तो नागरी अक्षरों का बरताव ही सरकारी कामों में हो, तब भी हम लोग अपने को कृतार्थ मानें।' 1896-97 के दौरान हिन्दी प्रदीप ने देशी अक्षर अर्थात देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा का संयुक्त प्रश्न खड़ा कर दिया। उस समय कहा गया था कि हमारे अक्षर और हमारी भाषा अदालतों में पदास्थापित नहीं हैं।